गुरूवार, 3 दिसम्बर 1981

12 अग्राह्यण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 9 गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1981/12 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
श्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164, 167, 169, 171 और 173 के लिखित उत्तर	20—205
तारांकित प्रश्न संख्या 165, 166, 172, 174 से 180	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1844 से 1962, 1964 से 2015 और 2017 से 2076	
पटल पर रखे गए पत्र	205—207
राज्य सभा से संदेश	
ी (संशोधन) विधेयक	207
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
लम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	207—230
दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल में हुई हिंसात्मक घटनाएं और अशांति	
श्री हरिकेश बहादुर	207
श्रीमती शीला कौल	208
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	213
प्रो० अजित कुमार मेहता	220
डा० कृपासिन्धु भोई	224
श्री मनोरंजन भक्त	227
यं मंत्रणा समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	230—247
यम 377 के अधीन मामले	248—256
(एक) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	248

*किसी नाम पर अंकित चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) उत्तर प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई श्री जैबुल बशर	248
(तीन) लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज को एक आयुर्विज्ञान संस्थान में बदलना श्री रामलाल राही	249
(चार) भारत और इंगलैंड के बीच हो रहे वर्तमान क्रिकेट टेस्ट मैचों को दूरदर्शन पर दिखाने हेतु कलकत्ता और कानपुर में माइक्रो-वेव-लिंक की व्यवस्था की आवश्यकता श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	250
(पांच) दिल्ली के उचित दर दुकानदारों का कमीशन बढ़ाए जाने की मांग श्री रामावतार शास्त्री	250
(छः) सेलम इस्पात कारखाने के छटनी किए गए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार श्री सी० पलानी अप्पन	251
(सात) भारी हिमपात के कारण कारगिल और लद्दाख जिलों में फंसे लोगों और पशुओं के लिए अपेक्षित राहत उपाय श्री पी० नामग्याल	252
(आठ) मद्रास में भारतीय जहाजरानी निगम का एक कार्यालय खोलने की आवश्यकता डा० वसन्त कुमार पंडित	253
(नौ) खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	254
(दस) सेना, सीमा सुरक्षा बल आदि के उपयोग के लिए घटिया किस्म के कम्बलों की सप्लाई श्री रतनसिंह राजदा	255
खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	256—272
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	256
श्री रामावतार शास्त्री	258
श्री रामसिंह यादव	260
श्री गिरधारी लाल व्यास	261
डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी	262

विषय	पृष्ठ
श्री ईरा मोहन	265
श्री मल्लिकार्जुन	266
खण्ड 2 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	269
श्री सत्यनारायण जटिया	270
चलचित्र (संशोधन) विधेयक	272—288
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वसन्त साठे	272
प्रो० रूपचन्द पाल	275
श्री अजीत सिंह दाभी	280
श्री ईरा मोहन	282
श्री राम जेठमलानी	286
श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत	288

लोक-सभा

गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1981/12 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 161—डा० जगदीश राय।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक पत्र दिया था कि मैंने दिनांक 30 नवम्बर, 1981 को कृषि मंत्रालय से अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 किया था जिसका क्या जवाब आया है, उसको देखिये—

मेरा प्रश्न था—

(क) "क्या सरकार का ध्यान 26 अक्तूबर, 81 के इण्डियन एक्सप्रेस में "साल फारेस्ट्स फेस डिन्यूडेशन थ्रेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है?"

इसके जवाब में कृषि मंत्री ने कहा है कि—

"जी नहीं। सरकार ने प्रकाशन के लिए संदर्भित समाचार नहीं भेजा है।"

हमारे प्रश्न का उत्तर ही कृषि मंत्री ने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि ऐनक न लगी हो। *115* में इसे देखें।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"कलकत्ता बन्दरगाह की कन्टेनर क्षमता का उपयोग"

161. **डा० सरदीश राय :**
श्री अजित बाग :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता बन्दरगाह की कन्टेनर सेवा का 10 प्रतिशत उपयोग हो रहा है जबकि इसकी क्षमता 55 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी शेष क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को यह मालूम है कि कलकत्ता पत्तन कंटेनर कृत माल आंशिक रूप से कंटेनर कृत होता है जो अन्य पत्तनों पर भी होता है ।

(ख) कंटेनर जहाजों का यातायात मुख्यतः माल मंगाने व भेजने के मामले में कंटेनर इस्तेमाल करने में उपभोक्ता एजेन्सियों की इच्छा और माल खुले रूप में भेजने की अपेक्षा कंटेनरों द्वारा भेजने में लागत के कम बैठने पर निर्भर करता है । कंटेनर जहाजों के यातायात में वृद्धि करने के लिए पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) और (घ) कलकत्ता पत्तन ने कंटेनर यातायात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(i) कंटेनर कम्पलेक्स पर कंटेनरों में माल भेजने व मंगाने वालों (विभिन्न जहाजी कम्पनियों) के लिए भूमि आवंटित की गई है ।

(ii) जहाज से माल भेजने वालों, आयातकों और जहाज मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिए कंटेनर रखने उठाने की दरें युक्तिसंगत कर दी गई हैं । इसी प्रकार कलकत्ता में भी दरें युक्तिसंगत की जा रही हैं ।

(iii) कलकत्ता और हल्दिया के बीच बार्जों द्वारा कंटेनरों के यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए संवधिक दरें लागू की गई हैं ।

(iv) कलकत्ता डाक्स में कंटेनर भाड़ा केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है ।

(v) कंटेनर जहाजों के लिए एक विशिष्ट बर्थ नियत कर दी गई है । एक और बर्थ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

(vi) घाट पर आने और यहां से जाने में कंटेनर जहाजों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता ।

डा० सरदारी राय : इस बन्दरगाह पर कंटेनर सेवा की कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है और क्या इसके उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस समय कलकत्ता बन्दरगाह की क्षमता 30,000 टन भार (टी० ई० यू० एस०) माल सम्भालने की है और हाल्दिया बन्दरगाह की क्षमता प्रति वर्ष 60,000

टर भार माल सम्भालने की है। मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ बता देता हूं कि कलकत्ता बन्दरगाह पर यह यातायात बढ़ रहा है। कलकत्ता में 1977-78 में 612 कंटेनर जहाज आए जिनकी संख्या 1980-81 में बढ़कर 7838 हो गयी और अप्रैल से अक्टूबर, 1981 की अवधि में कलकत्ता बन्दरगाह पर 9882 कंटेनर जहाज आए।

डा० सरदारी राय : कंटेनर सेवा के उपयोग के मामले में इस नदी बन्दरगाह की क्षमता उपयोग का प्रतिशत अन्य समुद्री बन्दरगाहों की तुलना में क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : बम्बई में कंटेनर यातायात कलकत्ता तथा हाल्दिया की तुलना में बहुत अधिक है।

श्री अजित बाग : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कलकत्ता में कंटेनर यातायात में वृद्धि करने के लिये कुछ सुविधायें प्रदान की गयी हैं; जहाज से माल भेजने वालों, आयातकों और जहाज मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये कंटेनर रखने-उठाने की दरें युक्तिसंगत कर दी गयी हैं और इसी प्रकार कलकत्ता में भी दरें युक्तिसंगत की जा रही हैं। कलकत्ता भारत के बन्दरगाहों में से एक मुख्य बन्दरगाह है। इस बन्दरगाह की मुख्य भूमि के लगभग 50 लाख वर्ग मील क्षेत्र में 20 करोड़ लोग रहते हैं। इन लोगों का आर्थिक जीवन इस बन्दरगाह पर निर्भर करता है। प्रतीत होता है कि कलकत्ता बन्दरगाह का महत्व कम करने के लिये हाल्दिया में कंटेनर यातायात की दरों को युक्तिसंगत कर दिया गया है और कलकत्ता में भी ऐसा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाल्दिया को कलकत्ता से पृथक् करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है और उस बन्दरगाह को मजबूत करने के लिये ही ऐसी कार्यवाही की गयी है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस कंटेनर सेवा में वृद्धि करने हेतु क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है। वे किस मात्रा में सुधार करना चाहते हैं और इसे कब तक पूरा किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हाल्दिया की तुलना में कलकत्ता बन्दरगाह पर कंटेनर यातायात अधिक है। कंटेनर यातायात का काम सम्भालने सम्बन्धी कलकत्ता बन्दरगाह की क्षमता 30,000 टन भार (टी० ई० यू० एस०) है। कलकत्ता को 30,000 टन भार क्षमता की तुलना में कलकत्ता आज 9000 टन भार का काम सम्भाल रहा है। अतः क्षमता अब भी वहां उपलब्ध है। उपयोगकर्त्ताओं को ही उस क्षमता का उपयोग करना है। बन्दरगाह में बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। यदि उपयोगकर्ता अपने माल जहाजों को कंटेनरों में ले जाना चाहते हैं तो बन्दरगाह के अधिकारी निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोगकर्ताओं को यथा-सम्भव सुविधायें प्रदान करने के लिये वहां मौजूद हैं।

दिल्ली के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला

*162. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार त्रिभाषा कक्षा छः से कक्षा दस तक लागू होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे सीनियर स्कूलों की संख्या कितनी है, जहां इस फार्मूले को अब तक लागू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली के नियम 9 के अनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनायी गई त्रिभाषा नीति VI से VIII तक की कक्षाओं के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा तथा कक्षा IX और X के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं।

(ख) उपरोक्त सूत्र का पालन सभी स्कूलों में किया जा रहा है।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किन्तु भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

श्री त्रिलोक चन्द : दिल्ली में हिन्दी को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। जो स्टेटमैंट दी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के अनुसार 6 से 10 तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है। लेकिन जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि 6 से 8 तक त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका जब फार्मेशन किया गया तो 24 लैंगुएजिज का पैनल बनाया गया और उसको इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी कोई एक लैंगुएज ले ले। हिन्दी ले यह जरूरी नहीं। अंग्रेजी ले ले कोई और ले ले। एक भाषा लेना जरूरी है। दिल्ली एजुकेशन एक्ट में साफ कहा गया है कि 6 से 10 तक की कक्षाओं में त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा, लेकिन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्यों ऐसा कहा कि एक ही लैंगुएज लड़का ले ?

श्रीमती शीला कौल : भारत में कई भाषायें बोली जाती हैं। सभी भाषाओं की हम बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए त्रिभाषा फार्मूला बनाया गया था। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में जो पढ़ाई है वह चार हिस्सों में बांटी गई है। पहले एक से पांच तक की प्राइमरी कक्षायें आती हैं। इसमें मातृभाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसका पढ़ाना जरूरी है या रिजनल लैंगुएज का पढ़ाना जरूरी है जब तक कि मां बाप यह लिखकर न दे दें कि हम बच्चों को किसी दूसरी

भाषा से पढ़ाना चाहते हैं। मिडल कक्षायें 6 से 8 तक की हैं। यह जो वक्त दिया जाता है इसमें तीन भाषायें सीखनी चाहिये। माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है वह सही है कि इसमें हम तीन भाषायें सिखाते हैं···

श्री रामविलास पासवान : कौन-कौन सी ?

श्रीमती शीला कौल : जो हम तीन भाषायें सिखाते हैं उसमें आफिशल होती है, एसोसिएट आफिशल जो है वह होती है और एक माडर्न इंडियन लैंगुएज या कोई बाहर की हो, वह सिखाई जाती है।

9वीं और 10वीं में आते हैं तो दो भाषाओं का होना जरूरी है। और बच्चा तीसरी भाषा में रह गया हो तो फिर उसको उस भाषा को वहां कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर वह नवीं में पास नहीं कर पाता है तो उसको उस भाषा को दसवीं में पास करना पड़ता है। अगर तीनों भाषाओं को वह दसवीं तक पास नहीं कर लेता है तो उसको दसवीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है और वह आगे इम्तहान नहीं दे सकता है।

चौथी सीनियर सैकेंडरी स्टेज है और वह ग्यारहवीं से बारहवीं तक की है। लेकिन यह सवाल खाली 6 से 8 और 9 से 10 तक की कक्षाओं के बारे में है।

श्री त्रिलोक चन्द : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने साफ पूछा है कि दिल्ली एजुकेशन एक्ट में दसवीं तक त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की बात कही गई है और गवर्नमेंट ने उसको एडाप्ट किया है। उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है। दसवीं तक यह सवाल है। मोटा-सा सवाल है, कोई ज्यादा बारीकी वाला नहीं है।

श्रीमती शीला कौल : दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कूल हैं इस वक्त वे जैसे चल रहे हैं उनमें ऐसा है कि···

अध्यक्ष महोदय : यह फार्मूला लागू होता है या नहीं, यह उनका सवाल है।

श्रीमती शीला कौल : अपने तरीके से उसको कर रहे हैं (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय : हम इन्हे भ्रम में न डालें।

श्रीमती शीला कौल : प्रश्न पूछने के लिये काफी समय है। मुझे जवाब देने दीजिये। बहुत समय है सवाल पुट करने के लिये। ऐसा है कि हमारे यहां, मेरे ख्याल से मुझे मालूम नहीं माननीय सदस्य के बच्चे कहां पढ़ते हैं। लेकिन यहां दिल्ली के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। दिल्ली के जो बच्चे हैं इनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा जोर है, और एक आम शिकायत है कि जो हमारे बच्चे हैं वह अपने वजन से ज्यादा अपने कंधों पर किताबें ले जाते हैं। इसलिये क्लास 9 और 10 में जब बच्चे आते हैं उनके ऊपर इतना लोड होता है, अगर आप चाहें तो मैं बता दूं क्या क्या सब्जेक्ट···

अध्यक्ष महोदय : पहले सवाल का जवाब दे दें।

श्रीमती शीला कौल : यह जो कहते हैं कि 9वीं और दसवीं में पढ़ाई तीन भाषा की होती है कि नहीं ? तो मैंने कहा 8वीं जमात तक होती है और नवीं और दसवीं जमात में दो की होती है। और अगर तीसरी भाषा रह जाती है, पास नहीं कर पाता तो उसको फिर पूरा करना पड़ता है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप जवाब दिलवाइये जो प्रश्न पूछा है उसका।

अध्यक्ष महोदय : वह बतायेंगे कि उनके सवाल का जवाब हुआ कि नहीं।

श्री त्रिलोक चन्द : मान्यवर, मेरा सवाल बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने पूछा था कि आठवीं कक्षा तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है, और दिल्ली ऐजूकेशन ऐक्ट में है कि एक से दसवीं तक यह फार्मूला लागू होगा। लेकिन यहां नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यह मैं पूछना चाहता हूं जबकि ऐक्ट में है ?

श्रीमती शीला कौल : मैं यही तो कह रही थी कि लागू हो रहा है। क्योंकि नवीं और दसवीं जमात में दो जबानें सीखना जरूरी है। और तीसरी जबान अगर आठवीं तक पास नहीं करता है तो वह भी पढ़नी पड़ती है। इस तरह से फार्मूला लागू हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल इतना है कि क्या त्रिभाषा फार्मूला लागू है कि नहीं ? अगर है तो फिर लागू करते हैं कि नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : हमारे यहां कांस्टीट्यूशन में लिखा है···

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली की आप बताइये।

श्रीमती शीला कौल : दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं कि तीनों भाषायें आठवीं जमात तक हैं। और जो बाकी पढ़ाई होती है उसमें अगर कोई बच्चा आठवीं में तीसरी भाषा पास नहीं करता है तो तीसरी भाषा नवीं या दसवीं क्लास में उसको पास करनी पड़ती है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, इसमें संविधान का कोई ताल्लुक नहीं है। वहां कोई त्रिभाषा फार्मूला नहीं है। आप इसको स्थगित कीजिये और मंत्री महोदया को कहिये कि ठीक से तैयार होकर आयें

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घटे की चर्चा कर लें।

श्रीमती शीला कौल : यह ठीक है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, सीनियर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें साफ दिया हुआ है कि हिन्दी ओप्शनल सबजेक्ट रहेगा।

"फूड्स आफ डैथ्स एन्ड ड्रग्स" और "द ड्रगिंग आफ बाम्बे" शीर्षक से समाचार

*163. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 और 10 अक्तूबर, 1981 के "विल्टिज" अंकों में "फेंड्स आफ डेथ्स एण्ड ड्रग्स" और "द ड्रगिंग आफ बाम्बे" शीर्षकों से प्रकाशित दो लेखों की ओर दिलाया गया है जो चरस, गांजे तथा अन्य नशीली वस्तुओं के बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री और उपयोग तथा तस्करी के बारे में हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं या किये जाते हैं और इन अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। यह मामला मुख्यतया महाराष्ट्र सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। राज्य की पुलिस को इसकी जानकारी है और उन्होंने मादक औषधियों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए उचित कार्रवाई आरम्भ कर दी है। यह सूचना मिली है कि उन्होंने जनवरी, 1981 से लेकर अब तक मादक औषधियों के व्यापार सम्बन्धी 35 मामलों को पकड़ा है जिनमें 38 व्यक्तियों का हाथ है। उनसे 234 ग्राम चरस, 210 ग्राम गांजा तथा लगभग 21 ग्राम मार्फिया बरामद किया गया है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : प्रश्न तस्करी की नशीली वस्तुओं को शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को बिक्री तथा उनके उपयोग के फलस्वरूप देश के सैकड़ों युवकों की मृत्यु के बारे में है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह राज्य का विषय कैसे है। प्रश्न यह कह कर निपटा दिया गया है कि यह मुख्यत: राज्य का विषय है। लेख में जो बहुत लम्बा है और जिसका ज़िक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है, इसके बारे तथा हुई मौतों के बारे में पूरा ब्योरा दिया गया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मेरे विचार में मंत्री महोदय ने उन दोनों लेखों को पढ़ लिया है जिनका मैंने यहां ज़िक्र किया है। इस प्रश्न में कई प्रश्न उठाए गए हैं और मुझे आशा थी कि इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे। इसी पृष्ठभूमि में, मैं कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि श्री श्याम बिरयानी, जिसे देश का "ड्रग किंग" कहा जाता है, मादक औषधियों द्वारा सैकड़ों नौजवानों को मौत के मुंह में धकेल रहा है; और ये औषधियां एजेन्टों की एक ऐसी सुगठित संस्था, द्वारा बेची जाती हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस तथा ब्रिटेन के ऐसे पुरुष और महिलायें शामिल हैं जिनकी इन्टरफेल को औषधियों के अवैध व्यापार तथा हत्या के अपराधों के लिये तलाश है; और क्या यह भी सच है कि लंदन का बेरोजगार युवकों का एक गिरोह इन वस्तुओं की बिक्री बरमिछम नामक एक गिरोह के माध्यम से कर रहा है और वे इन औषधियों को युवकों को ही दे रहे हैं और बेच रहे हैं जिसके कारण देश में, विशेषकर गोआ, बम्बई तथा दिल्ली में कई विद्यार्थी मर गये हैं। विशेष सम्पादक द्वारा स्थानीय निरीक्षण करने के बाद ही इन सब बातों का इस विशेष लेख में ज़िक्र किया गया है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि यह मुख्यत: महाराष्ट्र सरकार, उनके उत्पाद शुल्क तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धित है, जो इसका पता लगाने तथा नशीली औषधियों के रखने निर्माण तथा बिक्री को विनियमित करने वाले हानिकारक औषधि अधिनियम,

1970 के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेवार है। हमने महाराष्ट्र सरकार से पूरा ब्योरा मांगा है; और वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। और मैं मूल प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि उन्होंने मामलों का पता लगाया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मेरा प्रश्न समूचे देश के बारे में था जिसका ज़िक्र उस विशेष लेख में है।

अध्यक्ष महोदय : ये हमारी भावी पीढ़ियों की भलाई के बारे में चिंतित हैं इससे हम सभी चिंतित हैं। क्या सरकार औषधियों के अवैध व्यापार तथा इन सब बातों को गम्भीरता से ले रही है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह सचमुच एक सामाजिक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह अपराध सम्बन्धी समस्या है।

श्री निहार रंजन लास्कर : यह समस्या हमारे सामने नहीं थी; यह मुख्यत: विकसित देशों की समस्या है। लेकिन शिक्षा प्रसार के फलस्वरूप हमारा देश भी धीरे-धीरे उस ओर बढ़ रहा है। हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : 'भारत भारती' में मैथिली जी ने लिखा था—विद्या तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उस लेख में लिखी गयी बातों तथा ऐसे अड्डे चलाने वाले लोगों की स्वीकारोक्तियों को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस औषध संक्रामक रोग को समाप्त करने के लिये औषध विरोधी किसी सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग द्वारा जांच करने का है ताकि हम इन सब बातों का अन्त कर सकें ? हम इसे राज्यों पर नहीं छोड़ सकते।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मुख्यत: वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है और वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। यदि ये उनके नाम पृथक प्रश्न पूछें तो वे इसका उत्तर देंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। हम अब भी उनसे पूरी रिपोर्ट का इन्तज़ार कर रहे हैं।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह अधूरा है। एशिया में सबसे ज्यादा गांजा मेरी कांस्टीट्यूएन्सी, खंडवा में बोया जाता है। किसानों को अपनी उपज का पूरा भाव नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि गांजे को काफी मसल दिया जाता है, ताकि चरस ज्यादा पैदा हो, जिससे उसका वज़न कम हो जाता है। सारा स्मगलिंग खंडवा से होता है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में केवल महाराष्ट्र का हवाला दिया है कि महाराष्ट्र शासन से जानकारी ली गई है। मंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार से भी जानकारी

लें कि हर ट्रेन—पंजाब मेल, वाराणसी एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस, अमृतसर-दादर एक्सप्रेस—को स्मगलर्ज़ जान-बूझकर वहां पर रोकते हैं और राज्य सरकार का उसपर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए एक स्पेशल फोर्स यहां से भेजी जाए। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। ये विचार करेंगे।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सदन को अधूरी जानकारी दी गई है। यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। उसका उत्तर आने दीजिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, हम उस पर विचार करेंगे।

डा० वसंत कुमार पंडित : यह प्रश्न इस सभा में पहली बार नहीं उठाया गया है। हम पहली बार इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, यह एक पुराना तथा गम्भीर मामला है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बारे में गम्भीर है और यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह तथा वित्त मंत्रालयों का एक समन्वय बोर्ड बनाया जायेगा। इस लेख में चीन, जापान तथा हांगकांग से हानिकारक औषधियों के अवैध व्यापार के लिए तस्करों द्वारा अपनाए गए नए रास्तों का जिक्र किया गया है। इससे नये रास्ते खुल गए हैं। अफगान युद्ध के कारण परम्परागत मार्ग बंद हो गए हैं। अब पश्चिमी देशों के साथ होने वाला अवैध व्यापार भारत होकर होता है। क्या यह सच नहीं है कि अभी हाल के वर्षों से इन औषधियों के सेवन में वृद्धि हो गयी है और इसके अवैध व्यापार में भी वृद्धि हो गयी है, और यदि हां तो सरकार इन दो बातों के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि भारत होकर अवैध व्यापार में वृद्धि हो रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अतः आप उनका सुझाव स्वीकार करें।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम कार्यवाही कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या आप दिये गये सुझावों के अनुसार कार्यवाही कर रहे है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदस्य को कुछ उन कार्यवाहियों के बारे में कह सकता हूं जो हम कर रहे हैं। सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आसूचना अधिकारियों की विशेष टीमें तैनात की गयी हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय, जो तस्करी निवारणार्थ एक शिखरीय संस्था है, में विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के बीच सम्पर्क करने के लिये एक तारकोटिक सेल खोला गया है। विभिन्न बाहरी देशों की तरह ऐसे अपराधों का पता लगाने हेतु यात्रियों के सामान के बीच छिपायी गयी नशीली औषधियों का पता लगाने के लिये खान-दस्ते (जग-स्कवेडज) का गठन करने का भी प्रस्ताव है।

डा० वसंत कुमार पंडित : इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाये गये ? क्या आप सभी विभागीय कार्यवाहियों के बीच तालमेल लाने का काम करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चिंतामणि जेना ।

छोटी खाने वाली गोली के लाभ और उसका प्रभाव

*164. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने खाने वाली एक ऐसी छोटी गोली का विकास किया है जिसमें हारमोन की थोड़ी मात्रा होती है जो विशेष रूप से भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए उपयुक्त रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके लाभ और उसके प्रभाव के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी नहीं । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में किसी ऐसी खाई जाने वाली गोली का विकास नहीं किया है जिसमें हारमोन की मात्रा कम हो । वैसे, परिषद् ने विस्तृत अध्ययनों के पश्चात् 1974 में खाई जाने वाली एक ऐसी गोली की सिफारिश की थी जिसमें घटकों की मात्रा कम थी । कम मात्रा वाली इस गोली का उपयोग राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में 1975 से हो रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब प्रयुक्त की जा रही खाने वाली यह गोली कितने प्रतिशत सफल रही है और मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किसी प्रकार का अनुसंधान किया गया है अथवा क्या इसका ऐसा कोई अनुसंधान करने का विचार है क्योंकि अब प्रयुक्त की जा रही खाने वाली गोली हमारी आशाओं के अनुसार परिणाम नहीं दे रही है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : यदि मैंने माननीय सदस्य को ठीक प्रकार से समझा है, तो वह यह जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयुक्त की जा रही खाने वाली गोली उपयोगी है अथवा नहीं । हमारी सूचना यह है कि यह गोली बहुत ही प्रभावी है और इसका प्रतिकूल प्रभाव भी कम है । यह हमारे प्रयोक्ताओं के लिए उपयोगी है ।

श्री चिन्तामणि जेना : कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं जिससे माननीय सदस्य अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं । हमने इस कार्यक्रम को 1975-76 में शुरू किया था । उस समय

32,301 व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहे थे। 1980-81 में 88,000 से अधिक व्यक्तियों ने इसका प्रयोग किया।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि प्रयोक्ताओं द्वारा यह बताया गया है कि अब प्रयुक्त की जा रही खाने वाली गोली स्वास्थ्य के लिए हानिकर है और यदि हां तो अनुसंधान करने के लिए सरकार तथा एक ऐसी गोली विकसित करने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : यह गोली, जिसे हम अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रयुक्त कर रहे हैं शत-प्रतिशत सफल रही है। 'लो डोज कम्बीनेशन' वाली खाने की गोली को, जिसे हमारी भारतीय महिलायें प्रयोग में ला रही हैं, यदि हर रोज प्रयुक्त की जाये तो शत-प्रतिशत सफल रहती है। यह बहुत ही उपयोगी है और इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

कोल ऐश एण्ड ट्रांशिपमेंट हैण्डलिंग मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ मंत्री की बैठक

*167. **श्री अजित कुमार साहा :**
श्री मोहम्मद इस्माइल :

क्या रेल मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेलवेज कोल० ऐश एन्ड ट्रांशिपमेंट हैण्डलिंग मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे 9 दिसम्बर, 1980 को मुलाकात की थी तथा उनके साथ कोयला, राख और वस्तु चढ़ाने उतारने वाले श्रमिकों को स्थाई सेवा में खपाने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें स्थाई कर्मचारियों के रूप में खपाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 9-2-1980 को इण्डियन रेलवेज कोल एन्ड ऐश हैंडलिंग मजदूर यूनियन ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें रेलों के भाप इन्जन शेडों में कोयले और राख की सम्हलाई तथा सिंडर चुनने के कार्य का विभागीकरण करने और इन कार्यों में लगे ठेका श्रमिकों को स्थाई रेल कर्मचारियों के रूप में समाहित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि भाप रेल इन्जन शेडों में कोयले और राख सम्हलाई कार्यों का विभागीकरण करना मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से वांछनीय नहीं होगा :

(i) भाप रेल इन्जनों को उत्तरोत्तर विद्युत और डीजल रेल इन्जनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, और

(ii) प्रश्नगत परिचालन सतत् प्रकृति के नहीं हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में पूर्ण कालिक नियमित कर्मचारियों के नियोजन का औचित्य नहीं है।

श्री अजित कुमार साहा : जब कामरेड समर मुखर्जी के नेतृत्व वाली ऐश एण्ड ट्रांशिमेंट हैण्डलिंग मजदूर यूनियन की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री महोदय को मिला था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके लिए वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था कर दी जायेगी। किन्तु अब मंत्री महोदय अपने वितरण में कह रहे हैं कि उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। ये लोग 10 से 15 वर्षों से भी अधिक समय से काम करते चले आ रहे थे और अब मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था नहीं की जाएगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये लोग कहां जायेंगे क्योंकि वे 10 से 15 वर्षों से भी अधिक समय से काम करते चलेआ रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : ये श्रमिक अनिवार्य रूप से लोको शैडों में राख और कोयले को चढ़ाने उतारने तथा अंगार को चुनने का कार्य करते हैं। इस तथ्य को देखते हुए उन्हें नौकरियों में खपाया नहीं जा सकता क्योंकि हम विद्युतीकरण तथा डीजलीकरण को उत्तरोत्तर क्रियान्वत किये जाने के कारण इन स्टीम लोको शैडों को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। जहां तक ठेका मजदूरों श्रमिकों का संबंध है, विनियमन के अनुसार 1970 में ठेका मजदूर विनियमन तथा उन्मूलन की प्रणाली के अन्तर्गत ठेका मजदूरों को खपाने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई थी। किन्तु इस त्रिपक्षीय समिति के सदस्यों में मतभेद हो गया था। किसी सदस्य ने यह सिफारिश की थी कि यह ठेका मजदूर प्रणाली को अवश्य ही जारी रखा जाना चाहिये जबकि किसी अन्य सदस्य ने यह सिफारिश की थी कि ठेका मजदूर प्रणाली का अवश्य ही उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। इस मामले के संबंध में निर्णय करने से पूर्व हमें इस त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखना होगा। अतः यह सम्भव नहीं है।

श्री अजित कुमार साहा : केन्द्रीय मंत्रणा ठेका मजदूर बोर्ड का निर्णय यह है कि लोको शैडों और थार्डों में कोयले को चढ़ाने उतारने के काम में ठेका मजदूर के प्रयोग को निषिद्ध कर दिया जाए और इन श्रमिकों के लिए वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करना मुख्य नियोजक का अनिवार्य कर्त्तव्य है।

अतः, यदि अब तक उपयुक्त निर्देश जारी नहीं किये गये हैं तो उन्हें शीघ्र जारी कर दिया जाना जाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने पहले ही सम्मानित सभा को सूचित कर दिया है कि इस समिति के सदस्यों में मतभेद है। फिर भी माननीय सदस्य के सुझाव को, जो मजदूरों के हित में है, सरकार ध्यान में रखेगी।

श्री मुहम्मद इस्माइल : जो लोग 16-17 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको एब्जार्ब करने के बारे में मिनिस्ट्री अभी तक कोई निर्णय ले पाई है, हालांकि जहां इलैक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा था, वहां जो लोग काम करते थे उनमें से बहुत ज्यादा आदमियों को रेलवे ने एब्जार्ब किया है।

कहा गया है कि डिफरेंस-आफ-ओपीनियन है, इसलिये मिनिस्ट्री कोई ओपीनियन फार्म नहीं कर पाई है। लेबर बोर्ड ने रिकमेण्ड किया था कि इनको एब्जार्ब करना चाहिये, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से कैटेगोरिकली पूछना चाहता हूं—जो वहां पर वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेलवे में एब्जार्ब करने का क्या आप कोई रास्ता निकालेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं सदन को पहले ही बतला चुका हूं कि सरकार कर्मचारियों की स्थिति के बारे में प्रतिपक्ष के नेताओं से बढ़कर सोचती है। कानून में जो चीजें हैं, जो स्टेचूटरी प्रोवीजन्ज हैं—मिनिमन वेजेज एक्ट और कारपोरेशन एक्ट के, रेलवे कम्पेसेशन एक्ट उनके अधीन कान्ट्रेक्ट लेबर को अनुबन्धित करती है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या सरकार ऐसे श्रमिकों के मामलों में आवश्यक सेवा अधिनियम का उपयोग करेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : आवश्यक सेवा अधिनियम का प्रयोजन बिलकुल भिन्न है। देश में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के हित में जहां भी आवश्यक होगा इसे उपयोग में लाया जायेगा सर्वत्र नहीं।

कनाडा में खालिस्तान कान्सुलेट का चलना

*169. **श्री रसीद मसूद :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खालिस्तान संगठन के वेंकूवर (कनाडा) में कार्य कर रहे "कान्सुलेट" और उसके सक्रिय लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) जी हां। सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि तथाकथिक खालिस्तान संगठन का एक कोंसलावास वेनकुवर, कनाडा में स्थापित किया गया है। सरकार को इस आशय की भी जानकारी है कि इस आन्दोलन के प्रक्रिय अनुयायियों को सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

(ख) इसके सम्बन्ध में भारत सरकार की चिन्ता कनाडा के प्राधिकारियों को समुचित रूप में बता दी गई है।

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी लोग जानते है कि खालिस्तान का मूवमेंट हिदुन्स्तान के लिए खतरा बनता जा रहा है। मैं मोहतरिम वजीर साहब से पूछना चाहता हूं, जैसाकि कहा गया है कि अखबारों में आया है, कि खालिस्तान की स्टैम्प पर हमारी पोस्टल स्टैम्प लगे हुए खत डिलीवर हुए हैं, उसके लिए कोन जिम्मेदार है और क्यों ऐसा हुआ तथा क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का इरादा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, हमारी पोस्टल स्टैम्प के साथ जब कोई दूसरी स्टैम्प लग जाती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और हमारी पोस्टल स्टैम्प बराबर होती है, जिसकी अपनी कीमत है, तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता।

श्री रशीद मसूद : मेरा कहना दूसरी स्टैम्प के बारे में है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कानून की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि जहां-जहां पोस्टल स्टैम्प निकाले जा रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अगर किसी देश के व्यापारी का टिकट हो, तो कोई कानून नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : अगर कोई ऐसा कानून, है, तो उसे बदल देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, देखिए—बेशर्मी की बात करते हैं ···(व्यवधान)··· ये खालिस्तान के हिमायती हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको टाइम दूंगा, आप चिन्ता क्यों करते हैं। आप मेरी इजाजत लीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं आपका हुक्म मानूंगा।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बागड़ी जी को समझाइए, यह रोज की बात है। आपको इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। यह जो तथाकथित वहां कार्यवाही की जा रही है, कान्सुलेट वगैरह के नाम से, यह बहुत गलत है। हम कनाडा की सरकार से कह चुके हैं, कहते जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी ने यहां इसी सदन में एक लम्बा वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने सारी बातों पर रोशनी डाली है। उनकी बातचीत कनाडा के एक मंत्री, जो यहां आए थे, से हुई हैं और साफ तौर से कहा गया है कि कनाडा में अगर कोई ऐसा कानून है, जिसके अनुसार ऐसी गति विधियों पर पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती, तो उस कानून को बदलना चाहिए। यह सुझाव भी हमारे गृह मंत्री जी ने दे दिया है।

अब रही हमारे देश की बात, हमारे देश में ऐसा स्टैम्प कहीं इस्तेमाल में नहीं आया है। जहां तक हम जानते हैं और यदि कोई ऐसी वारदात हुई जिसमें यह स्टैम्प इस्तेमाल किया गया या कोई उनका नोट लीगल-टेंडर की तरह से इस्तेमाल किया गया, तो कानूनी तौर पर जो कार्यवाही करनी है, की जाएगी।

श्री रसीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, कनाडा की सरकार ने क्या जवाब दिया है, यह तो मंत्री जी ने नहीं बताया है। लेकिन वहां मिलिटरी ट्रेनिंग दी जा रही है और मालूम हुआ है कि एक खास बिरादरी,** के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां पर जो बम्ब विस्फोट हुआ है, उसमें इंबाल्वड हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या यह बात सही है कि एक खास बिरादरी के लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है और ट्रेनिंग दी जाती है, इस संबंध में कनाड़ा ने क्या जवाब दिया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, हमारी जानकारी यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनिंग वाली बात अखबारों में आई है। वहां किसी ऐसी जगह का पता नहीं चला है, किसी ऐसी व्यवस्था या संस्थान का पता नहीं चला है, जहां ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही हो। इसलिए अब उस पर कोई बहस नहीं हो सकती और इस पर हम कुछ नही कह सकते। जो चिन्ता है, जो हमारा कन्सर्न है, वह हम उनको बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी कुछ कार्यवाही हो, जो हमारे कानून के खिलाफ हो, हम जरूर एक्शन ले सकते हैं। हमारे गृह मन्त्री जी ने बताया है कि अगर आपके कानून में कोई कमी है, जिसके कारण ऐसी गतिविधियां पर पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं और एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो हमारा यह सुझाव होगा कि हमारी मित्रता की खातिर इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने कानून में संशोधन करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस वर्ष अप्रैल में मैं स्वयं वैंकुअर में था वहां भारी संख्या में भूतपूर्व सेना कर्मचारी बसे हुए हैं। महोदय उन सबने यह शिकायत की है कि हमारे पेंशन, तथा जीवन बीमा आदि के मामलों में वहां पर भारतीय संगठनों द्वारा सहनाभूतिपूर्ण सुनवायी नहीं की जाती और भारतीय वाणिज्य दूत कहते हैं कि वहां पर केवल दो या तीन व्यक्ति हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि वैंकुवर स्थित भारतीय जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है तथा स्थानीय कनाडा के स्थानीय अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमारे वाणिज्य दूतावास में कर्मचारियों की कमी होने के कारण उनकी सहानुभूतिपूर्ण सुनवायी नहीं की जाती। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन क्षेत्रों में बसे भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी इस देश से सम्पर्क कर सकें तथा इधर-उधर दौड़ भाग करने के बजाय अपनी पेंशन तथा अन्य लाभ नियमित रूप से प्राप्त कर सकें, एक पृथक सैल स्थापित करेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे। परन्तु यह कहना कि वाणिज्य दूतावास में कर्मचारियों की कमी है, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है, मुझे सही प्रतीत नहीं होता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा तात्पर्य उस तरीके से है जिससे आप उनके साथ विदेशियों का सा व्यवहार करते हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि यह वाणिज्य दूतावास में कर्मचारी बढ़ाने का प्रश्न है तो हम इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी जगह पर महत्व रखता है। मैं विदेश मंत्री जी से अदब से एक बात कहूंगा—एक अच्छे ढंग से उन्होंने बात कही—कि क्या आप ऐसा कानून बनाने की उम्मीद रखते हैं कनाडा से कि आपके राष्ट्र के हित का वह कानून बनाए ? क्या आप अपने देश में ऐसा कानून बना नहीं सकते कि जो खालिस्थान की बात करने वाले हों, उनके लिए या जो खालिस्तान के नाम के टिकट, नोट या इस किस्म के पोस्टर मिलें, उन्हें गैर-कानूनी करार देकर, ऐसे लोगों को गिरफतार करें।

राव साहब, इसके पीछे जो इतिहास है, उसे आप समझें। मैं फैक्ट नहीं जानता पर यह जरूर कहता हूं कि कनाडा में**

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : गलतफहमी न आ जाए, इसलिए मुझे लम्बी बात कहने दीजिए, नहीं तो इसका मतलब यह लगाया जाएगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना सवाल ही करें, उतना ही।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या नजदीक से क्या दूर से···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न ही दिया जाना है। शेष कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : आय बैठिये।

श्री मनीराम बागड़ी : जो गलत है, आप शुद्ध कर दें।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हो गया है, मैंने किया है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं सिर्फ राष्ट्र के लिए कहता हूं ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिये। मंत्री जी, इसका जवाब दीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं जवाब देता हूं। देखिये, इसमें एक तो वह सवाल है, जिसको हम अपने कानून से निपट सकते हैं। दूसरा ऐसा सवाल है जो अपने कानून से हम नहीं निपट सकते और उससे कनाडा निपट सकता है अपने कानून को बदलकर। उसके लिए हम उनसे कह चुके हैं मैंने जैसा पहले कहा था कि हमारा कानून सक्षम है इस बात के लिए कि ऐसी कोई गतिविधि हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें और यदि ऐसी कोई बात हमारे ध्यान में आए कि हमारा कानून किसी मामले में सक्षम नहीं है, तो उसका संशोधन करना हमारा काम है और आप सब का काम है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० मायातेवर : अध्यक्ष महोदय, इस देश की एकता, रक्षा तथा सुरक्षा के लिए खालिस्तान आन्दोलन को देश में तथा विदेशों में समाप्त करना अत्यावश्यक एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इस सभा के सभी सदस्यों तथा राष्ट्र का एकमत दृष्टिकोण है। जहां तक इस आन्दोलन को देश के अन्दर दबाने का सम्बन्ध है, गृह मंत्री को इस आन्दोलन को दबाने के लिए सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। और जहां तक देश के बाहर इस खालिस्तान आन्दोलन की गतिविधियों का सम्बन्ध है, मैं माननीय विदेश मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ये खालिस्तान आन्दोलन को चलाने वाले तथाकथिक राजनैतिक नेता हैं या नहीं ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि वे राजनैतिक नेता हैं क्या उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कनाडा को राजनैतिक शरण के लिए आवेदन दिया है, क्या उनको राजैतिक शरण प्रदान कर दी गयी है ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी : जहां तक द्र० मु०क का सम्बन्ध है आपको कुछ उदारता बरतनी चाहिए।

श्री के० मायातेवर : क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत कनाडा सरकार को वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि इन सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों की वापसी हो सके तथा वे इस सरकार के समक्ष पेश किये जा सकें ताकि सरकार उन पर अपने कानून के अन्तर्गत मुकदमा चला सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बिना विस्तार में गये मैं इस विषय पर माननीय गृह मंत्री के विस्तृत वक्तव्य का संदर्भ देना पसन्द करूंगा। उन्होंने इस आन्दोलन में लगे व्यक्तियों—तथा—कथित नेताओं—जो कि नेता बनाये गये हैं के विषय में सभी पहलुओं पर देर तक प्रकाश डाला। मूल रूप से वे नेता नहीं थे वे नेता बनाये गये हैं, उन्होंने कहा है। अतः उन्होंने इन पहलुओं पर इस सभा को पूरे विस्तार में बताया है। और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसमें कुछ नहीं जोड़ना चाहता।

श्री राजेश कुमार सिंह : इस नाजुक विषय पर बहुत लम्बे समय से वाद विवाद किया जा रहा है। जैसा मैंने अपने भाषण में कहा है राजनैतिक नेताओं का विश्वास करना कठिन है। क्या माननीय मंत्री विदेश स्थित मिशनों की प्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर सभा को यह आश्वासन दे सकते हैं कि हाल ही में राजनैतिक नेताओं ने जो विदेशों का दौरा किया है उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : निश्चित रूप मैं आश्वासन दे सकता हूं।

कोरापुट पार्वतीपुरम लाइन का मार्ग बदलना

*17!. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोरापुट से पार्वतीपुरम तक की प्रस्तावित रेल लाइन के मार्ग को बदल कर कोरापुट-रायगढ़ 2 लाइन, बरास्ता उड़ीसा, करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कोरापुट और पार्वतीपुरम (आन्ध्र प्रदेश) के बीच की दूरी कोरापुट और रायगढ़ के बीच की दूरी से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो कोरापुट और पार्वतीपुरम, तक की प्रस्तावित लाइन का मार्ग बदलने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिन दो संरेखनों के बारे में विचार किया गया, उनमें से एक को, जो कोरापुट और रायगढ़ (उड़ीसा में), को जोड़ने वाला है, निर्माण के लिए चुन लिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) कोरापुट-रायगढ़ा संरेखन लम्बा होने के बावजूद तकनीकी, वित्तीय और परिचालनिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है।

श्री वी०किशोर चन्द्र एस० देव : रायगढ़ से कोरांपुट तक इस लाइन के दो घाट अनुभाग होंगे। मैं नहीं जानता कि आपने इसको किस आधार पर चुना है क्योंकि रायगढ़ और पार्वती, पुरम् से मद्रास की बोकारो इस्पात मुरकर लाइन तथा रेलवे लाइन पहले ही विद्य मान है।

यह आन्ध्र प्रदेश के 45 से 60 अनुसूचित जनजातियों के गांवों से होकर जाएगी। यह नया मार्ग लम्बा है तधा इसमें अधिक धन भी लगाना पड़ेगा।

श्री मल्लिकार्जुन : कोरापुट से रायगढ़ 200 किलोमीटर दूर नहीं है, बल्कि यह 175 कि० मी० है। यह ठीक है कि यह संरेखन चुना गया है जो कोरापुट और पार्वतीपुरम से 45 कि० मी० अधिक है। दूसरी ओर हमें कुछ अन्य घटक भी देखने हैं। हमें ढाल भी देखने हैं—पार्वतीपुरम से कोरापुट तक 180 ढाल हैं। यह बहुत अधिक खड़ा है इनके अन्दर बड़ी-बड़ी सुरंगें हैं हमें इनको खोदना पड़ता है तथा इसमें वाई आकार के कटाव तथा अन्य घटक हैं। यद्यपि इसको 45 कि० मी० अधिक बनाना पड़ेगा परन्तु परिचालनिक, वित्तीय तथा तकनीकी दृष्टि से कोरापुट से रायगढ़ संरेखन अधिक व्यवहार्य है। इसीलिए इसको स्वीकार किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि डामनजोडी में एक एल्यूमिनियम परियोजना शुरू की जा रही है। लोग वहां पर एक एल्यूमिनियम समूह बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। 12 नवम्बर को 23 किलोमीटर अर्थात् कोरापुट से मेतलापुर का कार्य शुरू कर दिया गया।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : दमन जोड़ी जिसका उल्लेख माननीय मंत्री ने किया है आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर है। मैं नहीं जानता कि वे इस क्षेत्र में गए हैं कि नहीं। मैं स्वयं गया हूं। उन्होंने ढालों के विषय में भी कहा है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। परन्तु कोरापुट से रायगढ़ तक के सीधे मार्ग पर दो घाट अनुलाभ होंगे। 45 कि०मी० कोई छोटी बात नहीं है। प्रत्येक कि०मी० पर लगभग एक करोड़ या इससे अधिक लागत आयेगी। कोरापुट पार्वतीपुरम् मार्ग पर एक घाट अणुभाग होगा। यह मैदानी क्षेत्र है। परन्तु जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो उस समय घाटों के विषय में क्या सोचा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं कि यह आपके उड़ीसा के मुख्य मंत्री के प्रभाव से राजनैतिक आधार पर किया गया है। यदि यही बात है जो की जा रही है, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, यदि वे छोटे मार्ग बनाकर धन बचाना चाहते हैं तो उस धन से वे सम्बलपुर-तालचेट मार्ग बना सकते हैं जो कि उड़ीसा के लोग चाहते हैं। क्या वे मुझे तथ्य तथा आंकड़े दे सकते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य जो भी तथा वे आंकड़े चाहते हैं मैं दे सकता हूं। जहां तक उड़ीसा के मुख्य मंत्री के राजनैतिक दबाव वाली बात का सम्बन्ध है, ऐसा कोई दबाव नहीं है और सरकार किसी के दबाव के सामने झुकने नहीं जा रही है—चाहे वह विपक्ष से हो या किसी अन्य से। हम तकनीकी रूप से चलते हैं।

क्षय और वक्ष रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि

*173. श्री आर० पी० गायकवाड़ :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोजकों की उदासीनता और 1975 में कार्यक्रम की पुनरीक्षण करने वाली "विशेषज्ञ समिति" की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के कारण क्षय और वक्ष रोगों पर काबू नहीं पाया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षय रोग के मामलों को कम करने और इस रोग पर काबू पाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जिस विशेषज्ञ समिति ने 1975 में राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया था, उसकी सिफारिशें इस प्रकार लागू की गई हैं :

(क) बी०सी०जी० के टीकों की सुविधाओं को सामान्य सेवा के साथ मिला दिया गया है; (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तपेदिक के रोगियों की खोज करने और उनका उपचार करने में सक्रियता से लगाया गया है; और (ग) जिला टी० बी० केन्द्रों के स्थापना कार्य में तेजी लाई गई है।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : महोदय, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, मैं महसूस करता हूं कि वह स्पष्ट नहीं है विशेष रूप से जब यह मामला देश के स्वास्थ्य से सम्बन्धित है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि लोगों के इस बीमारी के इलाज तथा इस बीमारी को पूर्णत: समाप्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इस प्रश्न विशेष के विषय में हम अनेकों बार उत्तर दे चुके हैं। मैं पुन: उसी बात को दोहरा सकता हूं। राष्ट्रीय टी० बी० कार्यक्रम के अन्तर्गत, देश में तपैदिक की समस्या को हल करने के लिए, जिला टी०बी० केन्द्रों में टी०बी०के रोगियों का इलाज करने के लिए पूर्णत: सज्जित व प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है तथा राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं भी स्थापित की गयी है। इन केन्द्रों में से देश में अधिकांश जिला केन्द्रों में इन सब चीजों की व्यवस्था की गयी हैं। अभी तक देश भर में कुल 353 ऐसे टी० बी० उपकेन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 300 अन्य टी०बी० कलीनिक हैं जो कि टी० बी० के मामलों में इलाज कार्य कर रहे हैं। संक्रामक तथा गम्भीर टी० बी० बीमारों के लिए लगभग 44,000 टी० बी० बिस्तर स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बी० सी० जो० कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कुछ कदम हैं जिनको हम तपैदिक पर नियंत्रण पाने के लिए उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : एक दशक के अन्दर युद्ध स्तर पर सक्रिय कदम उठाये बिना 2,000 ईसा तक सबके लिए पूर्ण स्वास्थ का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। यह कहा गया है कि दवाइयों का अभाव है तथा दवाइयों की पूर्ति भी सरल और कारगर नहीं है। केवल यह ही नहीं, छठी योजना में तपैदिक उन्मूलन पर अधिक बल नहीं दिया गया। राज्य सरकारें 100% राज सहायता की मांग कर रही हैं। जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जहाँ तक इस माँग का सम्बन्ध है यह आधे आधे के सिद्धान्त पर आधारित है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ में हम 50% राजसहायता दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि टी०बी० एक बहुत बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है तथा लगभग एक करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। हमारी कुछ समस्यायें हैं। निश्चित ही हमारे पास धन की कमी भी है। इसी कारण से हम इसे प्रभावी ढंग से सुलझाने में सफल नहीं हो रहे हैं। परन्तु जो कुछ सम्भव हो सकता है उसके लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजधानी एक्सप्रेस का सूरत में स्टापेज

*165. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत के लोगों ने मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस के लिए सूरत में स्टापेज बनाया जाये;

(ख) क्या उक्त मांग स्वीकार कर ली जायेगी, और यदि हां, तो संभवत: कब तक; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेल विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में खान-पान व्यवस्था के निजी ठेके

*166. श्री जैनुल बशर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें खान-पान व्यवस्था के ठेके गैर सरकारी ठेकेदारों को दिये गये हैं;

(ख) इन ठेकेदारों का ब्योरा क्या है और इसे देने में किन मानदंडों का अनुसरण किया गया है; और

(ग) क्या रेलवे खान-पान सेवा इन सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में खान-पान की व्यवस्था स्वयं नहीं चला सकती थी ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) से (ग) निम्नलिखित सुपर-फास्ट गाड़ियों पर चल खान-पान सेवाओं की व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा की जा रही है जिनके नाम प्रत्येक के सामने दिखाये जा रहे हैं :

1. 1 अप/2 डाउन मेल (हावड़ा-कालका)—मैसर्स जे० आर० दारा एन्ड कम्पनी।
2. 155 अप/156 डाउन (तिनसुकिया मेल)—मैसर्स पी० आर० केटरिंग कम्पनी।
3. 153 अप/154 डाउन (जयन्ती जनता एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-दिल्ली)—श्री सच्चिदानन्द सिंह।

चल खानपान इकाइयों को चलाने के लिए ठेके केवल ऐसे व्यक्तियों को ही आवंटित किये जाते हैं जिनका खानपान के क्षेत्र में अनुभव होता है और जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जो इस योग्य होते हैं कि यात्री जनता को संतोषजनक सेवा प्रदान कर सकें। उपर्युक्त तीनों पेंट्री यान सेवाओं का प्रबंध आवंटित करने के लिए इस मानदंड का पालन किया गया था।

इन गाड़ियों पर चल खानपान सेवाओं का प्रबंध विभिन्न रेलों द्वारा विभागीय रूप से किया जाता था। 1 अप/2 डाउन कालका मेल की पेंट्री यान सेवाएं आवर्ती घाटे में चल रही थीं और इस कारण उनका वि-विभागीकरण कर दिया गया। तिनसुकिया मेल पेंट्री यान का प्रबंध पूर्व

रेलवे द्वारा विभागीय रूप से किया जा रहा था, जो इस सेवा का प्रबन्ध करने में कठिनाई महसूस कर रही थी, और जब इस सेवा से भी घाटा होना शुरू हो गया तो इस गाड़ी के पेंट्री यान का भी वि-विभागीकरण कर दिया गया। इसी प्रकार, जयन्ती जनता एक्सप्रेस के पेंट्री यान ने भी घाटा दिखाना शुरू कर दिया और इस सेवा का वि-विभागीकरण कर दिया गया।

राज सहायता प्राप्त कापियां

*172. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापियों के मूल्य में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने छात्रों को सस्ती दर पर कापियां दिलाने के लिये इनके उत्पादन और वितरण के लिये राज-सहायता के रूप में राज्य सरकारों को उपयुक्त सहायता देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1982 के लिये आन्ध्र प्रदेश को कितनी केन्द्रीय राज-सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) कापियां तैयार करने तथा छात्रों को सस्ते दामों पर वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को कोई आर्थिक सहायता देने की योजना नहीं है। तथापि, छात्रों को उचित दामों पर कापियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर देश के कागज निर्माता एककों द्वारा तैयार किया गया श्वेत मुद्रण कागज आवंटित करती है, जो ऐसे कागज के लिए प्रचलित मार्केट मूल्य से कम होता है।

"एसियान" के साथ सहयोग

*174. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 'एसियन ग्रुप' से कहा है कि वह "स्थिति सम्बन्धी अपने मूल्यांकन और जानकारी में मतभेद होने के बावजूद" विश्व शांति और स्थिरता के हित में निकट सहयोग प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में एसियन ग्रुप की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) एशियन के देशों के साथ घनिष्टतर सम्पर्क स्थापित करने तथा उनके साथ अपने सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ाने तथा विविधता प्रदान करने के उद्देश्य से हम उनके साथ सम्पर्क बनाए रहे हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भारत और एसियन के बीच मूल्यांकन या दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसे दूसरे बहुत-से क्षेत्र हैं जिनके बारे में दोनों के दृष्टिकोण एक-से हैं।

भारत और एसियन पिछले कुछ अर्से से व्यापार, औद्योगिक सहयोग और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के बारे में बातचीत करने के लिए भी सम्पर्क बनाए रहे हैं और मई, 1980 में कोयालालम्पुर में भारत और एसियन के अधिकारियों की बैठक में इस बारे में जिस कार्य-योजना पर सहमति हुई थी वह इस समय एसियन के प्राधिकारियों के विचाराधीन है। द्विपक्षीय स्तर पर एसियन के सदस्य-देशों के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं और बढ़ रहे हैं।

अयोध्या और इलाहाबाद के बीच 'सरयू एक्सप्रेस' का पुन: चलाया जाना

*175. **श्री जयराम वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1981 में उनकी फैजाबाद (उत्तर प्रदेश), की यात्रा के समय उस क्षेत्र के लोगों ने उनसे यह अनुरोध किया था कि श्री अयोध्या और इलाहाबाद के बीच 'सरयू-एक्सप्रेस' रेल गाड़ी, जो पिछले शासन के दौरान बन्द कर दी थी, पुन: शीघ्र ही चलाई जाये, क्योंकि इस लाइन पर कोई अन्य एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है;

(ख) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस गाड़ी को पुनः शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उस गाड़ी को अब तक पुनः शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं और इसे पुन: कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मई 1972 के दौरान, इलाहाबाद और फैजाबाद के बीच चलने वाली तीन जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां अर्थात् 3 ए एफ/4 ए एफ को एक्सप्रेस गाड़ियों में बदल दिया गया था और उसका नाम 113/114 सरयू एक्सप्रेस रखा गया था तथा लगभग 12 स्टेशनों पर उसके हाल्ट समाप्त कर दिये गये थे। लेकिन नवम्बर, 1973 के दौरान, जनता से अभ्यावेदन प्राप्त होने के फलस्वरुप, 113/114 सरयू एक्सप्रेस को मूल 3 ए एफ/4 ए एफ पैसेंजर गाड़ी में बदल दिया गया था। सरयू एक्सप्रेस को फिर से चलाने का जनता विरोध करेगी। कोचिंग स्टाक तथा मार्ग में लाइन क्षमता की कमी के कारण इस खंड में अतिरिक्त पैसेंजर गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

भारतीय पत्तनों पर चोरी की घटनाएं

176. **श्री चित्त बसु :**
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों पर चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के माल की चोरी हुई; और

(घ) इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) कलकत्ता/हल्दिया, कांडला, मद्रास, मामुगांओ, बम्बई, न्यू मंगलौर और विसाखापट्टनम पत्तनों से जो माल चोरी हुआ उसकी लागत 1979-80 की अपेक्षा 1980-81 में कुछ अधिक थी और कोचीन, एरादीप और टूटोकोरिन पत्तनों से जो माल चोरी हुआ उसकी लागत कम थी ।

(ख) इन चोरियों के कोई प्रमुख कारण नहीं हैं । पत्तनों पर सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा करने के सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(ग) क्रमांक चोरी हुए काल की लागत

(लाख रुपये)

		1978-79	1979-80	1980-81
1.	बम्बई	37.14	44.29	79.01
2.	कलकत्ता*	1.52	4.15	47.00
3.	हल्दिया	0.94	1.09	9.80
4.	कोचीन	0.06	0.26	0.10
5.	कांडला	0.14	1.10	1.61
6.	मद्रास	1.63	2.12	6.58
7.	मार्मुगाओ	0.04	0.02	0.04
8.	मंगलौर	शून्य	0.03	0.35
9.	एरादीप	0.07	0.69	0.59
10.	टूटोकोरिन	शून्य	0.09	0.03
11.	विशाखापट्टनम	0.44	0.79	0.82
		41.98	54.63	143.93

*कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के आंकड़े कैलेंडर वर्ष 1978, 1979 और 1980 के हैं ।

बम्बई पत्तन : बम्बई पत्तन ने पुलिस के एक सेवानिवृत महानिरीक्षक की सुरक्षा के मौजूदा प्रबन्ध का अध्ययन करने और इसमें सुधार लाने लिए उपाय बताने के लिए नियुक्त किया है। कुछ पक्षों के बारे में उसकी सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर पत्तन प्रशासन विचार कर रहा है।

कलकत्ता पत्तन : वाच टावरों का निर्माण, बाउंडरी की दीवारों को ऊंचा करना, कांटेदार तार की बाड़ लगाना, मौजूदा दीवारों से छेद आदि को बन्द करना, रेलवे फाटक की मरम्मत, रेलवे यार्ड में गश्त की वृद्धि आदि उपाय किये जा रहे हैं। मुख्य रेलवे यार्ड में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था करने के लिए भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

कोचीन पत्तन : बर्थ के चारों ओर बाउडंड की दीवार खड़ी करने, कोयला चपाट के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाने, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए केबिनों की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था में सुधार करना आदि उपाय किये गये हैं।

कांडला पत्तन : दिन-रात चौकसी रखना, पत्तन क्षेत्र में आने जाने व्यक्तियों और गाड़ियों की जांच पड़ताल और अधिक गश्त करना जैसे उपाय किये गये हैं। वाच और वार्ड कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है और उन्हें हथियारों से लैस कर दिया गया है।

मद्रास पत्तन : मद्रास पत्तन में अपराध की घटनाओं को वर्ष में एक बार कमांडेंट द्वारा समीक्षा की जाती है, सुरक्षा के उपायों में जो भी कमी देखी जाती है उसे दूर किया जाता है।

मार्मुगाओ पत्तन : पोर्ट ट्रस्ट सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

न्यू मंगलोर पत्तन : पोर्ट ट्रस्ट बाउंडरी दीवार खड़ी करने, दीवार पर रोशनी की व्यवस्था करने और एक वाच टावर के निर्माण पर विचार कर रहा है। जिसका सुझाव खुफिया ब्यूरो के सुरक्षा जांच दल ने दिया था।

एरादीप पत्तन : परिचालन क्षेत्र के चारों ओर दीवार खड़ी की जा रही है। यहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की व्यवस्था करने के बारे में भी विचार किया गया है। निषिद्ध क्षेत्र में आकर बसने वाले लोगों को हटाया जा रहा है।

टूटीकोरिन पत्तन : यहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में अनुवर्ती कारवाई की जा रही है। यहां प्रवेश पत्र और आज्ञा पत्र को व्यवस्था कर आने जाने वालों की जांच की जाती है।

विशाखापत्तनम पत्तन : सामग्री लाने वाले जाने के लिए पत्तन की प्रणाली पत्तन की वर्कशाप और मुख्य द्वार पर लागू की गई है। पत्तन प्रशासन के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं।

विशेष केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली के छात्रों को अधिक सुविधाएं

*177. **श्री पी० नामग्याल** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष केन्द्रीय विद्यालय कब शुरू किया गया था और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त संस्थान के छात्रों को क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) इस तरह की सुविधाएं कब से दी जा रही हैं और क्या जीवन निर्वाह के बढ़ते हुए खर्चों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भूतपूर्व लद्दाख उच्च अध्ययन संस्थान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर विशेष केन्द्रीय विद्यालय 1-4-1971 को एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल के रूप में कार्य करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषाओं, साहित्य और दर्शन के विशेष अध्ययन की व्यवस्था की गई थी।

(ख) इस विद्यालय के छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:

(i) निःशुल्क शिक्षा।

(ii) पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क मुहैया करना।

(iii) प्रत्येक छात्र को 100 रुपये प्रति माह की दर से वृत्तिका।

(iv) जल तथा बिजली और सहायक सेवाओं सहित छात्रावास में निःशुल्क आवास।

(v) आम बीमारियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सम्बन्धी सहायता।

(vi) छात्र निधि के लिए कोई कटौती नहीं।

(ग) विशेष केन्द्रीय विद्यालय के अस्तित्व में आने से ही सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। छात्रवृत्ति की राशि 1-4-1975 से 75 रुपये से बढ़ाकर 100रुपये प्रति माह कर दी गई थी। छात्रवृत्ति की राशि को और बढ़ाने के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच नई रेल लाइन

*178. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच नई लाइन बिछाए जाने के बारे में चंडीगढ़ परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई हाल की सिफारिश की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल इस योजना को शुरू करना सम्भव नहीं होगा।

नाटक कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

*179. श्री जयनारायण रोट : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में विभिन्न संस्कृतियों के तालमेल वाले और राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करने के मुख्य उद्देश्य से संस्कृति, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में नाटक और अन्य कलाओं को बढ़ावा देने हेतु छठी योजना में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छठी योजना में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) "संस्कृति" के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में 51.00 करोड़ रुपए और राज्य क्षेत्र में 32.90 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार, संग्रहालय, पुस्तकालय, साहित्य, रूपंकर (प्लास्टिक) और प्रदर्शनीय कलाओं के क्षेत्र तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्र आते हैं और इसके उद्देश्य ये हैं :

(i) सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण तथा संरक्षण;

(ii) सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन देना; और

(iii) विभिन्न प्रदेशों और समाज के स्तरों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रसार।

51.00 करोड़ रुपए के केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के परिव्यय के क्षेत्रवार ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं। 32.90 करोड़ रुपए के राज्य क्षेत्र के योजनागत परिव्यय के राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य स्कूल के पास आदिवासी संस्कृति के विकास, आदिवासी नृत्य, नाटक, संगीत और कलाओं के विभिन्न स्वरूपों के प्रलेखन के सर्वेक्षण की योजनाएं हैं (इन प्रावधानों के ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं)।

विवरण I

केन्द्रीय क्षेत्र में संस्कृति के लिए छठी योजना में क्षेत्रवार प्रावधान

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	6.00 करोड़ रुपये
2. संग्रहालय	10.00 करोड़ रुपये
3. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	1.00 करोड़ रुपये
4. भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार	7.00 करोड़ रुपये
5. गजेटियर्स	0.04 करोड़ रुपये
6. उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थाएं	2.70 करोड़ रुपये
7. स्मारक	0.50 करोड़ रुपये
8. पुस्तकालय	6.66 करोड़ रुपये
9. सचिवालय	0.20 करोड़ रुपये
10. विज्ञान संग्रहालय	4.90 करोड़ रुपये
11. कला और संस्कृति का प्रोत्साहन	
(क) संगीत नाटक अकादमी	1.90 करोड़ रुपये
(ख) ललित कला अकादमी	1.25 करोड़ रुपये
(ग) साहित्य अकादमी	0.77 करोड़ रुपये
(घ) राष्ट्रीय नाट्य स्कूल	1.00 करोड़ रुपये
(ङ) प्रदर्शनीय, रुपंकर (प्लास्टिक) और साहित्यिक कलाओं/की मौजूदा संस्थाओं को सुदृढ़/बनाना और नई संस्थाएं स्थापित करना	0.08 करोड़ रुपये
(च) संस्कृति को प्रोत्साहन	3.60 करोड़ रुपये
(छ) संस्कृति का प्रसार	1.90 करोड़ रुपये
(ज) छात्रवृत्तियों और शिक्षा वृत्तियों की योजनाएं	1.00 करोड़ रुपये
(झ) सांस्कृतिक सम्बन्ध	0.50 करोड़ रुपये
	योग 51.00 करोड़ रुपये

विवरण II

केन्द्रीय क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति के लिए प्रावधान*

योजना	कार्यक्रम	छठी योजना का परिव्यय (लाख रुपए में)
1. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	समकालीन भारत में आदिवासी	4.21
2. साहित्य अकादमी	लोक साहित्य का प्रलेखन और प्रकाशन	0.23
3. संगीत नाटक अकादमी	आदिवासी संस्कृति का विकास	3.23
4. ललित कला अकादमी	कला का सर्वेक्षण (लोक परम्परागत इत्यादि)	11.00
5. राष्ट्रीय नाट्य स्कूल	(1) आदिवासी क्षेत्रों के लिए नाटक मण्डली का विस्तार	9.72
	(2) लोक और आदिवासी कलाओं का निर्माण	3.95
6. सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना	अलग से कोई प्रावधान नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वरीयता दी जाएगी।	

*अनुबन्ध I में दिए गए 51.00 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान में से ।

धनबाद और सिंदरी के बीच यात्री रेल गाड़ी का चलाया जाना

*180. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी के लोग धनबाद और सिन्दरी के बीच की कोयला पट्टी की कठिन परिवहन समस्या के हल के लिए बहुत समय से एक यात्री गाड़ी चालाये जाने हेतु अभ्यावेदन कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें इस वर्ष एक यात्री गाड़ी चलाने के लिए अनेक अभ्यावेदन मिले हैं, जिसके लिए वहां पहले से ही रेल लाइनें मौजूद हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इसमें कोई बड़ी पूंजी नहीं लगानी पड़ेगी और इस प्रकार धन की कमी इसमें बाधक नहीं होगी ; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में ठोस कदम उठायेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) इसके लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पड़ेगी ।

(घ) 15.40 कि० मी० लम्बा प्रधानखूंटा-पाथरडीह खंड, जिससे सिन्दरी सेवित है, का मूलतः माल यातायात के लिए निर्माण किया गया है, इसलिए इस खंड पर यात्री यातायात के लिए अपेक्षित सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है । चूंकि धनबाद और सिंदरी के बीच अत्यन्त सुविधाजनक सड़क सेवायें मौजूद हैं और यहां जो यात्री यातायात होने की सम्भावना है, वह केवल कम दूरी के लिए ही होगा, इसलिए इस खंड पर यात्री गाड़ियां चलाना वांछनीय नहीं है क्योंकि इन पर अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा ।

पश्चिम दिल्ली में निरन्तर एक ही स्कूल में काम करते आ रहे अध्यापक

1844. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अध्यापकों/महिला अध्यापकों की संख्या कितनी है जो पश्चिम दिल्ली में तिलक नगर, अशोक नगर और हरि नगर स्थित सीनियर सैकेन्डरी स्कूल (गर्ल्स) में तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं तथा कब से एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं;

(ख) उपरोक्त स्कूलों में इतनी अधिक अवधि तक उनके कार्य करते रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अध्यापकों/अध्यापिकाओं की एक ही स्कूल में इतने लम्बे समय तक नियुक्ति शिक्षा विभाग के नियमों के अनुरूप है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार तिलक नगर में 3 तथा अशोक नगर और हरि नगर में एक-एक राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक स्कूल हैं ।इन स्कूलों में तीन से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या निम्नलिखित है :

1. तिलक नगर नं० 1	29
2. तिलक नगर न० 2	42
3. तिलक नगर नं० 3	26
4. अशोक नगर	27
5. हरि नगर	20
	कुल 144

इन स्कूलों में ये अध्यापक भिन्न-भिन्न अवधियों से कार्य करते आ रहे हैं, सबसे पुराना मामला उस शिक्षक का है जो 23-9-1960 से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) शिक्षकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में दक्षता तथा शैक्षिक कुशलता के हित में बार-बार स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है। तदनुसार, स्थानान्तरणों की संख्या को यथासम्भव कम से कम रखा जाता है ताकि स्कूल स्वयं उत्कृष्टता की परम्पराओं के अनुसार एक सशक्त संस्था बन सके। स्थानान्तरण केवल शिक्षकों के अनुरोध पर, अथवा पद निर्धारण या अन्य प्रशासनिक कारणों से हुए अतिरिक्त पदों के आधार पर किए जाते हैं।

रेल लाइनें बिछाने में विदेशी आर्थिक सहयोग

1845. **आचार्य भगवान देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी रेल-लाइनें बिछाने के लिए विदेशी आर्थिक सहायता मांगी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से और उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये विदेशों से सहायता मांगी जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नीलांचल एक्सप्रेस का जाजपुर-क्योंझर रोड़ पर स्टापेज बनाना

1846. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जाजपुर-क्योंझर रोड़ पर नीलांचल एक्सप्रेस का एक स्टापेज बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल, मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्कूल एवं कालेजों को खेल-मैदानों की व्यवस्था के लिये मार्गदर्शी निदेश

1847. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या शिक्षा और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को स्कूलों एवं कालिजों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा खेलकूद के लिये उपयोग हेतु सपाट एवं साफ भूमि का न्यूनतम क्षेत्र नियत करने के बारे में कोई निदेश अथवा मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे निदेशों अथवा मार्गदर्शी निदेशों की प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लोनावाला तथा पुणे के बीच अधिक गाड़ियों की मांग

1848. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल मैनेजर, मध्य रेलवे, बम्बई वी०टी० को जनरल सेक्रेट्री, रेलवे पैसेन्जर्स एसोसियेशन, चिंचवाड, पुणे-19 (महाराष्ट्र) से नवम्बर-दिसम्बर, 1980 में, लोनावाला और पुणे के बीच अधिक रेलगाड़ियों की उनकी मांग के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो रेल अधिकारियों द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । पुणे-लोनावाला खंड पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के लिए नवम्बर, 1980 में मंडल रेल प्रबंधक, बम्बई, वी० टी० को रेलवे प्रवासी संघ, चिंचवाड़ से एक पत्र मिला था ।

(ख) और (ग) सवारी डिब्बों की भारी कमी, इस खंड पर अपर्याप्त लाइन क्षमता तथा पुणे और लोनावाला, दोनों स्टेशनों पर टर्मिनल की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में, अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यवहारिक नहीं है ।

रेलगाड़ियों पर कैप्टेंसी योजना

1849. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलगाड़ियों पर कैप्टेंसी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन-किन गाड़ियों पर, कब से लागू की गई है;

(ग) पिछली प्रणाली की तुलना में इस योजना के क्या लाभ हैं;

(घ) क्या जोनल रेल-मुख्यालयों, नई दिल्ली/दिल्ली में कर्मचारियों को इस योजना के अधीन दो गुना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा; और

(ङ) यदि हां, तो यह कदम उठाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वाणिज्यिक कर्मचारियों अर्थात् चल टिकट परीक्षकों

और गाड़ियों में कार्य करने वाले यान परिचरों के कार्य संचालन को युक्तियुक्त करने के लिए रेलों को 28-3-81 को अनुदेश जारी किये गये थे। इस योजना में कुछ भी नया नहीं है सिवाय इसके कि कंडक्टरों या वरिष्ठ टिकट परीक्षकों को वाणिज्यिक कर्मचारियों को, जो पिछली प्रथा के अनुसार निजी रूप से कार्य करते थे, कार्य का पर्यवेक्षण और समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है ताकि कर्मचारियों का उनके कार्य के घंटों के दौरान अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और यात्रियों को बेहतर सेवा उपलब्ध करायी जा सके।

(घ) प्रचलित नियमों के अनुसार कर्मचारियों को यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के अन्तर्गत स्टेशनों से हुई आय

1850. **श्री नीरेन घोष** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों से पिछले तीन वर्षों में वर्षवार तथा डिवीजनवार, कुल कितनी आय हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न स्टेशनों के विकास पर, वर्षवार तथा डिवीजन वार कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के खराब रखरखाव और विकास के क्या कारण हैं;

(घ) पूर्वी रेलवे के कितने महत्वपूर्ण स्टेशनों का अभी तक आधुनिकीकरण कर लिया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना पूर्व रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में नई रेल लाइनें

1851. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण और किन्हीं लाइनों को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य में कुछ रेलवे लाइन के प्रस्तावों के सुझाव देने के सम्बन्ध में गुजरात राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दिखायी गयी है :

नयी लाइनें

(i) **गांधी धाम-भुज मीटर आमान लाइन के परिवर्तन सहित गांधी धाम-लखपत बड़ी लाइन** (284 कि० मी०) : पिछले सर्वेक्षण को अद्यतन करने की स्वीकृति मिल गयी है तथा वह प्रगति पर है। जैसे ही सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा तथा रिपोर्ट की जांच कर ली जायेगी, इस परियोजना के बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा।

(ii) **भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन** (150 कि० मी०) : इस लाइन के लिए हाल ही में जो सर्वेक्षण किया गया था, उससे मालूम होता है कि यह परियोजना अर्थ-सक्षम होगी, अतः इसे शुरू नहीं किया गया।

(iii) **मोडासा-सामलाजी रोड** (20 कि० मी०) : इस लाइन के लिए हाल ही में जो सर्वेक्षण किया था, उससे मालूम हुआ है कि यह परियोजना अर्थ-सक्षम न होगी इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गयी।

(iv) **अम्बाजी तथा खेडब्रह्मा के रास्ते पालनपुर-उदयपुर** (160 कि०मी०)

(v) **मोडासा-दोहद** (165 कि० मी०)

(vi) **लोनावडा-डुंगापुर** (115 कि०मी०)

संसाधनों पर अत्यधिक तंगी को देखते हुए इन प्रस्तावों पर विचार करना संभव नहीं होगा।

आसान परिवर्तन

1. **छोटा उदयपुर-परतापनगर-छुछुपुरा-टंखाला-मीटर आमान का बड़े आमान में बदलाव** : निक्षेप कार्य के रूप राज्य सरकार के अनुरोध पर सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया है। ज्योंही सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा तथा रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी और उसकी जांच कर ली जायेगी, इस परियोजना के बारे में कोई निर्णय किया जायेगा।

2. सुरेन्द्र नगर-भावनगर खंड बड़ी मीटर लाइन प्रणाली का एक भाग है तथा जब इस खंड को बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा तब कच्छ क्षेत्र में मुख्य मीटर आमान प्रणाली अलग हो जायेगी, जबकि परिचालनिक सुविधा के लिए एक थ्रू मीटर आमान सम्पर्क बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है। बहरहाल, वीरमगांम-ओखा/पोरबन्दर खंड पर आमान-परिवर्तन कार्य पहले से ही चल रहा है। जैसे ही यह पूरा हो जायेगा, इस खंड के आमान-परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का वितरण

1852. श्री एन० ई० होरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि खाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियों की वितरण व्यवस्था को सुधारा जाये और अर्द्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में इसे देने का अधिकार दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस गोली की उपयोगिता के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) परा-चिकित्सा कार्मिकों के कतिपय वर्गों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछेक मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत खाई जाने वाली गोलियां बांटी जा रही हैं। वैसे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने हाल ही में यह सिफारिश की है कि ग्राम स्वास्थ्य गाइड भी इन गोलियों का वितरण कतिपय, मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत इस शर्त पर कर सकते हैं कि इन गोलियों के खाने के छः महीने के अन्दर-अन्दर इन गोलियों के स्वीकारकर्ताओं की डाक्टर द्वारा जांच की जाएगी। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और वितरण पद्धति को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ख) कार्य कर रहे केन्द्रों (ग्रामीण और नगरीय) की संख्या में हुई उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ खायी जाने वाली गोलियों के समीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या में हुई वृद्धि नीचे सारणी दी गई है :

वर्ष	कार्य कर रहे केन्द्रों की संख्या			समीकृत खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं की संख्या।
	ग्रामीण	नगरीय	योग	
197 -79	3684	2361	6945	81372
1979-80	4198	2463	6661	81510
1980-81	4525	2558	7083	88735

(ग) सरकार सावधानीपूर्वक इस कार्यक्रम का लगातार विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील है।

पश्चिमी समाचार माध्यमों द्वारा एशियाड, 1982 का बहिष्कार करने का प्रचार

1853. श्री पियूष तिरकी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पश्चिमी समाचार माध्यम दिल्ली में होने वाले 1982 के एशियाई खेलों का बहिष्कार करने का प्रचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रचार करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) इन देशों द्वारा एशियाड 1982 का बहिष्कार करने के कारण क्या बताये जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे प्रचार का विरोध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

छतपाथर पर उपरिपुल

1854. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल और कुल्टी रेलवे स्टेशनों के बीच छतपाथर में उपरिपुलों के निर्माण के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) दोनों के निर्माण कार्य कब तक पूरे किए जाने हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आसनसोल और काली पहाड़ी के बीच छतपाथर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण में अब तक 5 प्रतिशत प्रगति हुई है । राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा, कुलटी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है ।

(ख) छतपाथर में ऊपरी सड़क पुल का निर्माण 30-6-1983 तक पूरा हो जाने की आशा है । कुलटी में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई तारीख निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोल्हापुर के कुलियों की मांगें

1855. **श्री एस मुरूगैयर :**
श्री चतुर्भुज :

क्या रेल मंत्री कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के कुलियों की मांगों के बारे में 3 अगस्त, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर हमाल संघ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के जनरल सेक्रेटरी द्वारा 30 जून, 1981 और 7 सितम्बर, 1981 के अभ्यावेदन में दिये गये सुझावों को मैनेजर, दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली ने पूरी तरह जांच कर ली है और उन्हें कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) महामन्त्री, हमाल संघ कोल्हापुर ने जो सुझाव दिये थे उन पर विचार किया गया है और जिन सुझावों को कार्यान्वयन के लिए औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाया गया था उन्हें कार्यान्वित कर दिया है ।

(ख) कोल्हापुर में छतदार स्थान का विस्तार करने के लिए दो माल शैडों की व्यवस्था करने के कार्य को 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । प्लेटफार्म नं० 1 पर पांच अतिरिक्त माल डिब्बे खड़े करने के लिए उसकी क्षमता बढ़ा दी गयी है । प्लेटफार्म नं० 2 का विस्तार किया जा रहा है । परिवहन के सुप्रवाही परिचालन की व्यवस्था करने के लिए पहुंच-मार्गों, रोशनी की व्यवस्था तथा नालियों आदि के सुधार सहित परिवाही क्षेत्र में वाहनों की निकासी करने के लिए समय-समय पर व्यवस्था कर दी जाती है । यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि शंटिंग परिचालन से माल डिब्बों के लदान तथा उनमें से माल उतारने में बाधा न पड़े । पर्याप्त संख्या में तिरपालें मंगवायी जा रही हैं और सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है । कर्मचारियों की वर्तमान संख्या पर्याप्त समझी जाती है और यातायात को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की जाती है । जहां तक श्रमिकों को साप्ताहिक विश्राम आदि देने का सम्बन्ध है, सम्हलाई श्रमिकों को परेषकों/परेषितियों द्वारा ठेके के आधार पर काम पर लगाया जाता है । पुणे-मिरज-कोल्हापुर खंड को दक्षिण मध्य रेलवे से मध्य रेलवे में स्थानांतरित करने के बारे में विचार किया गया था परन्तु इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकारों को क्षय रोग नियंत्रण उपायों के लिये विशेष सहायता

1856. श्री हरिहर सोरन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में क्षय रोगियों की बढ़ती हुई संख्या की जानकारी है जो भारी संख्या में रोगग्रस्त लोगों के कारण मुख्य रूप से फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे रोगों के नियंत्रण के लिए तत्काल ही कोई कदम उठाने का है;

(ग) राज्यवार, क्षयरोग नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों को युद्ध स्तर पर क्षय रोग नियंत्रण के उपाय करने के लिये विशेष सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में क्षयरोग समस्या से निपटने के लिये राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में उपकरणों और कर्मचारियों से लैस जिला क्षय रोग केन्द्र खोले जा रहे हैं ताकि क्षय रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने का काम किया जा सके। अब तक ऐसे 353 जिला क्षयरोग केन्द्र खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 300 अन्य ऐसे क्षय रोग क्लिनिक हैं जो क्षय रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। गंभीर रूप से पीड़ित क्षयरोगियों को भर्ती करके इलाज करने के लिए अब तक लगभग 44000 पलंग लगा दिए गये। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान इन सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक से अधिक टी० बी० रोगियों का इलाज किया जा सके तथा उन्हें निरोग किया जा सके। नवजात शिशुओं और बच्चों को टीका लगाने के विस्तारित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बी० सी० जी० का टीका लगाना भी जारी रखा जा रहा है। प्रत्येक राज्य में पहले से चल रहे जिला क्षय रोग केन्द्रों तथा उपलब्ध पलंगों आदि की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों का नाम	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कुल जिले	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यरत सुसज्जित जिला क्षय रोग केन्द्रों की कुल संख्या	राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यरत अन्य क्षय रोग क्लीनिकों की कुल संख्या	संस्थाओं में प्रयोग हो रहे कुल पलंगों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	22	26	2830
2.	असम	10	10	8	799
3.	बिहार	32	25	19	1794
4.	गुजरात	19	19	6	3388
5.	हरियाणा	12	9	5	275
6.	हिमाचल प्रदेश	12	8	11	679

1	2	3	4	5	6
7.	जम्मू और कश्मीर	10	9	5	695
8.	कर्नाटक	19	19	6	2948
9.	केरल	11	10	12	2264
10.	मध्य प्रदेश	45	45	2	1699
11.	महाराष्ट्र	26	26	27	7149
12.	मणिपुर	6	2	1	110
13.	मेघालय	5	2	1	304
14.	नागालैण्ड	7	1	2	100
15.	उड़ीसा	13	13	—	780
16.	पंजाब	12	10	6	921
17.	राजस्थान	25	26	2	1900
18.	सिक्किम	4	1	4	78
19.	तमिलनाडु	16	15	40	3651
20.	त्रिपुरा	3	2	1	50
21.	उत्तर प्रदेश	56	56	22	3461
22.	पश्चिम बंगाल	16	16	100	5948
	केन्द्र/शासित क्षेत्र				
23.	अरूणाचल प्रदेश	5	1	3	182
24.	गोआ, दमन और दीव	3	1	3	251
25.	मिजोरम	3	1	2	60
26.	पांडीचेरी	1	1	3	169
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीव-समूह	2	1	1	67
28.	चण्डीगढ़	1	1	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	1	—	—	—
30.	दिल्ली	1	1	10	1539
31.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
	योग	401	353	328	44066

लिंक एक्सप्रेस को उसके पुराने समय पर चलाना

1857. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाल्टेयर से रायपुर, (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के लिये लिंक एक्सप्रेस गाड़ी का समय कब से बदला गया है;

(ख) उसके पुराने समय को बदले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेल अधिकारियों ने इस निर्णय को लेने से पूर्व विजयनगर से तितलागढ़ के बीच के विभिन्न हाल्टिंग स्टेशनों के यात्रियों की दिक्कतों, असुविधाओं पर विचार किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन स्टेशनों के यात्रियों की असुविधा पर विचार किया जायेगा और लिंक एक्सप्रेस गाड़ी को पुराने समय पर चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वाल्तेरु की जनता से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के कारण 1.10.81 से 18 डाउन वाल्तेरु-रायपुर लिंक एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया है।

(ग) और (घ) 1.10.82 से पहले 18 डाउन का विलम्ब से चलना 137 अप छतीसगढ़ एक्सप्रेस के चालन को प्रभावित करता था क्योंकि 18 डाउन तथा 137 अप में वाल्तेरु-निजामुद्दीन के लिए चार थ्रू सवारी डिब्बे लगाये जाते थे। पहले रायपुर में 18 डाउन वाल्तेरू-रायपुर लिंक एक्सप्रेस के पहुंचने के समय तथा रायपुर से 137 अप बिलासपुर-निजामुद्दीन छतीसगढ़ एक्सप्रेस के छूटने के समय के बीच केवल 40 मिनट का अन्तर होता था और चूंकि इन सवारी डिब्बों के कर्षण के लिये कोई अन्य सुविधाजनक गाड़ी नहीं थी, इसलिए 137 अप को रोकना पड़ता था। हाल ही में 18 डाउन के समय में परिवर्तन करने से इन गाड़ियों के बीच समय-अन्तर बढ़ गया है और इसके परिणामस्वरूप 137 अप छतीसगढ़ एक्सप्रेस के समय पालन में विशिष्ट सुधार हुआ है। इसलिए नयी समय-सारणी में कुछ समायोजन को छोड़कर 18 डाउन लिंक एक्सप्रेस को पुनः उसके पुराने समयानुसार चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

'पैलेस आन व्हील्स' के लिये विदेशों में प्रचार

1858. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पैलेस आन व्हील्स' पर्यटन योजना के विदेशों में प्रचार के लिये लण्डन में किन्हीं एजेंटों की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रचारक फर्म का नाम क्या है और क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा इनमें से किसी फर्म का नाम कभी काली सूची में रखा गया है ?

रेल मन्त्रालयों उपमंत्री तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजस्थान में रेल द्वारा पर्यटन विकास के लिए पायलेट परियोजना सहित भारत में रेल द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त तथा निदेशक भारतीय पर्यटक कार्यालय, लंदन ने प्रारंभिक कार्य का उत्तरदायित्व लेने के लिए लंदन की फर्म मैसर्स कोल प्रेवर हारले सिमोस को प्रारम्भिक कार्य शुरू करने की सिफारिश की है। इस फर्म ने पहले भी भारत सरकार की अन्य एजेंसियों, जैसे टी बोर्ड आफ इंडिया, भारतीय व्यापार केन्द्र (जूट विभाग), ब्रूसेल और व्यापार विकास प्राधिकरण के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाया था। पर्यटन मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह फर्म भारतीय पर्यटन विकास निगम या अन्य एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं है।

प्रचार एजेंटों के बारे में कोई निर्णय भारत सरकार के पर्यटन विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

"कन्टेनर परिवहन के लिए बन्दरगाहों की क्षमता का उपयोग"

1859. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न बन्दरगाहों से बन्दरगाह-वार अब तक कितने कन्टेनरों का परिवहन किया गया है;

(ख) कन्टेनरों के परिवहन के लिये बन्दरगाहों की बन्दरगाह-वार क्षमता क्या है;

(ग) क्या विभिन्न बन्दरगाहों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विभिन्न बन्दरगाहों को पूरी क्षमता के उपयोग के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री गीरेन्द्र पाटिल) : (क) चालू वर्ष में विभिन्न पत्तनों पर नीचे लिखी संख्या में कंटेनर आये-गए—

पत्तन का नाम	चालू वर्ष में आये गए कंटेनरों की संख्या (अप्रैल से अक्टूबर, 1981 तक)
(1)	(2)
बम्बई	103135 (जनवरी से अक्टूबर)
कलकत्ता	9882
मद्रास	7594

(1)	(2)
हल्दिया डाक	2975
कोचीन	16853
कांडला	298
मामुंगाओ	3
न्यू मंगलौर	121
टूटीकोरिन	4385
विशाखापत्तनम्	50
पराद्वीप	कुछ नहीं

(ख) दस बड़े पत्तनों में से कंटेनर बर्थ इस समय केवल हल्दिया डाक्स में है—यहां पोर्टेनर क्रेन तथा एक ट्रासटेनर क्रेन लगी हुई है। इनमें से प्रत्येक में क्षमता 30 टन है। हल्दिया में स्थित कंटनेर टर्मिनल में प्रतिवर्ष 60,000 कंटनेर आ-जा सकते हैं। बम्बई, मद्रास और कोचीन में उन्नत किस्म की क्रेनें यहां कंटेनर रखने-उठाने की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) और (घ) हल्दिया में कंटेनर रखने-उठाने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसका कारण बाह्य आधारभूत सुविधाओं और हल्दिया से या वहां तक कंटेनरों के यातायात के लिए सड़क या रेल की सुविधा का पर्याप्त रूप से नहीं उपलब्ध होना है।

(ङ) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट हल्दिया में कंटेनर यातायात को प्रोत्साहन देने के लिए कार्रवाई कर रहा है। कलकत्ता से बाजों के द्वारा कंटेनर भेजने की भी एक स्कीम चालू की गयी है। इसके अलावा कंटेनर रखने-उठाने के लिए किराये की दरें युक्तिसंगत करने जैसे उपाय भी अपनाये जा रहे हैं।

जहाज खरीदने के लिये ऋण

1860. **श्रीमती संयोगिता राणे :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास कोष समिति ने जहाज खरीदने के लिए ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने नौवहन कम्पनियों की समस्याओं का निदान करने के लिये और सहायता भी मंजूर की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवाहन मन्त्री (श्री गोरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन विकास निधि ने 31.10.1981 तक नीचे लिखी धनराशि ऋण रूप में स्वीकृत की—

रुपया ऋण

प्राइवेट सेक्टर	655.72 करोड़ रुपये
सरकारी सेक्टर	737.35 करोड़ रुपये
	कुल 1393.07 करोड़ रुपये

नयी योजना के अधीन विदेशों से जहाजों का खरीदना नामक ऋण

प्राइवेट सेक्टर	154.50 करोड़ रुपये
सरकारी सेक्टर	249.96 करोड़ रुपये
	कुल 404.46 करोड़ रुपये

(ग) जी, हां।

(घ) नई योजना के अधीन विदेशों से जहाज खरीदने की योजना वाले ऋण नौवहन विकास समिति के ऋण की अदायगी को किश्तों का स्थगित करना जैसी आर्थिक सहायता और पिछली खरीद के आधार पर अतिरिक्त ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सरकारी सेक्टर	66.75 करोड़ रुपये
प्राइवेट सेक्टर	30.04 करोड़ रुपये
	कुल 96.77 करोड़ रुपये

"शालीमार बाग और रीगल के बीच बस मार्ग सं० 160 पर चलने वाली दिल्ली परिवहन की बसें"

1861. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शालीमार बाग और रीगल के बीच मार्ग सं० 160 पर चलने वाली दिल्ली परिवहन की बसों की त्रुटिपूर्ण व अनियमित सेवाओं के बारे में जानकारी है और हाल ही में तो ये सेवायें बहुत खराब हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो अक्टूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान इस मार्ग पर औसतन कितनी बार बसों के चक्कर नहीं लगे;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बस का मार्ग बदल कर इसे पंजाबी बाग, मोती नगर शादीपुर डिपो, शंकर रोड, केन्द्रीय सचिवालय और रीगल से होकर चलाने का है;

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) इस मार्ग पर कितनी बसें चल रही हैं और किस डिपो से ये सेवाएं संचालित होती है;

(च) बसों की सेवाओं के सुधार में ही नहीं बल्कि विशेष रूप से सुबह और शाम को भीड़ के समय इन सेवाओं को और बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है;

(छ) क्या सरकार शालीमार बाग से करोल बाग टर्मिनल, अन्तर्राज्यीय, बस अड्डा टर्मिनल के लिए नये मार्ग शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) 160 नम्बर के बस रूट पर बस सेवा निर्धारित ट्रिपों की तुलना में हाल में कुछ अनियमित देखी गई है। इस रूट की बसों द्वारा अक्टूबर और नवम्बर, 1981 के दौरान नहीं किये गये ट्रिपों की औसत संख्या नीचे दी गई है :

महीना	निर्धारित	ट्रिप पूरे किये गये	नहीं किए गये	नहीं किए ट्रिपों का प्रतिशत
सितम्बर 81	1800	1389	411	23 प्रतिशत
अक्टूबर 81	1848	1477	371	20 प्रतिशत
नवम्बर 81 20 नवम्बर तक	1200	1002	198	18 प्रतिशत

(ग) और (घ) इस रूट को पंजाबी बाग टर्मिनल, मोतीनगर, पटेल नगर और शंकर रोड़ होते हुए शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) इस रूट पर पांच बसें चलाई जा रही हैं। इनमें से तीन जी० टी० करनाल रोड़ डिपो और दो वजीरपुर डिपो-II की हैं।

(च) बस सेवा के नियमित रूप से चलने और अधिक से अधिक ट्रिप सुनिश्चत करने के लिए बसों की देखभाल में सुधार करने और निर्धारित ट्रिपों के पूरे करने के बारे में नियंत्रण रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यातायात के मौजूदा परिमाण को देखते हुए इसकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(छ) और (ज) करोल बाग टर्मिनल से शालीमार बाग तक मिनी बस रूट नं० 27 है और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे तक बस रूट नं० 127 है। एक तरफ का यातायात होने के कारण इस रूट को बसें रेलवे स्टेशन से शालीमार बाग जाते समय अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल होती हुई नहीं जातीं क्योंकि इस रूट पर बसें मोरी गेट से शुरू होने वाले रूट का अनुसरण करती हैं।

नैहाटी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

1862. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नैहाटी रेलवे स्टेशन के ऊपरी पुल की खतरनाक हालत के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि सारे प्लेटफार्म विशेष रूप से प्लेटफार्म नं० 2, 3 और 4 खराब हालत में हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ऊपरी पुल और प्लेटफार्म की हालत सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है अथवा क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) नैहाटी रेलवे स्टेशन पर दो ऊपरी पैदल पुल हैं। उत्तर की ओर के ऊपरी पैदल पुल की हालत बहुत अच्छी है। लेकिन मध्य ऊपरी पैदल पुल में भारी क्षरण के कारण भारी मरम्मत की आवश्यकता है। मध्य ऊपरी पैदल पुल की मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव है और मार्च, 1982 के अन्त में इसके पूरा हो जाने की प्रत्याशा है। प्लेटफार्मों की हालत सन्तोषजनक है।

पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीयों की संख्या

1863. **श्री के० माल्लन्ना** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1981 तक पिछले छः महीनों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीयों की संख्या का ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत का दौरा किया; और

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दौरा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितनी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विस्तृत आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दिए जायेंगे।

अमेरिका की सहायता से भुवनेश्वर में माडर्न मेडिकल काम्प्लेक्स की स्थापना

1864. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका की सहायता से भुवनेश्वर में एक माडर्न मेडिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों (विशेष रूप से उड़ीसा के) ने भुवनेश्वर के उपर्युक्त प्रस्तावित मेडिकल काम्प्लेक्स की लागत के लिए वित्त-पोषण करने की इच्छा जाहिर की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इसके लिए उनके मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो अनुमति कब तक दी जायेगी और मेडिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) भुवनेश्वर में मेडिकल कालेज एवं अस्पताल वाला एक आयुर्विज्ञान संस्थान खोजने का प्रस्ताव "सोसाइटी आव इण्डियन्स इन यू० एस० ए० फार एडवांसमेंट आव मेडिकल एजूकेशन इन इण्डिया" ने किया था। भारत सरकार ने एक नए मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव पर यथोचित विचार करने के बाद सहमति नहीं दी, जिसमें प्रवेश प्रति व्यक्ति फीस के आधार पर दिया जाना था। राज्य सरकार को इस मामले में यथोचित सलाह दी जा चुकी है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आरथोपेडिक्स, अनेस्थिसी ओलौजी और ई० एन० टी० सर्जरी के स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के लिये गाईड

1865. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भारतीय चिकित्सा परिषद् की मान्यता के बिना आर्थोपेडिक्स, अनेस्थिसी ओलौजी और ई० एन० टी० सर्जरी में स्नातकोत्तर कोर्स की कक्षायें चल रही हैं;

(ख) क्या विश्वविद्यालय की प्रवेश निर्देशका में इस बारे में स्पष्ट तौर से सूचना जारी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गाईड को अद्यतन करने के लिये क्या प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आर्थोपेडिक्स (विकलांग

विज्ञान) में पढ़ाए जा रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा 1972 में अनुमोदित कर दिया गया था। चिकित्सा परिषद् की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अनेस्थिसी ओलौजी और ई० एन० टी० शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जा सकती है, यदि इन दोनों विभागों को शल्य चिकित्सा विभाग से अलग करके स्वतन्त्र एककों के रूप में स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय ने अब शल्य चिकित्सा विभाग का पुनर्गठन कर दिया है और अनेस्थिसी ओलौजी और ई० एन० टी० शल्य चिकित्सा के लिए अलग-अलग विभाग स्थापित कर दिए हैं। आशा है कि इस पुनर्गठन के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद् पाठ्यक्रमों को औपचारिक मान्यता प्रदान कर देगी।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई प्रवेश निर्देशिका (गाईड) में विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से ही सम्बन्धित सामान्य सूचना संक्षिप्त में दी गयी है। 1981-82 के दाखिलों से सम्बन्धित प्रवेश निर्देशिका पहले ही जारी की जा चुकी है। निर्देशिका में यदि कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, तो 1982-83 की निर्देशिका जारी करने से पहले ही इसमें ऐसा संशोधन कर दिया जाएगा।

गांधी दर्शन पढ़ाया जाना

1866. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कयाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में से कितने विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर गांधी दर्शन पढ़ाने की व्यवस्था है और इस पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया है;

(ख) क्या सरकार नयी पीढ़ी को गांधी दर्शन से परिचित कराने की आवश्यकता महसूस करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन को स्नातकोत्तर स्तर पर स्वतन्त्र विषय के रूप में चलाने के लिए पहल करेगी, यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो, गांधी दर्शन के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भागलपुर विश्वविद्यालय देश में पहला एम० ए० के कोर्स के लिये गांधी दर्शन विषय है, क्या सरकार भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षा के गांधी दर्शन विभाग को विशेष अनुदान देगी ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत में 128 विश्वविद्यालयों में से, जिनमें विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं, आठ विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर गांधी दर्शन से सम्बन्धित पाठ्यक्रम पहले से ही चला रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों का विवरण संलग्न है। इन पाठ्यक्रमों पर व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और/अथवा सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा उनको दिए गए कुल अनुदानों में से पूरा किया जाता है, जिनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधीवादी विचारधारा तथा आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता के सम्बन्ध में अध्ययन और अनुसंधान के विकास के बारे में आयोग को परामर्श देने के लिए गांधीवादी अध्ययन सम्बन्धी एक स्थायी समिति का गठन किया है ।

इस समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गांधीवादी अध्ययन से सम्बन्धित कार्यक्रम शुरू करने हेतु आयोग के विचारार्थ विश्वविद्यालयों से विशिष्ट प्रस्ताव मांगे थे । उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के सम्बन्ध में पहल करना विश्वविद्यालयों पर ही छोड़ दिया गया है ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भागलपुर विश्वविद्यालय की गांधीवादी अध्ययन में इसके डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । आयोग विश्वविद्यालय के एम० ए० पाठ्यक्रम के लिए भी कुछ सहायता हेतु उसके अनुरोध पर विचार कर रहा है ।

विवरण

गांधीवादी अध्ययन में पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालय

क्रम सं०	विश्वविद्यालय	चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम
(1)	(2)	(3)
1.	भागलपुर	डिप्लोमा
2.	गुजरात विद्यापीठ	(क) अवर स्नातक स्तर पर दो पाठ्यक्रम अर्थात् "गांधी जी का जीवन और कार्य" तथा "गांधीवादी विचारधारा का साहचर्य" । (ख) भारतीय दर्शन में पाठ्यक्रम से सम्बद्ध एक उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम ।
3.	कर्नाटक	डिप्लोमा
4.	मदुरै कामराज	अंशकालिक प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।
5.	नागपुर	डिप्लोमा
6.	सागर	गांधी दर्शन (दर्शन विभाग में)

(1)	(2)	(3)
7.	श्री वेंकटेश्वर	(क) डिप्लोमा (ख) बी० ए० स्तर पर गांधीवादी नीति शास्त्र से सम्बन्धित दो प्रश्न-पत्र । (ग) एम० ए० स्तर पर महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन । (घ) एम० ए० स्तर पर ऐच्छिक प्रश्न-पत्र के रूप में गांधी दर्शन ।
8.	पंजाब	उत्तर स्नातक डिप्लोमा एम० फिल० ।

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और उनके कार्य का मूल्यांकन

1867. **श्री रामलाल राही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में खण्ड और तहसील स्तर पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया था; परन्तु जनता को इससे लाभ नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया है और उनके कार्य का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी कौन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गांवों के लोगों द्वारा चुने गये स्वास्थ्य गाइडों को (जो पहले जन-स्वास्थ्य रक्षक के नाम से जाने जाते थे) गांवों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक, रोगरोधी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा अन्य छः संस्थानों के साथ मिलकर 1978 तथा 1979 में किए गए इस योजना के मूल्यांकन से तथा बाद के अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण लोगों को इस योजना से लाभ मिल रहा है ।

(ख) स्वास्थ्य गाइडों के काम का मूल्यांकन लोगों द्वारा स्वयं ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से किया जाएगा और उन्हें यह अधिकार होगा कि वे स्वास्थ्य गाइड की सेवाओं से असन्तुष्ट होने की दशा में उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों से सिफारिश कर सकती है । स्वास्थ्य गाइडों के काम का तकनीकी सुपरवीजन उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा ।

"सड़क परिवहन विकास वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव"

1868. श्री जगदीश टाइटलर :

श्री गुलाम मोहम्मद खान :

श्री अर्जुन सेठी :

श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन प्राधिकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सड़क परिवहन विकास वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह निगम कब तक बनाया जाएगा और इसके मुख्य कार्य क्या होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सड़क परिवहन विकास वित्त निगम स्थापित करने का सुझाव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में मुख्य भाव यह है कि परिवहन सेवाओं में वृद्धि करने और उसकी क्षमता को बनाये रखने में इस प्रकार का निगम माध्यम के रूप काम कर सकता है।

सिकन्दर राव श्रम संविदा सहकारी समिति अलीगढ़

1869. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दर राव (उत्तर रेलवे) श्रम संविदा सहकारी समिति अलीगढ़ की वैधता की जांच मई, 1981 में मुख्यालय के कार्मिक शाखा ने की थी;

(ख) मुख्यालय के कार्यालय के वरिष्ठ कल्याण निदेशक की 4 मई, 1981 के जांच के अनुसार इस समिति का पंजीकरण कब हुआ और इसकी कुल संख्या, पूंजीनिवेश और कार्य क्षेत्र क्या था;

(ग) क्या उपर्युक्त समिति स्वेच्छा से रजिस्ट्रार सहकारी समिति उत्तर प्रदेश से पंजीकृत की थी या इसने महाप्रबन्धक जोनल रेलवे से इसकी पूर्व अनुमति ली थी; और

(घ) पिछले एक साल के दौरान इस समिति द्वारा उत्तरी रेलवे के बीकानेर, जोधपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद और दिल्ली डिवीजन में लिये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

टुंडला स्टेशन पर पार्सल हेंडलिंग कान्ट्रेक्ट

1870. श्री आर० एन० राकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टुन्डला स्टेशन समूह पर पार्सलों तथा एस० क्यू० टी० हेन्डलिंग संबंधी ठेकों का परस्पर बातचीत द्वारा तय दरों से वर्तमान सोसायटी के नाम 1 दिसम्बर, 1980 से कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस एक मुश्त मासिक दर की सिफारिश की गई थी तथा उसने किस दर को स्वीकार किया था और पिछली मासिक दर में वृद्धि की प्रतिशत्ता क्या थी;

(ग) वार्ता समिति के मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक स्टेशन में कुल काम के लिए अलग-अलग कितने मजदूरों की जरूरत थी और सोसायटी की दरों में वृद्धि को मंजूरी देने के लिए अन्य क्या कारण थे; और

(घ) दिसम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक सोसाइटी ने प्रत्येक स्टेशन में अलग-अलग कितना सामान चढ़ाया और उतारा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 29,400/—६० प्रतिमाह। 67 प्रतिशत की वृद्धि।

(ग) टुण्डला वर्ग के सभी स्टेशनों के लिए वार्ता समिति द्वारा 120 श्रमिकों का मूल्यांकन किया गया था। प्रत्येक स्टेशन के लिए श्रमिकों का अलग-अलग निर्धारण नहीं किया था। दरों में वृद्धि के अन्य कारक काम की मात्रा और साप्ताहिक अवकाश कर रहे थे।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

शोलापुर-औरंगाबाद रेलवे लाइन

1871. श्री चतुर्भुज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उस्मानाबाद, मराठावाड़ा (महाराष्ट्र) के सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से अक्तूबर, 1980 में शोलापुर (महाराष्ट्र) से उस्मानाबाद और भीर (महाराष्ट्र) होकर औरंगाबाद (महाराष्ट्र) तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लीकार्जुन) : (क) शोलापुर और औरंगाबाद तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए श्री दिनकर, उस्मानाबाद से दिनांक 31-10-80 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) शोलापुर और औरंगाबाद पहले से ही धोंड तथा मनमाड के रास्ते रेल से जुड़ा हुआ है। साधनों की अत्यन्त तंगी के कारण शोलापुर को औरंगाबाद के साथ उस्मानाबाद व भीर के रास्ते जोड़ना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस नयी लाइन (320 कि०मी० लम्बी) के निर्माण की लागत लगभग 55 करोड़ रुपये होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47

1872. श्री ए०ए० रहीम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 की धीमी प्रगति से परिचित है;

(ख) निर्माण कार्य इस तरह क्यों अवरुद्ध हो रहा है;

(ग) क्या यह राज्य सरकार की लापरवाही से हो रहा है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 का निर्माण कार्य कबतक पूरा होगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रात्रय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और देखभाल की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इसलिए उसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सामान्य स्थिति की जानकारी है। राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्पूर्ण वित्तीय सीमा से रहते हुए निरन्तर सुधार किया जाता है और उन्हें यातायात के योग्य रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 660 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 सेलभ से शुरू होकर केरल राज्य होता हुआ तमिलनाडु में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तमिलनाडु में सेलभ से कोयम्बतूर और नागरोल से कन्याकुमारी तक के खंडों में पुल के ऊपर पहुँचे मार्गों के निर्माण कार्य और अन्य सुधार कार्यों में भूमि के अधिग्रहण, ठेके की शर्तों के पूरी होने के और जमीन के कम-चौड़ी होने के कारण देरी हुई। इन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आशा है कि यह निर्माण कार्य मार्च, 1983 तक पूरा हो जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के खंड में ठेका संबंधी कठिनाइयों और विभागीय आधार पर निर्माण कार्य करवाने में राज्य के लोक निर्माण विभाग की असमर्थता के कारण हुई। इस खंड में भी सुधार कार्य और सड़क को सुदृढ करने का कार्य किया जा रहा है और इस खंड की लेनों के मार्ग में करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। आशा है कि सड़कों को शुद्ध करने के बारे में स्वीकृत कार्य जून, 1983 तक पूरा हो जाएगा।

इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद में ग्रेडिंग पद्धति

1873. श्री सूरजभान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ मैनेजमेंट (अहमदाबाद) में मैनेजमेंट के लिए दिये जा रहे स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए अपनाई जा रही ग्रेडिंग पद्धति का ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रणाली की वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालयों में अपनाई जा रही अंक प्रणाली में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन्सटीट्यूट प्रत्येक डिप्लोमा पाने वाले की प्राप्ति अंकों का प्रतिशत भी देता है यदि हां, तो इस प्रणाली में विभिन्न ग्रेडों में अंकों का अन्तर कितना है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के ग्रेड के लिए ग्रेड के प्वाइन्ट के प्रत्येक अन्तिम अक्षर और औसत ग्रेड प्वाइन्ट की रेंज क्या है; और

(घ) इस संस्थान के शैक्षिक निर्णय लेने वाला निकाय क्या है और क्या इसमें ग्रेड प्वाइन्टों को अंकों में परिवर्तित करने के लिए समरूप सारिणी तैयार कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय कब लिया गया था ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) संस्थान द्वारा अपनायी जाने वाली ग्रेडिंग पद्धति 5 प्वाइंट स्केल पर आधारित है। ग्रेडिंग पद्धति तथा ग्रेड के प्रत्येक अन्तिम अक्षर की रेंज के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। फिलहाल इसको अंक प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) संस्थान किसी भी डिप्लोमा के छात्र को प्राप्त अंकों की प्रतिशतता प्रदान नहीं करता है।

(ग) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के सम्बन्ध में शैक्षिक निर्णय लेने वाला निकाय है। समिति संकाय परिषद की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो संस्थान का शैक्षिक निर्णय लेने वाला निकाय है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम समिति ने कोई समरूप सारणी तैयार नहीं की है।

विवरण

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा अपनायी जा रही ग्रेडिंग पद्धति के ब्यौरे संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित हैं। ग्रेड 5 पाइन्ट स्केल पर आधारित है।

उत्कृष्ट = ए = 4, अच्छा = बी = 3; संतोषजनक = सी = 2; निम्न पास = डी = 1; अनुत्तीर्ण = एफ = 0

इसके अलावा, स्थिति के अनुसार अंकों में एक तिहाई बढ़ोत्तरी या कमी दर्शाने के लिए ग्रेडों में जमा तथा घटा के चिन्ह जोड़े जा सकते हैं अर्थात् ए+ = $4\frac{1}{3}$ और बी = $3\frac{2}{3}$।

किसी पाठ्यक्रम में किसी छात्र का अन्तिम ग्रेड निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन के प्रत्येक स्तर पर छात्र द्वारा प्राप्त अंक ग्रेड को विधिवत महत्व प्रदान किया जाता है और उसे जोड़ दिया जाता है तथा कुल मिलाकर पाठ्यक्रम ग्रेड दशमलव के प्रथम स्थान तक गिना जाता है। ग्रेड का तदनुरूप अक्षर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा :

4.3 और 3.6 के बीच=ए; 3.5 और 2 6 के बीच=बी; 2.5 और 1.6 के बीच=सी; 1.5 और 0.6 के बीच=डी; 0.5 और कम = एफ।

कार्यक्रम में जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी एक पाठयक्रम के लिए ग्रेड निकाला जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर छात्र द्वारा दो वर्षों में प्राप्त किये सभी पाठ्यक्रमों के संचयी ग्रेड पाइन्ट का औसत निकाला जाता है।

अन्य एशियाई देशों को एशियाड-82 के लिये धनराशि

1874. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड-82 के लिए अन्य एशियाई देशों ने कितनी धनिराशि दी है; और

(ख) इसमें भारत का क्या भाग है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) एशियाई खेल, 1982 के आयोजन पर होने वाला सारा खर्च भारत वहन कर रहा है। परम श्रेष्ठ कुवैत के अमीर ने, भारत में एशियाई खेलों के लिए एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये का नकद अनुदान दिया है।

कर्नाटक में कोलार जिले में एनसिफलाइटिस के कारण हुई मौतें

1875. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कर्नाटक के कोलार जिले में हाल ही के महीने में एनसिफलाइटिस के कारण 323 व्यक्तियों की मौतें हुई थीं, जिनमें अधिकांश बच्चे थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र ने राज्य को क्या सहायता दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 25 नवम्बर, 1981 तक कोलार जिले में जापानी ऐनसेफलाइटिस से 359 व्यक्ति पीड़ित हुए जिनमें से 84 रोगियों की मृत्यु हो गई।

(ख) विभिन्न राज्यों में जापानी ऐनसेफलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस रोग से प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त सामिग्री और उपकरण तुरन्त भेज दिये हैं।

कर्नाटक सरकार को दो फागिंग-मशीनों और 30 मी० टन एच० (बी० एस० सी०) तथा आठ मीट्रिक टन मलेथियन की अतिरिक्त सप्लाई की गई है ताकि जापानी ऐनसेफलाइटिस के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए वे इस रोग से प्रभावित इलाकों में और उनके आसपास बी० एच० सी० तथा मलेथियन का फागिंग कर सकें।

जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि

1876. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जंजीर खींचने की बढ़ती हुई घटनाओं की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) पिछले दो सालों में जंजीर खींचने पर कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि जंजीर खींचने में अधिकांश रूप से रेलवे कर्मचारियों का हाथ है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों की सहायता से टिकट चैकिंग कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है और इस प्रकार की असमाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(ग) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने वाले 1217 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था तथा उनसे जुर्माने के रूप में 69,561 रुपये की राशि वसूल की गयी थी।

(घ) जी नहीं।

भारत-तिब्बत सीमा व्यापार पुनः चालू करने के लिए चीन इच्छुक

1877. श्री कमलनाथ :

श्री के० मालन्ना :

श्री एन० ई० होरो :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारत-तिब्बत सीमा व्यापार पुनः चालू करने का इच्छुक है ?

(ख) क्या चीन के लोगों ने भारतीय एच० एम० टी० घड़ियां, स्टोव और वस्त्रों में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या बीजिंग ने इस दिशा में औपचारिक तौर पर कोई कदम उठाया है;

(घ) क्या इस सबन्ध में कोई बातचीत हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क), से (ख) और (ग) : कैलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के दौरान इस यात्रा की प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बद्ध कुछ चीनी अधिकारियों ने भारतीय वस्तुओं, विशेष रूप से उन वस्तुओं के बारे में सामान्य पूछताछ की थी जो तीर्थ यात्री अपने साथ ले गए थे, जैसे कि एच० एम० टी० की घड़ियां, स्टोव इत्यादि ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ईराक में रेलवे कर्मचारी

1878. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1981 में ईराक के लिए कितने रेलवे कर्मचारियों को इंडियन रेलवे कन्सट्रक्सन कम्पनी में प्रतिनियुक्त पर भेजा गया;

(ख) क्या उनके साथ उनके परिवारों को भेजने का प्रबन्ध किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंन्धी कारण क्या हैं और उनके परिवारों के भरण-पोषण के लिए वहां से धन भेजने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं;

(घ) क्या उन्हें वेतन का नियमित भुगतान हो रहा है और भारत में उनके परिवारों को नियमति रूप से धन भेजा जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और ईराक में उनके तथा भारत में उनके परिवारों के जीवन-यापन के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)

महीना	कर्मचारियों की संख्या
जुलाई, 1981	8
अगस्त, 1981	27
सितम्बर, 1981	24

(ख) जी नहीं।

(ग) ठेके के अनुसार ईराक में केवल वरिष्ठ अधिकारियों के परिवारों के लिए आवासीय स्थान की व्यवस्था है और उनके परिवार उनके साथ जा सकते हैं। कनिष्ठ अधिकारियों के लिए एकल आवासीय स्थान की व्यवस्था है और उनके परिवार उनके साथ ईराक नहीं जा सकते। ये अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक में अनावासी विदेशी खाता खोलते हैं और बैंक को इस आशय की हिदायतें देते हैं कि भारत में रह रहे उनके परिवारों को अपेक्षित राशि नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहे।

(घ) सामान्यत: वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है और उनके परिवारों को अपेक्षित राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए स्वीकृत राशि

1879. **श्री के० प्रधानी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विशेषत: उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राजमार्गवार कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) उड़ीसा राज्यों में पिछले वर्षों के दौरान इस संबंध में हुई प्रगति का राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटासिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए पिछले दो वर्षों में स्वीकृत कुल धनराशि विवरण-1 में दिखाई गई है। इसमें उड़ीसा राज्य के बारे में भी सूचना दी गई है।

(ख) कोटा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों में स्थित राष्ट्रीय राज्यमार्गों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए वर्ष 1979-80 और 1980-81 में नियत धनराशि ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	राज्य से होकर जाने वाले राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य		राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल और मरम्मत	
			1979-80	1980-81	1979-80	1980-81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(लाख रु० में)	
1.	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,43	592.50	636.78	220.67	253.01
2.	असम	31,31बी, 31सी, 36,37,38,39, 44,51,52,52ए 53,54	420.00	395.00	175.77	246.60
3.	बिहार	2,6,23,28,28ए 30,31,32,33	30.76	670.00	245.81	311.91
4.	चण्डीगढ़	21	—	—	2.00	3.00
5.	दिल्ली	1,2,8,10,24	226.00	300.00	43.23	39.11
6.	गोआ	4ए,17,17ए	69.53	90.00	17.75	17.14
7.	गुजरात	8,8ए,8बी,8सी,15	421.22	400.00	327.65	385.01
8.	हरियाणा	1,2,8,10,22	250.00	380.00	73.10	100.63
9.	हिमाचल प्रदेश	1ए,21,22	198.00	215.00	94.69	83.57
10.	जम्मू और कश्मीर	1ए,1बी	219.40	220.00	44.75	44.28
11.	कर्नाटक	4,4ए,7,9,13, 17,48	510.00	658.14	143.66	231.05
12.	केरल	17,47	300.00	313.08	116.86	158.06
13.	मध्य प्रदेश	3,6,7,12,25 26,27,43	550.00	375.00	222.97	201.36

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. महाराष्ट्र	3,4,6,7,8, 9,13,17,50	684.00	737.00	324.16	295.43
15. मणिपुर	39,53	75.59	69.00	21.37	25.95
16. मेघालय	40,44,51	45.00	62.00	22.91	31.39
17. नागालैंड	36,39	—	—	2.44	0.81
18. उड़ीसा	5,5ए,6,23,42,43	370.00	370.00	134.62	152.60
19. पंजाब	1,1ए,10,15, 21,22	225.00	335.00	129.21	98.00
20. राजस्थान	3,8,11,15	340.00	445.00	198.35	222.69
21. तमिलनाडु	4,5,7,7ए,45 46.47,49	528.00	500.00	142.18	147.72
22. उत्तर प्रदेश	2,3,7,11,24 25,26,27,28,29	960.00	970.00	364.58	430.57
23. पश्चिमी बंगाल	2,6,31,31ए, 31सी,32,34, 35,41	400.00	300.00	268.24	241.00
24. सीमा सड़क विकास	39,44,52, 54,31ए	385.00	390.00	20.85	20.85
25. पांडु के पास घाट के जलयान		—	—	21.34	30.58
26. कोचरन पोर्ट ट्रस्ट		—	—	—	1.97
	कुल	9400.00	9231.00	3450.16	3774.95

विवरण-2

उड़ीसा राज्य के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	स्वीकृत निर्माण कार्य की संख्या 1979-80	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये)	स्वीकृत निर्माण कार्य 1980-81	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये)	
I—सड़क कार्य					
5	7	20.692	4	15.632	सभी निर्माण कार्य पूरे किये जा रहे हैं और विभिन्न अवस्थाओं में हैं।
5ए	—	—	—	—	
6	5	9.165	8	145.998	
23	—	—	3	75.897	
42	6	96831	5	113.912	
43	3	2.025	4	6.095	
	कुल 21	128.713	24	357.534	
II-पुल कार्य					
42	—	—	1	37.348	
	कुल —	—	1	37.348	

माटाडोर शटल सेवाओं में अधिक सवारियों को ले जाया जाना तथा टिकटों का न दिया जाना

1880. श्री ए० यू० आजमी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है दिल्ली में शुरू की गई माटाडोर शटल सेवा में अधिकृत संख्या से अधिक यात्रियों को ले जाता है तथा वसूल किये गये किराये के बदले टिकट भी नहीं दी जाती, जिससे यात्रियों को, जो अपने आराम के लिए अधिक किराया देते हैं, काफी असुविधा हो रही है और इस प्रकार, दिए गए लाइसेंसों संबंधी उपबन्धों तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 का उल्लंघन हो रहा है तथा अर्जित आय को भी छिपाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) क्या सरकार का विचार माटाडोर गाड़ियों को चलाया जाना रोक देने का है क्योंकि ये दिल्ली परिवहन निगम की बस मार्गों के समानान्तर ही चल रही है और इससे दिल्ली परिवहन निगम को वित्तीय हानि हो रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचना दी है कि माटाडोर गाड़ियों द्वारा अधिकृत संख्या से अधिक यात्री ले जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक टिकट जारी करने का प्रश्न है ये शटल गाड़ियां एक निश्चित किराया आधार (फैल्ट-फैयर बेसिस) पर चलाई जाती हैं, न कि स्टेज कैरिजेस के रूप में, इसलिए इनमें टिकट देने की जरूरत नहीं है।

(ग) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। माटाडोर गाड़ियां अधिकतर उन यात्रियों के लिए हैं जिन्हें दिल्ली परिवहन निगम की बसों में ले जाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कालेजों की प्रबन्ध समितियां

1881. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 और 16 अक्तूबर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में क्रमश: 'कालेज प्रिंसिपल', 'विक्टिम आफ पालिटिक' और 'कालेज वाडीज पैक्ट विद कांग्रेसमैन आई' शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे कालेजों की प्रबन्ध समितियों से मात्र प्राइमरी स्कूल तथा मैट्रिक आदि अर्हताओं वाले लोगों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार राजधानी कालेज के प्रिंसिपल ने सेवा निवृति के पश्चात पुन: रोजगार के लिए आवेदन दिया था परन्तु कालेज के शासी निकाय ने आवेदन अस्वीकार कर दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली प्रशासन के कालेजों सहित प्राईवेट कालेजों की उनके शासी निकायों के गठन के लिए पालन करने हेतु कुछ मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली प्रशासन के कालेजों के शासी निकायों के 50% सदस्य, विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किये गये उत्कृष्ट प्रोफेसरों, अधिकताओं, पत्रकारों और विख्यात शिक्षाविदों के नामों के पैनल में से चुने जाते हैं और शेष 50% नामजद व्यक्तियों का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन द्वारा इस पैनल से बाहर के व्यक्तियों में से किया जाता है।

इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं में इन निकायों की सदस्यता के लिए कोई शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। इस सम्बन्ध में कोई सांविधिक व्यवस्था न होने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय का शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर किसी सदस्य को हटाने के लिए कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

"इंडिया आफिस लाइब्रेरी"

1882. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडिया आफिस लाइब्रेरी तथा अन्य महत्वपूर्ण रिकार्डों को भारत लाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या महत्वपूर्ण व बहुमूल्य दस्तावेजों की कम से कम माइक्रोफिल्मों अथवा फोटो-कापियां को मंगा लेने का कोई सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) इन पुस्तकों तथा रिकार्डों की जांच तथा चयन किस प्रकार किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अन्य सम्बन्धित देशों की सरकारों के साथ परामर्श से इस मामले के सम्बन्ध में यू० के० सरकार के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। इस समस्या को यथाशीघ्र सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) इंडिया आफिस लाइब्रेरी की परिसम्पत्ति और अभिलेखों के बंटवारे के प्रश्न का निपटारा होने तक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और इंडिया आफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स, लन्दन के बीच नवम्बर, 1975 में एक द्विपक्षी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोनों संस्थाओं के बीच, उनके अपने-अपने संग्रहों की कमी को पूरा करने तथा दोनों संस्थाओं को अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान सामग्री से और अधिक समृद्ध करने के लिए, स्थूल रूप से न्याय-संगत आधार पर माईक्रोफिल्मों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। इस करार के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दो अधिकारियों को, कमियों का पता लगाने तथा हमारी आवश्यकताओं की सूची तैयार करने के लिए, 1976-77 में लन्दन भेजा गया था। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने लगभग 400 पृष्ठों की एक सूची तैयार की। उनके द्वारा संकलित सूची के आधार पर इंडिया आफिस लाइब्रेरी से सम्बद्ध सामग्री की माइक्रोफिल्में प्राप्त की जा रही हैं। इस कार्य के लिए कोई अलग प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए हैं तथा इसमें होने वाला व्यय भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के बजट आवंटन में से वहन किया जा रहा है।

नार्दन रेलवे लोको रेनिंग शेड के कर्मचारियों पर जालसाजी किये जाने का आरोप

1883. श्री चित्त महाटा :

श्री हरीनाथ मिश्र :

श्री के० लकप्पा :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालसाजी के लिए कुछ नार्दन रेलवे लोको रनिंग शेड के कु बेईमान कर्मचारियों ने एक सुसंगठित गिरोह बनाया हुआ है जो प्रतिमाह 4-5 लाख रुपये क गबन कर जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कद उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) लोको शेड, लखनऊ में नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियं को फर्जी तथा अधिक भुगतान करने के दोषारोपण के बारे में कुछ शिकायतें मिलने पर इस मामल को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है क्योंकि प्रथमत: यह मालूम पड़ता है कि इसमें केवल रेल कर्मचारी ही नहीं बल्कि बाहरी व्यक्ति भी शामिल हैं। जांच के परिणामों के आधार पर यथा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

मोटर वाहन अधिनियम का क्रियान्वयन

1884. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में न्यू व्हीकल्स एक्ट सजेस्टिड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का क्रियावन्यन करने में सावधानी बरती गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार में सड़क परिवहन विकास वित्त निगम बनाने के सुझाव का उल्लेख है। इस सुझाव को नोट कर लिया गया है।

(ग) और (घ) उल्लिखित सुझाव में मोटर यान अधिनियम, 1939 में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

"बरौनी से सिलीगुड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के रख-रखाव और मरम्मत हेतु आवंटित राशि

1885. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी से सिलीगुड़ी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य की सीमायें पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल और मरम्मत के लिए एक मुश्त धनराशि नियत की जाती है। इसके बाद इस धनराशि का वितरण तुलनात्मक आधार पर किया जाता है जिससे विभिन्न खंडों की वास्तविक आवश्यकता और प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाता है। बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए क्रमशः जिसमें यह सड़क-खंड आता है, वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल और मरम्मत पर अब तक क्रमशः 296 लाख और 202 लाख रुपये नियत किये गये हैं। इस खास सड़क खंड पर लगभग 38 लाख रुपये की लागत से विशेष मरम्मत और बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का काम किया जा रहा है।

कानाहर पुल का निर्माण

1886. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन नौवहन और परिवहन मंत्री श्री चांदराम ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले में कानाहर पुल के निर्माण के लिए आधार शिला रखी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त पुल के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पुल के निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने, मिर्जापुर जिले में कन्हार और सतवाहनी नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिए 66.6 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था जो पुलों के निर्माण के

लिए कुल खर्च 200 लाख रुपये का एक तिहाई था। शेष खर्च उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों द्वारा आधा-आधा वहन किया जाना था। बाद में, बिहार सरकार ने कन्हार नदी के पुल का खर्च वहन करने की अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वह 13 किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर पड़ता था। उत्तर प्रदेश सरकार अब कन्हार पुल का आधा खर्च इस शर्त पर वहन करने के लिए सहमत हो गयी है कि बाकी आधा खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करे। उत्तर प्रदेश सरकार से संशोधित अनुमान भेजने के लिए कहा गया है ताकि इस मामले में शीघ्र निर्णय किया जाए। विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए जाने के बाद ही वास्तविक निर्माण शुरू किया जा सकता है।

उद्योगों के लिए कोयला वैगनों का आवंटन

1887. **श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उद्योगों के लिये कोयला वैगनों के आवंटन हेतु कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष विभिन्न उद्योगों के लिए वैगनों का कितना आवंटन किया गया था और आने वाले वर्ष के लिये यह आवंटन कितना होगा;

(ग) क्या यह सच है कि पहले निर्धारित की गई प्राथमिकताओं को रद्द कर दिया गया है और उनकी सिफारिशों पर डी० आर० एम० कलकत्ता द्वारा वैगनों का आवंटन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों के लिये उन्होंने क्या मानदंड निर्धारित किया है?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस्पात संयंत्रों, ताप बिजलीघरों, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा, कागज और भारी रसायन उद्योगों को वरीयता प्राप्त क्षेत्र माना जाता है और उनकी कोयले की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किये जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। जैसा कि ऊपर (ख) में उल्लेख किया गया है वह वरीयता क्रम का अनुसरण करता है।

महासागर में होने वाली गतिविधियां

1888. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान, संस्थान बंगलौर ने महासागर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों विशेषकर गहरे समुद्र में तेज लहरों की स्थिति का पता लगाने के लिये कोई प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोगात्मक परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने तटवर्ती समुद्रों में ध्वनि संचारण का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। परिवर्तित तटीय समुद्र में ध्वनि तरंगों के प्रसार की सिद्धान्त रूप में जांच करने के लिए एक पारस्परिक क्रियाशील संगणक प्रणाली स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त, एक माडल टैंक का नमूना तैयार करके इसका निर्माण किया गया है, जिसमें ताप की घट-बढ़ अशान्त समुद्र तल तथा सतह पर वायु प्रवाहित समुद्री लहरों जैसी समुद्री अवस्थाओं का अनुरूपण किया जाता है। सैद्धान्तिक कार्य के परिणाम काफी रोचक निकले हैं। प्रयोगात्मक कार्य अभी-अभी शुरू किया गया है।

आरक्षित कोटे के अन्तर्गत विकलांगों को दी गई नियुक्तियों का ब्योरा

1889. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रेणी-3 और 4 के पदों में से तीन प्रतिशत का आरक्षण के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन मन्त्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिन्होंने विकलांग लोगों को रोजगार दिया है तथा ऐसे विकलांगों की संख्या क्या है और उन्हें नियमित आधार पर उपलब्ध कराए गए रोजगार का स्वरूप क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत सरकार के अधीन "ग" और "घ" वर्गों के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% पद आरक्षित करने के सम्बन्ध में आदेश 4 नवम्बर, 1977 को सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत पदों में सम्बन्ध में ऐसे ही आदेश 30 मार्च, 1978 को जारी किए गए थे।

(ख) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खाने की कम शक्तिशाली गर्भ-निरोधक गोलियों का उत्पादन

1890. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में कम शक्तिशाली खाने की गर्भ निरोधक गोलियों के उत्पादन तथा बिना डाक्टर के परामर्श के उनका सेवन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा महिलाओं द्वारा इनके प्रयोग के लिए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) हारमोन की कम मात्रा वाली खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां पहले ही वर्ष 1975 से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में इस्तेमाल की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परा-चिकित्सा कर्मचारियों के कुछेक वर्गों द्वारा ये गोलियां इस शर्त पर बांटी जा रही हैं कि इनका इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को हर हालत में इनका इस्तेमाल करने के तीन महीनों के अन्दर-अन्दर डाक्टर से जांच करवानी होगी। खाई जाने वाली गोली का सेवन करने वाली महिलाओं का परा-चिकित्सकों द्वारा चयन करने के लिए एक चेक-लिस्ट का भी उपयोग किया जा रहा है जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। जिन स्त्रियों को ये गोलियां अनुकूल नहीं बैठतीं उन्हें इनका सेवन नहीं कराया जाता।

विवरण

खाई जाने वाली गोलियों का सेवन करने वाली महिलाओं को चुनने से पहले परा-चिकित्सा कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रश्न भर लेने चाहिए।

क्या महिला—

1. 35 वर्ष से बड़ी है।	नहीं ☐ हां ☐
2. पांच वर्ष से अधिक समय से खाई जाने वाली गर्भ-निरोधक गोलियां ले रही है।	नहीं ☐ हां ☐
3. बांझ (बिना बच्चों के) है*।	नहीं ☐ हां ☐
4. गर्भवती है।	नहीं ☐ हां ☐
5. क्या दूध पिलाती है।	नहीं ☐ हां ☐
6. अति-कुपोषण।	नहीं ☐ हां ☐
7. स्थूलकाय (अधिक वजन वाली) है।	नहीं ☐ हां ☐
8. जिनकी त्वचा और नेत्र पीले हैं।	नहीं ☐ हां ☐
9. धूम्रपान करने वाली है।	नहीं ☐ हां ☐
10. मधुमेह की रोगी (मूत्र में शर्करा)	नहीं ☐ हां ☐
11. लम्बे समय से/अक्सर सिर दर्द से पीड़ित रहती है।	नहीं ☐ हां ☐
12. दृष्टि विकार से पीड़ित है।	नहीं ☐ हां ☐

*बांझ महिला को यह खाने वाली गोली देने से पूर्व डाक्टर से जांच करा लेनी चाहिए।

13. उसे दौरे तो नहीं पड़ते । नहीं ☐ हां ☐

14. स्तनों में गांठ । नहीं ☐ हां ☐

15. अंगों में सूजन (पेशाब में एल्बूमिन) नहीं ☐ हां ☐

16. सदैव या अक्सर पेट दर्द । नहीं ☐ हां ☐

17. थकावट में सांस फूलना । नहीं ☐ हां ☐

18. अनियमित मासिक धर्म/गुप्तांग से रक्तस्राव । नहीं ☐ हां ☐

19. गर्भ विषरक्तता का पूर्व वृतांत** । नहीं ☐ हां ☐

20. नब्ज गति 120 प्रति मिनट से अधिक है । नहीं ☐ हां ☐

21. त्वचा पर बार-बार दाने तो नहीं निकलते । नहीं ☐ हां ☐

यदि क्रम संख्या 2 को छोड़कर शेष का उत्तर "न" में हो तो महिला को इस गोली का उपयोग करने के लिए चुन लेना चाहिए । यदि उपर्युक्त क्रम संख्या 2 के अतिरिक्त किसी का उत्तर "हां" तो गोली का सुझाव देने से पहले डाक्टर को दिखा देना चाहिए ।

**गर्भ विषरक्तता के पूर्व वृतांत वाली महिलाओं को गोलियां नहीं दी जानी चाहिए।

अस्पताल में परिचर्या के दौरान नि:शुल्क योजना पाने के लिये सरकारी कर्मचारियों की वेतन-सीमा

1891. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन तो किया है किन्तु क्षयरोग से ग्रस्त लोगों तथा उनके आश्रितों के लिए जिन्हें क्षयरोग चिकित्सालयों में परिचर्या की आवश्यकता होती है, नि:शुल्क भोजन देने हेतु वेतन सीमा में आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई है ।

(ख) क्या नि:शुल्क भोजन के लिए 100 रु० की वेतन सीमा को पिछली बार बढ़ाकर 300 रु० कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संशोधित वेतनमानों में इसी अनुपात से वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत क्षय-रोग से पीड़ित रोगियों के मामले में आहार के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए संशोधित वेतनमानों में जो नई सीमा रखी गई है वह 640 रुपये प्रति मास है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पुर्तगाल के विदेश मंत्री का दौरा

1892. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ मैंने उपयोगी बातचीत की और हम इस बात से सहमत थे कि आगामी वर्षों में हमारे पारस्परिक संबंधों में और सुधार होने चाहिएं।

एशियाई प्रशिक्षण शिविरों के लिये खिलाड़ियों का चयन

1893. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई प्रशिक्षण शिविरों के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है;

(ख) उनके चयन का आधार क्या है; और

(ग) केरल से चुने गए खिलाड़ियों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1981 के दौरान आयोजित किये गये तीन एशियाड प्रशिक्षण शिविरों में चुने गए खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः 130, 121 तथा 120 थी।

(ख) भारतीय अमेंयुर ऐथलेटिक्स संघ, जो एशियाड प्रशिक्षण शिविरों के लिए भारतीय खिलाड़ियों के चयन के लिए जिम्मेदार है, ने सूचित किया है कि पहले प्रशिक्षण शिविरों के लिए चयन का आधार पिछली दो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं अर्थात् फरवरी, 1981 में आयोजित अखिल

भारतीय अन्तर राज्य ऐथलेटिक्स प्रतियोगिता तथा मार्च, 1981 में हुई अखिल भारतीय खुली ऐथलेटिक्स प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का निष्पादन था। अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, अन्तर सेवाएं प्रतियोगिता, अन्तर-रेलवे प्रतियोगिता तथा अन्तर-पुलिस प्रतियोगिता जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के निष्पादन पर भी उचित ध्यान दिया गया था। दूसरे तथा तीसरे प्रशिक्षण शिविर के लिए खिलाड़ियों के चयन का आधार पहले तथा दूसरे प्रशिक्षण शिविर में उनका निष्पादन था।

(ग) तेईस।

बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तन न्यासों के पास उपलब्ध बजरों की संख्या

1894. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पत्तन न्यासों के पास कितने बजरे हैं;

(ख) क्या मुख्य पत्तनों पर बजरों के न मिलने के कारण विदेशी पोतों को व अपने निजी बजरे लाने को बाध्य किया जा रहा है; और

(ग) इन मुख्य पत्तनों पर उपलब्ध बजरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में निम्नलिखित संख्या में बार्जेज उपलब्ध हैं—

(क)	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
	3 (इसके अलावा यहां 65 प्राइवेट बार्ज हैं)	3	6 (इसके अलावा यहां 730 प्राइवेट बार्ज हैं)
(ख)	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
	जी नहीं, मेसर्ज पैरोटाइम ट्रान्सपोर्ट ओवरसीज नामक केवल एक विदेशी जहाजी कम्पनी ने अब तक 4 डंब बार्जेज आयात किये हैं जिनमें से प्रत्येक को क्षमता 2500 टन है। ये बार्जेज समुद्र में उनके अपने से लोहे का सामान उतरने के जाहज लिए हैं।	नहीं	नहीं
(ग)	बम्बई	मद्रास	कलकत्ता
	चूंकि मौजूदा बार्जेज पर्याप्त हैं इसलिए और अधिक बार्ज खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।	3 सेल्फ प्रोपेल्ड बार्जेज खरीदने का प्रस्ताव है।	चूंकि मौजूदा बार्जेज पर्याप्त हैं इसलिए और अधिक बार्ज खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पटना के निकट 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल दुर्घटना

1895. श्री राजेश कुमार सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1981 को पटना के निकट 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ संसद सदस्यों सहित अनेक व्यक्ति घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 26-9-81 को जब 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल गाड़ी पूर्व रेलवे के पटना सहिब स्टेशन पर डाउन लूप लाइन पर ली जा रही थी, तब यह एक इंजन से टकरा गयी थी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप 7 व्यक्तियों को चोटें आयीं, जिनमें 3 संसद-सदस्य भी थे।

(ग) जी हां।

(घ) जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उपर्युक्त कार्यवाही की जायेगी।

मंजूर किये गये पैसेंजर हाल्ट

1896. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान कुल कितने पेसेंजर हाल्ट मंजूर किए गए हैं;

(ख) ऐसे पेसेंजर हाल्टों के नाम क्या हैं, जो पहले दिये जा चुके हैं;

(ग) ऐसे पेसेंजर हाल्टों के नाम क्या हैं, जिन्ह अभी प्रावधित किया जाना है; और

(घ) प्रत्येक मामले में असाधारण विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छः।

(ख) मुक्तेश्वर (पुरी)।

(ग) (1) अरुण नगर (2) भरोही (3) सरस्वतीनगर (4) महाविनायक रोड और (5) कपाली रोड।

(घ) ऐसे हाल्टों को खोलने के लिए आवश्यक तकनीकी औपचारिकताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

आई० आई० टी० के योजना अनुसंधान कर्मचारी

1897. श्री समर मुखर्जी : क्या शिक्षा और कल्याणसमाज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई० आई० टी० के निदेशकों को आई० आई० टी० के योजना अनुसंधान कर्मचारियों के मामले पर बातचीत करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आई० आई० टी० के सभी निदेशकों की 24 अप्रैल, 1981 और 20 अगस्त, 1981 को हुई बैठकों की जानकारी है;

(ग) क्या निदेशकों ने योजना अनुसंधान कर्मचारियों के बारे में सरकार को कोई सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) निदेशकों ने सिफारिश की कि :

(1) समय बद्ध परियोजनाओं/प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं में नियुक्त सभी व्यक्तियों को एक विशेष अवधि के लिए अथवा परियोजना अवधि के लिए ठेके पर नियुक्त किया जाए।

(2) ऐसी नियुक्तियों के लिए वेतनमान वे ही होने चाहिए जैसा कि सरकार द्वारा आई० आई० टी० में विभिन्न संवर्गों के लिए अनुमोदित किए जाते हैं तथापि, वरिष्ठ पदों के पदनाम सामान्य शैक्षिक/प्रशासकीय पदनामों से भिन्न होने चाहिए ताकि नियमित संवर्गों से उनमें अंतर किया जा सके।

(3) विषय से सम्बन्धित विस्तृत नियम आई० आई० टी० द्वारा तैयार किए जा सकते हैं।

(ङ) आई० आई० टी० से विस्तृत नियम प्राप्त हो जाने पर मामले की जांच की जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः रेल लाइनें

1898. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में छः नई रेल लाइनें बिछाने के कार्य के क्रियान्वियन में कोई कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रेलों के आवागमन के लिए ये रेल लाइनें कब तक पूरी हो जाएंगी ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) भूमि की खरीद आदि जैसे मामलों में संबंधित राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तर पर उचित सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है। निर्माण के लिए अपेक्षित रेलपथ की सामग्री की सप्लाई में तेजी लाने तथा निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक जन-शक्ति जुटाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इन छः लाइनों का काम पूरा करने तथा उन्हें 1981 से उत्तरोत्तर यातायात के लिए खोलने के प्रयास किये जा रहे हैं बशर्ते कि भूमि आदि उपलब्ध हो।

"हेमेरिजिक कान्जन्किटवाइटिस" की रोकथाम के उपायों की सिफारिश

1899. **श्री एम० रामगपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हेमेरिजिक कान्जन्किटवाइटिस" रोग के सभी पहलुओं का अध्ययन करने तथा निवारक उपाय सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिश की है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस वर्ष के दौरान राज्य-वार इस रोग से ग्रस्त, व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीविहार रंजन लास्कर): (क) से (ग) जी, नहीं। वैसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने हाल ही में इस विषय पर एक अध्ययन-दल की बैठक बुलाई थी। परिषद स्वयं ही इस अध्ययन-दल की सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू कर रही है।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से मरने वालों की संख्या

1900. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों से 1980-81 के दौरान मरने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे : और

(ग) मृतक व्यक्तियों के परिवारों तथा घायलों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) 169.

(ख) दुर्घटनाओं के मुख्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं :

(i) दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवर की गलती, जैसे :

(क) अन्धाधुन्ध और लापरवाही से गाड़ी चलाना

(ख) ड्राईवर की चूक होना आदि ।

(ii) किसी दूसरे आदमी की गलती जिसमें यात्री आदि शामिल हैं, जैसे

(क) चढ़ते और उतरते समय गलती करना,

(ख) चलती बस में सड़क पर चलने वालों को यातायात के नियमों का ज्ञान न होना, आदि ।

(iii) दिल्ली परिवहन निगम की बस में खराबी आ जाना ।

(iv) किसी दूसरी गाड़ी में खराबी आ जाना ।

(v) मिश्रित यातायात स्थिति ।

(vi) सड़कों के तीखे मोड़ ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के पास दुर्घटनाओं सम्बन्धी जो दावे प्राप्त हुए उनके लिए 1,27,000 रु० मुआवजे के रूप में दिये गये । इसमें घातक दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों को 95,000 रु० और घायलों को 32,000 रु० मुआवजे के रूप में दिए गए । इन मामलों में न्यायालय से बाहर ही समझौता कर लिया गया ।

छोटे बन्दरगाहों में सुधार के लिए सहायता

1901. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े बंदरगाहों पर बढ़ती हुई भीड़-भाड़ और राष्ट्रहित में छोटे बन्दरगाहों के प्रयोग, जहां सम्भव हो, को ध्यान में रखकर सरकार का विचार छोटे बन्दरगाहों में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस कार्य के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार छोटे पत्तनों के विकास के लिए राज्य क्षेत्र की योजनाओं में धन नियत किया जाता है। इसके लिए केन्द्रीय क्षेत्र में धनराशि नियत नहीं की जाती है। छोटे पत्तनों के विकास के लिए इसके अतिरिक्त धनराशि देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बड़े पत्तनों पर जमाव को ध्यान में रखकर छोटे पत्तनों के बारे में स्थिति यह है कि छोटे पत्तनों का पहले से ही यथा-सम्भव पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है जो पत्तन सुविधाओं और माल की निकासी के लिए आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

स्लीपर बनाने वाली फैक्टरी

1902. **श्री उमाकांत मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर जिले में स्थापित की जाने वाली स्लीपर बनाने की फैक्टरी को किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या स्लीपर बनाने की फैक्टरी के कार्य में तेजी लाई जाएगी ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल मिर्जापुर जिले में कंक्रीटस्लीपरों का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। यह कारखाना वाराणसी के समीप पिछड़े क्षेत्र में, जिसमें मिर्जापुर जिला भी शामिल है, स्थापित किया जाना था।

(ख) यह कारखाना खालिसपुर स्टेशन पर स्थापित किया जा रहा है, जो मिर्जापुर जिले के समीप है।

(ग) जी हां।

फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के लिए सऊदी अरब के प्रस्ताव

1903. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिस्तीन के सम्बन्ध में अरब इसराइल के विवाद में सऊदी अरब के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या सरकार का यह विचार है कि इसराइल को अपनी 1967 से पहले की सीमा के भीतर एक सुरक्षित राज्य के रूप में रहने का अपरिवर्तनीय अधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये की गई राजनयिक पहल का ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने सऊदी अरब की ओर से की गयी इस पहल का स्वागत किया है, जो कि भारत की सामान्य नीति के अनुरूप है।

(ख) भारत के विचार में पश्चिम एशिया की समस्या का कोई न्यायोचित और व्यापक समाधान केवल तभी हो सकता है जब येरूशलम सहित 1967 से अरब अधिकृत सभी क्षेत्रों से इजरायलियों की पूर्ण वापसी का सुनिश्चय हो सके और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के साथ-साथ फिलिस्तीनी लोगों के अविच्छेद्य अधिकारों को बहाल किया जाए, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए।

(ग) भारत ने बार-बार इस बात की पुष्टि की है कि वह अब तक की अपनी नीति के अनुरूप रुख अपनाने में किसी से पीछे नहीं रहेगा।

कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियों का रद्द किया जाना

1904. श्री नरसिंह मकवाना : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्ष रद्द की गई गाड़ियों की संख्या से यह संख्या अधिक है या कम; और

(ग) इन गाड़ियों को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप कितना नुकसान हुआ है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मई, 1981 से अक्टूबर, 1981 की अवधि के दौरान कोयये की कमी के कारण प्रतिदिन औसतन 146 जोड़ा पैसेंजर गाड़ियां रद्द की गयी थीं। 1980 की तदनुरूपी अवधि में 34 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी थीं।

(ग) अलग-अलग गाड़ियों की आय के बारे में सूचना संकलित नहीं की जाती और इसके आंकड़ें उपलब्ध नहीं है

हरिजन बच्चों द्वारा स्कूल छोडने तथा विकास योजनाओं के प्रति उनकी अनभिज्ञता के बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा अध्ययन

1905. श्री रामविलास पासवान : क्या शिक्षा और समाज समाज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा किये गये अध्ययन (टाइम्स आफ इन्डिया, 10 अक्टूबर, 1981) की ओर दिलाया

गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्यों के गांवों में से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में 90 प्रतिशत हरिजनों के बच्चे होते हैं और अधिकतर गांव विकास योजनाओं तथा उपलब्ध सुविधाओं से अनभिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या बिहार राज्य के गांव के स्कूलों के मामले में कोई ऐसा मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां यह प्रतिवेदन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कालेजों/विभागों के राष्ट्रीय सेवा योजना एककों द्वारा किये गये एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित है। इन निष्कर्षों में हरियाणा की सम्पूर्ण स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं होती।

हरियाणा सरकार इस समस्या से अवगत है और अन्य उपायों के साथ-साथ हरिजन लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्तियों और निःशुल्क वर्दियों/हरिजन छात्रों को लेखन सामग्री और स्टेशनरी की निःशुल्क आपूर्ति और सभी प्राथमिक मिडिल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तक बैंकों के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति जैसे विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

(ग) सरकार को बिहार में किसी ऐसे अध्ययन की जानकारी नहीं है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलों को वैगनों की सप्लाई

1906. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को सामान लाने ले जाने के लिये वैगनों की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वैगनों के आवंटन के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी तथा उनमें से प्रत्येक को कितने वैगन आवंटित किये गये; और

(ग) यदि वैगन आबंटित नहीं किये गये, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गंगा पर पुल

1907. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पटना के सामने गंगा नदी के दीघाघाट और पल्लेजाघाट पर रेल पुल बनाने की मांग पर कोई ध्यान दे रही है;

(ख) क्या यह रेल पुल को हाजीपुर के सामने के अतिरिक्त पटना और आरा के बीच किसी अन्य स्थान पर बनाना संभव नहीं है; और

(ग) हाजीपुर के सामने एक सड़क पुल पहले ही बना हुआ है, फिर भी वहां पटना के पूर्व में एक और रेल पुल बनाने की मंजूरी देने तथा रेल तथा सड़क दोनों पुलों का मोकामा में बनने तथा सोनपुर और इसके पश्चिम में कोई भी पुल रेल और सड़क पुल न होने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चुनाव करने के बारे में केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसन्धान केन्द्र, पुणे में नमूना परीक्षण चल रहे हैं। यह परिक्षण अन्तिम चरण में हैं। इस पुल के लिए तकनीकी व्यवहारिकता अध्ययन करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण का काम भी 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है तथा यह काम प्रगति पर है। सी० डब्ल्यू० पी० आर० एस० से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इस पुल का निमार्ण-कार्य शुरू करने के बारे में बिहार सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो।

पुरी होटल

1908. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग द्वारा संचालित पुरी होटल विदेशी पर्यटकों में 5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है;

(ख) इस बारे में मूल्यांकन किया है कि रेल विभाग के पर्यटन अनुभाग का कार्यकरण कैसा है और उसने पिछले दो वर्षों में देशीय तथा विदेशी पर्यटको से पृथक-पृथक कितनी धनराशि अर्जित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) भारतीय रेलों में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये और क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 4,72,424 रुपये और 4,8०,335 रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी।

(ख) से (घ) 1979-80 और 1980-81 की अवधि में विदेशी पर्यटकों को इण्ड्रेल पासों की बिक्री से अमरीकी डालर के रूप में क्रमशः 9,14,454 रुपये और 12,11,554 रुपये की आय हुई। आन्तरिक पर्यटकों से होने वाली आमदनी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

राजस्थान सरकार के समन्वय से राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए 'पैलेस आन व्हील्स' नामक एक पाइलट परियोजना रेल पैकेज के रूप में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

सूरतगढ़-जैसलमेर लाइन

1909. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के साथ-साथ सूरतगढ़ से जैसलमेर तक एक बड़ी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव काफी लम्बे अर्से से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रेल लाइन को बिछाने के लिये राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कई बार अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल लाइन को बिछाने के प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जायेगी और सर्वेक्षण के पश्चात् इसका कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) साधनों की कमी के कारण छठी योजना में इस परियोजना को शुरू करना सम्भव नहीं है।

सड़क पर उन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा, जिनमें चालक टक्कर मार कर भाग जाते हैं

1910. श्री वी० बी० देसाई :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी मोटर गाड़ी दुर्घटनाओं, जिनमें चालक टक्कर मारकर भाग जाते हैं, के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा दिसम्बर, 1977 में संसद में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस योजना को परिवहन विकास परिषद् ने पहले ही मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अज्ञात गाड़ी द्वारा टक्कर मारने से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कोष में जनरल इन्शोरेन्श कारपोरेशन,

केन्द्रीय और राज्य सरकारें अन्शदान करेंगी। इस कोष पर एक ऐसे अधिकरण का नियंत्रण होगा जो इस प्रयोजन के लिए बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार की दुर्घटना से मरने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये और गंभीर रूप से घायल होने वाले को 1000 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएं। इस योजना को लागू करने के लिए, मोरयान अधिनियम के अध्ययन में संशोधन करके एक नई धारा 94-क जोड़ने की जरूरत है ताकि केन्द्रीय सरकार को एक सालटियम कोष बनाने और उसका नियंत्रण करने के लिए अधिकृत किया जा सके। इस तरह का संशोधन करने के लिए फिलहाल विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

3-अप/4 डाउन बम्बई-हावड़ा मेल में 3-टायर स्लीपर कोच क आवंटन

1911. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 3 अप/4 डाउन बम्बई-हावड़ा मेल बरास्ता इलाहाबाद एक 3-टायर स्लीपर कोच जोड़ने की जबलपुर में काम करने वाले देश के पूर्वी भाग के लोगों की मांग को पूरा करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) एक मिला-जुला डिब्बा जिसमें पहले दर्जे और दूसरे दर्जे का शयनयान है, प्रतिदिन तथा एक पहले दर्जे व दूसरे दर्जे का मिला-जुला डिब्बा सप्ताह में छः दिन 3 अप/4 डाउन बम्बई-हावड़ा मेल में जबलपुर तथा हावड़ा के बीच चलता है। रेल इन्जन की कर्षण क्षमता को देखते हुए, इन दोनों स्थलों के बीच किसी अतिरिक्त 3-टायर शयनयान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेश मंत्री की ब्रिटिश प्राधिकारियों से बातचीत

1912. **श्री टी० दामोदर रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में बसे भारतीयों को रंगभेद के आधार पर परेशान न करने के बारे में हाल ही में ब्रिटिश पदाधिकारियों से बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। मैंने अपनी हाल की यू० के० यात्रा के दौरान वहां बसे भारतीय समुदाय की समस्याओं के बारे में ब्रिटिश गृह मंत्री से बातचीत की थी।

(ख) मैंने यह आशा और विश्वास प्रकट किया कि यू० के० में बसे भारतीयों के अधिकारों के बारे में दिए गए आश्वासनों पर बिना किसी भेद-भाव के अमल किया जाएगा। भारत में रहने वाले यू० के० पासपोर्टधारियों के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। यह बातचीत उपयोगी रही।

सिलीगुड़ी में डीजल पी० ओ० एच० दुकान

1913. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री सुबोध सेन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलीगुड़ी जंकशन पर डीजल पी० ओ० एच० दुकान को बन्द किये जाने के विरुद्ध केन्द्रीय संगठनों से, जिनमें मान्यता प्राप्त नार्थ फ्रंन्टियर रेलवे मजदूर यूनियन, यू० सी० आर०, नार्थ फ्रंटियर रेलवे और अन्य प्रमुख नागरिक, एम० एल० ए० पश्चिम बंगाल सरकार तथा संसद सदस्य शामिल हैं, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे के हित में तथा पश्चिम बंगाल के आर्थिक हित को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा तुरन्त आदेश जारी करके इस विचार को त्यागने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्राप्त अभ्यावेदनों में मुख्यत: निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :

(i) आवधिक ओवरहाल के काम को अन्यत्र ले जाने के कारण, सिलीगुड़ी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम हो जायेंगी।

(ii) सिलीगुड़ी में नियोजित कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

(iii) पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र से कई कार्यालयों तथा संगठनों को अन्यत्र ले जाया जा रहा है।

(iv) सिलीगुड़ी शेड में कर्मचारियों ने विगत में अच्छा कार्य किया है, इसलिए आवधिक ओवरहाल का काम उन्हीं के द्वारा किया जाये।

(ग) आवधिक ओवरहाल (पी० ओ० एच०) का कार्य डीजल रेल इन्जनों की निर्धारित मरम्मत का कार्य है, जिसे निर्दिष्ट अन्तरालों पर किया जाता है। इस प्रकार की भारी मरम्मत का कार्य केवल केन्द्रीकृत कारखानों में ही किया जा सकता है, लोको शेडों में नहीं; क्योंकि वहां इस प्रकार की भारी मरम्मत के लिए सुविधाएं नहीं होतीं। विगत में कारखानों में डीजल रेल इन्जनों की आवधिक ओवरहाल की क्षमता के अभाव में, सिलागुड़ी सहित कुछ डीजल शेडों में आवधिक ओवरहाल का काम अस्थायी तौर पर किया जा रहा था। चूंकि अब केन्द्रीकृत कारखानों में इन सुविधाओं की व्यवस्था हो गयी है, इसलिए सिलीगुड़ी तथा अन्य डीजल लोको शेडों में आवधिक ओवरहाल का काम बन्द किया जा रहा है। इस कार्य को अन्यत्र ले जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न की जाये और सभी कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्यों में समाहित कर लिया जाये।

रेलों पर डीजल लोको आवधिक ओवरहाल की सुविधा की व्यवस्था अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, अलग-अलग क्षेत्रीय रेलों अथवा राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए नहीं। अजमेर में आवधिक ओवरहाल की सुविधा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों, जिनमें पश्चिम, उत्तर, पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर सीमा रेलें शामिल हैं, की सम्पूर्ण मीटर लाइन सम्बन्धी आवधिक ओवरहाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए है।

लोको शेडों में डीजल रेल इन्जनों की आवधिक ओवरहाल का कार्य जारी रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली के प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होना

1914. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के 20,000 अध्यापक अपने वेतन-मान का सर्वाधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो पदोन्नति के अवसर उपलब्ध न होने के कारण पिछले 26 वर्ष से वही वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिगुणसेन समिति ने प्रस्ताव किया था कि एक अध्यापक को अपने वेतनमान के अधिकतम वेतन तक पहुंचने में 10 वर्ष लगने चाहिए;

(ग) समिति की सिफारिश क्या है और इन सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दिल्ली प्राथमिक अध्यापकों के विभिन्न ग्रेड़ों के सम्बन्ध में पदोन्नति नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) डा० त्रिगुणसेन की अध्यक्षता में संसद सदस्यों की समिति ने अध्यापकों के लिए, सामान्य रूप से सिफारिशें कीं। अध्यापकों के स्तर के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफारिश की कि अध्यापन व्यवसाय की ओर अधिक अनुपात में उन प्रतिभाशाली युवा पुरुषों तथा महिलाओं को जो हर वर्ष स्कूल तथा विश्वविद्यालय से निकलते हैं, अर्पित करने तथा उन्हें समर्पित, उत्साही और संतुष्ट अध्यापक बनाये रखने के लिए सतत प्रयास करना जरूरी है। इन सिफारिशों में अध्यापकों के कार्यों तथा सेवा-शर्तों और परिलब्धियों में सुधार करने तथा व्यावसायिक उन्नति के पर्याप्त

अवसरों की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया है। भारत सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति (1968) अपनाई। राष्ट्रीय नीति में यह कहा गया है कि अध्यापकों की परिस्थितियों तथा अन्य सेवा शर्तें, उनकी अर्हताओं तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त तथा सन्तोषजनक होनी चाहिए। भारत सरकार ने अपनी ओर से सहकारी, स्थानीय निकायों और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों को संसोधित करके उन्हें बढ़ा दिया है।

(घ) दिल्ली नगर निगम में, हेडमास्टरों के पदों पर प्रोन्नति सहायक अध्यापकों में से शत-प्रतिशत आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में 440-750 रु०. के वेतनमान वाले प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों (सामान्य) के 42 प्रतिशत पद, दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में कार्यरत प्राइमरी अध्यापकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका के प्राइमरी स्कूलों में, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 75 प्रतिशत पद, ऐसे प्राइमरी अध्यापकों की विभागीय पदोन्नति के लिए आरक्षित होते हैं, जो प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।

तिलक नगर में दिल्ली के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग द्वारा छापे

1915. **श्री भीखा भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तिलक नगर में दिल्ली के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग द्वारा मारे गये छापों के सम्बन्ध में 30 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली से प्रकाशित एक हिन्दी पत्रिका "राष्ट्रीय छाया" के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि भविष्य में कर्मचारी/अधिकारी ऐसे भ्रष्ट कार्यों में शामिल न हों, क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ आरोप न होने के कारण दिल्ली प्रशासन ने कोई जांच नहीं करवाई है।

(ग) खाद्य पथार्दों के निरीक्षणों तथा नमूने भरने के काम की निगरानी सामान्यतया स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्कूल और कालेजों में अनिवार्य खेल प्रशिक्षण

1916. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य खेल प्रशिक्षण पर काफी चर्चा होने के बावजूद भारत में खेलों के सामान की खपत बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भगत की कोठी डीजल शेड

1917. **श्री अशोक गहलोत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भगत की कोठी डीजल शेड की रखरखाव क्षमता हाल में 50 इंजनों (डीजल इंजन) से बढ़कर 80 इंजन कर दी गई थी जिस पर इसके लिए तीन करोड़ रुपये खर्च किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो हाल में बड़ी संख्या में डीजल इंजनों को इस शेड से अन्य डिवीजनों में भेजे जाने तथा इस डीजल शेड में भाप इंजन भेजे जाने के क्या कारण हैं जबकि पानी और कोयले की भारी कमी के कारण इस क्षेत्र में समय-समय पर बहुतसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 40 से बढ़ाकर 80 रेल इंजन खड़े करने के लिए भगत की कोठी की डीजल शेड को विस्तृत करने के काम को 1.42 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत करके 1978-79 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया था । यह लागत बाद में बढ़ाकर 1.66 करोड़ रुपये कर दी गयी थी और मई, 1980 में इसे मंजूर किया गया था । यह काम प्रगति कर रहा है ।

(ख) उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे के बीच डीजल रेल इंजनों की निकासी की उत्तर-रेलवे निर्भरता को कम करने तथा दक्षिण मध्य रेलवे से कम निकासी के लिये दक्षिण रेलवे की क्षतिपूर्ति करने के लिए, अक्तूबर 1981 में उत्तर रेलवे से 8 बाई० डी० एम-4 रेल इंजन दक्षिण रेलवे को अन्तरित कर दिये गये हैं । पश्चिम रेलवे पर उपयोग में आ रहे रेल इंजनों के अन्तरण से इस शेड में कमी आ जायेगी ।

भगत की कोठी डीजल शेड को कोई भाप रेल इंजन अन्तरित नहीं किया गया था ।

उड़ीसा के लिए पृथक पुरातत्वीय सर्किल

1918. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से उड़ीसा के लिए एक पृथक पुरातत्वीय सर्किल खोले जाने के बारे में, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में हो, कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) उड़ीसा के स्मारकों के अनुरक्षण और रखरखाव के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार फिलाहल उड़ीसा के लिए पृथक सर्किल बनाना आवश्यक नहीं समझती।

(ग) स्मारकों की आवश्यकता के अनुसार उनके अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के मंदिरों, रत्नागिरि में उत्खनित पुरावशेषों, उदयगिरि की शैलकृत गुफाओं, जोगड़ा में अशोक के शिलालेख, चौरासी के वराही मांन्दर तथा कटक के बड़ाबाटी दुर्ग में किए गये मुख्य परिरक्षण कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है जो कुछ समय पूर्व ही किये गये हैं।

(घ) परिरक्षण कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है—स्मारकों के ढाचों को समेकित करके संरचनात्मक मरम्मत करना, बाहरी हिस्सों को जलरोधी बनाना, इमारत के उपकरणों का उपचार करना, स्मारकों के आवश्यक स्थलों पर परिरक्षी का प्रयोग करना और मुख्य स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों का भू-दृश्य-निर्माण द्वारा विकास करना।

राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता में (डाइरेक्टर) निदेशक के पद का भरा जाना

1919. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रंथालय, कलकत्ता के निदेशक का पद बहुत समय से खाली पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रायय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के निदेशक का पद 1 अक्तूबर, 1980 से खाली पड़ा है।

(ख) "सिलेक्शन" पद होने के कारण यह पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना है। किसी उपयुक्त व्यक्ति के न मिल सकने के कारण आयोग में भर्ती नियमों में कुछ संशोधन का सुझाव दिया है जिनकी जांच की जा रही है।

विकलांगों के हितों की रक्षा के लिये तथा सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए विधान

1920. श्री राजपाल सिंह कश्यप : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष में सरकार ने कितने विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी हैं;

(ख) 1981 के दौरान उन्हें कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विकलांगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कानून बनाने का है।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों में 984 विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

(ख) उनके वेतन के अतिरिक्त उन्हें और कोई वित्तीय सहायता देने की कोई योजना इस समय कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत कानून का सुझाव देने के लिए एक कार्यदल स्थापित किया गया है। कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

1921. श्री सज्जन कुमार : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक वर्ष दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वार्षिक ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं और ऐसी अस्वाभाविक मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सर्वेक्षण किया है।

(ख)	क्रम संख्या	वर्ष	घातक दुर्घटनाएं	मृतकों की संख्या
	1	1978	686	717
	2	1979	726	763
	3	1980	637	663
	4	1.1.81 से 15.11.81 तक	607	631

(ग) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे है :

(1) भीड़ के समय यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त लगाने की व्यवस्था कर दी गयी है। ताकि यातायात निर्बाध गति से हो सके।

(2) यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा हैं। दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए प्रात: काल और सायंकाल में 12 मोबाईल न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

(3) सड़क रोकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है ताकि उन्हें हटाकर सड़क प्रयोक्ताओं के लिए अधिक जगह उपलब्ध की जा सके।

(4) गाड़ी नहीं खड़ी के स्थानों पर गाड़ी खड़ी करने वालों और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके बाधा पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना तेज कर दिया गया है।

(5) यातायात के परिणाम को देखते हुए विभिन्न सड़कों पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए अधिकतम गति निर्दिष्ट कर दी गयी है।

(6) दिल्ली प्रशासन की एक अधिसूचना द्वारा सभी भारी गाड़ियों के लिए स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि गाड़ियों की स्पीड नियन्त्रित रहे।

(7) अधिक तेज गाड़ी चलाने, लापरवाही से और अंधाधुन्ध गाड़ी चलाने से रोकने के लिये, राडार के जरिए अक्सर चैकिंग की जाती है।

(8) रात को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने के लिये रात को विशेष चैकिंग की जा रही है।

(9) ड्राइवरों, स्कूली बच्चों, पैदल चलने वालों, कन्डक्टरों, ड्राइवरों को व्याख्यानों के जरिए, प्रदर्शिनी लगाकर, बैनरर्ज, इश्तहारों के वितरण करके, चित्रपट के जरिए सड़क सुरक्षा की शिक्षा दी जाती है । ट्रेफिक ट्रेनिंग पार्कों में स्कूली बच्चों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है । इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में सड़क यातायात नियमों के पालन की भावना पैदा करना है ।

क्रिकेट टेस्ट मैच के लिये टिकटों का वितरण

1922. **श्री अरविंद नेताम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिसम्बर, 1981 में आयोजित होने वाले ईडन गार्डन्स, कलकत्ता में भारत और एम० सी० सी० के बीच आगामी क्रिकेट टैस्ट मैच के लिए टिकटों के वितरण के लिए पर्यवेक्षक भेजने का है क्योंकि इस बारे में गत दो वर्षों में आम जनता से भारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ईडन गार्डन्स में बैठने की व्यवस्था 50,000 से बढ़ाकर 89,000तक करने के बावजूद गत दो वर्षों में क्लब का कोटा 2500 घटाकर 250से कर दिया है जिससे मोहन बगान, इस्ट बंगाल, मोहम्डन स्पोर्टिंग आदि बड़े क्लबों के क्रिकेट प्रेमी सदस्यों को भारी कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टिकटों के उचित वितरण के लिये एक समिति नियुक्त करने का है क्योंकि इसमें भारी राजस्व, विदेशी मुद्रा और जनता की भावना सम्बद्ध है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खेल प्रतियोगिता का वास्तविक आयोजन, जिसमें टिकटों की बिक्री/वितरण शामिल है, प्रतियोगिता के आयोजकों के क्षेत्राधिकार में आता है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । कलकत्ता में भारत तथा एम० सी० सी० के बीच होने वाले क्रिकेट टैस्ट मैच के लिए टिकटों के वितरण इत्यादि के सम्बन्ध में जनता से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए टिकटों के उचित वितरण के लिए पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त करने अथवा समिति के नियुक्त करने के प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय नौवहन और निगम के स्वामित्व में जहाज मालवाहक

1923. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में कितने मालवाहक जहाज हैं, जहाज खरीदे जाने का विचार है और ऐसे कितने जहाज आयात किए जायेंगे; और

(ग) ऐसे मालवाहक जहाजों को स्वदेश में ही निर्मित न बनाने के कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय नौवहन निगम के पास 147 मालवाही जहाज हैं जिनमें छह जहाज यात्री व माल के हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1981-83 की अवधि में भारतीय नौवहन निगम का प्रस्ताव 21 मालवाही जहाज प्राप्त करना/लिए आर्डर देना है। इसमें से 18 जहाज विदेशों से प्राप्त किए जाएंगे। भारतीय शिपयार्डों की क्षमता सीमित है और भारतीय नौवहन निगम की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के जहाज बनाने के लिए डिजायन भी कम हैं। संसाधनों की कमी और अन्य प्रकार के अभाव के कारण इस समय यह संभव नहीं है कि सभी प्रकार के जहाज देश में तैयार किए जाएं।

दरभंगा-जयनगर लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

1924. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा से जयनगर तक की मीटर गेज लाइन में बदलते से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य किस तारीख को शुरू हुआ था और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ख) उसकी उद्यतन प्रगति क्या है ?

(ग) इस योजना की संभावना पर निर्णय करने के लिये सरकार को किन-किन विभिन्न मुद्दों पर विचार करना है; और

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों का एक दल दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने और कुल मिलाकर परियोजना को सफल बनाने की दृष्टि से नेपाल की सीमा क्षेत्र की यात्रा करेगा; और यदि हां, तो जहां तक इस प्रस्तावित यात्रा का सम्बन्ध है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फील्ड में शीघ्र ही सर्वेक्षण-कार्य शुरू किया जायेगा और आशा है 1982 के अन्त तक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) कोई प्रगति नहीं।

(ग) दरभंगा-सकरी-जयनगर आमान परिवर्तन परियोजना की अर्थ-सक्षमता इस लाइन द्वारा सेवित क्षेत्र के आस-पास सरकार तथा निजी उद्यमियों द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

(घ) रेल अधिकारी परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से सम्बन्धित आंकड़े इकटठे करने तथा इसका वितीय मूल्यांकन करने के सीमित उद्देश्य से सम्भवत: केवल नेपाल का दौरा करेंगे। फील्ड में सर्वेक्षण-कार्य शुरू हो जाने के बाद ही नेपाल का दौरा किया जायेगा।

नि:शुल्क पास सुविधा को समाप्त किया जाना

1925. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने नि:शुल्क पासों और रियायती टिकटों की सुविधा को समाप्त कर दिया है, यदि हां, तो कब से ?

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) प्रारम्भ में यह सुविधा किन आधारों पर शुरू की गयी थी और अब उस पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल कर्मचारियों के सुविधा पासों/सुविधा टिकट आदेशों में कोई कमी नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जन स्वास्थ्य समस्या का अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य बोर्ड की स्थापना

1926. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन को तथा जन स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से स्वास्थ्य बोर्ड की स्थापना करने की शीघ्र आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रतिपादन किया जा रहा है । लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिये कई मंच मौजूद हैं जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् शामिल हैं । इसलिए एक स्वास्थ्य बोर्ड की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हावड़ा-अमटा लाईन

1927. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-आमटा रेलवे लाईन के संबंध में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ख) परिवहन योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याणमंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संतरागाछी-बड़गाछिया खंड पर पहले चरण का कार्य चल रहा है

और अभी तक इसमें लगभग 70% प्रगति हुई है। संसाधनों की समग्र तंगी के कारण अपेक्षित प्रगति बनाये रखने के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया जा सका। अब इस कार्य की गति को धीमा करना आवश्यक हो गया है।

(ख) यदि धनराशि और अपेक्षित रेल-पथ तथा शिरोपरि विद्युतीकरण सामान उपलब्ध हुआ, तो इस लाइन का कार्य 1984-85 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है।

रेलवे पुलिस बल

1928. डा० वसंत कुमार पण्डित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में चोरी, उठाईगीरी और इसी प्रकार के अन्य सभी अपराधों की रोकथाम के लिए रेलवे पुलिस दल का निर्धारण करने के लिए मानक नियम अथवा अनुपात क्या हैं ;

(ख) स्वतंत्रता से पूर्व रेलवे पुलिस बल का निर्धारण करने के लिये मानक नियम अथवा अनुपात क्या था ;

(ग) यदि कोई मानक था तो कब इसका पुनरावलोकन किया गया और किस समय तक किया गया ;

(घ) रेलवे पुलिस बल को बढ़ाने के लिये कौन से नये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ङ) कौन-कौन से राज्य रेलवे के लिये आवश्यक संख्या में पुलिस कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफल रहे; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर अपराधों की रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। राजकीय पुलिस की संख्या निर्धारित करने के मापदण्ड अथवा अनुपात राज्य सरकारों द्वारा तय किये जाते हैं जो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। जहां पर रेल सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, इसकी संख्या रेल सम्पत्ति तथा रेलों द्वारा बुक किये गये माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक निष्पादित की जाने वाली बीट ड्यूटियों के आधार पर की जाती है। पर्यवेक्षी कर्मचारियों की व्यवस्था मानक कम्पनी पैट्रन के अनुसार की जाती है।

(ख) जहां तक राजकीय रेलवे पुलिस का सम्बन्ध है, इसकी संख्या निर्धारित करने का मापदण्ड तथा अनुपात अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है। जहां तक रेल सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, यह 1957 में ही अस्तित्व में आया है।

(ग) जहां तक राजकीय रेलवे पुलिस का सम्बन्ध है, कुछ राज्यों ने इसकी 1980 में समीक्षा की थी और राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में 6018 व्यक्तियों की वृद्धि कर दी गयी है। कुछ राज्य अभी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जहां तक रेल सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, इसकी 1973 में समीक्षा की गयी थी और पर्यवेक्षण की किस्म में सुधार करने के लिए सम्पूर्ण बल का पुनर्गठन किया गया था।

(घ) जहां तक राजकीय रेलवे पुलिस का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहां तक रेल सुरक्षा बल का सम्बन्द्ध है, इस प्रयोजन के लिए गठित किये गये कार्यकारी दल ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) कोई नहीं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान

1929. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में केन्द्र से सीधे संबंध रखने वाले और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम से पुकारे जाने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या 1980-81 के दौरान कितनी थी और उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें विश्वविद्याल्यों द्वारा आवास सुविधायें प्रदान की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि के अनुदान अथवा मदवार सहायता दी गई तथा 1979-80 और 1980-81 के दौरान इन विश्वविद्यालयों द्वारा कितने अनुदान की मांग की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस समय देश में संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय चल रहे हैं।

(ख) विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों में दाखिल छात्रों की संख्या और जिन छात्रों को आवास सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की गई हैं उनकी संख्या निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	दाखिल छात्र (विश्वविद्यालय विभाग)	छात्रावास में रहने वाले छात्र
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	12,760	6,903
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	15,466	7,455
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	12,343	733
4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	3,336	1,799
5.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	881	195
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	524	157
7.	विश्व भारतीय	1,524	1,059

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा 1979-80 और 1980-81 के दौरान अनुदान मांगों से सम्बन्धित सूचना संकलित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

(क) अनुरक्षण अनुदान (योजनेत्तर)

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	1978-79	1979-80	1980-81
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	629.79	745.04	830.88
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	783.31	1001.95	1094.93
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	371.45	530.95	629.73
4.	जवाहर लालनेहरू विश्वविद्यालय	195.26	277.60	318.67
5.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	योजना गत दिया गया	99.60	117.62
6.	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	—वही—	82.17	92.90
7.	विश्व भारती	167.70	193.93	230.49

(ख) विकास अनुदान (योजनागत)

			मानविकीय	विज्ञान	इन्जीनियरी एवं प्रद्योगिकी	अन्य योजनाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम	1978-79	7.17	30.67	29.75	54.12
	विश्व-	1979-80	7.77	21.58	7.15	30.99
	विद्यालय	1980-81	11.39	13.23	24.24	99.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	बनारस हिन्दू	1978-79	11.78	36.93	101.39	232.53
	विश्व-	1979-80	5.73	31.45	28.61	89.69
	विद्यालय	1980-81	2.82	25.09	123.78	146.39
3.	दिल्ली	1978-79	21.49	22.04	22:04	2.81
	विश्व-	1979-80	19.70	33.93	2.50	39.40
	विद्यालय	1980-81	7.13	50.56	7.90	70.44
4.	जवाहरलाल	1978-79	2.81	3.43	—	98.68
	विश्व-	1979-80	18.04	39.30	—	27.63
	विद्यालय	1980-81	1.06	13.33	0.01	52·16
5.	हैदराबाद	1978-79	0.83	2.23	—	222·08
	विश्व-	1979-80	10.54	6.69	—	46.44
	विद्यालय	1980-81	5.50	6.30	—	79.71
6.	उत्तर-पूर्वी	1978-79	0.60	0.37	0.05	140.31
	पर्वतीय	1979-80	11.20	38.41	—	30.49
	विश्वविद्यालय	1980-81	13.52	43.76	—	33.60
7.	विश्व	1978-79	8.15	11.89	—	16.46
	भारती	1979-80	1.47	3.14	—	0.91
		1980-81	1.75	5.27	—	3.16

हजारीबाग और पलामू जिलों में रेल लाइन

1931. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पलामू-हजारीबाग जिला एक पिछड़ा जिला है, और वहां रेल सुविधा नहीं के बराबर है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने संसद की इस बात का आश्वासन दिया था कि गयाशर, घाटी, इमामगंज, परतापुर, हंटेरगंज और चतरा से पलामू तक रेल लाइन बिछा दी जाएगी;

(ग) क्या इसका सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हजारीबाग रोड रेल से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (ङ) गया से शेरघाटी, इमामगंज, परतापपुर, हंटेरगंज और चतरा के रास्ते डाल्टनगंज (पलामू) तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, रांची से हजारीबाग टाउन से कोडरमा से गिरिडीह तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने की मन्जूरी दी गयी है और सर्वेक्षण किया जा रहा है। जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और रिपोर्ट की जांच कर ली जायेगी, परियोजना के बारे में कोई निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

टिटनस-रोधी टीके की कमी

1931. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टिटनस-रोधी टीके की जबर्दस्त कमी है और यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान देश में कितने लोगों की टिटनस के कारण मृत्यु हो चुकी है और अकेले उत्तर प्रदेश में इसके कारण कितने बच्चों का मृत्यु हुई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं। देश में टेटनस टाक्साइड की कोई कमी नही है।

(ख) 1980 के दौरान टेटनस की 37,157 घटनाएं और 5,164 मौतें होने की सूचना मिली है। इनमें से उत्तर प्रदेश में 1980 के दौरान 12,479 घटनाएं और 5 0 मौतें होने की सूचना मिली है। किस-किस आयु के कितने-कितने व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हुए और मरे, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। टेटनस के प्रकोप को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को टेटनस टाक्साइड, छोटे बच्चों को डी० पी० टी०, स्कूल में दाखिल बच्चों को डी० टी० और 10 तथा 16 वर्ष के बच्चों को टेटनस टाक्साइड के टीके लगाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

खेल संगठनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1932. **श्री रासबिहारी बहेरा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न खेल संगठनों के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ख) क्या भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई;

(ग) क्या राज्य स्तर के खेल संगठन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ठीक ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन तथा राष्ट्रीय खेल संघों/ऐसोसिएशनों को इस मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1975 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रति राष्ट्रीय खेल नीति प्रारूप के अनुबन्ध III में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) भारतीय ओलम्पिक ऐसोसिएशन ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी भी संशोधन का सुझाव नहीं दिया था।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय खेल संघों/ऐसोसिएशनों को कहा गया था कि वे 1975 के मार्गदर्शी सिद्धांतों की, अपने राज्य स्तर के यूनिटों द्वारा कार्यान्वित किए जाने को भी सुनिश्चित करें। विभिन्न संघों के इन यूनिटों द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है, इस बारे में सूचना मंत्रालय को उपलब्ध नहीं है।

रायपुर स्टेशन पर तीन श्रमिकों की मृत्यु

1933. **श्री कँवर भूषण :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के रायपुर रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ढांचे के गिर जाने के फलस्वरूप तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को किसी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें मुआवजे का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाना

1934. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1-1-80 से 31-10-81 तक की अवधि के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए (वर्षवार और राज्यवार) कितनी राशि दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रौढ़ शिक्षा योजना कहां तक सफल अथवा असफल रही है और उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा डी० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 13-4-1980 को प्राप्त हुई थी। समिति का यह विचार था कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं और कमियां दोनों ही हैं और यह सुझाव दिया कि राज्य और जिला योजनाओं, वार्षिक योजनाओ को तैयार करने, अनुदेशकों के प्रशिक्षण और सभी प्राथमिकता वाले दलों द्वारा अधिकाधिक भाग लेने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

विवरण

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिये सरकार द्वारा दिये गये अनुदान		
		1-1-80 से 31-3-80 तक	1-4-80 से 31-3-81 तक	1-4-81 से 31-10-81 तक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.08	105.64	82.78
2.	असम	14.47	21.37	6.25

1	2	3	4	5
3.	बिहार	77.99	45.41	20.29
4.	गुजरात	13.59	96.68	70.26
5.	हरियाणा	1.37	33.61	12.69
6.	हिमाचल प्रदेश	1.25	4.11	8.49
7.	जम्मू तथा कशमीर	0.26	5.88	10.52
8.	कर्नाटक	63.25	33.30	16.45
9.	केरल	17.03	10.99	20.09
10	मध्य प्रदेश	5.88	28.56	80.78
11.	महाराष्ट्र	12.94	51.71	17.89
12.	मणिपुर	6.43	6.01	3.82
13.	मेघालय	2.62	15.81	15.57
14.	नागालैंड	0.57	9.33	10.17
15.	उड़ीसा	56.26	27.34	9.51
16.	पंजाब	1.38	2.76	1.94
17.	राजस्थान	9.62	41.55	9.15
18.	सिक्किम	—	4.31	2.51
19.	तमिलनाडु	12.09	67.75	61.52
20.	त्रिपुरा	0.48	14.92	14.99
21.	उत्तर प्रदेश	123.60	58.12	115.72
22.	पश्चिम बंगाल	2.67	79.40	23.51
23.	अरुणाचल प्रदेश	0.10	3.54	1.52
24.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	1.28	1.07
25.	चण्डीगढ़	0.18	1.01	1.22
26.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	0.49
27.	दिल्ली	1.74	8.20	7.93
28.	गोवा दमन और दीव	—	0.64	0.89
29.	लक्षद्वीप	—	0.65	0.85
30.	मिजोरम	3.83	1.78	1.47
31.	पांडिचेरी	0.13	5.52	3.28
	जोड़	432.81	787.18	633.62

भारत में पंजीकृत बेरोजगार नाविकों की संख्या

1935. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में, पंजीकृत नाविकों में से बेरोजगार नाविकों की पत्तन वार अद्यतन संख्या कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : नाविकों का रजिस्ट्रेशन केवल बम्बई और कलकत्ता में होता है। इन्हें रोस्टर प्रणाली के द्वारा सामान्यतः प्रत्येक यात्रा के लिए जहाज पर नियुक्त किया जाता है। इसलिए अगली यात्रा पर जाने के लिए इन्हें कुछ अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। आशा की जाती है कि कुल उपलब्ध स्थानों के 150 प्रतिशत तक नाविकों का रजिस्ट्रेशन करने से बिना अवधि इंतजार किए नाविकों को उचित मात्रा तक नौकरियां मिल जाती हैं। बम्बई और कलकत्ता में स्थिति इस प्रकार है :

पत्तन	कुल रजिस्टर्ड नाविकों की संख्या	नौकरियों की कुल संख्या
बम्बई	25,835	14,522
कलकत्ता	10,285	4,508

विभिन्न रेलवे जोनों में रद्द की गई सवारी गाड़ियों की संख्या

1936. श्री बी० डी० सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में इस समय रद्द की गई सवारी गाड़ियों की संख्या क्या है;

(ख) सवारी गाड़ियों के रद्द किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण सरकार को प्रतिदिन कितना घाटा होता है; और

(घ) क्या वह ऐसा आश्वासन देंगे कि भविष्य में सवारी गाड़ियां निर्धारित रूप से चलेंगी?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 30 नवम्बर, 1981 को कोयले की कमी के कारण 118 जोड़ी गाड़ियां रद्द पड़ी थीं।

(ग) इन गाड़ियों को रद्द करने के कारण आय में हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि गाड़ियों से हुई आय का अलग से हिसाब नहीं लगाया जाता।

(घ) सभी अनुसूचित गाड़ियों को चलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा लेकिन यह संसाधन की उपलब्धता पर आधारित होगा।

आई० आई० टी० के गैर अध्यापन कर्मचारियों के लिये पदोन्नति की योजना

1937. **श्री सुबोध सेन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आई० टी० के गैर अध्यापन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की योजना के बारे में सभी आई० आई० टी० कर्मचारियों को यूनियनों/एसोसियेशनों की सामान्य समिति द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन की जांच की जा रही है।

दुर्घटनाओं के बारे में दक्षिण पूर्व रेलवे मैन्स यूनियन खड़गपुर के प्रेसीडेन्ट द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

1938. **श्री सुधीर कुमार गिरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रेल दुर्घटनाओं के बारे में दक्षिण पूर्व रेलवे मैंस यूनियन, खड़गपुर के प्रेसीडेन्ट द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 1981 को दिया गया प्रेस वक्तव्य प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यूनियन द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) साउथ ईस्टर्न रेलवे मैन्स यूनियन के अध्यक्ष का एक प्रेस बयान प्राप्त हुआ है जो 16.7.81 की घोंगसरा तथा भंवरटोंक स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में है। इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा के आयुक्त, दक्षिण पूर्व सर्कल, कलकत्ता ने की है, जो पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकारी होता है।

रेल संरक्षा के आयुक्त द्वारा सांविधिक जांच किए जाने के कारण संसदीय समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच करने के लिए प्रेस बयान में की गयी मांग तर्कसंगत नहीं है।

रेल संरक्षा के आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट जिसकी प्रतिक्षा की जा रही है, प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। प्रेस बयान में दिये गए दो सुझाव, इस खंड में पुलों को सुधार करने तथा समूचे खंड में दोहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित हैं। पुलों की देख-रेख करना एक सतत प्रक्रिया है। दोहरी लाइन नहीं बिछायी जाती है जहां इसका औचित्य हो तथा ऐसा उसी सीमा तक किया जाता है, जिस सीमा तक संसाधन उपलब्ध हों।

आल इण्डिया फैडरेशन आफ सोशियल वेलफेयर एम्पलाईज एसोसियेशन का मांग-पत्र

1939. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया फैडरेशन आफ सोशियल वैलफेयर एम्पलाईज एसोसियेशन की ओर से 16 सूत्रीय मांग पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगो पर क्या कार्यवाही की गई है ।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्या मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समाज कल्याण मंत्रालय में कोई ऐसा मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात की नई रेल पटरियों की चोरी

1940. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स न्यू फैब्रीकेटर्स, त्रिची द्वारा रेलवे की इस्पात की नई पटरियों की चोरी की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस फर्म के भागीदारों के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो फर्म के भागीदारों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, । रेलों की पुरानी रेल पटरियों को मैसर्स न्यू स्टील फैब्रीकेटर्स यूनियन, मानापराई द्वारा गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखने के बारे में जांच की गयी है ।

(ख) 23-7-1981 को, हालीं हुई 15 रेल पटरियों के पैनल जिन्हें बदला गया था और जो तिरुमण्यम और चट्टीनाड-स्टेशनों के बीच पटरी के पास रखा गया था, लापता पाये गये थे । सूचना मिलने पर पूछताछ के दौरान 27-7-1981 को डिंडिगुल, मानापाई के एक श्री मुथालिफ के घर की तलाशी ली गयी थी और वहां से 2-4 मी० से 3-5 मी० तक की अलग-अलग लम्बाई की 15000 रुपये मूल्य की 48 रेल पटरियां बरामद की गयी थीं । श्री मुथालिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था । रेल सुरक्षा बल चौकी, डिंडीगुल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 से अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में और आगे जांच की गयी थी । इस मामले में जांच की जा रही थी तो श्री मुहम्मद यूसुफ, श्री अब्दुल अजीज और श्री नसवारुद्दीन ने अदालत से पूर्व-भासी जमानत करा ली, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था । उस लारी को भी जिसका उपयोग चोरी की रेल सम्पत्ति ले जाये जाने के लिए किया गया

था, जब्त कर लिया था और उसके ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सभी जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) न्यू स्टील फेब्रीकेटिंग यूनियन मानापराई को निम्नलिखित चार भागीदार संयुक्त रूप से चला रहे हैं :

1. श्री पी० मुथालिफ

2. श्री हाजी यूसुफ

3. श्री मुहम्मद यूसुफ

4. श्री दौरै सबस्टिन

ट्रेन क्लर्कों के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1941. **श्री आर०आर० भोले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में डी० आर० आर० एम० इज्जतनगर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ट्रेन क्लर्कों के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल इंजनों के बेकार पड़े फालतू पुर्जे

1942. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है उत्तर रेलवे ने डीजल और भाप इंजनों के लिए इस्पात और रबड़ को फिटिंग फालतू पुर्जे रोलिंग स्टाक के लिए ब्रेक ब्लाक और गीयर जैसी वस्तुएं आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना खरीदी थी तथा ये उत्तर रेलवे के विभिन्न डोपुओं में बेकार पड़ी हुई हैं।

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष के लिए उत्तर रेलवे को आवंटित लगभग सभी धनराशि खर्च की जा चुकी है यद्यपि अभी आधा वर्ष बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उन पर खरीदारियों की कोई जांच की गई है।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीयों कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। उत्तर रेलवे ने वजट आवंटनों के अनुपात से अधिक का भुगतान नहीं किया है। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अभी तक की गयी वचन-वद्धताएं सामान्य प्रयोजन भंडार के लिए आबंटित चालू वर्ष की कुल वजट राशि के समतुल्य है और इस प्रकार वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के दौरान सामान्य प्रयोजन भंडार की खरीद करने के लिए अतिरिक्त वचन-वद्धताओं को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे के पास धन नहीं बचा। अपितु सामिग्री को लागत में काफी वृद्धि हुई है जिससे उत्तर रेलवे को अतिरिक्त धनराशि के दिये जाने का औचित्य बन जाता है। इस मंत्रालय में सभी भारतीय रेलों के आधार पर इस बारे में एक प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज लाइन का बदला जाना

1943. श्री० के० एम० मधुकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज तक अथवा रक्सौल एत छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने को सरकार की घोषणा को क्रियान्वित करने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालयों तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे के सगौली के रास्ते मुजफ्फरपुर-रक्सोल मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियर एवं यातायात पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और रेल मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न निदेशालयों द्वारा परियोजना रिपोर्ट की पूरी तरह जांच कर लेने तथा योजना आयोग के साथ परामर्श कर लेने के बाद अन्तिम निर्णय लिया जायेगा जो रेलवे योजना के अधीन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

स्वीकृत सर्वेक्षण का कार्यक्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है और इसमें बेतिया के रास्ते सगौली से नरकटियागंज तक के खंड के आमान परिवर्तन का काम शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सर्वेक्षण कार्य जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा। रेलवे बोर्ड कार्यालय में परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इस परियोजना के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

कामकाजी महिलाओं के लिये बाल गृहों की स्थापना

1944. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार था कि कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टलों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिहायशी बस्तियों में तथा परियोजना स्थलों में बालगृह स्थापित किये जाए जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के पहले वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये तथा उसका क्या परिणाम निकला ।

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिशु केन्द्रों की स्थापना करने को बढ़ावा देने हेतु प्रचार किया गया था। यदि ऐसी श्रमजीवी महिलाओं की संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक है तो कानूनी उपबन्धों के अनुसार शिशु केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अनुपालन हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से यह भी अनुरोध किया है कि सज्यों में विभिन्न आवास बोर्डों, मकान निर्माण सहकारी संस्थाओं इत्यादि की अनुदेश जारी किए जाएं कि बनाए जाने वाले विभिन्न हाउसिंग कम्पलेक्सों में बाल कल्याण गतिविधियों, जिनमें शिशु केन्द्र शामिल हैं, के लिए व्यवस्था की जाए। समाज कल्याण मंत्रालय की सहायता से बनाए जाने वाले श्रमजीवी/महिला होस्टलों में शिशु केन्द्रों की व्यवस्था करने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्रालय गरीब, श्रमजीवी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशु केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देने के वास्ते केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को धनराशियां देता है। केवल इसी योजना के अन्तर्गत शिशु केन्द्र एककों की संख्या 1979-81 में 1971 से बढ़कर 1980-81 में 4398 हो गई है।

छात्रों के लिए विशेष बसों को रद्द किए जाने के कारण छात्रों के साथ हिंसात्मक झड़पें

1945. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** :यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा छात्रों की विशेष बसों को रद्द किए जाने के कारण हाल में छात्रों के साथ हिंसात्मक झड़पें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा बसें रद्द किए जाने के कारण कितनी बार हिंसात्मक झड़पें हुईं तथा बसों को पहुंचाई गई क्षति के कारण दिल्ली परिवहन निगम को कितनी हानि हुई; और

(ग) छात्रों के लिए तथा आम जनता के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में वृद्धि करने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) स्टूडेन्ट्स स्पेशल को समाप्त करने के कारण, कोई भी हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई हैं। दिल्ली परिवहन निगम के साथ विद्यार्थियों के मतभेद का सामान्य आधार अतिरिक्त बसों की आवश्यकता के बारे में उनके अनुमान, केवल विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी स्पेशल, बसों के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने के सामान्य नियम को न मानने को लेकर होता है। विद्यार्थियों द्वारा झड़पें और दिल्ली परिवहन निगम की बसों को रोकने की घटनाएं विभिन्न कारणों से होती हैं जो ऐसी भी होती हैं कि जिनका दिल्ली परिवहन निगम से दूर-दराज तक का भी सम्बन्ध नहीं होता। वर्ष 1979,1980 और जनवरी-अक्टूबर, 1981 तक विद्यार्थियों द्वारा बसों को रोकने की क्रमश: 51, 68 और 45 घटनाएं हुई। इससे क्रमश: 17,319 रुपये, 63,101 रुपये और 37,393 रुपये का क्रमश: नुकसान हुआ। बसों के रोकने से ट्रिप न होने के कारण आय में होने वाला नुकसान इसमें शामिल नहीं हैं।

(ग) विद्यार्थियों को साधारणत: शहर में चलने वाली बसों के अलावा, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, स्पेशल ट्रिपों की संख्या में वृद्धि, अपैक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार के ट्रिपों की संख्या 1979 में 742 से बढ़ाकर 1980 में 779 और 1981 में 940 की गयी।

दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों की संख्या 31 मार्च, 1979 की 2283 बसों से बढ़ाकर 31 मार्च, 1981 तक 2754 कर दी गयी। चालू वर्ष में दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों में 30 नवम्बर, 1982 तक 141 बसों की और वृद्धि की है।

उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

1946. **डा० कर्ण सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अध्ययन संस्थान, (इंस्टीट्यूट आफ एडवांसड स्टडीज) शिमला को दार्शनिक अध्ययन के बड़े केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार ने किस वैकल्पिक योजना का निर्णय किया है।

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पुनर्गठन तथा पुनः संरचना की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्कालरों के लिये राष्ट्रीय एसोसियेशनशिप योजना

1947. श्री कमल नाथ : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्कालरों के लिये एक नई योजना तीन वर्षीय राष्ट्रीय एसोसियेशनशिप आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं तथा उसमें कितनी-कितनी अवधि के लिए कितने स्कालरों को सम्मिलित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय एसोसिएटशिप्स योजना वर्ष 1971-72 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक दो प्रकार की एसोसिएटशिप्स प्रदान की गई, जिनमें से एक, एक वर्ष के लिए तथा दूसरी पांच वर्ष के लिए वैध थी। इस योजना के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक अथवा वैज्ञानिक अपनी रुचि की संस्थाओं में एक वर्ष में तीन महीने की अवधि तक के लिये जा सकते हैं तथा उनके कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। यदि वे संस्थाएं उनके मुख्यालयों से बाहर स्थित हैं तो उन्हें यात्रा व्यय के अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। पांच वर्ष की एसोसिएटाशिप के अन्तर्गत ऐसी तीन यात्राओं की अनुमति दी जाती है।

अक्तूबर, 1981 में आयोग ने इस योजना में एक मतभेद किया जिसके अनुसार वर्तमान पांच वर्ष की एसोसिएटशिप्स में से आधी को तीन वर्ष की एसोसिएटशिप्स में बदल दिया गया है। तीन वर्ष की इन एसोसिएटशिप्स में प्रत्येक में तीन-तीन महीने की दो यात्राओं की अनुमति है। इन एसोसिएटशिप्स के अन्तर्गत किसी भी समय उपलब्ध एसोसिएटशिप्स की संख्या इस प्रकार है :

(1) एक वर्षीय एसोसिएटशिप—100

(2) तीन वर्षीय एसोसिएटशिप—150

(3) पंचवर्षीय एसोसिएटशिप—150

एशियाई खेल-82 के लिए आयात किया गया खेल का सामान

1948. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल-82 के लिए खेल की कौन-कौन सी वस्तुएं विदेशों से आयात की गई हैं और प्रत्येक वस्तु पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उन फर्मों का ब्योरा क्या है जिनके द्वारा एशियाई खेल-82 के लिये खेलों का सामान आयात किया है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(विवरण)

क्र०सं०	खेल सामग्री का नाम	फर्म का विवरण	मात्रा	मूल्य (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	पोल वाल्ट के लिए क्रौस बार्स (अलम्यूनियम)	मैसर्स पोर्ट ए० पिट संयुक्त राज्य अमरीका	10	1,76,090·27
2.	ऊंची कूद के लिए क्रौस बार्स (अलम्यूनियम)	वही संयुक्त राज्य अमरीका	10	
3.	ऊंची कूद के लिए रैंडिंग मैट	वही	2	
4.	पोल वाल्ट के लिए रैंडिंग मैट	वही	2	
5.	स्टार्टिंग ब्लौक्स	मैसर्स कासपर बर्ग पश्चिमी जर्मनी	8 सैट	3,725·45
6.	फाइबर ग्लास पोल्स	मैसर्स ए०एम०एफ० इन्कारपोरेटेड, संयुक्त राज्य अमरीका	73	48,070·60
7.	मैटल पोल्स	मैसर्स पोर्ट ए० पिट संयुक्त राज्य अमरीका	48	18,974·10
8.	तीरंदाजी धनुष	मैसर्स डई यौंग स्पोटर्स कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया	12	12,970·48
9.	तीर	वही	200	
10.	टारगेट फेस पेपर	मैसर्स डई स्पोर्ट्स कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया.	500	

1	2	3	4	5
11.	होवा कोर्ट्स	मैसर्स रीइन्फोर्सड शटल काक लिमिटेड, लंदन	13	1,97,323·15
12.	नायलोन शटल काक्स	वही	400 दर्जन	
13.	बैडमिंटन रैकेट	योनैक्स ट्रेडिंग जापान	300	47,770·55
14.	बैडमिंटन शटल काक्स	पी०टी० फर्स्ट गरुड़ शटल काक उद्योग, इन्डोनेशिया	1000 दर्जन	1,25,391·57
15.	फाइवर ग्लास बैकबोर्ड, सीधे यंत्रों द्वारा परिचालित किया हुआ	मैसर्स स्क्रेनसेन कोसटियम उद्योग संयुक्त राज्य अमरीका	1 सैट	1,53,850·99
16.	रबड़ वाली बास्केट बाल्स	मैसर्स लचीकरा एंड कम्पनी, जापान	250	37,743·44
17.	गोल्फ बाक्स	मैसर्स डन्लप स्पोर्टस यू० के०	50 दर्जन	5,866·84
18.	संतुलन कड़ी	मैसर्स किसपेर वर्ग, डब्ल्यू० जर्मनी	3	77,161·33
19.	सुरक्षा पेट्टी	वही	6	
20.	वाल्टिंग हार्स	वही	1	
21.	वाल्टिंग हार्स विदाउट पोम्मिल	वही	1	
22.	अट्टैम्पोलाइन विथ कवर	वही	3	
23.	फ्री एक्र्सासाइज मैट्स	मैसर्स सर्नीगि, फ्रांस	1	2,57,087·11
24.	कुश्ती मैट्स	वही	2	
25.	भारोतोलन बैलट्स बैलट्स	मैसर्स याकं बारबेल्ल एण्ड क० यू० एस० ए०	12	29,030·65
26.	बारबेल्ल सैट	वही	3 सैट	
27.	एक्सट्रा विद कालर एण्ड स्लिवर्ज	वही	8 सैट	
28.	सुपर पावर रैक	वही	2	
29.	सैकण्ड हैण्ड एन्टर-प्राइज गिलास बोट्स	मिस्टर एलेन जॉन यू० के०	1	34,318·54
30.	सेल्स फार सी बर्ड	मैसर्स क्राक फिल्ड सेल्स, यू० के०	12	94,941·28

1	2	3	4	5	
31.	सौटगन कार्टरिजज नं० 7	मैसर्स दयनमित नोबेल, डब्ल्यू० जी०	7,000	22,469·00	
32.	पोलोरेड कैमरा	मैसर्स पोलोरेड फार ईस्ट, हांग कांग	5 सैट	33,216·59	
33.	विदेओं सैट्स	मैसर्स यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक, जापान	2 सैट	36,489·45	
34.	स्किन फोल्ड किलिपर	यू० के०	2	3,060·00	
35.	एरगोटेस्ट बाल्स पोर्स्ट	मैसर्स इरिच जेगिर डब्ल्यू०जी०	1	4,37,749·11	
36.	टेबल टेनिस बाल्स	निपान अक्कयु क० लिमिटेड, जापान	500 दर्जन		निःशुल्क उपहार
37.	टेबल टेनिस रैकेट्स	वही	50		
38.	टेबल टेनिस रिनसिविल रबर्स फार रैकेट्स	निपान टेक्कयु क० लिमिटेड, जापान	110		
39.	ट्रैक स्युट्स	निपान टेक्कयु क० लिमिटेड जापान	100 जोड़ें		निःशुल्क उपहार
40.	टेबल-टेनिस टी-शार्टस	वही	60		
41.	टेबल-टेनिस शार्टस	वही	30		
42.	थैले	वही	50		
43.	रैकेट केसिस	वही	50		
44.	जूते	वही	50 जोड़े		
45.	मोजे	वही	100 जोड़े		
46.	मिक्सा बाली बाल	मिक्सा जापान	250		निःशुल्क उपहार
47.	मिक्सा बास्केट-बाल	वही	250		
48.	मिक्सा हैन्डबाल	वही	250		
49.	मिक्सा वाटर पोलो बाल	वही	250		
50.	मिक्सा फुटबाल	वही	250		

एशियाई खेल-82 के सम्बन्ध में स्थायी निर्माण कार्यों पर व्यय

1949. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई खेल 82 के लिए परियोजनाओं पर कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत व्यय स्थाई उपयोग के निर्माण कार्यों पर किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वर्तमान अनुमानों के अनुसार, एशियाई 82 की परियोजना के कुल

परिव्यय का 73.10 प्रतिशत ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च किया जाएगा जिसकी उपयोगिता स्थायी होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए "नो बर्थ बोनस" योजना

1950. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ द्वारा प्रस्तावित योजना "नो वर्थ बोनस" के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

राजघाट स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण

1951. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट स्टेशन पर प्लेटफार्म के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) प्रस्ताव जिसमें मौजूदा स्टेबलिंग लाइन को अभ्यर्पित करने और इसे 29.88 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले एक अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु धन की कमी और तुलनात्मक प्राथमिकताओं के कारण इसे अभी तक निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इस स्टेशन पर पहले से ही 6 उच्च तल वाले प्लेटफार्म मौजूदा हैं।

परिवार नियोजन के लिए नई प्रोत्साहन योजना

1952. **श्री शिवचरण वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने की कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के सारे प्रश्न पर पुनः विचार किया जा रहा है।

प्राकृतिक शिक्षा संस्थानों को दिया गया सहायता अनुदान और उसकी कसौटी

1953. **श्री आर० पी० यादव** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अस्पतालों और कालेजों सहित प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को दिये गये सहायता अनुदानों का ब्योरा क्या है;

(ख) परिषद्/केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सा संगठन कालेज/संस्था/अस्पताल को किस मानदण्ड से अनुदान प्राप्त होता है; और

(ग) कितने संस्थानों ने इस मानदण्ड को हर प्रकार से पूरा किया अथवा क्या उसमें से किसी को छूट दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् प्रस्तावित अनुसंधान कार्य के स्वरूप और अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए होने वाले संभावित व्यय की जांच करने के बाद ही सभी अनुदान देती है।

(ग) जिन संस्थानों ने उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा किया है उनकी सूची अनुबंध-I पर देखें। परिषद ने इस विषय में कोई छूट नहीं दी है।

विवरण

क्रम सं०	संस्थान का नाम	1978-79	1979-80	1980-82
1	2	3	4	5
1.	गांधी प्राकृतिक चिकित्सा कालेज, बेगमपट, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	60,000	75,000	—

1	2	4	4	5
2.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, थम्माडापल्ली, वारांगल	16,000	28,800	20,342
3.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बेगमपट, हैदराबाद	40,000	71,376	—
4.	श्री छोडे अप्पारी प्राकृतिक चिकित्सालयम, काकीनाडा	14,000	25,200	17,620
5.	काकातीया प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बारांगल (आन्ध्र प्रदेश)	16,000	28,800	19,859
6.	कस्तूरबा प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, शिवरामपल्ली	10,000	18,000	13,095
7.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, विशाखापट्टनम्	12,000	21,600	14,688
8.	प्राकृतिक चिकित्सालयम्	—	28,800	17,550
9.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, गुड़पाह, आन्ध्र प्रदेश	10,000	18,000	11,483
10.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, राजगीर, नालन्दा, बिहार	8,000	14,322	10,099
11.	प्राकृतिक चिकित्सालय, रानीपत्र, बिहार	—	72,000	52,605
12.	श्री कृष्ण आदर्श प्राकृतिक चिकित्सालययम्, समालखा मण्डी, हरियाणा	9,010	19,233	9,578
13.	एस० डी० प्राकृतिक उपचार अस्पताल, अम्बाला कैण्ट, हरियाणा	14,000	25,200	15,033
14.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, पट्टिकल्याण, हरियाणा	18,637	36,000	16,982
15.	श्री बरकत राम विद्यावन्ती घई, धर्मार्थ न्यास, जम्मू	8,000	14,400	9,245
16.	प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, जयनगर, बंगलोर	16,000	28,800	21,445

1	2	3	4	5
17.	प्राकृतिक चिकित्सालय, बापूनगर, जयपुर	7,120	14,154 1,916	9,724
18.	राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, गंगशहर रोड, बीकानेर (राजस्थान)	19,933	35,094	21,550
19.	अखिल भारत मानव सत्संग मण्डल, बरेली	30,000	54,000	14,069
20.	जीवन प्राकृतिक चिकित्सालय, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	4,000	7,200	5,400
21.	नेशनल कालेज ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड रिसर्च, खिर-बेंक कालोनी, लखनऊ	—	38,000	1,07665
22.	अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, दिल्ली	—	10,000	—
23.	प्राकृतिक चिकित्सा मन्दिर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	—	18,000	—
24.	शांतिकुटी प्राकृतिक चिकित्सालयम्, वर्दा, महाराष्ट्र	—	32,462*	11,820
	कुल	3, 2,700	7,36,312	4,19,852

*1978-79 के लिए अनुदान 1979-80 में दिया गया 12,000 रुपये।

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सामग्री की कमी

1954. श्री निहाल सिंह :
श्री सुधार कुमार गिरी :
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात, सीमेंट और बिटुमन नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप उन राज्यों में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्योरा क्या है जिनमें सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य रुक गया है; और

(ग) उस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) इस मंत्रालय का सम्बन्ध केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य केन्द्रीय सड़क/पुल कार्यों से है। देश में बिटुमन, सीमेंट और इस्पात का सामान्य रूप से अभाव है। इसके कारण, राज्यों को सड़कें और पुल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इस सामग्री के प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कभी-कभी रेलवे वैगनों की कमी आदि से परिवहन साधनों के अभाव में भी इस सामान की कमी हो जाती है।

(ख) इस तरह की रिपोर्ट किसी भी राज्य से प्राप्त नहीं हुई है कि सड़कों और पुलों के निर्माण का काम ठप्प पड़ गया है।

(ग) सड़क और पुल कार्यों में इस सामग्री की कमी के कारण जब कभी रुकावट पैदा हो जाने की सूचना राज्य सरकारों से मिलती है तो संबंधित मंत्रालयों से जैसे कि सीमेंट के मामले में उद्योग मंत्रालय से, इस्पात के लिए इस्पात और खान मंत्रालय से और बिटुमन के लिए पैट्रोलियम और कैमिकल मंत्रालय से लिखा/पढ़ी की जाती है। इस तरह देश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अपेक्षित सीमेंट, स्टील और बिटुमन अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों की सहायता कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का योगदान

1955. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिए विश्व निकाय संयुक्त राष्ट्रय संघ का व्यय तथा वर्ष 1982-83 का बजट क्या है;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत का क्या योगदान है;

(ग) क्या भारत को संयुक्त राष्ट्रय संघ की बजट समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) संयुक्त राष्ट्र महा सभा के संकल्प 35/226 के भाग (ग) के अनुसार वर्ष 1981 के लिए संयुक्त राष्ट्र का व्यय 715,254,600 अमरीकी डालर है। 1982-83 के दो वर्षों के लिए प्रस्तावित बजट प्राक्कलन 1,251,382,100 अमरीकी डालर है।

(ख) 1981 में संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत का अंशदान 3000,638.00 अमरीकी डालर अर्थात लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपये है।

(ग) महासभा की पांचवी (बजट और वित्तीय) समिति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के साथ-साथ भारत का भी प्रतिनिधित्व है लेकिन प्रशासन और बजट विषयक परामर्शी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में 'पायलट कम्प्यूटर' अध्ययन

1956. **श्री जनार्दन पुजारी :**
श्री नारायण चौबे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर रेलवे में 'पायलट कम्प्यूटर' अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस अध्ययन के विषय तथा क्षमता के बारे में प्रश्न उठाए हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई;

(ङ) क्या रेलवे के एक दल ने कम्प्यूटर प्रणाली का अध्ययन करने तथा भारतीय रेल में उसको अपनाने की संभाव्यता मा मूल्यांकन करने के लिए कुछ विदेशी रष्ट्रों का दौरा किया है;

(च) यदि हां, तो जिन देशों का दौरा किया गया है उसके नाम क्या हैं;

(छ) क्या उसके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन का प्रथम चरण पूरा हो गया है जिसके दौरान मालभाड़ा परिचालन प्रबन्ध प्रणाली के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताएं निर्धारित की गयी हैं। इस समय डिजाइन और इंजीनियरी प्रणाली के सम्बन्ध में अध्ययन का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) विश्व बैंक ने उत्तर रेलवे पर शुरू की गयी पायलट परियोजना के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में केवल स्पष्टीकरण मांगे हैं

(ङ) दल 23 नवम्बर, 1981 से अध्ययन करने के लिए पांच सप्ताह के दौरे पर है।

(च) यह दल फ्रांस में एस० एन० सी० एफ० फेडरेल रिपब्लिक आफ जर्मनी में डी० बी०, ब्रिटिश रेल, कनैडियन नेशनल रेलवे सिस्टम और अमरीका में दक्षिण प्रशान्त रेलरोडस का दौरा कर रहा है।

(छ) अध्ययन पूरा होने के बाद ही दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

नई लाइनों का सर्वेक्षण

1957. आचार्य भगवान देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेल लाइनों की संख्या क्या है जिनका वर्ष 1981-81 में सर्वेक्षण किया गया तथा चालू वर्ष में अब तक सर्वेक्षण किया गया है और उन रेलवे लाइनों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनका सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है; और

(ख) जिन रेल लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है उनके संबंध में आगे की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)	1980-81	1981-82
(1) नयी लाइनों के लिए स्वीकार किये गये सर्वेक्षणों की संख्या	7	23
(2) नयी लाइनों के पूरे हो चुके सर्वेक्षणों की संख्या	5	9

पूरे हो चुके सर्वेक्षणों के नाम प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिये गए हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) की मद (2) में उल्लिखित सर्वेक्षणों के संबंध में दी गयी कार्यवाही का ब्यौरा :

वर्ष	पूरे हो चुके सर्वेक्षण का नाम	की गयी कार्यवायी
1980-81	1. कौंच-जालम (म० रे०)	प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।
	2. जवज-नामखाना (पू० रे०)	नयी लाइन परियोजना की 1981-82 की अनुदान की पूरक मांगों में शामिल कर लिया गया था। योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर किया जाएगा।
	3. मदीही-बावतपुर (उ० रे०)	प्रस्ताव को छोड़कर दिया गया।
	4. मानिकगढ़-चन्दूर (द० म० रे०)	परियोजना अनुमोदित कर दी गयी और निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया।

	5. कोरापुट-रायगडा (द० पू० रे०)	परियोजना को अनुदान की पूरक मांगों 1981-82 में शामिल कर लिया गया था और निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
1981-82	1. ललितपुर-शिगंरोली (म० रे०)	फिलहाज, प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।
	2. जम्मू-ऊधमपुर (उ० रे०)	1981-82 की अनुदान की पूरक मांगों में परियोजना को शामिल कर लिया गया था। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
	3. नंगलडैम-तलवाड़ा (उ० रे०)	1981-82 की अनुदान की पूरक मांगों में परियोजना को शामिल कर लिया गया था। योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर निर्णय कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।
	4. कालका-परवानू (उ० रे०)	फिलहाल प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है।
	5. ब्यास-गौंदवाल साहिब(उ०रे०)	—यथोक्त—
	6. दौराम-माधेपुरा से सिंधेश्वर अस्थान (पू० रे०)	—यथोक्त—
	7. कुट्टिपुरम्-त्रिचूर (द० रे०)	—यथोक्त—
	8. अलेप्पी-काथमकुलम (द० रे०)	—यथोक्त—
	9. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग (द० रे०)	1981-82 की अनुदान की पूरक मांगों में परियोजना को शामिल कर लिया गया था। योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

मनखुर्द-वाशी-बेलापुर परियोजना

1958. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मनखुर्द-वाशी-बेलापुर रेल परियोजना (महाराष्ट्र) को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रेल लिंक का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है और सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसे पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस परियोजना को कब हाथ में लेने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अक्टूबर, 1980 में ।

(घ) यह परियोजना, जिस पर 76 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, छः वर्ष में पूरी हो जाएगी ।

(ङ) रेल मंत्रालय ने पहले से ही इस परियोजना के लिए योजना आयोग को शिफारिश की हुई है । उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

चलती गाड़ियों में अप्राधिकृत विक्रेता

1959. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्राधिकृत विक्रेता चलती गाड़ियों में खाने की घटिया चीजें बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) चलती गाड़ियों में अप्राधिकृत विक्रेताओं को चीजें बेचने से रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) 35,585 व्यक्ति पकड़े गये थे और अनधिकृत फेरी वालों से दंड के रूप में 2,06,672 रु० 50 पैसे की राशि वसूल की गयी थी ।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा गाड़ियों में और स्टेशनों पर फेरी वालों की बुराई की रोकथाम के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है । स्टेशन परिसरों में फेरी वालों के प्रवेश को रोकने के लिए तथा उन्हें स्टेशनों व गाड़ियों से निकालने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष अभियान चलाये जाते हैं । अनधिकृत फेरी वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम, 1980 की धाराओं के अनुसार भी कार्यवाही की जाती है ।

तुपकाडो-तलगोरिया लाइन

1960. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना को पूरा करने के संभावित कार्यक्रत सहित मारफारो के पास दक्षिण पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत तुपकाडो तलगोरिया रेल लाइन के बिछाने में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इसका प्रयोग केवल सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा अथवा इसके द्वारा यात्रियों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी, तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस नई लाइन को बिछाने के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यदि हां, तो भूमि देने वाले व्यक्तियों को नौकरी देने तथा मुआवजे के भुगतान संबंधी दी गयी सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे की तालगडिया-तुपकाडीह नयी लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रथम चरण के रूप में तुपकाडीह छोर से 16.7 कि० मी० लम्बे खंड का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है क्योंकि बोकारो इस्पात प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी थी और अधिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस खंड पर अब तक की काम की समग्र प्रगति लगभग 30% है। आवश्यक भूमि पर कब्जा प्राप्त करने में कठिनाई के कारण शेष भाग (16 कि० मी०) का काम आरम्भ करने में विलम्ब हो गया। भूमि के शीघ्रअधिग्रहण के लिए राज्य सरकार कदम उठा चुकी है। आशा है कि इस लाइन का निर्माण कार्य 1983-84 तक पूरा हो जाएगा बशर्ते कि शेष भूमि शीघ्र सौंप दी जाय और अगले दो वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध होता रहे।

(ख) प्राथमिक रूप से यह लाइन माल यातायात के लिए बनाई जा रही है और तदनुसार इसका निर्माण किया जा रहा है।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किया जा चुका है कि बोकारो इस्पात प्राधिकारियों द्वारा सहमत अन्तरित की जाने वाली अधिकांश भूमि को रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें शामिल 283,05 एकड़ प्राइवेट भूमि में से 177,17 एकड़ पर कब्जा कर लिया गया है। शेष प्राइवेट भूमि और 88.70 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। जहां तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का संबंध है, जिसका विवरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, रेलवे ने अब तक 20 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी है। श्रमिकों में से लगभग आधे श्रमिकों की भरती स्थानीय व्यक्तियों में से की गयी है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार या रेलवे श्रमिक के रूप में नियुक्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया गया है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

धनबाद के लिए टिकटों की बिक्री पठारडोह यात्री गाड़ियां

1961. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1981 के महीनों में धनवाद मुजाफरी तथा धनवाद पठारडोह यात्री गाड़ी में प्रति ट्रिप तथा प्रतिदिन के हिसाब से टिकटों को औसत बिक्री क्या है;

(ख) इन गाड़ियों का प्रति ट्रिप तथा प्रतिदिन के हिसाब से औसत खर्च कितना है;

(ग) इन दो गाड़ियों में जितने बल्बों, पंखों, पानी के नलों की व्यवस्था की गई है उनकी संख्या कितनी है और उनमें से कितने वास्तव में काम कर रहे हैं, धनवाद की इन दोनों गाड़ियों में प्रदान की गई सेवाओं के तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन दोनों गाड़ियों की सेवा में सुधार करने की काफी गुंजाइश है ताकि कोयला क्षेत्रों में इनका प्रयोग परिवहन के प्रमुख तरीके के रूप में किया जा सके जहां सड़कों के धंसने तथा उसके नीचे से आग लगने का खतरा बना रहता है। यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) क्या इन गाड़ियों के एक और ट्रिप की मांग की गई है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) धनवाद-मुजाफरी (चन्द्रपुर) सवारी गाड़ी :

प्रति फेरा	961 रु०
प्रति दिन	3850 रु०

धनबाद-पाथरडोह सवारी गाड़ी :

प्रति फेरा	369 रु०
प्रति दिन	1478 रु०

(ख) अलग-अलग गाड़ियों के खर्च का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता, बहरहाल, थोड़ी दूरी को सभी सवारी गाड़ियां घन्टे में चलती हैं।

(ग) धनबाद-मुजाफरी (चन्द्रपुर) गाड़ी में 117 बत्तियों, 77 पंखों और पानी की 33 टूटियों की व्यवस्था की गयी है, जिनमें से 84 बत्तियां, 58 पंखे और पानी की 30 टूटियां ठीक से काम कर रही हैं।

धनवाद-पाथरडोह गाड़ी में 123 बत्तियों, 53 पंखों और पानी की 32 टूटियों की व्यवस्था की गयी है, जिनमें से 78 बत्तियां, 53 पंखे और पानी की 31 टूटियां ठीक से काम कर रही हैं।

सवारी डिब्बों से फिटिंगों की लगातार चोरी होती रही है।

(घ) जी नहीं। वर्तमान गाड़ियों में उपलब्ध स्थान का पूरी तरह उपयोग नहीं होता।

(ङ) अतिरिक्त गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे कोयले के संचलन पर प्रभाव पड़ेगा।

कलुपाठन तथा अम्बोना के बीच 'हाल्ट स्टेशन'

1962. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें रेलवे में धनबाद (बिहार) के सिरसा खंड की पिदराहट पंचायत के आदिवासी गांव एलकन्द के सामने पूर्व कलुपाठन और अम्बोना के बीच एक 'हाल्ट स्टेशन' की लम्बे समय से चलती रही जनता की मांग की जानकारी है, यदि हां, तो यात्री गाड़ियों के बारे में तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे लाइन के पास एक कमरे का ढांचा मौजूद है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के लोगों का विचार इस 'हाल्ट स्टेशन' की व्यवस्था कराने के लिए आन्दोलन करने का है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव उनकी मांग पर विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) कि० मी० 250/11 पर केवल एक परित्यक्त गेट-लाज है जिस पर कोई छत नहीं है।

(ग) इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) इस प्रस्ताव पर कई बार विचार किया गया है, लेकिन परिचालनिक और इंजीनियरी दृष्टि से इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

पांडू में रेलवे की भूमि का खाली कराया जाना

1964. श्री अजय विश्वास :

श्री आनन्द पाठक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांडू में रेलवे की भूमि पर 1947 से बसे लोगों को हटाए जाने के सम्बन्ध में गोहाटी निगम के एक पार्षद के 25 अगस्त, 1981 के एक तार सहित एक संसद सदस्य का 27 अगस्त, 1981 का एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इसमें शिलांग रोड, पांडू माली गांव पर बसे लोगों को उस समय तक बेदखल न करने का प्रमुख कुछ उठाया गया था, जबकि उन्हें रहने के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है ।

(ग) अतिक्रमणकर्ताओं के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी मूल रूप से राज्य सरकार की है न कि रेलों की । फिर भी, इस समस्या के निदान के लिए, रेलों ने उनकी भूमि के कुछ क्षेत्रों को छोड़ने की पेशकश की है, वशर्ते कि राज्य सरकार नियमों के अनुसार चालू बाजार मूल्य पर इस प्रकार छोड़ी गयी भूमि की लागत का रेलवे को भुगतान करें ।

राष्ट्रीय एकता सम्वर्धन के लिये गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

1965. **श्री निहाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता के सम्वर्धन में लगे हुए देश के उन पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें केन्द्र से अनुदान प्राप्त होता है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी राशि का अनुदान दिया गया ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों को 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय एकता के विकास के लिये संस्वीकृत अनुदान :

क्रम संख्या	स्वैच्छिक संगठनों के नाम तथा पते	वर्ष तक राशि	
		1979-80 रुपए	1980-81 रुपए
(क) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग)			
1.	महात्मा-गांधी सेवाग्राम, जाउरा, जिला मुरैना (म० प्र०)	30,000	63,750

क्रम संख्या	स्वैच्छिक संगठनों के नाम तथा पते	वर्ष तथा राशि	
		1979-80 रुपए	1980-81 रुपए
2.	बंगाल ऐसोसिएशन वंग भवन, नई दिल्ली	4,000	5,000
3.	भारतीय यूथ-होस्टल एसोसिएशन चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	...	42,000
4.	अखिल भारतीय इन्टर मैडिकल कालेजिएट यूथ, फैस्टिवल औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	...	10,000
5.	श्री अरविन्द शिक्षा सोसायटी, नई दिल्ली	...	11,250
6.	गोआ यूथ यूनियन, गोआ	752	...
7.	राष्ट्रीय लोक कल्याण परिषद, जयपुर (राजस्थान)	7,500	...
8.	भारतीय लोक सेवा परिषद, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	2,000	...
9.	युवक कल्याण संस्थान, सदर, नागपुर (महाराष्ट्र)	6,000	...
10.	ग्राम विकास संगठन, मणिपुर	2,500	...
	(ख) गृह-मंत्रालय		
1.	भारतीय यूथ होस्टल ऐसोसिएशन, नई दिल्ली	2,500	...
2.	अंजुमन सायर-ए-गुल फरोशन, नई दिल्ली	2,500	2,500
3.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	3,000	...
4.	बजाली प्रगति संघ, कामरूप, असम	1,000	1,000
5.	डा० राजेन्द्र प्रसाद पुस्तकालय तथा वाचनालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	...	2,000
6.	फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक समिति, नई दिल्ली	...	25,000

सिलीगुड़ी में उपरि पुल

1966. **श्री पीयूष तिस्की** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से चली आ रही निम्न मांगों को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है :

(क) सिलीगुड़ी टाउन, अलीपुरद्वार (असम गली), कामाख्या गुड़ी, अलगांव लेवल क्रौसिंग और पंचग्राम में सड़क उपरि पुल;

(ख) तिनसुकिया होकर गौहाटी से डिब्रूगढ़ तक के रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदलना और किस समय तक यह कार्य पूरा होगा तथा क्या बरौनी-कटिहार सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य 1982 के अन्त तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) नया अलीपुरद्वार के लिए लम्बी दूरी की गाड़ी के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाना ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वित्तीय राहत के लिये सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र

1967. **श्री एस० मुरुगैयन** :
श्री चतुर्भुज :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं० एफ० (3) III-77 पी० एफ० 78 दिनांक 20-9-81 के अन्तर्गत वित्तीय राहत पाने के लिए निर्धारित फार्म में ऐसे लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे जो 1-4-67 और 31-3-1980 के बीच रेलवे सेवा से सेवानिवृत्त हो गये थे तथा उन्होंने भविष्य निधि को अपनी पूरी राशि ले ली थी;

(ख) यदि हां, तो मध्य/पश्चिमी रेलवे के सेवा निवृत्त कर्मचारियों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और कब तक कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं। चाहे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे, अभी तक मध्य रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों से 247 आवेदन पत्र और पश्चिम रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों से 20 आवेदन पत्र कुछ तदर्थ राहत देने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) 1-4-57 को अथवा उसके बाद अंशदायी भविष्य निधि योजना के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों को कुछ तदर्थ राहत दिये जाने की मांग पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शन योजना

1968. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम में पर्याप्त सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों में परिवार कल्याण संदेशों के प्रसार के लिए ग्राम स्वास्थ्य मार्ग-दर्शन योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां। चालू वर्ष में अक्टूबर, 1981 तक 11 लाख नसबंदी आपरेशन किए गए और 3.4 लाख अन्तर्गर्भाशयी गर्भ-निरोधक पहनाये गये। उनमें 1980-81 की इसी अवधि के मुकाबले क्रमश: 16.3 प्रतिशत और 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना जो अब पूर्णतया केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाई जायेगी, के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य गाइड जो ज्यादातर महिलायें ही होंगी, प्रत्येक दम्पत्ति को जानकारी देने के लिये जिम्मेदार होंगी तथा वे लोगों के घरों पर जाकर उन्हें नान-क्लिनिकल तरीकों के लिये सामग्री प्रदान करेंगी।

मंगलूर बंदरगाह से मत्स्य चूर्ण का निर्यात करने के लिए जलयान

1969. श्री जनार्दन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंगलूर से यूरोप में ब्रेमन और एण्टवर्प बंदरगाहों को मत्स्य चूर्ण निर्यात करने की पर्याप्त गुंजाइश है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि वस्तु की किस्म को ध्यान में रखते हुए मंगलूर बंदरगाह पर आने वाले जहाजों में इस वस्तु की सामान्य स्थिति में मुश्किल से ही जगह मिल पाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या अक्टूबर-अप्रैल, महीनों के दौरान जबकि व्यस्त मौसम होता है, एक महीने में कम से कम एक जलयान उपलब्ध कराये जाने के बारे में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) यह पता चला है कि यूरोपीय पत्तनों को मंगलौर पत्तन से मत्स्य चूर्ण निर्यात होते रहने की कुछ-कुछ संभावना है। लेकिन, यहां माल लगभग 100-100 टन के खेप में प्राप्त होता है जिसमें लागत काफी आती है। इस पत्तन से भेजे जाने वाले चाय, काजू, इलायची, मसाले आदि जैसी चीजों की तुलना में इस माल को भंडार कर रखने में कठिनाई आती है। अगर मत्स्य चूर्ण को कंटेनर में भेजा जाए तब इसको भंडार कर रखने में कोई कठिनाई नहीं आती है। यह भी पता चला है कि हाल में मंगलौर पत्तन से मत्स्य चूर्ण का निर्यात करने के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गयी है। अगर यह माल भारी परिमाण में जहाज से भेजा जाए तब भारतीय जहाजी कंपनियां जहाजों में पर्याप्त जगह दे सकती हैं व जहाज की व्यवस्था कर सकती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित पोलियो निरोधक, नया टीका

1970. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा पोलियो निरोधक कोई नया टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े पैमाने पर इस टीके के उपयोग की क्या सम्भावना है; और

(घ) इसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के धन का निर्धारण

1971. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वार्षिक और छठी योजना में जनजातीय उप योजना क्षेत्रों के लिए धन की मात्रा निर्धारित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है और राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गयी है;

(ग) इस मंत्रालय द्वारा विशेषकर जनजाति क्षेत्रों के लिए धनराशि की मात्रा निर्धारित करने का क्या मापदण्ड अपनाया गया है;

(घ) इस मंत्रालय द्वारा जनजाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास के संबंध में जारी किए राज्यों को, मार्गदर्शन यदि कोई है, तो वे क्या हैं; और

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा छठी योजना और वार्षिक योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अधीन जनजाति क्षेत्र के लिए निर्धारित की गयी धनराशि कितनी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह): (क) से (ग) संभवतः सदस्य महोदय जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास का उल्लेख कर रहे हैं। संवैधानिक तौर से, केन्द्रीय सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित सड़कों के लिए ही जिम्मेदार है जो जनजातीय क्षेत्र से भी गुजरती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार कुछ चुनी हुई राज्य सड़कों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जैसे अंतर्राज्यीय व महत्व की राज्य सड़कें, जो जन-जातीय क्षेत्र में भी हो सकती हैं। इसलिए, केन्द्रीय सैक्टर सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई अलग से जनजातीय उपयोजना तैयार नहीं की गयी है, और बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग तथा केन्द्रीय सैक्टर की अन्य सड़कें जन-जातीय क्षेत्रों से भी गुजरती हैं। अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 693 करोड़ रुपये के कुछ परिव्यय में से 1980-85 की योजना अवधि में 75 करोड़ रुपये जनजातीय क्षेत्रों में इन सड़कों पर खर्च करने का प्रस्ताव है। अब तक किया खर्च इस प्रकार है ?

वर्ष	केन्द्रीय सैक्टर सड़क योजनाओं पर खर्च का अंश जो जनजातीय क्षेत्रों में किया गया
178-799	.108
179-809	.508
1980-81	3.501

इसके अलावा, छठी योजना के केन्द्रीय सैक्टर सड़क कार्यक्रम के अधीन 6.5 करोड़ रुपये का अलग प्रावधान किया गया है ताकि जो जनजातीय क्षेत्र राज्य या केन्द्रीय सैक्टर प्रायोजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते, वहां पर चुनी हुई सड़कों पर खर्च करने के लिए सहायता दी जा सके।

(घ) सड़कों के लिए राज्यों को अपनी जनजातीय उपयोजनाएं तैयार करने में एक समान पद्धति अपनाने के लिए सभी राज्यों को 1977 में सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धातों की प्रति संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3013/81)

(ङ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के लिए धन का निर्धारण करते हैं।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक की नियुक्ति के नियम

1972. श्री चिंतामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक पद नियुक्ति के नियम बनाये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी और यदि नहीं, तो नियमों को अब तक क्यों नहीं बनाया गया और अधिसूचित किया गया;

(ग) क्या इस समय यह पद रिक्त पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस प्रकार भरा जायेगा और उसके पदधारी के चयन में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के भर्ती नियमों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार के उप सलाहकार (होम्योपैथी) अपने कर्तव्यों के अलावा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के वर्तमान कार्यों को भी देख रहे हैं।

(घ) परिषद के निदेशक के पद पर नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश तथा परिषद् के नियमों और विनियमों तथा उप-नियमों के अनुसार जल्दी ही की जाएगी।

विवरण

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए भर्ती नियम।

1. पद का नाम	निदेशक (मुख्यालय)
2. पदों की संख्या	1
3. वर्गीकरण	समूह 'क'
4. वेतनमान	1500-60-1800-100-2000 रुपये।
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद।	चयन पद।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष और इससे कम।

	अनिवार्य :
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/या सांविधिक बोर्ड/फैकल्टी का कम से कम चार वर्ष की अवधि का होम्योपैथी में प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी (अथवा समतुल्य) की डिग्री अथवा डिप्लोमा। 2. डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में 12 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव सरकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अनुसंधान/शिक्षण के जिम्मेदार पद का हो। अथवा 1. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में उल्लिखित होम्योपैथिक अर्हता के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांविधिक फैकल्टी/विश्वविद्यालय से एम० बी० बी० एस० किया हो। 2. डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव किसी मान्य ताप्राप्त संस्था में अनुसंधान/शिक्षण का होना चाहिए। वांछनीय : (क) विज्ञान की डिग्री (ख) किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव नोट : 1. 60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक प्रथम श्रेणी की डिग्री के बराबर माने जायेंगे। 2. द्वितीय श्रेणी की डिग्री 50 प्रतिशत और इससे अधिक लेकिन 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर मानी जाएगी। नोट : व्यावसायिक अनुभव विशिष्ट लेकिन अन्यथा पात्र मामलों में शिथिलनीय है।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	लागू नहीं होता ।
9. परिवीक्षा की अवधि	दो वर्ष ।
10. भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा ।	लागू नहीं होता ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	लागू नहीं होता ।

नोट : विशिष्ट मामलों में आयु और अनुभव के बारे में ढील दी जा सकती है ।

मन्त्रालय में सहायक होम्पोपैथी सलहाकार की नियुक्ति के लिए नियम

1973. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक होम्योपैथी सलाहकार का पद काफी समय से रिक्त है और यदि हां, तो इसके न भरने के क्या कारण हैं; और

(ख) अब इसे कब तक भरे जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में होम्योपैथी के सहायक सलाहकार का पद इस समय खाली है क्योंकि इस पद पर स्थाई अधिकारी को तदर्थ आधार पर उप-सलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर नियुक्त किया गया है । यह अधिकारी सहायक सलाहकार (होम्योपैथी) के काम को भी देख रहा है । इस पद को भरने का प्रश्न तभी पैदा होगा जब वह भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से उप-सलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर नियुक्त हो जाएगा अथवा यह पद अन्यथा उसके द्वारा नियमित आधार पर खाली कर दिया जाएगा ।

गर्भवती महिलाओं पर गर्भ निरोधक साधनों और दवाइयों का कुप्रभाव

1974. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा मनमानी ढंग से दवाइयों और गर्भ-निरोधक साधनों का प्रयोग करने का नतीजा यह हुआ है कि अनेकों विकलांग बच्चे उत्पन्न हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (ग) इस बात का कोई विशेष प्रणाम नहीं है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा औषधियों के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप बहुत से बच्चे विकलांग पैदा हुए हैं। वैसे, कुछ औषधियां ऐसी हैं, जिनका यदि अधिक इस्तेमाल किया जाए तो भ्रूण को बहुत हानि पहुंचती है। लेकिन गर्भावस्था में ऐसी औषधियों के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसी औषधियों का आगे और पता लगाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। चूंकि गर्भावस्था में गर्भनिरोधक औषधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए उनके इस्तेमाल से विकलांग बच्चों के पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता।

झोरादी और टाटा नगर के बीच यात्री रेल गाड़ी

1975. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के मयूरभंग जिले में झोरादी और टाटा नगर के बीच यात्री गाड़ी चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्त वर्ष में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रसासन के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों की वार्षिक विवरणियां

1976. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री 30 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि लेखों की आज तक विवरणियां जारी करने पर क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

1977. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में हाल में काफी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या व्यस्त रूटों में बहुत अधिक भीड़ रहती है और प्रायः दुर्घटनायें होती हैं, जिनमें मौत भी हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार और अधिक बसें चलाकर बस सेवाओं में सुधार करने और मौजूदा बसों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा दैनिक यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली की जनता के लिए कुशल और पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बढ़ते हुए यातायात से विशेषकर सुबह और शाम को व्यस्त समय के दौरान बसों में अत्यधिक भीड़ की विशेष समस्या होती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण बसों में अत्यधिक भीड़ का होना है।

बस सेवा में सुधार करने के लिए, दिल्ली परिवहन निगम कई कदम उठा रहा है जो इस प्रकार हैं : नई बसें लाकर बसों की संख्या में वृद्धि करना, बसों के अनुरक्षण स्तर में सुधार करना, बस परिचालन समय सूची में परिवर्तन करना, जिससे कि बसों के ट्रिप मिस न हों, शहर में महत्वपूर्ण बस स्टापों पर लाइनमैन और यातायात सुपरवाइजरी स्टाफ तैनात करके निर्बाध यातायात सुनिश्चित करना, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए अपरेशनल स्टाफ को प्रशिक्षण देने वाले विशेष मोबाईल दस्ते रखकर सड़क यातायात में जन-शासन सुनिश्चित करना, और अपरेटिंग डिवीजनों का पुनर्गठन करना आदि।

पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार

1978. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार में कोई कमी नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव, : (क) सरकार को इस बात का दुःख है कि पाकिस्तान के अखबारों में आज भी ऐसी अभिप्रेरित, दुर्भाग्यपूर्ण और गलत खबरें छपती रहती हैं, जिनमें तथ्यों को गलत ढंग से तथा भारत की एक उल्टी तस्वीर पेश करने की कोशिश रहती है।

(ख) सरकार ऐसे मामलों को पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ हमेशा उठाती है। भारत की कोशिश यह रहती है कि पाकिस्तान के प्राधिकारियों पर यह जोर दिया जाय कि उनके समाचार पत्रों में भारत के बारे में इस प्रकार की नकारात्मक और निराधार खबरों के प्रकाशन से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आघात ही पहुंचता है, किसी तरह की सहायता नहीं मिलती।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग का विभाजन

1979. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने सर्जरी विभाग के विभाजन के सुझाव को मंजूरी दे दी थी;

(ख) क्या कार्यकारी परिषद् के सुझावों को विजिटर ने मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कार्यकारी परिषद् और विजिटर के निर्णय को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) विश्वविद्यालय इन सुझावों को कब कार्यान्वित करेगी ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों को संशोधित करने के प्रस्ताव को, जिसमें सर्जरी विभाग को चार विभागों में पुनर्गठित करने की व्यवस्था है, विजिटर द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है, जैसी कि विश्वविद्यालय को कार्यकारी परिषद् ने सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्णय को कार्यान्वित करने का आदेश 25 नवम्बर, 1981 को जारी किया गया था।

मोहराम नगर देहात हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी का ऐसप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस के साथ बेनामी समझौता

1980. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री हरीश कुमार गंगवार :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री दिल्ली में निजी स्वामित्व वाले स्टेट कैरिज के बारे में

27 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1652 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहराम नगर देहात हरिजन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी और ऐक्सप्रेस टूरिस्ट बस सर्विस के बीच हुए समझौते का ब्यौरा आवश्यक कार्यवाही के लिए आयकर अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

ब्रिटेन में प्रथा-अ-श्वेत जस्टिस आफ पीस, पर आक्रमण

1981. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 23 सितम्बर, 1981 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत मूल की एक महिला, श्रीमती शीला फ्लेथर पर, जो कि ब्रिटेन की प्रथम महिला अ-श्वेक जस्टिस आफ पीस हैं, पर लण्डन में आक्रमण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव : (क) जी हां।

(ख) 19 सितम्बर, 1981 की रात को 16 इंच लम्बा पाईप उसके घर की रसोई की खिड़की से अन्दर फेंका गया था। इससे किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी और उनका पुत्र संयोग से बाल-बाल बच गया। उसके घर की दीवार के बाहर 'वाग्स आउट' और 'रेस ट्रेटर लिव्स हियर' के नारे लिये हुए थे। इनमें दूसरा नारा श्री फ्लेथर के बारे में था जो कि एक श्वेत व्यक्ति हैं। आक्रमण के तत्काल बाद दो आदमियों को एक कार की ओर भागते हुए देखा गया जिसमें वे भाग गए।

स्नातक कर्मचारियों की वाणिज्यिक प्रशिक्षुओं के रूप में पदोन्नति

1982. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातक कोटे में से वाणिज्यिक प्रशिक्षुओं के रूप में पदोन्नति देने के लिए 10 प्रतिशत वाणिज्यिक प्रशिक्षुओं के चयन हेतु 1971 में एक योजना क्रियान्वित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अधीन वाणिज्यिक शाखा में कोई उपयुक्तता परीक्षा आयोजित की गई थी, यदि हां, तो कब; और

(ग) उत्तर रेलवे के स्नातक कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का अवसर देने के लिए उपयुक्तता परीक्षा नियमित रूप से आयोजित क्यों नहीं की जाती ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस योजना को शुरू करने के निर्देश 1972 में जारी किये गये थे तथा यह 1-10-1974 से उत्तर रेलवे में कार्यान्वित की गयी थी।

(ख) और (ग) जहां तक मुख्यालय द्वारा नियंत्रित पदों का सम्बन्ध है, उत्तर रेलवे ने 1978 में एक चयन किया था तथा 1979 में पैनल को अन्तिम रूप दिया गया था। मुख्यालय द्वारा नियंत्रित पदों का अन्य प्रवरण करने के लिए इस मामले पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तत्काल विभागीय परीक्षा के लिए मंडलों को भी लिखा जा रहा है।

छठी योजना के दौरान निर्माण के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग

1983. श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितने और कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) वे राष्ट्रीय राजमार्ग किन राज्यों से गुजरते हैं;

(ग) उक्त प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लागत क्या है और उसे कब तक पूरा किया जाना है; और

(घ) निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय उन राष्ट्रीय राजमार्गों से है जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये गये हैं। इनकी संख्या और राज्यों का विवरण, जहां ये स्थित हैं, संलग्न है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करना लगातार किया जाने वाला काम है। विकास के प्रथम चरण में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में घोषित छः राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। ये हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-ग, 51, 52, 53 और 54। राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 52, 53 और 54 पैर का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है। बाकी राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात संख्या 31 ग, 51 और 52 क पर और ब्यौरा से जयपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के बढ़ाये गये खंड पर निर्माण कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारें भारत सरकार की ओर से करेंगी। इस समय इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रस्तावित निर्माण कार्य के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है और ज्यों ही सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में यह काम पूरा हो जाएगा त्यों ही निर्माण कार्य शुरू किये जाने की योजना है। अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-ग के बारे में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल का काम पूरा हो गया है और यह

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 51, 52 क के और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के बढ़ाये हुए खंड के सम्बन्ध में किया जा रहा है। इन राजमार्गों पर सड़क बनी हुई है। इसलिए यहां जो सुधार कार्य किया जाएगा उसमें तेज मोड़ को सीधा करना, यानमार्ग को चौड़ा करना, फर्श को मजबूत करना, पुलों और पुलियों का पुनर्निमाण शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	रास्ते का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राज्य जहां से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है
1.	पश्चिमी बंगाल और असम में पार्श्ववर्ती सड़क (सितम्बर, 1981 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित)	31 ग	पश्चिमी बंगाल, असम
2.	असम और मेघालय में पाईकल-नुग-दालू (सितम्बर, 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित)	51	असम, मेघालय
3.	राईहाता-चरली-तेजपुर-बन्दर-देवा-उत्तर लखीमपुर-पश्मीघाट-तेजू-सीतापानी साइसोघाट- (सितम्बर, 1981 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित)	52	असम, अरुणाचल प्रदेश
4.	अरुणाचल की राजधानी ईटानगर तक की सड़क (असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 में बन्दर देवा पर और ईटानगर में समाप्त (जो सितम्बर, 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई	52 क	अरुणाचल प्रदेश
5.	बदरपुर-सिल्वर-जीरीघाट-इम्फाल सितम्बर, 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित	53	असम, मणिपुर
6.	असम और मिजोरम में सिल्वर-एजावल-लुंगेई जो सितम्बर 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुई	54	असम, मिजोरम
7.	जयपुर-टोंक-देवली-बूंदी-कोटा-झालावाड़ अकलेस-त्रिओरा (भोपाल) यह फरवरी, 1981 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुई।	12*	राजस्थान, मध्य प्रदेश

*यह वास्तव में मध्य प्रदेश में विओरा से राजस्थान में जयपुर तक मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का बढ़ाया हुआ भाग है।

भारत-रोमानिया करार

1984. श्री० एच० एन० नन्जे गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मन्त्री की रोमानिया यात्रा से यह आशा हुई है कि विकास के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जिन नए क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है वे क्षेत्र इस्पात, ऊर्जा, इन्जीनियरिंग, पैट्रो-रसायन, खनन तथा परिवहन हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान विशेषज्ञों का एक पूरा दल उनके साथ गया था;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई करार हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भावी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों का पता लगाया गया, वे हैं—पैट्रो-रसायन, रसायन, तेल की खोज, तेल-उपकरण और जहाज निर्माण।

(ग) जी, नहीं। प्रधान मंत्री के साथ कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं गया था। उनके साथ केवल अधिकारियों का एक दल था।

(घ) किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल यात्री समिति, वीरभूम से अभ्यावेदन

1985. डा० सरदीश राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्दवान के उस प्लेटफार्म के निकट जहां स्थानीय सम्पर्क रेलगाड़ियां आकर खड़ी होती हैं, बाहर से जाने वाली रेलगाड़ियों को खड़ा किये जाने के बारे में पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर के साथ हुए करार के उल्लंघन के बारे में रेल यात्री समिति वीरभूम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को क्रियान्वित करने तथा इस सम्बन्ध में आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बर्दवान में बाहर जाने वाली उपनगरीय बिजली गाड़ियों खड़े होने के लिए प्लेटफार्म के समीपवर्ती प्लेटफार्म पर रामपुरहाट की तरफ से आने वाली गाड़ियों

के सम्बन्ध में रेल यात्री समिति, वीरभूम और महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। बहरहाल वहां आकर समाप्त होने वाली यात्री गाड़ियों के दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए, एक सामान्य प्रथा के रूप में 318 डाउन रामपुरहाट-बर्दवान तारापीठ सवारी गाड़ी को प्लेटफार्म नं० 5 पर खड़ा किया जाता है जो कि प्लेटफार्म नं० 4 के साथ है जहां से स्थानीय बिजली उपनगरीय गाड़ी एम-228 हावड़ा के लिए रवाना होती है। विगत दो महीनों अर्थात्, सितम्बर और अक्तूबर, 1981 के दौरान, केवल पांच बार परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया जा सका।

दिल्ली के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं का पढ़ाया जाना

1986. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की आठवीं सूची में शामिल भाषाओं में से एक भी भाषा को 9वीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक दिल्ली के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाता;

(ख) क्या सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में विज्ञान के छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए कोई सुविधा नहीं है; और

(ग) सहायता प्राप्त विद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के विज्ञान के छात्रों की संख्या क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अध्ययन योजना के अनुसार नौवीं और दसवीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित 24 भाषाओं में से कोई सी दो भाषाओं का अनिवार्य रूप में अध्ययन करना होता है :

हिन्दी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उडिया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, नेपाली, तिब्बती, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली और रूसी।

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं में प्रत्येक छात्र के लिए उपर्युक्त सूची में से केवल एक भाषा अनिवार्य है। नौवीं और दसवीं कक्षाओं के लिए भाषाओं के संयोग का चयन छात्र पर ही छोड़ दिया जाता है, और प्रत्येक स्कूल में ऐसी सभी भाषाओं के शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनके लिए अपेक्षित छात्रों ने अपना विकल्प दिया हो। दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं श्रेणी तक हिन्दी और नौवीं तक संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। इन भाषाओं के शिक्षण के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं श्रेणी में भी ऐसे छात्रों के लिए व्यवस्था की जाती है जो इनकी पेशकश करते हैं।

(ख) सहायता-प्राप्त स्कूलों में, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी भारतीय भाषा का अध्ययन करने के लिए विज्ञान के छात्रों को सुविधा प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि इनके लिए छात्र पर्याप्त संख्या में विकल्प देते हों। हिन्दी और अंग्रेजी सहित, भारतीय भाषा के अध्ययन के लिए भी दिल्ली के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में व्यवस्था विद्यमान है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले विज्ञान के छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

हिन्दी	अंग्रेजी
83	6322

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में आतारांकलित अध्यापकाओं को नियमित करना

1987. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में कुछ अन्शकालिक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कितने अरसे से कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या उन्हें 300 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है और क्या उन्हें निगम और शिक्षा अधिनियम के नियम 101 के अन्तर्गत भत्ता, वेतन वृद्धि आदि स्वीकार्य हैं; और

(ग) उन्हें पूर्ण वेतनमान में कब तक निर्यात आधार पर नियुक्त किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। इस समय 24 ऐसी अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) उन्हें प्रतिमाह तदर्थ आधार पर 300 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है।

(ग) जब कभी विशेष अध्यापिकाओं (कला, ड्राइंग और संगीत) के पूर्णकालिक पद प्राप्त होंगे, उन्हें भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाएगा तथा पूर्णकालिक पद के लिए वर्तमान अन्शकालिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर भी विचार कर लिया जाएगा।

दिल्ली के हायर सैकेण्डरी स्कूलों में हिन्दी का पढ़ाया जाना

1988. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के हायर सैकेण्डरी स्कूल में 10+2 पद्धति के अधिकतर विद्यार्थियों को हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है जबकि अंग्रेजी सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ाई जाती है जैसे वह एक अनिवार्य विषय है;

(ख) क्या दिल्ली के हायर सैकेण्डरी स्कूल में 10+2 पद्धति लागू करने से पहले ग्यारहवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य विषय था;

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी के बजाय हिन्दी पढ़ सकते हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) क्या कुछ स्कूलों में वाणिज्य और विज्ञान के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो उन स्कूलों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा +2 स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में निर्धारित किसी भी भाषा को, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है, लेने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

(ख) 10+2 की योजना लागू होने से पूर्व अखिल भारतीय/दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए हिन्दी एक अनिवार्य विषय नहीं था। तथापि, जिन उम्मीदवारों ने हिन्दी नहीं ली थी, उनके लिए प्रारम्भिक हिन्दी में योग्यता प्राप्त करना या +2 के अन्त में हिन्दी में एक विशेष प्रश्न-पत्र देना अपेक्षित होता था।

(ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। दिल्ली प्रशासन ने सभी राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं कि जो छात्र हिन्दी लेना चाहते हैं, उन सभी को हिन्दी एक विषय के रूप में लेने दिया जाए।

(घ) दो स्कूलों, अर्थात् रायसीना बंगाली स्कूल तथा फतेहपुरी मुस्लिम स्कूल में हिन्द पढ़ाने की सुविधा नहीं है। सीनियर माध्यमिक स्कूलों में वाणिज्य तथा विज्ञान के छात्रों को हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई है, बशर्ते कि उन विषयों को लेने वाले छात्रों की पर्याप्त संख्या हो।

अमरीका कांग्रेस की विदेश संबंध समिति के सहायकों का दौरा

1989. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस की विदेश सम्बन्ध समिति के बड़े अधिकारियों के एक दल ने हाल में दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देने के अमरीकी प्रस्ताव के बारे में अपने विचारों से उन्हें अवगत कराया था; और

(ग) उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां; अमरीकी कांग्रेस की विदेश सम्बन्ध समिति के चार अधिकारियों का एक दल हाल ही में दिल्ली आया था। इस दल ने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

(ख) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र दिये जाने के बारे में भारत के दृष्टिकोण से दल को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

(ग) आशा है कि बिगड़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के सन्दर्भ में भारत की आशंकाओं और चिन्ताओं को अच्छी तरह समझा गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनियुक्ति के लिए सांख्यिकी अधिकारियों के चयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश

1990. **श्री बिगम्बर सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने अपने मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय के सांख्यिकी अधिकारियों के विश्व स्वास्थ्य संगठन में अल्पावधि के लिए चयन और प्रतिनियुक्ति के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किए गए हैं, और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : विश्व स्वास्थ्य संगठन में सांख्यिकी अधिकारियों के चयन और प्रतिनियुक्ति के लिए इस मंत्रालय ने कोई भी औपचारिक दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं क्योंकि इस वर्ग के अधिकारियों की सेवाएं हमसे नहीं मांगी गई हैं। तथापि, सभी विदेश नियुक्तियों के संबंध में यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय के विनियमों के अनुसार कार्यवाही करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित जिस बैठक के लिए हमें कोई व्यक्ति नामजद करने के लिए कहा जाता है, उस प्रत्येक बैठक की अपेक्षाओं के अनुसार समुचित निर्णय लिए जाते हैं।

पूर्व रेलवे शिक्षक संघ, आसनसोल की ओर से ज्ञापन

1991. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे शिक्षक संघ, आसनसोल से दिनांक 15 अगस्त, 1981 का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उठाई गई बातों का ब्योरा क्या है; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये हैं ?

1. रेलवे टीचर्स एसोसिएशन को मान्यता देना।

2. सेवा निवृत्ति के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित करना।

3. रेलवे स्कूल अध्यापकों को औसत वेतन अवकाश ।

4. वेतनमानों में संशोधन ।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है यथा गुण-दोष के आधार पर यथावश्यक कार्रवाई की जाती है। पूर्व रेलवे शिक्षक संघ, आसनसोल द्वारा उठाये गये मुद्दों पर भी इसी नीति के अनुसार कार्यवाही की गयी है ।

देश के इन्जीनियरिंग संस्थानों में "प्रेक्टिस स्कूल सिस्टम" लागू करना

1992. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी में 1970 से चल रही 'प्रैक्टिस स्कूल सिस्टम' का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इसे देश के अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी में अभ्यास स्कूल प्रणाली (प्रैक्टिस स्कूल सिस्टम) शैक्षिक वर्ष 1972-73 से शुरू की गई थी । यह कार्यक्रम सिद्धांत को व्यवहार के साथ जोड़ने के लिए संस्थान की ओर से किया गया एक प्रयास है । यह कार्यक्रम वैकल्पिक है तथा अवर-स्नातक तथा उत्तर-स्नातक दोनों स्तरों पर अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए खुला है । यह 7½ माह की कुल अवधि तक चलता है जो दो भागों में विभाजित है । पहला द्वित्तीय वर्ष के बाद ग्रीष्मकाल के दौरान आयोजित 2 माह का औद्योगिक उन्मुख अभ्यास विद्यालय (प्रैक्टिस स्कूल-I) तथा दूसरा, अन्तिम वर्ष के दोनों में से किसी भी सेमेस्टर के दौरान आयोजित 5½ माह की अवधि का समस्या समाधान अभ्यास विद्यालय (प्रैक्टिस स्कूल-II, अभ्यास विद्यालय कार्यक्रय में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी विषयक डिग्री "अभ्यास विद्यालय (पैक्टिस स्कूल) सहित" प्रदान की जाती है ।

(ख) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

कोटा वैगन रिपेयर शाप के कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय

1993. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान किसी संसद सदस्य द्वारा कोटा वैगन रिपेयर शाप, के पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध उठाये गये दंडात्मक कदम के बारे में दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों को रद्द करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सन्दर्भित पत्र में माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा के उन तीन कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था जिन्हें, संरक्षा नियमों का कथित अनुवालन न किये जाने का विरोध करने के कारण, जिसके फलस्वरूप कारखाने के परिसर में फ्लाई शंटिंग के कारण एक दुर्घटना हो गयी थी, कारखाने से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ग) कारखाने के परिसर में, जहां कर्मचारी ड्यूटी पर हों, फ्लाई शंटिंग नहीं की जाती। इन तीन मामलों की समीक्षा की गयी है और यह विनिश्चय किया गया है कि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए इन मामलों में किए गए स्थानान्तरण आदेश बरकरार रहने चाहिए।

पीपल कोटी से आदिलाबाद तक रेल लाइन का विस्तार

1994. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने पीपल कोटी से आदिलाबाद (मध्य रेलवे) तक रेल लाइन बढ़ाने, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं, जो भारतीय सीमेंट निगम सीमेंट कारखाना लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या रेल मंत्रालय इसका निर्माण आरम्भ करने पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 31.3.1981 को।

(ग) जी नहीं।

प्रत्येक जिले में नेहरू युवक केन्द्र

1995. जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने तथा अब तक अपेक्षित देश के ग्रामीण युवकों की भारी क्षमता का उपयोग करने के लिये प्रत्येक जिले में नेहरू युवक केन्द्र का एक एकक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में पहले से ही कितने एकक कार्यरत हैं और इसे ऐसे और अधिक एकक स्थापित करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं तथा 1982 के दौरान किन जिलों में नये एकक खोले जायेंगे;

(ग) ये केन्द्र किस प्रकार के खेलों का संवर्धन करते हैं तथा क्या इन एककों के प्रयासों को सफल बनाने के लिये उपयुक्त "कोच" भोजन व्यवस्था तथा प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान एककों के कार्यरण का मूल्यांकन किया गया है तथा यदि हां, तो उनको अपने उद्देश्य पूरे करने में किस सीमा तक सफलता मिली है और उनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1979, 1980 और 1981 के दौरान, पृथक-पृथक कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से एक-एक नेहरू युवक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के अलावा, नेहरू युवक केन्द्र गैर-औपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रम, समाज सेवा, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यकलापों का भी आयोजन करते हैं।

(ख) इस समय आन्ध्र प्रदेश के 16 जिलों में नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 14 पहले से ही कार्य कर रहे हैं। नेहरू युवक केन्द्र राज्य सरकारों की सिफारिशों पर संस्वीकृत किए जाते हैं। 1982 के दौरान, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर आन्ध्र प्रदेश में और अधिक नेहरू युवक केन्द्र संस्वीकृत किए जाएंगे।

(ग) नेहरू युवक केन्द्रों से ऐसे देशी खेलों को प्रोत्साहन देने और उनके आयोजन की अपेक्षा की जाती है जिनमें ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवकों को भाग लेने का अवसर मिल सके। नेहरू युवक केन्द्रों के लिए खेल प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई है ताकि वे युवकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कर सकें। टुर्नामेंटों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवकों को हल्का जलपान कराया जाता है और केन्द्रों द्वारा प्रतियोगिताओं में भाग लेने का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(घ) यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान केन्द्रों के कार्यकरण का विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है फिर भी सामान्यत: नेहरू युवक केन्द्रों की योजना के कार्यकरन की 1978 में जांच की जा चुकी है। कुल मिलाकर मूल्यांकन यह रहा कि नेहरू युवक केन्द्र असाधारण स्थायित्व और नवीनता लिए होते हैं और उनकी क्षमता भी बहुत अधिक होती है। अब तक प्राप्त अनुभव युवकों को शामिल करने और परिवर्तन लाने के लिए जिला केन्द्रों के रूप में तथा गैर-छात्र ग्रामीण युवकों के हितों और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के नए तरीके के रूप में केन्द्रों की संकल्पना की वैधता को पूरी तरह से स्वीकार कराता है। वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में नेहरू युवक केन्द्रों को आवंटित की गई धनराशि इस प्रकार थी :

वर्ष	आवंटित धनराशि
1979-80	17.71 लाख रुपये
1980-81	17.40 लाख रुपये
1981-82 (31-10-81 तक)	15.47 लाख रुपये

बस रूट नं० 518 को सुजान सिंह पार्क तक बढ़ाया जाना

1996. **आचार्य भगवान देव :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम को अभ्यावेदन मिले हैं कि रूट संख्या 518 पर बसों, जो लोधी कालोनी से हरिनगर डिपो होते हुए तिलक नगर तक चलती हैं, को लोधी कालोनी से चलाने के बजाय सुजान सिंह पार्क से चलाया जाये;

(ख) यदि हां, तो सुजान सिंह पार्क क्षेत्र में लोकनायक भवन में स्थित केन्द्रीय सरकार के बहुत से कार्यालयों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के बहुत से कर्मचारियों तथा दयालसिंह कालेज के निकट औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस रूट को सुजान सिंह पार्क तक बढ़ाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इसे कब तक बढ़ा दिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रूट नं० 518 पहले तिलक नगर से आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट तक चलता था। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मांग पर यह रूट आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट से बढ़ाकर लोधी रोड तक कर दिया गया जिससे यह रूट काफी लम्बा हो गया। इस रूट को सुजान सिंह पार्क तक बढ़ाना उचित नहीं समझा गया है। इतना लम्बा रूट कर देने से इस रूट पर बसों की फ्रीक्वेंसी घटानी पड़ जायगी और इससे यात्रियों को असुविधा होगी। सुजान सिंह पार्क तक नगर के विभिन्न भागों से रूट नं० 21, 26, 40, 41, 45, 47, 60, 326, 408, 418, 422, 440, 480, 470 और 515 की बसें आती हैं। यात्री विभिन्न स्थानों पर बस बदलकर सुजान सिंह पार्क तक पहुंच सकते हैं।

यात्री तथा माल गाड़ियों में चोरियां

1997. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक के गत छह महीनों के दौरान वर्ष 1980 की इसी अवधि की तुलना में यात्री तथा माल गाड़ियों में कितनी चोरियां हुईं;

(ख) क्या इससे चोरी की घटनाओं की संख्या में वृद्धि का पता चलता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं और समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नीचे की तालिका में अप्रैल से सितम्बर, 1980 और अप्रैल से सितम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान सूचित किये गये चोरी के उन मामलों की संख्या दी गयी है, जिनमें यात्रियों के निजी सामान और माल गाड़ियों से बुक किये गये परेषणों की चोरी हुई है :

	अप्रैल से सितम्बर, 1980	अप्रैल से सितम्बर, 1981
(1) यात्री गाड़ियों से यात्रियों के सामान की चोरी के मामलों की सं०	3,125	3,145
(2) माल गाड़ियों से बुक किये गये परेषणों की चोरी के मामलों की सं०	4,444	7,166

(ख) जी हां।

(ग) राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सामान्य गिरावट के फलस्वरूप रेलों में अपराध की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रेल सम्पत्ति और उपस्कर की सुरक्षा के काम में लगे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनकी इन ड्यूटियों से हटाकर लूट-पाट, डकैती, बिना टिकट यात्रा, खतरे मी जंजीर खींचने, होज पाइप अलग करने आदि को समाप्त करने में राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता करने जैसी अनुमोदित ड्यूटियों पर लगाना भी इस वृद्धि का एक अन्य कारण है।

रेलों पर समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(क) राजकीय रेलवे पुलिस, जो चलती गाड़ियों में यात्रियों के जान माल की हिफाजत के लिए उत्तरदायी है, गाड़ियों में मार्गरथी तैनात करके अपराधियों पर नजर रखकर तथा विशिष्ट मामलों में उन्हें गिरफ्तार करके और उन पर मुकदमे चलाकर, रेलों में अपराधों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पूलिस की सहायता कर रहा है।

(ख) बुक किये गये परेषणों की चोरियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) जहां तक सम्भव हो, मूल्यवान परेषण ले जाने वाली माल गाड़ियों में रे० सु० ब० के कार्मिकों को मार्गरक्षी के रूप में तैनात किया जा रहा है।

(2) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा सभी महत्वपूर्ण यार्डों की दिन रात रखवाली की जाती है।

(3) इंजीनियरी प्रतिबन्धों वाले स्थानों, भेद्य बाहरी सिगनलों तथा चढ़ाई वाले स्थानों पर, जहां आमतौर पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाती है, गाड़ी गुजारने के लिए भी रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

(4) अपराध आसूचना कर्मचारी अपराधियों की गतिविधियों और हरकतों तथा उनका सहयोग देने वाले रेल कर्मचारियों के बारे में आसूचना इकट्ठी करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने तथा चुरायी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए छापे मारते हैं।

(5) कुख्यात अपराधियों तथा चुरायी गयी सम्पत्ति और उपस्कर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बन्दी बनाया जा रहा है।

1982 में होने वाले एशियाई खेलों के लिये टिकटों का वितरण

1998. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए बिक्री हेतु टिकटें मुद्रित की जायेंगी तथा प्रत्येक श्रेणी के लिये ये टिकटें कितने-कितने मूल्य की होंगी;

(ख) राज्यों में टिकटों के वितरण के लिये क्या तरीका होगा;

(ग) क्या सरकार को किसी राज्य से एशियाई खेलों के टिकटों की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नवें एशियाई खेल, 1982 की विशेष आयोजन समिति द्वारा इन पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रसंघ के मुख्य अमरीकी प्रतिनिधि की ओर से गुट-निरपेक्ष समूह को पत्र

1999. श्री चित बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र संघ के मुख्य अमरीकी प्रतिनिधि ने भारत सहित गुट-निरपेक्ष समूह के लगभग 40 सदस्य देशों को हाल ही में पत्र लिखे हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने इस समूह द्वारा हाल ही में जारी की गई अमरीकी विदेश-नीति के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां वाली विज्ञप्ति का समर्थन क्यों किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र की विषय वस्तु क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस पत्र में अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि ने 25 से 28 सितम्बर, 1981 तक न्यूयार्क में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी की गई विज्ञप्ति में उल्लिखित बुनियादी मुद्दों तथा उसमें प्रयुक्त भाषा पर कड़ी आपत्ति की।

(ग) जैसी कि सामान्य राजनयिक प्रथा है, हमारे स्थायी प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित प्रतिनिधियों ने इस पत्र की विषय-वस्तु पर गौर किया है।

विशेष केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली के भवन का निर्माण

2000. श्री पी० नामग्याल : क्या शिक्षा और समाज कयाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विशेष केन्द्रीय विद्यालय भवन का निर्माण कब आरम्भ किया था। आरम्भ करने का विचार है;

(ख) उक्त भवन के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ग) उक्त भवन का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है और भवन को पूरा करने में यदि कोई विलम्ब है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाजियाबाद (उ० प्र०) में आवंटित स्थान पर विशेष केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी नई दिल्ली के लिए एक स्थायी भवन का निर्माण कार्य 5 अगस्त, 1981 को शुरू किया गया था।

(ख) 66,58,000 रुपये।

(ग) फरवरी, 1983।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को स्वीकृति

2001. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रोहतक स्थित महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12क के अन्तर्गत बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक को अभी तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित नहीं किया है, क्योंकि सम्बन्धित नियमों में निर्धारित शर्तों को अभी हरियाणा सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

सम्बद्ध कालेजों को अनुदान देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

2002. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बद्ध कालेजों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किये गए नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा और स्वरूप क्या है; और

(ख) क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छठी योजनावधि के दौरान विकास के लिए कला, विज्ञान, वाणिज्य और बहु संकाय कालेजों को सहायता देने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया है। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2003. **श्री जयनारायण रौत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने दिल्ली-अहमदाबाद मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये योजना आयोग से कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या योजना आयोग ने मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है और इसे 1977-78 के बजट में शामिल किया गया था। इस परियोजना की स्वीकृति के लिए योजना आयोग को लिखा गया है। उनकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। 925 कि० मी० लम्बी लाइन के आमान-परिवर्तन की इस योजना पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

धनबाद डिवीजन में स्टेशनों पर पहुंच-मार्ग और पुल

2004. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में धनबाद डिवीजन में ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां लोगों के टिकट खिड़की तक पहुँचने के लिए न तो पहुंचमार्ग है और न ही उपरि पुल;

(ख) क्या लोगों को टिकटें खरीदने और गाड़ियों में चढ़ने के लिए हर बार या तो रेल लाइनों पर से जाना पड़ता है या वहां खड़ी गाड़ियों के नीचे से गुजरना होता है;

(ग) क्या उनका इस मामले पर प्रधानखुंटा स्टेशन के लोगों के आन्दोलन की जानकारी है जहां लाइन पार करते समय बहुधा दुर्घटनायें होती रहती हैं;

(घ) क्या ऐसे स्टेशनों पर उपरि पुल बनाने की सरकार की कोई चरणवार योजना है और क्या वे प्रधानखुंटा (धनबाद डिवीजन) को इस मामले में कोई प्राथमिकता देंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 11 स्टेशनों में बुकिंग कार्यालय तक पहुंचने के लिए सीधे पहुंचमार्ग नहीं हैं तथा कम यातायात वाले 23 छोटे मार्गवर्ती स्टेशनों पर उपरि पैदल पुल नहीं हैं। कुछ मामलों में यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने के लिए दूसरे प्लेटफार्मों तक पहुंचने के लिए पटरियों को पार करना पड़ता है।

(ग) जी हां। प्रधानखुंटा पर एक उपरि पैदल पुल की व्यवस्था करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है किन्तु इस स्टेशन पर उपरि पैदल पुल के अभाव में दुर्घटनायें होने के सम्बन्ध में किसी रिपोर्ट का रिकार्ड नहीं है।

(घ) सरकार उपरि पैदल पुलों की व्यवस्था करने के लिए समग्र रूप से धन की उपलब्धता और ऐसे कार्य के लिए इससे सम्बन्धित औचित्य के आधार पर विचार करती है। इस समय प्रधानखुंटा स्टेशन पर एक उपरि पैदल पुल की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जन्म तथा मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये नये उपाय

2005. **श्री चित्त महाटा :**

श्री जयनारायण रौत :

प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री के० प्रधानी :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है;

(ख) देश में प्रति एक हजार जनसंख्या पर वर्तमान जन्म दर कितनी है; और

(ग) देश में प्रति एक हजार जनसंख्या की वर्तमान मृत्यु दर क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार देश की अनन्तिम जनसंख्या 683,997,512 है।

(ख) और (ग) जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में अद्यतन उपलब्ध सूचना 1979 के वर्ष की है; भारत के महापंजीयक की नमूना रजिस्ट्रेशन पद्धति के अनुसार जन्म दर 32 प्रति हजार और मृत्यु दर 12.8 प्रति हजार है।

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन

2006. **श्री चित्त गहाटा :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 से लागू है। सरकार का इस समय नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिजीशियनों और नर्सों का विदेश चले जाना और इस संबंध में सरकार को हुई निवेश संबंधी हानि

2007. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री अर्जुन सेठी :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री अशफाक हुसैन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिजीशियनों और नर्सों के गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) विदेशों में चले जाने के कारण उनकी शिक्षा पर खर्च करने के माध्यम से सरकार को निवेश-संबंधी कितनी हानि हुई तथा इस अवधि में कितने फिजीशियन और नर्सें विदेश चली गईं; और

(ख) उनके विदेश चले जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक डाक्टर या नर्स को तैयार करने में कितना खर्च आता है, इसकी सही सूचना उपलब्ध नहीं है। कितने चिकित्सक और नर्सें विदेश चली गई हैं, इसकी भी सही सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए डाक्टरों और नर्सों के विदेश चले जाने के कारण सरकार कोकितनी हानि उठानी पड़ी है, इस रकम का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) (1) डाक्टरों और नर्सों के विदेश-गमन की समस्या जटिल है जिसके अनेक कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा स्पष्ट कारण यह लगता है कि विदेशी नियोक्याओं द्वारा उन्हें नौकरी की उत्तम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(2) ये चिकित्सा कर्मचारी विदेशों में न जाएं, इसके लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(क) चिकित्सा स्नातकों के उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्ति के लिए विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गई है।

(ख) राज्यों और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिफारशों पर विशेष रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।

(ग) डाक्टरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों की सेवा शर्तों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सुधार लाए गए हैं।

(घ) अनेक डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए आकर्षित करने हेतु चिकित्सा शिक्षा को समाजोन्मुख बनाने की एक योजना चलाई गई है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के निरोधक, सवर्द्धक, उपारात्मक और पुनस्स्थापनात्मक पहलुओं पर बल दिया जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सम्मानित सदस्यता परीक्षाएं लेने के लिए प्रबन्ध कर दिए गए हैं ताकि ये परीक्षाएं विदेशी अर्हताओं जैसे एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० ई० आदि के अनुरूप हो जाएं।

(च) सरकार ने चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति गठित की है जिसका काम अन्य बातों के साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद विभिन्न सुसंगत बातों को ध्यान में रखकर वास्तविक अपेक्षाएं तैयार करना है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन

2008. प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

श्री जितेन्द्र प्रसाद :

श्री बी० डी० सिंह :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धियों के संबंध में इसका कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा एक समिति द्वारा की गई थी जिसके अध्यक्ष डा० डी० एस० कोठारी थे। समीक्षा समिति ने मूल्यांकन किया कि पूरे देश के शैक्षिक संस्थाओं के बारे में विस्तृत आंकड़ों का संकलन करने में यद्यपि लगभग दो वर्ष लग जाते हैं, लेकिन समिति के पास उपलब्ध आकड़ों के आधार पर, 31 जनवरी, 1980 तक लगभग 1,16,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 32-33 लाख प्रौढ़ दाखिल किए गए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में भर्ती संबंधी नीतियां

2009. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भर्ती नीतियों और प्रक्रियाओं के संबंध में राष्ट्रीय तथा प्रशिक्षण परिषद को कोई निदेश जारी किए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद इन निदेशों का पालन कर रही है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने रा० शै० अ० प्र० प० की भर्ती नीतियों तथा प्रणालियों की इसकी स्थापना काल से, समीक्षा करने तथा रा० शै० अ०प्र० प० के लिए उपयुक्त नीतियों और प्रणालियों की इसकी भूमिका के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय समिति 1970 में नियुक्त की थी। भारत सरकार द्वारा समिति की रिपोर्ट पर रा० शै० अ० प्र० प० की कार्यकारी समिति के परामर्श से विचार किया गया था। रा० शै० अ० प्र० प० के

लगभग ज्ञापन-पत्र में सरकार को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार ने रा० शै० अ० प्र० प० को समिति की विभिन्न सिफारशों पर कारवाई करने का निदेश दिया था।

(ख) रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा इन निदेशों का पालन किया जा रहा है।

कुट्टीपुरम गुरुवयूर लाइन

2010. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :

श्री० के० ए० राजन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टीपुरम्-गुरुवयूर रेल लाइन का सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) इस लाइन का पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है; और

(ग) इस पर कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) जी हां।

(ख) 14 करोड़ रुपये।

(ग) साधनों की तंगी को देखते हुए, उपर्युक्त योजना को अभी हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के बलायार-पालघाट से सम्बद्ध प्राक्कलन

2011. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 बलायार-पालघाट सेक्सन में "स्प्र-ग्राइट" (बी० यू० एस० बी०) बनाने का मंत्रालय को कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या पांच प्राक्कलन तैयार किये गये थे और मंत्रालय को भेजे गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या ब्लायार-पालघाट सेक्शन से सम्बन्धित इन प्राक्कलनों पर मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के इस खंड को चौड़ा करने और सुदृढ़ करने के लिए निर्माण कार्य चौथी पंच-

वर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था। हालांकि इसे चौड़ा करने का काम 1978-80 तक पूरा कर लिया गया लेकिन इसे सुदृढ़ करने का काम अभी शुद्ध भी नहीं किया गया है। 1980 की पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि पुराने निर्माण कार्यों को चौड़ा करने के काम तक सीमित रखा जाएगा और इन्हें सुदृढ़ करने का काम क्रमिक रीति से शुद्ध किया जाएगा। इस काम को विल्ट अप स्प्रे ग्राउट से पूरा करने का निर्णय किया गया। पिछले वर्ष प्राप्त 4 अनुमानों में से 3 अनुमान स्वीकृत किये जा चुके हैं। पिछले वर्ष प्राप्त एक अनुमान और जुलाई, 1981 में प्राप्त 4 अनुमानों को राज्य में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए 1982-83 में पुन: प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया है।

बम्बई पत्तन पर उठाईगीरी और चोरियों की घटनाएं

2012. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो (इन्टरनेशनल मेरीटाइम ब्यूरो) ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि बम्बई पत्तन पर उठाईगीरी और चोरियों की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई पत्तन पर एक स्वतंत्र केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की व्यवस्था न किए जाने के क्या कारण हैं ताकि उठाईगीरी और चोरियों की घटनाओं को रोका जा सके।

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को इन्टरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो की इस प्रकार की किसी रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय संभवत: "फार्च्यून्स चेंज इन इंडिया पोर्ट्स एज राइवल्स मेनूवर फॉर स्लॉट्स" नामक इस लेख से है जो यू० के० से निकलने वाली "सी० ट्रेड" नामक पत्रिका में सितंबर, 1981 में प्रकाशित हुआ था। 1980-81 में बम्बई पत्तन में 139 चोरियां हुईं जबकि 1979-80 में 105 चोरियां हुई थीं। यह कहना ठीक नहीं है कि बम्बई पत्तन में सबसे ज्यादा चोरियां हुईं।

(ख) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने चौकीदारी के काम के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल गठित करने का निर्णय किया है। भूमि के अभाव के कारण इस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करने में पोर्ट के असमर्थ होने से इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है : किसी भी उपक्रम में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का गठन करने से पहले इसके कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करनी जरूरी होती है।

बम्बई पत्तन पर स्वीकृति दिये जाने हेतु पड़े टूटे-फूटे जहाजों की संख्या

2013. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन क्षेत्र ने कितने टूटे-फूटे जहाजों के सम्बन्ध में अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) इन टूटे-फूटे जहाजों के सम्बन्ध में अभी तक स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) इन टूटे-फूटे जहाजों का स्वामित्व सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ग) पत्तन क्षेत्र में छह जहाज टूटे पड़े हैं जिनको हटाया जाना है । इनका ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	नष्ट जहाज का नाम	डूबने की तारीख	स्वामित्व
1.	गल्फ स्टार	27.8.78	मेसर्ज शर्जा शिपिंग प्रायवेट लिमिटेड पो० आ० नं० 1477, शरजह, यूनाइटेड अरब इमीट्रेट्स
2.	मूनलाइट ग्लोरी	27.2.80	मेसर्ज कोलिस लाइन लि० कलकत्ता
3.	इफीजिनी	18.4.80	मेसर्ज कोलिस लाइन लि०, कलकत्ता
4.	लकी इन्वेस्टर	23.6.81	श्री माजी तरपई, नं० 3/77, करीम खां जेंड-एवेन्यू, तेहरान
5.	ज्योति रामलिंगम	13.2.81	श्री ए० आर० सुब्रह्मण्यम पिरलई, 21, वर्तापुरम मेलूर, टूटिकोरिन
6.	लैंश वार्ज "डी एस० 172	11.8.81	मेसर्ज सोवियत डेन्यूब शिपिंग कम्पनी

(ख) इन नष्ट जहाजों को निकालने में देरी होने के कारण नीचे लिखे हैं :

गल्फ स्टार

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने इस जहाज को निकालने का ठेका 7 फरवरी, 1979 को मेसर्ज एशियाटिक सैल्वर्स, बम्बई को दिया गया था । यह काम 4 जनवरी, 1980 तक पूरा होना था। लेकिन यह कम्पनी 31 मई, 1981 तक दो बार अवधि के बढ़ाये जाने के बावजूद जहाज को समुद्र में निकालने का काम पूरा नहीं कर सकी। चूंकि यह कम्पनी ठेके की अवधि के बढ़ाये जाने के बाद भी काम को पूरा नहीं कर सकी इसलिए इसका ठेका समाप्त कर दिया गया । नये टेंडर मंगाये गये हैं ।

मूनलाइट ग्लोरी

चूंकि इसके मालिक इसे फिर से चालू नहीं कर सके इसलिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने इस जहाज को बेचने के लिए कारंवाई शुरू की और टेंडर मंगवाये । इन टेंडरों की जांच की जा रही थी ।

इसी बीच बम्बई उच्च न्यायालय में रोक आदेश जारी कर दिया और पोर्ट ट्रस्ट पर जहाज को न बेचने की पाबंदी लगा दी गई। न्यायालय द्वारा रोक आदेश के वापस ले लिये जाने पर यह जहाज मेसर्ज घासीराम गोकुलचन्द, बम्बई को बेच दिया गया और यह जहाज 10 सितम्बर, 1981 को इनके हवाले कर दिया गया। मेसर्ज घासीराम गोकुलचन्द अब इस जहाज को समुद्र में निकालने के बावत आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

इफीजिनी

इसके मालिक के द्वारा जहाज के न लेने पर इस जहाज को बेचने के लिये बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने कार्रवाई की। मालिक के एक लेनदार के अनुरोध पर बम्बई उच्च न्यायालय एक अस्थायी सरकारी परिसमापम नियुक्त किया गया लेकिन बाद में इसके मालिक के आवेदन पत्र पर बम्बई उच्च न्यायालयों अस्थायी सरकारी परिसमापक को हटा दिया। इस बीच इसके मालिक के एक दूसरे लेनदार द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी एक न्यायालयी अदाता नियुक्त कर दिया। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अनुरोध पर श्री एस० के० राय चौधरी इसके आदाता नियुक्त हुए जिनसे इस जहाज को इस शर्त पर बेचने के लिए कहा गया कि बिक्री से जो आय होगी इससे पत्तन शुल्क चुकता कर दिये जायेंगे। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने श्री चौधरी से इस जहाज को पत्तन क्षेत्र से हटा लेने के लिये और यथासंभव जल्दी बेच देने के लिए कहा है।

लकी इन्वेस्टर

यह जहाज 24-6-1979 को एक तरफ झुकने लगा था। इसे मजगांव डाक लिमिटेड के कर्मचारियों ने डूबने से बचा लिया। जहाज के मालिक ने बम्बई उच्च न्यायालय के एक एडवोकेड को इस जहाज की देखभाल करने के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके मालिक के निर्देश पर इस प्रतिविधि द्वारा यह जहाज स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन, कलकत्ता को बेचा जाना था। लेकिन जहाज फिर एक तरफ झुकने लगा और बिक्री किये जाने के पूर्व ही इस जहाज का एक तरफ का भाग डूब गया। इस जहाज को बेचे जाने का मामला विचाराधीन है और इस संबंध में इसके मालिक द्वारा बातचीत की जा रही है। इस संबंध में और आगे सूचना प्राप्त होने पर पोर्ट ट्रस्ट अगली कार्रवाई के सम्बन्ध में विचार करेगा। ईरान की राजनैतिक परिस्थितियों के कारण आगे कार्रवाई करने में विलम्ब हो गया है।

ज्योति रामलिंगम

यह देशी जलयान भारतीय नौसेना के भारतीय नौवहन पोत कृष्णा से 13-2-1981 को टकरा गया और यह इन्दिरा डाक चैनेल के बीचोबीच डूब गया। भारतीय नौसेना ने इस जहाज को उतारने के जो प्रयत्न किये वे असफल रहे। इस जहाज के मालिक ने इस जहाज को हटाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। चूंकि इस जलयान को फिर से काम में नहीं लाया जा सकता इसलिए विध्वंस करने के बारे में भारतीय नौसेना के साथ बातचीत चल रही है।

लैश बार्ज "डी० एम० 172"

यह जलयान क्रास आईलैंड के पास लंगर डाले हुआ था और तूफान आने के कारण

11-8-1981 को डूब गया। इस नष्ट जहाज को समुद्र से निकालने के बारे में इसके मालिक के प्रतिनिधि के साथ परामर्श कर मेसर्ज ट्रासओशन शिपिंग एजेंसी प्रायवेट लिमिटेड समुद्र से जहाज को निकालने वाली फर्मों के साथ बातचीत कर रही है।

शारीरिक विकलांग संस्थान, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली के खिलाफ शिकायतें

2014. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक विकलांग संस्थान राउज एवेन्यू, नई दिल्ली के कार्यकरण के खिलाफ बहुत सी शिकायतें की गई हैं;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों को संस्थान के अधिकारियों द्वारा मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया था; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले के बारे में इस बीच जांच की है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हाल में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस शिकायत की जांच की गई थी तथा संस्थान के काम में कोई अनुचित बात नहीं देखी गई।

बट-बिलाड़ा रेलवे लाइन

2015. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बट से बिलाड़ा तक एक नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिए इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य इस बीच शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो उन गांवों और कस्बों के नाम क्या हैं जहां से यह रेल लाइन गुजरेगी; और

(ग) सर्वेक्षण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बिलाड़ा से बट तक एक मीटर लाइन के सर्वेक्षण कार्य को 1981-82 के बजट में शामिल किया गया है। इस सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा। सर्वेक्षण पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

जे० ई० ई० के बारे में पांडे समिति के निष्कर्ष

2017. श्री मूलचन्द डागा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नर बोर्ड आई० आई० टी०, दिल्ली ने जे० ई० ई० 1979 कांड के बारे में एन० एम० पांडे समिति के निष्कर्षों को नामंजूर कर दिया है जिसने संकाय के चार सदस्यों को गंभीर कदाचारों का दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या संकाय के दोषी सदस्यों को दिये गये दण्ड अत्यन्त कम है और उनके विरुद्ध स्थापित आरोपों की गंभीरता के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के कांडों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कठोर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनमें से संकाय के कुछ सदस्य दण्ड के लम्बन के दौरान विदेशों में चले गये हैं ताकि ये दण्ड अप्रभावी हो जायें;

(च) यदि हां, तो विदेशों में उनके दौरों को किस प्रकार स्वीकृति दी गई थी;

(छ) क्या आई० आई० टी, दिल्ली के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने जे० ई० ई० केन्द्र में निरीक्षण किया था जहां उनका अपना भतीजा एक उम्मीदवार था; और

(ज) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) इस मामले के एक अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शासी बोर्ड द्वारा उनको दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील की है। अत: पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(छ) जी, हां। तथापि प्रोफेसर को उस कमरे को छोड़कर जिसमें उसका भतीजा बैठा हुआ था, अन्य कमरे में निरीक्षण का कार्य सौंपा गया था।

(ज) उपर्युक्त (छ) में दिये गये स्पष्टीकरण तथा प्रोफेसर के निरीक्षण कार्य का किसी अन्य अवांछनीय बात के साथ सम्बन्ध होने का कोई साक्ष्य न होने को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन

2018. श्री मूलचन्द डागा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11, 12 और 13 जुलाई, 1981 को लखनऊ में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन में क्या संकल्प स्वीकृत किये गये हैं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या उनमें से प्रत्येक संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी; और

(ख) क्या सरकार ने नैतिक शिक्षा देने और उपरोक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इसे शिक्षा पद्धति में किस प्रकार शामिल करने का विचार है ताकि छात्रों का देश के कर्तव्य के प्रति जागरूक नागरिक बनना सुनिश्चित हो सके ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार लखनऊ के सिटी मांटेसरी स्कूल ने, 11 से 13 जुलाई, 1981 तक, लखनऊ में, राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजकों से प्राप्त, उक्त सम्मेलन में पारित संकल्पों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार का विचार है कि छात्रों का चरित्र-निर्माण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। छात्रों में नैतिक और सामाजिक मूल्य पैदा करने के लिए, सभी पाठ्यचर्या और पाठ्येतर कार्यकलापों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। शिक्षा पद्धति द्वारा ऐसे चरित्रवान नवयुवकों और महिलाओं को तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्री सेवा और विकास के प्रति प्रतिबद्ध हों। नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित कुछ मूल विषयों पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मई, 1981 में आयोजित नैतिक शिक्षा सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी में चर्चा की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ संगोष्ठी में यह भी सिफारिश की गई थी कि देश के सभी स्कूलों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को इस प्रयोजन हेतु पाठ्यचर्या विकास तथा अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने तथा शिक्षक अनुस्थापन कार्य करते रहना चाहिये। संगोष्ठी की सिफारिशों को विचारार्थ एवं कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित कर दिया गया है।

विवरण

11 से 13 जुलाई, 1981 तक लखनऊ में हुए "प्रथम राष्ट्रीय नैतिक शिक्षा सम्मेलन" में पारित संकल्प।

1. यह संकल्प किया जाता है कि हमारे समाज की वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे युवा बालकों और बालिकाओं को, उनके जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में, नैतिक शिक्षा प्रदान करना एक प्रत्यक्ष आवश्यकता और सामाजिक अनिवार्यता है, अत: निजी अथवा राजकीय सभी शैक्षिक संस्थाओं में, प्रारम्भ से हाई स्कूल स्तर तक सभी श्रेणियों में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्थापित किये जाने चाहिए। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों में नैतिक तथा मानवीय मूल्य पैदा किये जाने चाहिए ताकि उन्हें समाज का अच्छा और अधिक उपयोगी व्यक्ति बनाया जा सके।

2. इस सम्मेलन के विचार से, केवल ज्ञान का प्रसार ही पर्याप्त नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण है। हमारे देश में आज किसी न किसी रूप में चरित्र संकट है, और इस चुनौती का केवल नैतिक शिक्षा ही मुकाबला कर सकती है। हमने इसकी बहुत समय तक उपेक्षा की है। अब हमें इसमें देर नहीं लगानी चाहिए। यह पाठ्यक्रम सभी बालकों और बालिकाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

3. संकल्प किया जाता है कि यद्यपि नैतिक शिक्षा है धार्मिक हठधर्मी और विशेष धार्मिक विश्वासों के शिक्षण को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो भी सभी महान धर्मों की सामान्य नैतिक शिक्षाओं को शामिल कर लिया जाना चाहिए जैसे कि प्रधान मन्त्री ने राय दी है। इससे दोहरा लाभ होगा, एक तो विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं में व्याप्त एकता दिखाई जा सकेगी और दूसरे इन धर्मों की ऐसी शिक्षाओं की मान्यता को प्रभावी रूप से फिर से सबल बनाया जा सकेगा जिन शिक्षाओं का लोगों पर बड़ा प्रभाव है।

4. संकल्प किया जाता है कि उच्चतर कक्षाओं में तरजीहन हाई स्कूल के ऊपर के स्तर में, तुलनात्मक धर्म सम्बन्धी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। धर्म का मानव विचार और कर्म पर बड़ा ही सबल प्रभाव पड़ता है और हमारे देश में विभिन्न धर्मों को माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं, विश्वासों और जीवन के मौलिक सिद्धान्तों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए तुलनात्मक धर्म सम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य है। अतः मानव जीवन-आधार पर इस उपचार का उपयोग करने से सामाजिक मेल मिलाप बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा करने से धर्म के प्रति दृष्टिकोण में उदारता आएगी और मानव के धर्मान्धता भरे दृष्टिकोण में कमी आयेगी।

5. यह सम्मेलन भारत संघ के उन सभी राज्यों की कार्रवाई की सराहना करता है जिन राज्यों ने इस मामले में पहल करते हुए अपनी शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को लागू कर दिया है।

रेलवे में रिक्त पदों के लिए परीक्षा

2019. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 अक्तूबर, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे अधिकारियों ने सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में 25 अक्तूबर को लगभग 2,000 बेरोजगार युवकों और महिलाओं के साथ मजाक किया था जब इन्हें चार विभिन्न केन्द्रों में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था लेकिन न तो परीक्षाओं के लिए कोई प्रबन्ध किया गया था और न ही किसी को पता था कि वहां कोई रेलवे की परीक्षा आयोजित की जा रही है।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष मार्च में रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा रिलीज किये गये 'रोजगार डाइजेस्ट' में रिक्त पदों के लिए एक विज्ञापन था और उम्मीदवारों को दो रुपये का एक पोस्टल आर्डर भेजने के लिए कहा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रेल सेवा आयोग ने सहायक स्टेशन मास्टरों, गार्डों, कार्यालय लिपिकों आदि की भर्ती के लिए मार्च, 81 में नियोजन सूचना सं० 1/80-81 जारी की थी। सहारनपुर सहित 515 केन्द्रों में 25-10-81 को लिखित परीक्षा ली जानी थी। परन्तु प्रश्न पत्रों के आउट होने का सन्देह होने के कारण अन्तिमक्षण में परीक्षा स्थगित कर दी गयी थी। प्रत्येक उम्मीदवार को अलग-अलग सूचना भेजने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। बहरहाल, उम्मीदवारों को असुविधा से बचाने के लिए 23-10-81 को तथा इसके बाद अन्य तारीखों को रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार एजेंसियों सहित जन संचार माध्यमों से परीक्षा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करने के प्रयास किये गये थे।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के लिए अमरीका द्वारा कानून में छूट

2020. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि अमरीका की सीनेट ने उस देश को, जो परमाणु अस्त्र की खोज नहीं करता है अथवा इसका परीक्षण नहीं करता है, अमरीका सहायता बन्द करने के कानून को पाकिस्तान के मामले में छह वर्ष के लिए उठा रखने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की छूट भारत के लिए भी मांगी गई है अथवा इसे दी गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। अमरीकी सीनेट ने अमरीकी विदेशी सहायता अधिनियम के उस संशोधन से पाकिस्तान के लिए छह वर्ष की छूट दे दी है जिसके अन्तर्गत ऐसी नाभिकीय सुविधायें अर्जित करने वाले किसी देश को आर्थिक और सैनिक सहायता नहीं दी जा सकती जो 'हिफाजत' की परिभाषा के अन्तर्गत न आती हों।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत को सैनिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव इस समय संयुक्त राज्य अमरीका के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे यात्रा सुविधायें देने के लिये सिक्किम के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन

2021. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे यात्रा सुविधायें देने के बारे में सिक्किम के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । तथापि, यात्री जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गंगटोक में एक रेलवे आउट एजेंसी कार्य कर रही है ।

मुगल लाइंस तटीय सेवा के लिए मलाबान पत्तन में हाल्ट

2022. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजिम से बम्बई तक जब तटीय यात्री स्टीमर सेवा मलाबान पत्तन में विराम (हाल्ट) कर रही थी तो मलाबान पत्तन में उपस्थित यात्रियों की संख्या पंजम में उपस्थित यात्रियों की संख्या जितनी नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मलाबान पत्तन में यात्रियों को पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने के आधार पर तटीय मार्ग पर मलाबान पत्तन को छोड़ देना अनुचित था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मुगल लाइंस अपनी तटीय सेवा में मलाबान पत्तन को शामिल करेगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) संभवत: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मलाबान से जो यातायात होता है वह क्या पंजिम से होने वाले यातायात से होने वाले यातायात से अधिक है ? वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक मलाबान और पंजिम से यातायात की स्थिति का तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	पंजिम से प्रति जहाज यात्री	मलाबान से प्रति जहाज यात्री
1973-74	240	78
1974-75	184	44
1975-76	120	34

1976 के बाद मलाबान पर कोई जहाज नहीं आया ।

(ख) यात्री जहाजों का मलाबान आना यहां समुद्र में ज्वार के बने रहने के कारण बन्द हो गया और जब एक जहाज मलाबान पत्तन में भूग्रस्त हो गया और पूर्ण नष्ट घोषित कर दिया गया तब यहां आने वाले जहाजों की संख्या दिसम्बर, 1972 में तीन से घटकर दो रह गयी। इसलिए, जहाजों का मलाबान आना और यहां जहाजी सेवा को भी नियमित बनाए रखना सम्भव नहीं था ।

(ग) इस सेवा में दो जहाज चल रहे हैं । गति सीमित होने, समय तालिका के अनुसार चलने और इस सेवा को नियमित बनाए रखने के कारण उक्त यात्री जहाज चार से अधिक पत्तनों पर नहीं आ-जा सकते । इसलिए, मुगल लाइंस लिमिटेड का मलाबान पत्तन को अपनी जहाजी सेवा के पत्तनों की सूची मे शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कार्यालयों के गलियारों में फाइलों को जमा करना

2023. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली में आयोजित 'सरकारी अभिलेखों का विन्यास' विषय पर पांच दिवयीय गोष्ठ में राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक ने बताया है कि विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के गलियारों और तहखानों में 43 लाख फाइलें जमा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन फाइलों के भंडारण पर प्रति वर्ष 60 करोड़ 50 लाख रुपये और इनके अनुरक्षण पर कुछ और राशि खर्च करती है; और

(ग) इन फाइलों के जमा होने की अत्यन्त विराट समस्या को हल करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने, सभी सार्वजनिक कार्यालयों में अभिलेख प्रबन्ध के सम्पूर्ण क्षेत्र पर एक समान प्रभावी नियन्त्रण रखने की दृष्टि से, 1972 में एक अभिलेखागार सम्बन्धी नीति संकल्प स्वीकार किया था । भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच इस संकल्प के कठोर

कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सार्वजनिक अभिलेखागारों से सम्बन्धित एक प्रारूप बिल पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जो केन्द्रीय सरकार और ऐसी राज्य सरकारों पर लागू होगा जो इसके क्षेत्राधिकार में आना चाहेंगी।

राष्ट्रपति सादात की हत्या के बारे में प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य

2024. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 अक्तूबर, 1981 को मनीला में राष्ट्रपति सादात की हत्या के बारे में अपनी टिप्पणी में प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "मिस्र के सादात की हत्या की घटना से पता चलता है कि बाहर के सहारे से अपने नेता के रूप में रह पाना कितना खतरनाक है";

(ख) यदि हां, तो क्या इस वक्तव्य से राष्ट्रपति सादात की हत्या को वास्तविक समर्थन और हत्याओं की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि इस वक्तव्य से भारत की छवि को क्षति पहुंची है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मनीला में 9 अक्तूबर, 1981 को प्रधान मन्त्री ने संवाददाता सम्मेलन में जो वक्तव्य दिया था उसका सम्बद्ध अंश नीचे लिखे अनुसार है :

श्री तानेदो : "महोदय, क्या मैं एक सवाल और पूछ सकता हूं ? गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एक नेता के रूप में आपके विचार में मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या का ''की खोज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?"

श्रीमती गांधी : "इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और मैं यह समझती हूं कि किसी के लिए यह महसूस करना अच्छा नहीं है कि कोई बाहर से भारी समर्थन प्राप्त कर रहा है। इससे वह अपने देश में और अपने क्षेत्र में कमजोर पड़ जाता है। राष्ट्रपति सादात ने एक साहसिक कार्य किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इससे वे अरब देशों में लोकप्रिय नहीं हो सके। उस विशिष्ट और अत्यन्त नाजुक समस्या का समाधान, जिसे सामान्यतः मध्यपूर्व और भारत की दृष्टि से पश्चिम एशिया की विशिष्ट और अत्यन्त जटिल समस्या का समाधान समझौते के द्वारा ही सम्भव है। लेकिन मिस्र में क्या होगा, इस समय इसके बारे में बताना बहुत जल्दबाजी होगी।"

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता :

हुगली नदी पर दूसरे पुल के लिए अधिक धनराशि देने के लिए अनुरोध

2025. **श्री अजित बाग** :
श्री रेणुपद दास :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हुगली नदी पर दूसरे निर्माणाधीन पुल के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पहले मंजूर किए गए 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये की राशि रिलीज करने का अनुरोध किया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस राशि को रिलीज कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस अनुरोध की सावधानी से जांच की गयी लेकिन आर्थिक कठनाइयों के कारण चालू वर्ष में बजट प्रावधान में वृद्धि करना संभव नहीं हुआ है।

बंगलौर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का केन्द्र खोलना

2026. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में दक्षिणी क्षेत्र के लिए राष्टीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद का एक केन्द्र खोलने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में यदि कोई बाधायें हैं तो वे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दक्षिणी क्षेत्र के लिए बंगलौर में अथवा देश के किसी अन्य स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद का केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। राज्य स्तर पर प्रतिरूप संस्थानों का निर्माण करना अच्छा होगा।

दक्षिण क्षेत्र में राज्यों के साथ सहयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा सीधे अथवा मैसूर में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज के माध्यम से अथवा विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में अपने क्षेत्रीय सलाहकारों के जरिए स्थापित किया जाता है।

पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन को शामिल करना

2027. **श्री उमाकांत मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लिए किशोरों और युवकों के मन में रुचि उत्पन्न करने की दृष्टि में परिवार नियोजन को राष्ट्रीय संस्कृति का एक अंग बनाने के लिए शिक्षा पद्धति में एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का पाठ्यक्रप बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है और उसकी क्या रूपरेखा है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली में एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू की है। इसके अन्तर्गत राज्यों को इस क्षेत्र में पाठ्यचर्या विकसित करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण से सहायता की जा रही है:

(1) छात्रों को जनसंख्या वृद्धि तथा व्यक्ति, परिवार, समाज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर समाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच पारस्परिक सम्बन्ध की जानकारी कराने में सहायता करना;

(2) बच्चों और अध्यापकों को देश की जनसंख्या सम्बन्धी स्थिति तथा इस समस्या को सुलझाने में सरकार के लक्ष्यों और प्रयासों के बारे में जानकारी करना; तथा

(3) जनसंख्या मामलों के सम्बन्ध में अध्यापकों और छात्रों में वांछनीय अभिरुचि और व्यवहार विकसित करना ताकि वे अपने परिवार के आकार तथा जीवन के उस स्तर के सम्बन्ध में जो वे व्यतीत करना चाहते हों, तर्कसंगत निर्णय ले सकें।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत, राज्यों को, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकसित करने में सहायता की जाती है। इस प्रयोजन के लिए राज्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे अपने आप इस कार्य को कर सकें। जनसंख्या शिक्षा के पाठ्य-विवरण में सामान्यत: जनसंख्या गतिशीलता, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन के बीच सम्बन्ध और प्राकृतिक संसाधनों और परिवारिक जीवन शिक्षा सहित पर्यावरण पर प्रभाव शामिल है।

भोमेश्वर में रेल फाटक

2028. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए भोमेश्वर, राजकोट (गुजरात) में रेलवे लेवल क्रासिंग का फाटक पुन: खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस तारीख को किया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजकोट में वर्तमान समपार सं 3 के बदले रेलवे लाइन के आर-पार ऊपरी सड़क पुल के पूरा होने तक अस्थायी व्यवस्था के रूप में समपार सं० 3-ए की व्यवस्था की गयी थी। चूंकि ऊपरी सड़क पुल का काम पूरा हो चुका है तथा उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है, इसलिए वर्तमान नियमों के अनुसार अस्थायी समपार को बन्द करा दिया गया है। इसको नियमित रूप से पुन: खोलने के लिए एक नये अतिरिक्त समपार की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रस्ताव पर तभी विचार किया जायेगा जब राजकोट नगरपालिका/सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण वर्तमान नियमों के अनुसार समपार पर आने वाले प्रारम्भिक तथा आवर्ती व्यय को वहन करने के लिए तैयार हों।

विदेशी पर्यटकों के लिये आरामदेह वातानुकूलित रेलगाड़ियां

2029. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विदेशी पर्यटकों के लिए आराम देह वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी रेलगाड़ियां हैं और ऐसे पर्यटक रुचि के कौन-कौन से स्थान हैं जहां से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी आरामदेह वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी;

(ग) क्या यह प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राजस्थान में पर्यटन का विकास करने के लिए पेलेस आन व्हील्स, नामक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) केवल एक गाड़ी, पायलट परियोजना में अनन्तिम रूप से 2 मार्ग-सूचियां बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें पहली मार्ग-सूची 7 दिन की अवधि के लिए और दूसरी 2 दिन से अवधि के लिए है । पहली मार्गसूची में दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-भरतपुर-आगरा-दिल्ली और दूसरी मार्ग-सूची में दिल्ली-जयपुर-आगरा-दिल्ली सम्मिलित होंगे ।

(ग) और (घ) इस गाड़ी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 26 जनवरी, 1982 से चलाये जाने का प्रस्ताव है इस गाड़ी का अगस्त, 1982 में किसी समय नियमित रूप से शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा

2030. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री टी० दामोदर रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत माह ब्रिटेन की यात्रा की थी; यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार के मंत्रियों विशेषकर लार्ड केरिंगटन के साथ हुई वार्ताओं का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या इन वार्ताओं के दौरान दोनों अमरीका और ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों का मामला भी उठा था; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। नवम्बर, 1981 में अपनी यू० के० यात्रा के दौरान मैंने ब्रिटेन प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और लार्ड केरिंगटन सहित कुछ अन्य ब्रिटिश मंत्रियों से भी भेंट की थी।

(ख) और (ग) लार्ड केरिंगटन के साथ हुए विचार-विमर्श में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समीक्षा की गयी। इस बातचीत के दौरान भारत-पाक संबंधों और पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न पर भी चर्चा हुई। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इन मुद्दों पर हमारे दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा है।

जीवन रक्षक औषधियों का उनके मूल नामों से प्रचलन

2031. श्री रूपचन्द पाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों तथा अन्य औषधियों के मूल नाम से उनके प्रचलन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (ग) इस समय जीवनरक्षक औषधियों तथा अन्य औषधियों के मूल नाम से उनके प्रचलन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 जनवरी, 1981 को जी० एस० आर० संख्या (ई) के अधीन एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के नियम 96 को संशोधित करके यह आवश्यक कर दिया गया कि एकल घटक के रूप में बनाई गई निम्नलिखित दवाइयों को उनके मूल नाम से ही बाजार में बेचा जाएगा न कि उनके ब्रांड नाम से :

1. अनलजिन
2. एस्प्रीन और इसके लवण
3. कोलरप्रोमियाजाइन और उसके लवण
4. फेरेश सल्फेट
5. पाइप्राजाइन और उसके लवण

उक्त अधिसूचना में यह भी निर्धारित किया गया है कि एकल सक्रिय घटक के रूप में किसी भी नई दवा से बने योग पर जिस नियत 30-क, 69-ख अथवा 27-ख के तहत इस शर्त पर अनुमोदित किया गया हो कि केवल उस पर उसका मूल नाम ही अंकित किए जाएं, औषध विशेष के नाम का लेबल लगाया जाए।

चार कम्पनियों जिनके नाम मेसर्स हैक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, साइनामिड इंडिया लिमिटेड, मैसर्स फाइजर इंडिया लिमिटेड और कास्मा फार्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर करके 17 जनवरी, 1981 को उपर्युक्त अधिसूचना की विधि-मान्यता को चुनौती दी है। उच्च-न्यायालय ने 17 जनवरी, 1981 को इस अधिसूचना के कार्यान्वयन पर तथा उक्त चारों फर्मों द्वारा बेची जा रही उन विशिष्ट दवाइयों के निर्माण पर रोक लगा दी है जिनके बारे में उन्होंने राहत की मांग की है।

इसी प्रकार की रोक मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मी०डी० फार्मा, मद्रास द्वारा दायर की गई रिट याचिका के बारे में भी मंजूर की है।

कलकत्ता पत्तन के लिए धनराशि के आवंटन में कमी करना

2032. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कलकत्ता पत्तन के लिए धनराशि के आवंटन में भारी कमी की है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कमी का पत्तन अधिकारियों द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, कलकत्ता पत्तन औन हल्दिया डाक काम्पलैक्स सम्बन्धी विकास योजनाओं के लिए योजना आयोग को 97.67 करोड़ रु० की धनराशि नियत करने का प्रस्ताव किया गया था। संसाधनों की कमी को देखते हुए इस राशि में कमी कर 83.00 करोड़ करोड़ रु० नियत की गई। अन्य बड़े पत्तनों के मामले में भी परिव्यय में इसी प्रकार कमी की गयी थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण

2033. **श्री० एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 राज्य सरकारों ने अपने यहां रिक्त पदों में से 1 से 4 प्रतिशत तक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का विचार किया है; और

(ख) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 16 राज्यों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए 2 से 4 प्रतिशत तक पद आरक्षित किए हैं।

(ख) बिहार, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन राज्यों से निवेदन किया गया है कि वे अपने अधीन 3% पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित करें।

भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग

2034. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग की एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत में कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए फ्रांस ने बड़े-बड़े ऋण देने की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो फ्रांस सरकार भारत को कुल कितनी धनराशि का ऋण प्रदान करेगी;

(घ) क्या इस संबंध में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने फ्रांस की यात्रा भी की है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां,

(ख) से (घ) फ्रांस सरकार ने भारत की कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए फ्रांसीसी ऋण देने की अपनी रजामंदी का संकेत दिया था। इन ऋणों की मात्रा पर तथा सम्बद्ध परियोजनाओं पर दोनों सरकारें अभी विचार कर रही हैं। द्विपक्षीय आर्थिक बातचीत के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल पेरिस गया है।

(ङ) पिछले मास मैंने फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये थे। ये समझौता-ज्ञापन कोयला, पर्यावरण प्रबन्ध में सहयोग, ऊर्जा पर ग्रुप की स्थापना और भारत में उच्च वोल्टता विद्युत उपस्कर के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने से सम्बन्धित है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य से काफी पिछड़ जाना

2035. **श्री एच० गन० नन्जे गौड़ा :**

श्री भीकूराम जैन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन के उपायों को प्रयोग करने संबंधी नवीनतम आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या की 100 करोड़ तक हो जाने से रोकने के कोई आसार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए नवीनतम कार्यक्रम अधिकतर परिवारों में लोक प्रिय और स्वीकार्य नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के वर्तमान पुर्वानुमानों और दीर्घावधि लक्ष्यों के अनुसार सन् 2000 ईसवी तक भारत की जनसंख्या के 95 करोड़ तक बढ़ जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम जन साधारण में छोटा परिवार रखने की आवश्यकता के प्रति व्यापक रूप से जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है। लेकिन, इस जागरुकता और छोटे परिवार के सिद्धांत पर अमल करने के लिए अपेक्षित तरीकों के वस्तुतः स्वीकार किए जाने में अन्तर रहा है। तथापि, यह कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि-दर को रोकने में सफल रहा है जो 1971-81 के दशक में अनुमानतः 24.75 प्रतिशत है जबकि पिछले दशक में यह वृद्धि-दर 24.80 प्रतिशत थी। यह भी अनुमान है कि इस कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर मार्च, 1981 तक किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 4.4 करोड जन्मों को रोका जा सका है। देश में, विशेषकर उन राज्यों/क्षेत्रों में, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम में पीछे रहे हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम में और तेजी लाने के लिए एक नीति तैयार की गई है और उसे लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

गोन्दिया-जबलपुर छोटी लाइन पर गाड़ियों का देर से चलना

2036. **श्री नन्दकिशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोन्दिया-जबलपुर छोटी लाइन पर 1867 के इन्जन और सवारी डिब्बों को अब तक प्रयोग में लाया जा रहा है और उनकी हालत काफी खस्ता है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति में सुधार न लाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सब है कि इस लाईन पर चलने वाली गाड़ियां बहुधा घन्टों लेट होती हैं और इस बारे में अनेक शिकायतें करने के बाद भी रेल विभाग इसमें कोई सुधार लाने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस लापरवाही के क्या कारण हैं और स्थिति में कब तक सुधार हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ रेल इन्जन और सवारी डिब्बे गतायु हो चुके हैं तथापि ये 1897 वाले इन्जनों जितने पुराने नहीं हैं ।

(ख) इन इन्जनों को सेवा के लिए उपयुक्त बनाने हेतु यथोचित ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) और (घ) पिछले 3 महीनों से गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर छोटी लाइन खण्ड पर समय-चालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है जो मुख्य रूप से इस खण्ड पर चलने वाले गतायु रेल इन्जनों और नैनपुर-गोंदिया खण्ड पर मार्गवर्ती स्टेशनों पर 2 जी० बी० एन० (गोंदिया-बालाघाट-नैनपुर) मिश्रित गाड़ी की शंटिंग के कारण भी होता है । बहरहाल, आगत गाड़ियों के देरी से चलने के मामले में सही समय पर गाड़ी चलाना सुनिश्चित करने के लिए गोंदिया में एक अतिरिक्त रेक बनाया गया है। इस नये प्रबन्ध के द्वारा इस खण्ड पर गाड़ियों के समय पालन में सुधार हो जाने की आशा है ।

गोन्दिया-जबलपुर लाइन का बड़ी लाईन में बदला जाना

2037. श्री नन्दकिशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रेल के माल-भाड़े राजस्व में वृद्धि करने और खनिज माल को ढोने हेतु उसकी क्षमता बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए गोन्दिया-जबलपुर छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : बालाघाट-कटंगी शाखा लाइन के साथ-साथ गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर विचार किया गया था । सर्वेक्षण कराने से पता चला कि यह प्रस्ताव अलाभप्रद होगा । यह भी पता चला कि केवल इस लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव करने से ही प्रश्नगत क्षेत्र का विकास होना शुरू नहीं हो जायेगा, क्योंकि इस खनिज प्रधान क्षेत्र के असन्तोषजनक विकास का कारण यातायात अवसंरचना का अभाव नहीं था, बल्कि संभवतः पर्याप्त उद्यमी प्रयास की कमी इसका कारण रहा है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को, विशेषकर अति सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के सन्दर्भ में, जोकि लाभप्रद तथा प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भी कठिनता से पर्याप्त है, छोड़ दिया गया था ।

लमटा स्टेशन को नया रूप दिया जाना

2038. श्री नन्दकिशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंदिया जबलपुर छोटी लाइन पर स्थित लमटा स्टेशन खस्ता हालत में है;

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन को नया रूप न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह काम कब तक हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) यह स्टेशन जीर्ण-जीर्ण अवस्था में नहीं है। सहायक स्टेशन मास्टर के कमरे की पिछली दीवार थोड़ी झुकी हुई है। 1981-82 में प्रतीक्षालय के विस्तार निर्माण कार्य के साथ इस दीवार को फिर से बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

चरेगांव स्टेशन पर इंजनों के लिए पानी

2039. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंडिया-जबलपुर छोटी लाइन पर स्थित 'चरेगांव' स्टेशन पर केवल वर्षा और सर्दी के मौसम में ही रेलवे इंजनों के लिए जलपम्प में पानी उपलब्ध रहा है और यदि हां, तो गर्मी के मौसम में इंजन कहां से पानी लेता है;

(ख) क्या ऐसा अनेक बार हुआ है कि जब इंजन किसी अन्य स्थान पर पानी लेने गया था तो गाड़ी में बैठे यात्रियों को लूट लिया गया और उनका सामान चोरी हो गया; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और क्या सरकार का विचार उस जलपम्प को और अधिक गहराई पर लगाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । गर्मी में नाहरा नदी जो चरेगांव से लगभग 2 कि० मी० पर है, के पुल नं० 65 पर मध्य खंड में इंजनों में पानी डालने की वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था करती हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चरेगांव में गहरे स्तर पर पम्प की व्यवस्था करना संभव नहीं हैं क्योंकि यह सतह पथरीला है । इस प्रकार स्टेशन पर कुएं को और गहरा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे लाइनों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बिछाना

2040. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी के पश्चिमी तट में हो रहे भूक्षरण के कारण पूर्व रेलवे के बी० ए० के० लूप में नवाद्वीप से डेनहट तक रेलवे लाइनों को वर्तमान स्थान से हटाकर पश्चिमी की ओर बिछाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण कार्य और अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हुगली नदी के पश्चिमी तट में भूमि के कटाव का रेलवे लाइनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसका स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में मजूरी की कटौती

2041. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मजूरी में कटौती किया जाना जारी है;

(ख) क्या किसी सांसद द्वारा उनका ध्यान दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधिकारियों के इस रवैये की ओर दिलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस संबंध में सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और स्थिति का पता लगाने के बाद, रेलवे द्वारा सूचित किया गया था कि उसने इस विषय पर वर्तमान आदेशों के अनुसार 11-9-81 को कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित कर दिया है।

छपरा-रक्सौल लाइन

2042. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा से नैनी बनियापुर, बेतिया होकर रक्सौल के लिए एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार को उसके विचारार्थ भेजा गया था और क्या सरकार का ध्यान इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन को बिछाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नैनी, बनियापुर, उमरियाघाट, बेतिया के रास्ते छपरा से रक्सौल तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण का एक प्रस्ताव प्रो० सत्यदेव सिंह से प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रस्तावित लाइन के निर्माण के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। मोटे तौर पर प्रस्तावित नयी लाइन 150 कि० मी० लम्बी होगी और इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये की

लागत आने का अनुमान है । रेलों को नयी लाइनों के निर्माण के लिए सीमित धनराशि का आवंटन किया गया है । संसाधनों की तंगी के कारण इस लाइन के निर्माण का काम हाथ में लेना इस समय संभव नहीं है ।

तम्बाकू की खेती करने वाले भारतीय किसानों का "ग्रीन सिपटम्स" ग्रुप रोगों से पीड़ित होना

2043. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि तम्बाकू की खेती करने वाले भारतीय किसान ग्रीन सिपटम्स ग्रूप के ऐसे रोगों से पीड़ित हैं, जिसमें मिचली, उल्टी और चक्कर आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा दो अध्ययन किये गये हैं । एक अध्ययन में तम्बाकू की संसाधित अथवा गैर संसाधित पत्तियों में काम करने वाले 290 कर्मचारियों में ग्रीन सिपटम्स मौजूद होने का पता चला था । इन सिपटम्स की आवृत्ति बहुत अधिक थी । यह भी देखा गया कि अधिकतर रोगियों के पेशाब में निकोटीन तथा तत्सम्बन्धी मुख्य मेटाबोलाइट-कोटिनाइन की मात्रा काफी अधिक थी ।

सनंद, गुजरात में नानविर्जीनिया टोबाको कल्टीवेशन से सम्बद्ध एयरोबायोलाजीकल समस्याओं पर किये गये एक अन्य अध्ययन में खेती के मौसम के दौरान चार खेतों में से लिये गये 2468 स्ट्रेन्स में से 1394 स्ट्रेन्स क्लेडोसपारियम तथा 278 स्ट्रेन्स अल्टरनेरिया के थे । शेष समय में यह संख्या घटकर क्रमशः 6 और 1 रह गई थी । यह दशा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फफूंदियां नासिका-खसनी एलर्जी के लिए निश्चित कारण मानी जाती हैं ।

कुष्ठ निवारण अभियान और इसमें उड़ीसा को सम्मिलित न किया जाना

2044. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही देश में कुष्ठ निवारण अभियान चलाने वाली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अभियान में उड़ीसा को सम्मिलित नहीं किया गया है, हालांकि उड़ीसा में कुष्ठ रोग से अत्यधिक लोग पीड़ित हैं;

(ग) यदि हां, तो इस अभियान में किन-किन राज्यों को शामिल किया जायेगा और इसमें उड़ीसा को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उड़ीसा को सम्मिलित किया गया है तो इस रोग पर, विशेषरूप से आदिवासियों में, काबू पाने के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आरम्भ में बहु-औषधीय उपचार शुरू करके गहन कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला गंजम को लाया जायेगा और तत्पश्चात धीरे-धीरे दूसरे जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा। उड़ीसा के जनजातीय इलाकों के लिये नियत किये गये लक्ष्य और बजट आवंटन इस प्रकार हैं :

(क) भौतिक लक्ष्य :

(1) जिला/जोनल कुष्ठ एकक—1

(2) स्वैच्छिक कुष्ठ-पलंगों का रखरखाव—50

(3) गैर-चिकित्सीय सुपरवाजर—2

(4) वाहनों का बदलना—1

(ख) 1981-82 तथा 1982-83 के बजट आवंटन :

	1981-82	1982-83
(1) जनजातीय इलाकों के लिए दिया जाने वाला धन	8.30 लाख रु०	9.30 लाख रु०
(2) (1) सहित उड़ीसा के लिए कुल आवंटन	36.00 लाख रु०	39.00 लाख रु०

जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी बनाए रखने के लिए उड़ीसा को सहायता

2045. श्री के० पी० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उड़ीसा पहला राज्य है, जिसने अल्पभाषी प्रत्ययकारी और शैक्षिक प्रचार के माध्यम से तथा ग्रामीण लोगों को छोटा परिवार रखने की आवश्यकता के बारे में समझा बुझाकर जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी हासिल की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि छोटे परिवार के सफल अभियान के लिए आर्थिक विकास की कोई पूर्व शर्त नहीं है;

(ग) जनसंख्या वृद्धि में कमी की दर कितनी है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल वर्तमान प्रगति ही बनाये रखी जायेगी, बल्कि स्थिति में आगे भी सुधार हो, और अधिक वित्तीय सहायता देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उड़ीसा उन 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन रजामन्दी, शिक्षा और प्रेरणा के जरिए जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी लाई गई है।

(ख) उड़ीसा ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी छोटे परिवार के अभियान को चलाने में सफलता हासिल की है ।

(ग) वृद्धि-दर जो 1961-71 के दशक में 25.05 प्रतिशत थी 1971-81 के दर्शक में घटकर 19.72 प्रतिशत रह गई है ।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता कार्यक्रम के संचालन बुनियादी ढांचे की उपलब्धता तथा उनकी जरूरत के अनुसार दिये जा रहे उपकरणों और सेवाओं के लिहाज से दी जाती है। जहां तक वित्तीय साधनों के आवंटन का संबंध है, उड़ीसा जरूरतों की ओर सदैव पूरा ध्यान दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा।

सम्बलपुर के कुष्ठ अस्पताल के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता

2046. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या क्या है और क्या गत कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार इस संख्या में कुछ कमी दिखाई दी है और यदि हां, तो किन-किन राज्यों की यह विशेष उपलब्धि रही है;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने सम्बलपुर के कुष्ठ अस्पताल के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी धनराशि की मांग की गई है और क्या इसकी स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) देश में कुष्ठ रोगियों की औसत संख्या 0.4 प्रतिशत है। तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के कुछेक केन्द्रों में इस रोग की घटनाओं में कुछ कमी दिखाई दी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के लिये 8.82 लाख रुपये की सहायता मांगी गई है। उड़ीसा सरकार को यह सूचना दे दी गई है कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के पैटर्न के अनुसार उन्हें 5.96 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा सकती है। उड़ीसा सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रत्येक राज्य में औषध जांच प्रयोगशाला की स्थापना और पूर्णकालिक औषध नियन्त्रक की व्यवस्था

2047. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या स्वास्थ्य कल्याण और परिवार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि प्रत्येक राज्य में सुस्थापित औषध जांच प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने की ओर नकली दवाओं बनाने और बेचने वालों का पता लगाने के लिये सुसज्जित विधि और आसूचना स्कन्ध की स्थापना किये जाने की ओर बिना विलम्ब के अपराधियों को दंड दिलाने की अविलम्ब आवश्यकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई स्थानों पर पर्याप्त अर्हता प्राप्त पूर्णकालिक औषध नियन्त्रक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से केन्द्रीय परिषद् के उपरोक्त सुझाव को शीघ्र ही कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है तथा कौन से राज्य इसमें सहमत हैं और कौन से राज्य इस मामले में धीमी गति से चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने क्रमशः जनवरी, 1978, अक्तूबर, 1978 तथा जून, 1981 में हुई अपनी चौथी, पांचवी तथा सातवीं बैठकों में संकल्प पारित करके यह सिफारिश की कि राज्य ऐसी सुसंगठित विश्लेषण-प्रयोगशालायें खोलें जो सभी वर्गों की औषधियों के नमूनों को जांच करने में सक्षम हों और ऐसे कानूनी एवं आसूचना एकांश स्थापित करें जो नकली औषधियों की समस्याओं से निपटने के लिये उपकरणों आदि से पूरी तरह लैस हों।

(ख) जी हां, कुछेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त अर्हता रखने वाले पूर्णकालिक औषध नियंत्रक नहीं हैं।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को संकल्पों की प्रतियां भेजते हुए उनसे अनुरोध किया था कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की विभिन्न सिफारशों को कार्यान्वित किया जाये और तत्संबंधी कार्यान्वयन-रिपोर्टें भी भेजी जायें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और कर्नाटक राज्यों में सभी वर्गों की औषधियों की जांच करने की सुविधायें मौजूद हैं, 12 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में केवल नान-बायोलाजीकल उत्पादों की जांच की सुविधाएं ही उपलब्ध हैं और सात राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में औषधियों की जांच की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने नकली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी-एवं-आसूचना शाखायें खोल दी हैं। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कोई मशीनरी नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 का चौड़ा किया जाना

2048. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को, विशेष रूप से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के रेगिस्तानी क्षेत्र में, जहां यातायात काफी हद तक बढ़ गया है, इतना चौड़ा करने का काम शुरू करने का है कि उस पर दो गाड़ियां साथ-साथ चल सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बीकानेर से राजस्थान/गुजरात सीमा तक इस सड़क पर वर्तमान यातायात को देखते हुए, फिलहाल इसे दोहरी लेन की सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

निर्माण के लिए स्वीकृत रेलवे लाइनें

2049. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करते हुए गत 3 वर्षों के दौरान जोन-वार निर्माण के लिए किन-किन रेल लाइनों को स्वीकृति दी गई है, प्रत्येक मामले में किलोमीटरों में लम्बाई, अनुमानित लागत और निर्माण की सम्भावित अवधि का ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है तो इसके किस तारीख से शुरू हो जाने की आशा है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं और चालू वर्ष के दौरान बजट/अनुपूरक बजट में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक मामले में हर एक लाइन के लिये कितना-कितना आवंटन किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 3014/81]

नए केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

2050. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

श्री सज्जन कुमार :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या वर्ष 1982-83 में किन्हीं नये केन्द्रीय विद्यालयों को खोले जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में किस-किस स्थान पर ये विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी है;

(ग) क्या नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव/अनुरोध सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है और उन पर किस तारीख तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वर्ष 1982-83 के दौरान देश में 40 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा, उन स्थानों पर भी कुछ केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की सम्भावना है, जहां उच्च शिक्षा की संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थित हैं।

अगले वर्ष के दौरान खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय संगठन द्वारा अगले शैक्षिक सत्र शुरू होने के समय लिया जाएगा। इस समय इन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तब विचार किया जाता है, जब ये उपयुक्त प्रायोजक प्राधिकारी से निर्धारित रूप में प्राप्त होते हैं। स्कूल खोलना एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल उन स्थानों पर, चरणों में खोले जाते हैं जहां मांग होती है और जहां भूमि और भवनों इत्यादि के रूप में अपेक्षित भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है, निश्चित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

देश में चिकित्सा शिक्षा संबधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

2051. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता लाने संबंधी प्रस्तावों को सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षण समिति ने जो पहले शान्तिलाल मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी, अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति के निदेश पदों में देश में स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से चिकित्सक जनशक्ति संबंधी योजना की बात भी सम्मिलित है; और

(घ) इन समितियों की रिपोर्टों के कब तक प्राप्त हो जाने और सरकार द्वारा उनकी जांच किये जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने वर्तमान चिकित्सा शिक्षा पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में सुझाव देने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति गठित की है।

(ख) डा० शान्तिलाल जे० मेहता की अध्यक्षता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (इसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र शामिल है) की और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ की पुनरीक्षा समिति ने, सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद वास्तव में जितने डाक्टरों की जरूरत होगी, उनके बारे में अनुमान लगाना इस चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में एक विषय है।

(घ) चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति जिसने 8.9.1981 को कार्य करना आरम्भ किया था, से आशा है कि वह कुछ विचारार्थ विषयों पर अपनी रिपोर्ट छः महीने के अन्दर अर्थात 8.3.1982 तक प्रस्तुत कर देगी। प्रश्न के भाग "ख" के उत्तर में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

रेलों के लिए नई सुरक्षा प्रणाली का विकास

2052. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा रेलों के लिये एक सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके उपायों में से एक यह है कि रेलगाड़ी के चालकों को सिगनल का उल्लंघन नहीं करने दिया जायेगा और यदि वे ऐसा कोई प्रयास करेंगे तो उपरोक्त सुरक्षा प्रणाली के अधीन गाड़ी स्वत: ही रुक जायेगी;

(ग) क्या इन सुरक्षा उपायों में किसी भी वृद्धि से आगे लाइन पर गाड़ी होने की जानकारी होने से प्रत्येक रेलगाड़ी की गति नियंत्रित होती है और ड्राइवर को अनुमेय गति की सूचना मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुरक्षा उपायों से रेल दुर्घटनाओं में कितनी कमी हुई है और रेलवे कार्यकुशलता में कितनी वृद्धि हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया द्वारा विकसित की गयी स्वचालित गाड़ी चेतावनी प्रणाली, स्टेशन के निकट पहुंचते समय ड्राइवर को एक पूर्वनिश्चित स्थान से पहले प्रथम ठहराव सिगनल की स्थिति के बारे में चेतावनी देने में समर्थ है। जिस सिगनल के पास गाड़ी पहुंच रही है, यदि वह सिगनल खतरे का संकेत देता है, तो ड्राइवर को निर्दिष्ट समय के भीतर चेतावनी के सम्बन्ध में कार्रवाई करनी होती है। यदि वह निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा करने में असफल हो जाता है, तो इस प्रणाली के अनुसार अपने आप ब्रेक लग जाते हैं।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया ने 'सतत् स्वचालित गाड़ी संरक्षा प्रणाली' नामक एक अन्य संरक्षा प्रणाली का भी विकास किया है जिसके द्वारा आगे खंड पर गाड़ी होने की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाती है और गाड़ी की रफ्तार तदनुसार सीमित की जाती है। यह यंत्र भूमिगत रेलवे के लिए है और मेट्रो रेलवे, कलकत्ता में इस यंत्र को लगाया जा रहा है तथा क्षेत्र परीक्षण किये जा रहे है।

(घ) स्वचालित चेतावनी प्रणाली पूर्व रेलवे के हावड़ा-बर्दवान और गया-मुगलसराय खंडों पर तथा इन खंडों पर चल रही कुछ बिजली गाड़ियों और इन्जनों में आंशिक रूप से शुरू की गयी है। जब तक पूरे खंड में तथा सभी रेल इन्जनों/बिजली गाड़ियों में यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक गाड़ी दुर्घटनाओं पर इस प्रणाली के प्रभाव के बारे में कुछ कहना कठिन है।

दक्षिण एशियाई देशों के विदेशी सचिवों की बैठक में चर्चित विषय

2053. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण एशियाई देशों के विदेश सचिवों की एक बैठक नवम्बर, 1981 में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इस सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन क्या था ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्मेलन में निम्नलिखित देशों के विदेश सचिवों ने भाग लिया :

बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ।

(ग) और (घ) इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य उन पांच अध्ययन दलों के बीच क्षेत्रीय सहयोग संबंधी सिफारिशों पर विचार करना था, जो ग्रामीण विकास, मौसम विज्ञान, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों तथा दूरसंचार के संबंध में कोलम्बो में विदेश सचिवों की बैठक में गठित किए गए थे । इस बैठक में सहयोग के अतिरिक्त क्षेत्रों के बारे में सर्व समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाना था ।

विदेश सचिवों ने अध्ययन दलों की सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इस बात को भी स्वीकार किया कि इन्हें कार्यकारी दलों में बदल दिया जाए जिन पर अपने-अपने क्षेत्रों के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के व्यापक सहयोग तैयार करने की जिम्मेदारी हो । विदेश सचिव परिवहन, डाक सेवा और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों के भी अध्ययन प्रारम्भ करने पर भी सहमत हुए । इस बैठक में जो निर्णय लिए गये थे वे बैठक के अन्त में जारी की गई एक संयुक्त विज्ञप्ति में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

2-4 नवम्बर, 1981 को काठमंडू में विदेश सचिवों की दूसरी बैठक
संयुक्त विज्ञप्ति

1. नेपाल की महामहिम सरकार के नियंत्रण पर दक्षिण एशियाई देशों—बंगलादेश, भूटान भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों की बैठक 2 से 4 नवम्बर, 1981 तक काठमंडू में हुई जिसका निर्णय अप्रैल, 1981 में कोलम्बो में आयोजित उनकी पहली बैठक में लिया गया था ।

2. विदेश सचिवों ने हर्ष-ध्वनि के साथ नेपाल के महामहिम की सरकार के विदेश सचिव श्री जगदीश एस० जे० बी० राना को इस बैठक का अध्यक्ष चुना । उन्होंने पहली बैठक के अध्यक्ष, श्रीलंका के विदेश सचिव महामान्य श्री डब्ल्यू० टी० जयसिंघे द्वारा सम्पन्न बहुमूल्य कार्यों की सराहना की ।

3. परम सम्मानीय प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री सूर्य बहादुर थापा ने इस बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रमुख भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया के देशों के सामने

शान्ति और विकास जो बढ़ती हुई चुनौती है उसका सामना करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि क्षेत्रीय सहयोग का अवधारणा विकास की समस्या और समसामयिक विश्व की अन्योन्याश्रित प्रकृति की तार्किक प्रतिक्रिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के देशों में व्याप्त निर्धनता को मिटाने के लिए और उनके विकास-प्रयासों पर बाहरी तत्वों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पारस्परिक सहयोग और समान दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सहयोग के ऐसे कार्यक्रम से इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्थाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तथा उनके राष्ट्रीय विकास प्रयासों को बल एवं प्रेरणा मिलेगी जो इस क्षेत्र के सभी सदस्य देश अपने-अपने देशवासियों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने विदेश सचिवों का आह्वान करते हुए उनसे कहा कि वे क्षेत्रीय सहयोग के समान लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्य करने के उद्देश्य से अपने प्रयासों की रचनात्मक कार्यों की ओर लगाएं।

4. भारत के विदेश सचिव महामान्य श्री आर० डी० साठे ने दक्षिण एशिया के विदेश सचिवों की ओर से बोलते हुए नेपाल के परम सम्मानीय प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को उनके प्रेरणाप्रद अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया।

5. विदेश सचिवों ने पुन: यह बात दोहराई कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग लाभदायक, वांछनीय और आवश्यक है तथा उन्होंने अपने-अपने देशों के संकल्प की पुन: पुष्टि की कि ऐसे सहयोग की प्रक्रिया को विकसित करने और उसे गति देने में वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

6. विदेश सचिवों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव करने के लिए बंगलादेश के स्वर्गीय राष्ट्रपति जिया उर रहमान की दूरदर्शिता और राजनीतिज्ञता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

7. विदेश सचिवों ने कोलम्बो में अपनी बैठक में स्थापित पांच अध्ययन-दलों की सिफारिशों पर विचार कर उनका समर्थन किया। उन्होंने माना कि सिफारिशें मोटे तौर पर दो वर्गों में आती हैं जिनमें एक ओर ऐसी सिफारिशें थीं, जिन्हें सहकारी क्रियाकलापों के जरिए तत्काल क्रियान्वित किया जाना था और दूसरी ओर ऐसी सिफारिशें थीं जोकि तत्काल और लम्बी अवधि की थीं तथा जिनके क्रियान्वयन के लिये अधिक समय की जरूरत थी।

8. इस सम्बन्ध में, विदेश सचिव सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त प्रकारताएं निर्धारित करने की आवश्यकता पर सहमत हो गए। उन्होंने पहले ही से निर्धारित सहयोग के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में मौजूदा अध्ययन दलों के कार्यकारी दलों में परिवर्तित किये जाने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की। कार्यकारी दलों की अध्यक्षता बारी से होगी, जिसकी अवधि शुरू में प्रत्येक दल द्वारा निश्चित की जाएगी। पांच अध्ययन दलों के मौजूदा समन्वयकार संवर्धित कार्यकारी दलों के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे। वे इस पर भी सहमत हुए कि विदेश सचिव सिफारिशों की समीक्षा, प्रगति का जायजा लेने और अगली कार्रवाई के लिए निर्देश निर्धारित करने के वास्ते समय-समय पर मिलते रहेंगे।

9. विदेश सचिवों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि प्रत्येक कार्यकारी दल का मुख्य कार्य दोनों तात्कालिक और लम्बी अवधि की अवस्थाओं में सहयोग के लिए कार्रवाई हेतु एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना होगा।

तात्कालिक कार्रवाई कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

(क) सामग्री और जानकारी का आदान-प्रदान।

(ख) विशेषज्ञों, प्रशिक्षण-सुविधाओं, छात्रवृत्तियों आदि का आदान-प्रदान।

(ग) क्षेत्रीय आधार पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन।

कार्यवाही की लम्बी अवधि वाले कार्यक्रम में दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी शामिल होगा :

(क) आवश्यकताओं और संसाधनों का मूल्यांकन।

(ख) क्षेत्रीय प्रकार की विशिष्ट परियोजनाओं का तैयार किया जाना।

(ग) परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये प्रकारताएं।

10. दोनों तात्कालिक कार्रवाई के कार्यक्रमों और लम्बी अवधि के कार्यक्रमों को तैयार करने के संबंध में, कार्यकारी दल प्रगति-रिपोर्ट पेश करेंगे, ताकि विदेश सचिव अपनी बैठकों में उन पर विचार कर भावी कार्रवाई निश्चित कर सकें।

11. विदेश सचिवों ने समिति के निष्कर्षों की पूरी तरह समीक्षा की। वे क्षेत्रीय सहयोग की लम्बी अवधि के परिपेक्ष्य में एक विकास तथा लचीली प्रक्रिया के तौर पर समीक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सचेत थे। जिसके फलस्वरूप परस्पर सहमति से अधिक से अधिक क्षेत्र में सहकारी प्रबंधों का विस्तार हो सकेगा। अप्रैल, 1981 में कोलम्बो में अपनी बैठक में प्रकारताओं तथा विचारार्थ विषयों पर हुई सहमति को देखते हुए, वे सहयोग के निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्रों, में अध्ययन के लिए फिलहाल सहमत हो गए :

		समन्वयकर्ता देश
1.	परिवहन	मालदीव
2.	डाक सेवायें	भूटान
3.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग	पाकिस्तान

12. विदेश सचिवों ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्र के देशों के सरकारी राष्ट्रीय योजना संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना उपयोगी होगा और वे अपनी अगली बैठक में इस मामले पर अधिक गहराई से विचार विमर्श करने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते सहमत हुए।

13. विदेश सचिव, क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी अपने सहमति वाले निर्णयों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए छह से आठ महीने के अन्दर-अन्दर अपनी अगली बैठक करने पर सहमत हो गये। वे इस अवधि के दौरान परस्पर परामर्श करते रहने पर भी सहमत हुए, ताकि वे अगली बैठक में अपने मंत्रियों को 1982 में उनके स्तर पर होने वाली बैठक के आयोजन के लिए उनसे सिफारिश कर सकें।

14. विदेश सचिव इस पर सहमत हुए कि उनकी अगली बैठक के लिए स्थान के बारे में अन्य साथियों के परामर्श से, मौजूदा अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाए।

15. बैठक की समाप्ति पर, प्रवासी विदेश सचिवों ने बैठक के सिलसिले में किए गए शानदार प्रबन्धों और सभी प्रतिनिधियों को प्रदान किये गए उदार आथित्य के लिए नेपाल की महामहिम सरकार के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया।

काठमंडू

4 नवम्बर, 1981

परिवहन विकास परिषद् की बैठक

2054. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री रामस्वरूप राम :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन विकास परिषद् की 26 सितम्बर, 1981 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य परिवहन मंत्रियों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि शिथिल प्रगति और केन्द्र ने उदासीनता दिखाई जिसके परिणामस्वरूप असन्तुलन बना रहा तथा बढ़ता गया;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों को इस बात का सुझाव दिया था कि आगामी 15 वर्षों के अन्तर्गत स्थिति सन्तुलित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि पिछड़े राज्यों में सड़कों के विकास की गति इतनी तेज की जाये कि वे उन्नत राज्यों के बराबर आ सकें;

(घ) अन्य सुझाव क्या दिए गए थे; और

(ङ) उनको कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार-विमर्श के दौरान परिवहन विकास परिषद के कुछ सदस्यों ने इस विषय में प्रकाश डाला कि गांवों तक पहुंचने वाली बारह-मासी सड़कों का अब भी अभाव है और

बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग त्रुटि-पूर्ण है। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि पिछड़े राज्यों में तेजी से सड़कें बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

(घ) परिवहन विकास परिषद के सदस्यों द्वारा सड़कों के बारे में दिये अन्य सुझाव इस प्रकार है :

(i) सड़कों को महत्वपूर्ण योजना के रूप में शामिल किया जाना;

(ii) सड़क और सड़क परिवहन सैक्टर में ईंधन की बचत के लिये उपाय करने की आवश्यकता;

(iii) सड़कों का विकास करना ताकि गांवों तक पहुंचने के लिये बारह-मासी सड़कों की व्यवस्था हो और बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजमार्गों और राजमार्गों का सुधार करना;

(iv) राजमार्गों पर जांच चौकियों की संख्या कम करने के लिये राज्यों द्वारा समुचित उपाय और अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर एक ही बैरियर रखने पर विचार करना;

(v) यातायात सम्बन्धी नये संकेत लागू करने के लिये राज्यों द्वारा उचित कार्रवाई करना ताकि 1 जून, 1985 तक देश में सभी सड़क संकेत एक समान कर दिए जाएं;

(vi) गुण नियंत्रण और नियंत्रण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन;

(vii) मिट्टी की जांच करने की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनुसंधान संस्थान या राज्य के निर्माण में विशेष यूनिटों की स्थापना करना।

(ङ) इस सम्बंध में सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करने के अतिरिक्त, परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें, समुचित कार्रवाई कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों तथा अन्य संबंधितों के ध्यान में ला दी गई हैं।

"सेक्स शाप्स इन डेल्ही" शीर्षक समाचार

2055. **श्री हरीश कुमार गंगवार :**

श्री के० ए० राजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 सितम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में सेक्स शाप्स इन डेल्ही" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में परामर्श सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं जिससे इन सैक्स शापों से निपटने की आवश्यकता नहीं रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) भ्रष्ट चिकित्सा व्यवसायियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है, इस प्रश्न की इस मंत्रालय में जांच की गई और सभी राज्य सरकारों को हिदायतें जारी कर दी गई कि वे अपने उन राज्य अधिनियमों के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही करें जिनके अन्तर्गत वे चिकित्सा व्यवसायी पंजीकृत किये जाते हैं। यही सुझाव सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को फिर से दोहराया जा रहा है।

(ग) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में केन्द्रीय सरकार/राज्य करकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा संचालित सम्भोग जनित रोग क्लिनिक सेक्स संबंधी विषयों पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने में सक्रियता से लगे हुए हैं।

एसोसिएशन आफ सोशल हैल्थ इन इण्डिया और बोम्बे सोशल हाईजियन जैसे स्वैच्छिक संगठन भी अधिक जोखिम वाले लोगों अर्थात् छात्रों, औद्योगिकों, श्रमिकों आदि को स्वास्थ्य सेक्स शिक्षा देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

शारीरिक शिक्षा विंग, दिल्ली में वित्तीय गड़बड़

2056. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'फाइनेशियल मैस इन फिजीकल एजुकेशन विंग आफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन' (दिल्ली प्रशासन की शारीरिक शिक्षा विंग में वित्तीय गड़बड़) शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां; तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और की गई कार्यवाही का ब्यौर क्या है ?

रेल मत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित आरोपों की जांच, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा की जा रही है।

खान-पान सेवा के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम

2057. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने खान-पान और रेल सेवा में सुधार लाने के लिए एक 11 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह यात्रियों की श्रेणी विशेष तक सीमित है अथवा सभी के लिए है;

(ग) यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था और इसकी अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या यात्रियों ने निष्पक्ष और निर्भीक मत व्यक्त किए हैं और उन पर की गई कार्यवाही सहित ब्योरा क्या है; और

(घ) रेल यात्रा में सुधार करने और आरक्षण पद्धति और अधिक आसान तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उठाये गये अन्य वास्तविक और ठोस कदम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इस कार्यक्रम में रेलवे संचलन के विभिन्न पहलू शामिल हैं और इसका आशय सभी उपभोक्ताओं को कुशल सेवा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम की रेल मन्त्री ने अप्रैल, 1980 में घोषणा की थी। विशिष्ट क्षेत्रों में रेल सेवा में सुधार लाने के लिव सुझाव देने के सम्बन्ध में एक गैर-सरकारी समिति गठित की गयी है। रेल सेवा में सुधार लाने के लिए किये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(1) टिकटों की प्रभावकारी जांच किया जाना।

(2) आरक्षण प्रक्रियाओं का युक्तियुक्तकरण।

(3) धन वापसी के नियमों का सरलीकरण।

(4) गाड़ियों का समय पर चलना।

(5) खानपान सेवाओं का सन्तोषप्रद मानदंड सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

2058. **श्री आर० के० महालगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है और यदि हां, तो नवीनतत मूल्यांकन क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र मे कार्य कर रहे कुछ स्वयंसेवी संगठनों की असफलता के कारण शिक्षा मन्त्रालय इस समूची योजना का पुनर्गठन करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) इस क्षेत्र में ऐसे कितने स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं जो सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान राज्यों को छोड़कर बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर लिया गया है। समीक्षा समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं साथ ही राज्य तथा जिला योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं तैयार करने, अनुदेशकों के प्रशिक्षण और सभी प्राथमिकता वाले वर्गों को अधिक से अधिक शामिल करने में अधिक सावधानीपूर्वक तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ख) यह सच है कि इस तथ्य के लिए आलोचना हुई कि स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से कुछ साम्प्रदायिक संगठन कार्यक्रम में घुस आए थे। अत: उचित ढंग से इसके कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए समूचे कार्यक्रम की समीक्षा करना आवश्यक हो गया था।

(ग) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जा रही है।

कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केन्द्र

2059. **श्री अशोक गहलोत : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित किये गये हैं और उन स्वयंसेवी संगठनों के क्या नाम हैं जिन्होंने उनकी सहायता की थी; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु कितने मामलों में शल्य चिकित्सा की गई ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस देश में कोई कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केन्द्र नहीं है। तो भी, 'विकलांक व्यक्तियों को सहायक यन्त्र/उपकरण खरीदने/फिट कराने के लिए सहायता की योजना' के अन्तर्गत सभी वर्गों के विकलांग व्यक्तियों को सहायक यन्त्र और उपरकण, जिनमें विकलांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग शामिल हैं, देने के लिए इस देश में 29 केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रम

2060. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जो इस समय गैर-कालेज विद्यार्थियों को पत्राचार पाठ्यक्रम दे रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रमों का कार्य निष्पादन अपेक्षित स्तर का नहीं है और इस तरह के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों

को जारी की गई उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में उनका अध्यापन स्तर सन्तोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो पत्राचार पाठ्यक्रमों के कार्यकरण को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां । पत्राचार पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं जिनमें पाठ-सामग्री भेजने में विलम्ब किए जाने और उनके द्वारा भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में उत्तर देने में शीघ्रता न किए जाने के आरोप लगाए जाते हैं ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए विधियां तैयार करने की दृष्टि से उनके मौजूदा पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है ।

विवरण

पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे विश्वविद्यालय

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
1.	इलाहाबाद
2.	अन्नामलाई
3.	आन्ध्र
4.	भोपाल
5.	बम्बई
6.	दिल्ली
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	जम्मू
9.	कश्मीर
10.	केरल
11.	कुरुक्षेत्र
12.	मदुरै
13.	मेरठ

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम
14.	मैसूर
15.	उस्मानिया
16.	पंजाब
17.	पटना
18.	पंजाब
19.	राजस्थान
20.	एस० एन० डी० टी०
21.	श्री वेंकटेश्वर
22.	उदयपुर
23.	उत्कल
24.	सी० आई० ई० एफ० एल० (विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था)

छठी योजना में स्वस्थ गांव

2061. **श्री जयनारायण रोट** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना में गांवों को स्वस्थ बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं चलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि का विचार है :

(1) स्वास्थ्य गाइड योजना,

(2) परिवार कल्याण और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं,

(3) दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम,

(4) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना, और

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं का विस्तार ।

छठी पंचवर्षीय योजना में जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का विचार है वे इस प्रकार हैं :

(i) 2.2 लाख स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षित करना ।

(ii) हर एक गांव में कम से कम एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था करना ।

(iii) 40,000 हजार अतिरिक्त उप-केन्द्रों को खोलना जिनमें एक पुरुष और एक महिला बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता की व्यवस्था करना ।

(iv) 174 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाना ।

(v) 600 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ।

(vi) मौजूदा 1000 ग्रामीण औषधालयों का सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में दर्जा बढ़ाना ।

(vii) चिकित्सा शिक्षा की स्थिति अनुकूल बनाने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपनायेगा और एक चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपनाता जाएगा जब तक वह कालेज उस सारे जिले का काम नहीं सम्भाल लेता जिसमें वह स्थित है ।

(viii) मलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, दृष्टिहीनता और गलगंड के नियंत्रण/उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों को तेज करना ।

(ix) जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या और टीके लगाने के कार्यक्रमों पर अधिक बल देना ।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाना

2062. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के उन कर्मचारियों को ऐसे तदर्थ कर्मचारियों की एक लम्बी सेवा पूरी कर चुके हैं, नियमित करने सम्बन्धी लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्तमान अनुदेशों में छूट देते हुए आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद (जो भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है) के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के प्रश्न को सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है ।

शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों की सहायता हेतु स्वयंसेवी संगठनों को दी गई सहायता

2063. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 के दौरान किन संगठनों को कितनी-कितनी राशि दी गई ।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में स्वयंसेवी संगठनों को 90,03,388 रुपये की सहायता दी गई ।

पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या

2064. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरु नानक देव जयन्ती समारोह के अवसर पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान की यात्रा करने वाली भारतीयों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने सिख हैं और कितने सेजधारी हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने सेजधारियों (बिना दाढ़ी वालों) को इस वर्ष ननकाना साहिब का दौरा के लिए वीसा देने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सेजधारियों को वीसा देने से इनकार करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) गुरुनानक देव जन्म दिवस समारोह के अवसर पर पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा के लिए भारत से जाने वाले तीर्थयात्रियों का कोटा पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार रहा है :

1979—1000

1980—3000

1981—3000

(ख) इसकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि सिख और सेजधारी तीर्थयात्रियों के लिए अलग-अलग आंकड़े रखने की परम्परा नहीं है ।

(ग) और (घ) हमारा ख्याल है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान मिशन सेजधारियों के मामले में यात्रा की अनुमति देने के लिए उनके नाम अपनी सरकार को भेजती है । सम्भवत: समयाभाव के कारण वे इस वर्ष उपर्युक्त अनुमति नहीं प्राप्त कर सके ।

कोचोन पत्तन घाट पर सशस्त्र डकैती

2065. **श्री बी० एस० विजराघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचोन पत्तन घाट पर बार-बार सशस्त्र डकैतियां हो रही हैं: और

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में सशस्त्र डाकाजनी की केवल दो घटनाएं हुईं, पहली 26 मार्च और दूसरी । अगस्त को लेकिन केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों की सतर्कता के कारण पत्तन की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ?

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और राज्य की पुलिस ने, जो क्रमश: पत्तन क्षेत्र और पृष्ठवर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, और अधिक गश्त लगानी शुरू कर दी है । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ने पत्तन से नये गश्त लगाने वाले कर्मचारियों को हथियार दिए हैं । समुद्र में सुरक्षा बनायें रखने के लिए पत्तन प्रशासन राज्य की पुलिस से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं । यह प्रशासन इस क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए जब कभी आवश्यक होता है, अपेक्षित जलयान भी देता है ।

ठेका-श्रमिक प्रणाली का समाप्त किया जाना

2066. **श्री जयनारायण रौत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे विभागों के विभिन्न सैक्शनों में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और अब तक ठेका श्रमिक प्रणाली के अन्तर्गत कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1980 में रेलों पर लगभग 64,828 ठेका श्रमिक नियुक्त थे ।

(ग) भारतीय रेलों पर ठेकेदारों के श्रमिकों द्वारा सामान्यत: काम की निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया जाता है क्योंकि ये काम बारहमासी प्रकृति का नहीं होता और इसके लिए बहुत से पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती;

(1) यानान्तरण स्थलों पर माल तथा पार्सलों की सम्हलाई;

(2) रेलवे की भाप लोको शेडों में कोयले की सम्हलाई, राख-गर्त की सफाई और सिंडर चुनना; तथा

(3) बड़े पैमाने पर इंजीनियरी निर्माण कार्य ।

गैर सरकारी क्षेत्र में विकलांगों के लिए आरक्षण सुविधायें

2067. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री जयनारायण रौत :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्रों में विकलांगों के लिए आरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां; तो क्या विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में गैर सरकारी क्षेत्र को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग-निदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा इस प्रकार की आरक्षण सुविधाएं किस आधार पर दी जाएंगी; और

(घ) इस प्रस्ताव की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत कानून के प्रारूप का सुझाव देने के लिए "विधि निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदल" गठित किया है। कार्यदल की रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। विकलांग व्यक्तियों के लिए निजी क्षेत्र में पद आरक्षण करने के प्रश्न पर कार्यदल की अन्य सिफारिशों के साथ विचार किया जाएगा।

एक बधिर व्यक्ति को संसद के लिए मनोनीत किया जाना

2068. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में नई दिल्ली में बधिर महिलाओं के लिए प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और किस प्रकार की चर्चा हुई थी; और

(ग) क्या उस सम्मेलन में सरकार से आग्रह किया है कि संसद के लिए एक विकलांग व्यक्ति मनोनीत किया जाए; और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बधिर महिलाओं की दिल्ली फाउंडेशन ने अक्तूबर, 1981 में नई दिल्ली में बधिर महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस मंत्रा-

लय को उक्त संगठन से सम्मेलन में भाग लेने वालों की संख्या, उसमें हुए विचार विमर्श तथा की गई सिफारिशों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

इण्डियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिडेड आयुर्वेदिक औषधि फार्मों की स्थापना और उनके स्थान

2069. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन मेडिसंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम के कार्य क्या होंगे;

(ग) इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा;

(घ) इसमें कुल कितना व्यय होगा; और

(ङ) इस निगम की स्थापना कहां की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) इस निगम के मुख्य उद्देश्य अच्छी क्वालिटी की जड़ी-बूटियां इकट्ठी करना, पर्याप्त मात्रा में उनकी खेती करना और भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवाइयां तैयार करना है ।

(ग) लगभग 9 से 12 महीना की अवधि में ।

(घ) उत्पादन के प्रथम वर्ष तक 77.45 लाख रुपये ।

(ङ) इस निगम का पंजीकृत कार्यालय रानीखेत में है और मोहान, जिला अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी ।

प्रधान मन्त्री की बुल्गारिया यात्रा

2070. **श्री टी० दामोदर रेड्डी** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने नवम्बर, 1981 के दूसरे सप्ताह में बुल्गारिया की यात्रा की थी और उन्होंने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्र दिए जाने के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रधान मंत्री ने 6 से 9 नवम्बर, 1981 तक बुल्गारिया की यात्रा की। द्विपक्षीय सम्बन्धों तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों से संबंधित अन्य मामलों के साथ-साथ अमरीका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्र दिए जाने पर भी बातचीत हुई।

(ख) बुल्गारिया सरकार ने हमारे दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझा और उसका समर्थन किया है जो कि 8 नवम्बर, 1981 को हस्ताक्षरित भारत-बुल्गारिया संयुक्त घोषणा के पाठ (सम्बन्धित पैरा संलग्न विवरण में दिया गया है) से स्पष्ट है।

विवरण

8 नवम्बर, 1981 को हस्ताक्षरित भारत-बुल्गारिया संयुक्त घोषणा के उद्धरण

"दोनों पक्षों का यह दृढ़ विश्वास है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच सम्बन्धों को सुधारने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों के आधार पर शांति और स्थायित्व बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिएं। वे इस बात से आश्वस्त हैं कि सभी समस्याओं को, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए और विभिन्न देशों की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता और उनकी गुट-निरपेक्ष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी समस्याओं का शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र के देशों को किसी सैनिक गठबन्धन में शामिल नहीं होना चाहिए, उनके क्षेत्रों में कोई सैनिक अड्डे स्थापित नहीं किये जाने चाहिए और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनके प्रभुत्व का सम्मान करना चाहिए।

"दोनों पक्षों ने बाह्य सैनिक सहायता दिये जाने पर चिन्ता व्यक्त की जिससे आक्रमण का नया खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक और बड़ी मात्रा में आधुनिकतम हथियार भेजने के कारण उत्पन्न तनाव का घोर विरोध किया। उन्होंने विभिन्न देशों से नये हथियारों के जमाव के बदले बातचीत और सहयोग द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने का आह्वान दिया क्योंकि उससे इन देशों में लोगों के जीवन को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे।"

जोधपुर मेल का लूटा जाना

2071. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री अशफाक हुसैन :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :
श्री अशोक गहलोत :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :
श्री के० ए० राजन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्टूबर, 1981 के 'पेट्रियाट' में 'आर्मड मैन लूट रेल पैसेन्जर्स' (सशस्त्र लोगों द्वारा रेल यात्रियों को लूटा जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि 26 अक्तूबर, 1981 को एक दुस्साहसपूर्ण डकैती में चार सशस्त्र व्यक्तियों ने जोधपुर मेल, इसके दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन से चलने के तुरन्त बाद, के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के कुछ यात्रियों से उनका नकद धन तथा कीमती सामान लूट लिया और टिकट निरीक्षक को घायल करके बच निकले; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 26-10-81 को, ज्यों ही 93 अप दिल्ली-जोधपुर मेल दिल्ली जं० से रवाना हुई, 3 अज्ञात व्यक्ति यात्री डिब्बा नं० एफ सी-322 में घुस गये। डिब्बा परिचर द्वारा एतराज़ किये जाने पर उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आरक्षण उसी डिब्बे में है। बाद में वे इस डिब्बे के 'ए' केबिन में घुस गये जिसमें एक दम्पति यात्रा कर रहे थे और पिस्तौल/चाकू दिखाकर यात्रियों से उनकी हाथ घड़ी और 250 रुपये की नगद राशि लूट ली। तत्पश्चात् बदमाशों ने कक्ष को बाहर से बन्द कर दिया और वे डिब्बे के 'ई' केबिन में घुसे, जिसमें 2 महिला यात्री और 2 पुरुष यात्री थे। बदमाशों ने एक महिला के आभूषण खींचने की कोशिश की जिस पर उसके पति श्री एस० एन० सिंह ने प्रतिरोध किया। तब बदमाशों ने श्री सिंह के सिर पर चाकू मार दिया। इन यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर श्री व्यास, सहायक रोकड़िया, उत्तर रेलवे, नयी दिल्ली तथा श्री भूटानी, चल-टिकट परीक्षक, जो डिब्बे के 'बी' केबिन में मौजूद थे, उनके बचाव के लिए दौड़े। श्री व्यास के सिर में चाकू लगा और उनकी हाथ घड़ी छीन ली गयी। बदमाशों ने श्री भूटानी पर गोली चलायी और गोली उनके पेट में घुस गयी। कुछ छुट-पुट छुरे श्री और श्रीमती एस० एन० सिंह को भी लगे। बदमाश खतरे की जंजीर खींचकर पुल मिठाई के पास उतर गये और अन्धेरे में बच निकले। सभी चारों घायल यात्रियों को उत्तर रेलवे केन्द्रीय चिकित्सालय, नयी दिल्ली ले जाया गया, जहां श्री भूटानी, चल टिकट परीक्षक ने चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 3 हाथ घड़ियां और 400 रुपये की नकद राशि लूटे जाने की रिपोर्ट मिली थी। राजकीय रेलवे पुलिस/दिल्ली ने भारतीय दंड संहिता की धारा 397/302/34 के अन्तर्गत दिनांक 26-10-81 को मामला सं० 523 दर्ज कर लिया और जांच-पड़ताल का काम जारी है।

रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु नेत्रहीनों का ज्ञापन

2072. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नेत्रहीनों ने उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए

जाने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली की नेशनल ब्लाइन्ड यूथ एसोसिएशन ने समाज कल्याण मंत्रालय को एक मांग-पत्र पेश किया है। एसोसिएशन की मुख्य मांगें निम्न-लिखित हैं :

1. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक कानून बनाना।

2. विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ग "क" और "ख" में पद आरक्षित करना; तथा

3. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के शेल्टर्ड वर्कशाप के कार्यकर्ताओं को नियमित सरकारी कर्मचारी घोषित करना।

(ग) और (घ) एसोसिएशन की मांगों पर सरकार विचार कर रही है।

विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के लिये अपनाई गई नीति

2073. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कानकुन, मेक्सिको में अक्तूबर में हुआ उत्तर-दक्षिण शिखर-सम्मेलन इस शताब्दी के अन्त तक विश्व से भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिये प्रयास तेज करने हेतु एक नीति पर सहमत होने में सफल रहा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिखर सम्मेलन में क्या नीति तैयार की गई; और

(ग) उसके अनुसरण में सरकार क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कैनकुन की बैठक यद्यपि संधि-वार्ता मंच नहीं था और न वहां कोई निर्णय लिए जाने थे। फिर भी वहां जो विचार-विमर्श हुआ उसमें यह आम सहमति देखी गयी कि खाद्य-सुरक्षा की व्यवस्था के लिए और भूख की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बैठक में सह-अध्यक्षों ने जो सार प्रस्तुत किया है उसमें चर्चित मुख्य विषयों पर सहमति और समझौते के कई सामान्य क्षेत्रों का उल्लेख है। तारांकित प्रश्न संख्या 70 दिनांक 26-11-81 के उत्तर में सदन की मेज पर एक प्रलेख रखा गया था जिसमें अन्य बातों के अलावा उक्त सूचना भी दी गई है।

(ग) भारत सरकार संगत मंचों पर प्राथमिकता के आधार पर इन सभी मसलों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी ।

भारत-फ्रांस आर्थिक सहयोग

2074. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की फ्रांस यात्रा के बाद भारत-फ्रांस आयात सहयोग के व्यापक ढांचे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तेल की खोज, उवर्रक, पत्तन विकास, दूर संचार, पर्यावरण, संरक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस उच्च संस्थान की स्थापना के क्षेत्रों में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये नये 'प्रोटोकोलों' का स्वरूप क्या है ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) यात्रा के दौरान कोयला, पर्यावरण-प्रबन्ध, ऊर्जा सम्बन्धी एक दल के गठन और भारत में उच्च वोल्टता विद्युत उपकरणों की परीक्षण सुविधा की व्यवस्था के लिए सहयोग के बारे में मैंने फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये ।

जहां तक भाग (ख) में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, आशा है कि दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी रहेगी ।

शुष्क दिवसों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

2075. **श्री भीकू राम जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शुष्क दिवसों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार शुष्क दिवसों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक दिल्ली में 48 शुष्क दिन होंगे, जिनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस समय नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	तारीख	क्रम संख्या	तारीख
	जनवरी	22.	24-3-1981
1.	1-1-1981	23.	31-3-1981
2.	6-1-1981		अप्रैल
3.	13-1-1981	24.	1-4-1981
4.	20-1-1981	25.	7-4-1981
5.	26-1-1981		मई
6.	27-1-1981	26.	1-5-1981
7.	30-1-1981	27.	7-5-1981
	फरवरी		जून
8.	1-2-1981	28.	1-6-1981
9.	3-2-1981	29.	7-6-1981
10.	7-2-1981		जुलाई
11.	10-2-1981	30.	1-7-1981
12.	17-2-1981	31.	7-7-1981
13.	18-2-1981		अगस्त
14.	24-2-1981	32.	1-8-1981
	मार्च	33.	2-8-1981
15.	1-3-1981	34.	7-8-1981
16.	3-3-1981	35.	15-8-1981
17.	4-3-1981		सितम्बर
18.	7-3-1981	36.	1-9-1981
19.	10-3-1981	37.	7-9-1981
20.	17-3-1981		अक्तूबर
21.	21-3-1981	38.	1-10-1981

क्रम संख्या	तारीख	क्रम संख्या	तारीख
39.	2-10-1981		दिसम्बर
40.	3-10-1981	46.	1-12-1981
41.	9-10-1981	47.	7-12-1981
42.	27-10-1981	48.	25-12-1981
	नवम्बर		
43.	1-11-1981		
44.	8-11-1981		
45.	11-11-1981		

विधि-पाठ्यक्रमों में परिवर्तन

2076. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विधि छात्रों को पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) विधि कालेजों में क्या मुख्य परिवर्तन किये जाने का विचार है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव अगले शैक्षिक वर्ष के आरम्भ होने पर लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के लागू किए जाने के बाद परिषद का यह अभिमत रहा है कि देश में विधि शिक्षा की मुख्य धारा स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष के बाद चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम होनी चाहिए। प्रस्तावित नए चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की स्नातक शिक्षा के बाद विद्यमान तीन-वर्षीय एल० एल० बी० पाठ्यक्रम का स्थान ले लेने की आशा है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजन के बार परिषद द्वारा तैयार की गई योजना विश्व-विद्यालयों के विचार प्राप्त करने हेतु उन्हें भेज दी गई है।

विश्वविद्यालयों के उत्तर के आधार पर मामले पर और अधिक विचार किया जाना है।

———

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्रीमती शीला कौल ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैंने एक प्रिवलेज मोशन स्वामीनाथन साहब के खिलाफ दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आपको भिजवा देंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय, मैंने आपको एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था । हमारे दल के साथियों को पश्चिम बंगाल में बड़ी कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है । वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है । हमें पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब किसी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई हो तो यह राज्य का विषय नहीं होता । हमारा प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने गया था और उसके समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए थे ।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही है । देश में छोटे बच्चों के साथ दुराचार हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हो रहा है तो स्टेट असैम्बली भी तो है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : पूरे देश का यह प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप थानेदार यहां मत बनाइये सबको । सारे अधिकार क्यों नहीं ले लेते हैं यहां और फिर यहां डिसकस करते रहिये और उनकी छुट्टी कीजिये ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्व विद्यालय, शिलांग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के

कारण बताने वाला एव विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2991/81)

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विविरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) सां० आ० 23 (ङ) जो दिनांक 13 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिनके द्वारा अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों सम्बन्धी निर्माण कार्यों को पूरा करने का काम सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपा गया है।

(दो) सां० आ० 24 (ङ) जो दिनांक 13 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52-क सम्बन्धी निर्माण कार्य को पूरा करने का काम अरुणाचल प्रदेश के प्रशासक को सौंपा गया है।

(तीन) सां० आ० 145 (ङ) जो दिनांक 5 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसमें दिनांक 13 जनवरी, 1981 को अधिसूचना संख्या सां० आ० 24 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1992/81]

भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्द्र नियम, 1976 तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 445 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के

कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2993/81)

राज्यसभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 1 दिसम्बर, 198; की अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 25 नवम्बर, 1981 को पारित किए गए। आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) संशोधन विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे तेल उद्योग (विकास) संशोधन विधेयक, 1981 को जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 23 नवम्बर, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआहै कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

भेषजी संशोधन विधेयक

सचिव : (1) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्यसभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1981 को अपनी बैठक में पारित भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1981 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

(2) महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1981 को सभापटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाएं और अशान्ति

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाएं और अशान्ति ।"

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : 5 नवम्बर, 1981 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कुलपति को सूचित किया कि वे 10 नवम्बर, 1981 को एक रैली आयोजित करेंगे । वे चाहते थे कि कुलपति स्वयं उनसे ज्ञापन लें । 10 नवम्बर, 1981 को छात्र संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में झंडे और लाठियां आदि लिये हुए लगभग 500 छात्रों का एक दल अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए और नारे लगाते हुए जलूस बनाकर कुलपति के कार्यालय आया । इन में से लगभग 100 छात्र कुलपति के कार्यालय में जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने बिना कारण कार्यालय सम्पत्ति और टेलीफोन आदि की तोड़-फोड़ शुरू कर दी । बाकी छात्र भी, जो कार्यालय के बाहर खड़े थे, सम्पत्ति को मनमाने ढंग से नष्ट करने में शामिल हो गए । लगभग एक घंटे के बाद, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी, तब कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों को, जो मुख्य द्वार से बाहर थे, परिसर में प्रवेश करने के लिए कहा गया । परिसर में पुलिस के प्रवेश करते ही प्रदर्शनकारी तितर-बितर होने लग गए । उन्होंने कुलपति को कोई ज्ञापन नहीं दिया ।

कुलपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इन घटनाओं की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया है ।

13 नवम्बर, 1981 को, जलूस में उनके कार्यालय आए कालेज के लगभग 100 छात्रों के एक दल को, जो हिंसा पर उतारू हो गया था, तितर-बितर करने के लिए कुलपति को पुलिस की सहायता लेनी पड़ी थी ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए । कृपया सुनिए । कृपया सभा में कोई कानाफून्सी या कोई बातचीत न कीजिए । यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो वह बाहर जाकर करें । कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें ।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह एक संसदीय कार्य है । हम यहीं पर चर्चा कर सकते हैं । ऐसा कोई नियम नहीं है जो हमें सभा के समक्ष विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने से रोकता हो ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी प्रकार की कानाफून्सी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

श्रीमती शीला कौल : चालू शैक्षिक वर्ष की शुरूआत से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बिना किसी बड़ी घटना के कार्य करता रहा है । तथापि 30 अक्टूबर को जब प्रधान मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के रजत जयन्ती समारोह में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय में पधारी थीं तो छात्रों के एक दल ने विरोध प्रकट करने के लिए एक प्रदर्शन किया था तथा जोर-जोर से नारे लगाए थे । समारोह के बाद, उन्होंने पंडाल में घुसकर कुर्सियों तथा ट्यूब लाइटों को क्षति पहुंचाई । कुछ आन्दोलनकारियों ने जबरदस्ती पंडाल में घुसने की कोशिश की थी, उन्हें पुलिस द्वारा रोक लिया गया तथा समारोह के समाप्त हो जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था । परिसर

में पुलिस प्रवेश के विरोध में छात्र संघ ने 31 अक्तूबर, 1981 को लगभग आधे घंटे तक प्रदर्शन किया।

दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा मिला जुला ढांचा है जो दिल्ली शहर की उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षण विभागों के अलावा, 64 कालेज तथा संस्थाएं इससे सम्बद्ध हैं। इसमें 83,000 से अधिक छात्र और 12,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अपेक्षाकृत आकार में छोटा है तथा जिसमें छात्रों की सख्या लगभग 3300 है, इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो इसके उद्देश्यों से सम्बन्धित हैं। तथापि, महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय समुदाय जिसमें छात्र, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारीगण शामिल हैं, बहुत ही संवेदनशील है। कभी-कभी छोटी समस्याएं भी बड़ी घटनाओं का रूप धारण कर लेती हैं। इन स्थितियों से सहानुभूति तथा सूझ-बूझ के साथ निपटना पड़ता है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय प्राधिकारी इस स्थिति के प्रति सचेत हैं।

माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि वे ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए अपने सद्भाव का प्रयोग करें ताकि जब कभी भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो, विश्वविद्यालय प्राधिकारी शान्त और सामान्य वातावरण में उनका संतोषजनक हल निकाल सकें। जिससे इन दोनों प्रख्यात विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।

श्री हरिकेश बहादुर : जहां तक माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, वे यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय ठीक ढंग से चलाये जायें। परन्तु मेरी समस्या यह है कि मंत्री स्वयं स्थिति सुधारने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वे इस बारे में कतई चिन्तित नहीं हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : ये दो विश्वविद्यालय इस देश के बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं। परन्तु यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इन विश्वविद्यालयों में भी बहुत समस्यायें हैं।

राव तुलाराम नाम का एक कालेज है। यह कालेज बन्द कर दिया गया है। यह कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन है और हमारे कृषि मन्त्री इस कालेज को चलाने वाले मुख्य व्यक्ति हैं। परन्तु उन्होंने इसे बन्द करने का निर्णय किया है और अब यह बन्द कर दिया गया है। इस कालेज के अध्यापक और कर्मचारी बेकार हो गये हैं। कुछ कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है परन्तु फिर भी इस कालेज के 9 अध्यापकों को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है और विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह आश्वासन दिया है कि वह उन्हें काम पर लगायेंगे। परन्तु वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सके। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन अध्यापकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कालेज में काम पर लगाया जाये।

अब दयाल सिंह नाम का एक कालेज है...

(व्यवधान)

इसीलिये मैंने कहा कि सदस्यों को इस बात की दिलचस्पी है कि कालेज ठीक ढंग से चलाये जायें परन्तु हमारे मंत्रियों को स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं है।

(व्यवधान)

एक दयाल सिंह कालेज है। इस कालेज में दो ग्रुपों के बीच में अनेक बार झगड़े हुए हैं परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा कुलपति के कार्यालय में घुसकर तोड़ फोड़ की गई परन्तु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां विभिन्न कालेजों में चल रही हैं।

आप सभी जानते हैं कि रामजस कालेज में क्या हो रहा है। रामजस कालेज भारी भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है। इस कालेज में पिछले दो सप्ताहों से काम बन्द है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रधानाचार्य मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। आध्यापकों ने हड़ताल कर दी है, क्योंकि एक कर्मचारी सीताराम है जिसे वेतन नहीं दिया गया है, क्योंकि उसने जांच समिति में प्रधानाचार्य के विरुद्ध कुछ कहा था। इसी कारण प्रधानाचार्य ने दण्डात्मक रवैया अपनाया है और उसे वेतन नहीं दिया तथा अध्यापकों ने हड़ताल कर दी। इस तरह की बातें हो रही हैं। प्रवेश के मामले में काफी घोटाला हो रहा है। विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद की बैठक होने वाली है जिसमें इन सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी। परन्तु विश्वविद्यालय के अनेक अधिकारी यहां तक कि उच्चाधिकारी भी प्रधानाचार्य को संरक्षण दे रहे हैं।

रामजस कालेज के एक-तिहाई अध्यापक अस्थायी हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र विभाग में तीन स्थायी पद रिक्त हैं। चार अध्यापक पहले से ही अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, परन्तु उन्हें उनमें खपाया नहीं जा रहा है। इन चार में से एक अध्यापक का पहले ही साक्षात्कार हो चुका है परन्तु उसे भी तदर्थ आधार पर रखा जा रहा है और स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। इस कालेज में इस तरह की बातों से अध्यापकों में बड़ी निराशा व्याप्त है।

अनेक समितियां हैं जो पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक छात्रावास समिति है परन्तु छात्रावास सम्बन्धी विभिन्न मामलों और कार्यों पर इससे सलाह नहीं ली जा रही है। छुट्टी समिति, क्रय समिति और भविष्य निधि समिति जैसी समितियां हैं। परन्तु ये सभी समितियां सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। इनमें से कुछ समितियां बनी भी नहीं हैं। रामजस कालेज में स्थिति यह है।

एक बात बड़ी चिन्ताजनक है और वह यह है कि उस कालेज में पूंजीगत व्यय लेखा नहीं है जो कि विश्वविद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। सरकार को भ्रष्टाचार के इन गम्भीर आरोपों की छानबीन करनी चाहिये। उस कालेज में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है परन्तु सीमेंट की

जाती है। यह एक चिन्ता का मामला है कि जब कालेज में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तब सीमेंट का प्रयोग कहां किया जा रहा है : इस तरह के मामले हो रहे हैं।

नियमानुसार 5,000 रुपये से अधिक के क्रय सम्बन्धी सभी मामले विज्ञापन द्वारा किये जाने चाहिए। पिछले एक वर्ष से कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया है परन्तु सामान खरीदा गया है। अत: इस मामले की भी जांच की जानी चाहिये।

विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए 6 परिचरों को बाहर से लाया गया है परन्तु उनके पास अपेक्षित योग्यतायें हैं। वे कम से कम विज्ञान मैट्रिकुलेट होने चाहिये। एक व्यक्ति के पास पशुपालन में किसी तरह का प्रमाणपत्र है। दूसरे व्यक्ति के पास भूगोल में प्रमाणपत्र हैं। उन्हें भौतिकी या रसायन का कोई ज्ञान नहीं है परन्तु उन्हें वहां रखा गया है। यह नियमों के विरुद्ध है।

वहां शान्तम शैका नाम का एक छात्र है। वह बहुत बुद्धिमान है परन्तु उसे प्रवेश नहीं दिया गया है, क्योंकि एक बार उसने प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के विरोध में किये गए प्रदर्शन में भाग लिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की यह स्थिति है।

आवास, स्वास्थ्य और अनुशासन सम्बन्धी एक बोर्ड है। इस बोर्ड का विधिवत गठन नहीं किया गया है और अवैध ढंग से बनाया गया बोर्ड इस समय कार्य कर रहा है जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश 15 के अधीन छात्रों के अनुशासन और समुचित आचरण के नियम नहीं बनाए गये हैं। यह दिल्ली विश्वविद्यालय का कलेंडर है। मैं पृष्ठ 289 में उद्धृत कर रहा हूँ :

"जैसा कि ऊपर बताया गया है उसके अनुसार कुलपति और कुलानुशासक (प्रोक्टर) की शक्तियों को बिना प्रतिकूल प्रभाव के अनुशासन और समुचित आचरण के विस्तृत नियम बनाए जायेंगे। इन नियमों को जहां भी आवश्यक होगा, कालेजों के प्रधानाचार्यों, हाल के अध्यक्षों, संकायों के डीन और इस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों द्वारा संपूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक छात्र से यह आशा की जाएगी कि उसके पास इन नियमों की एक प्रति हो।"

चूंकि ये नियम बनाए नहीं गये हैं इसलिये छात्रों को एक प्रति देने का प्रश्न ही नहीं है।

अनेक समस्यायें हैं। कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया है—माननीय मंत्री कृपया इस मामले की जांच करें कि एक कालेज में गृह मंत्री ऐसे कुछ लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जो उस कालेज में अनेक समस्यायें खड़ी कर रहे हैं। मैं उस कालेज का नाम बताना चाहता हूं। यह डी० ए० वी० सान्ध्य कालेज हैं। कुछ समाजविरोधी तत्व यह कह रहे हैं कि उन्हें गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। यह बड़ा गंभीर मामला है। यदि इस तरह की बातें हो रही हैं तो हम स्थिति पर काबू कैसे पा सकते हैं ? अत: ये गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों की सावधानीपूर्वक छानबीन की जानी चाहिए।

अब मैं इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सितम्बर, 1979 में अध्यापक संघ ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया और उसी वर्ष विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने इन सभी मामलों पर विचार करने और सिफारिशें करने के लिए माथुर समिति के नाम से एक समिति का गठन किया था। कुछ समय बाद इस समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं। इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इस समिति ने जो सिफारिशें की थीं उनमें से अनेक सिफारिशों को स्वयं कार्यकारी परिषद ने अस्वीकृत कर दिया। अब विश्वविद्यालय के अध्यापक 10 से 17, दिसम्बर तक पुन: हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांगें सही हैं। वे आवास सुविधायें, चिकित्सा सुविधायें और सेवा सुरक्षा चाहते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इन सभी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं समूची स्थिति न बताकर कुछेक बातों का ही जिक्र कर रहा हूं। कालेज और विश्वविद्यालय के ढांचे का लोकतंत्रीकरण। ये महत्वपूर्ण मांगे हैं। वे पदोन्नति के अवसर और प्रोत्साहन चाहते हैं। अध्यापकों की ये बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारी इन मांगों पर ठीक तरह से विचार नहीं कर रहे हैं। इसी कारण उन्हें हड़ताल करने पर विवश किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापकों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है।

अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने झा समिति नियुक्त थी। परन्तु इस समिति ने स्वयं यह बताया है कि उसे विश्वविद्यालय अधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग नहीं मिला और इसलिए वह ठीक तरह से काम नहीं कर सकी। इसने यह निष्कर्ष दिया है :

"स्थिति में सुधार करने और विश्वविद्यालय अपने सांविधिक दायित्व प्रभावी ढंग से पूरा कर सके, इसके लिए समुचित अधिकारियों को कुछ कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है।"

इसका अर्थ यह है विश्वविद्यालय अपना दायित्व अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रहा है। समिति ने ये सब बातें कही हैं। संसद के 160 सदस्यों ने एक ज्ञापन दिया था और वे चाहते थे कि 'विजिटर' इसकी जांच करे परन्तु कोई जांच नहीं की गई। चूंकि ये विश्वविद्यालय ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनेक हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं। हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं परन्तु सरकार गम्भीरतापूर्वक इनकी जांच नहीं कर रही है। अत: जो बातें मैंने पहले बतायी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं और माननीय मंत्री से इनका स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं।

(क) दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों के अध्यापकों, छात्रों और अन्य कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए क्या सरकार एक जांच आयोग नियुक्त करेगी ?···

प्रो० एम० जी० रंगा (गंटूर) : छात्र नहीं, अध्यापक गड़बड़ी कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : छात्र गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारी और कुछ वरिष्ठ लोग तथा विशिष्ट व्यक्ति, जिनके हाथ में सत्ता है, गड़बड़ी कर रहे हैं। वे ही यह सब कर रहे हैं। इसीलिये तो मैं एक जांच-आयोग बैठने की मांग कर रहा हूं। क्या सरकार जांच-आयोग गठन करने को तैयार है ?

(ख) क्या सरकार इन मामलों की छानबीन करने के लिए एक संसदीय समिति को गठित करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिसके अध्यक्ष श्री हरिकेश बहादुर हों।

श्री हरिकेश बहादुर : मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

(ग) क्या मन्त्री महोदय दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे जो कि अपनी उचित मांगों के समर्थन में 10 दिसम्बर से हड़ताल करने जा रहे हैं ?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महा-विद्यालयों के कुछ नामों का अभी उल्लेख किया है जो कि उनके कथनानुसार उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से उन्हे करना चाहिये। उन्होंने राव तुलाराम कालिज, दयालसिंह कालिज, रामजस कालिज और भगतसिंह कालिज के नाम गिनाए हैं। जहां तक दयालसिंह और भगतसिंह कालिजों का सम्बन्ध है, छात्रों और दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था जिसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया। अब मैं राव तुलाराम कालिज की बात कर रही हूं। कालिज में पढ़ाई बन्द है परन्तु कालिज के प्रबन्ध-निकाय का पुनर्गठन कर दिया गया है और यह आशा की जाती है कि जो आवश्यक कदम उठाये गये हैं उससे कालिज सामान्य रूप से कार्य करेगा।

(व्यवधान)

जो कुछ वास्तव में हुआ है वह एक लम्बी कहानी है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : आशा भार्गव का केस दो साल से चल रहा है।

श्रीमती शीला कौल : राव तुलाराम कालिज की लम्बी कहानी यह है। मैंने अभी आपको बताया है कि कभी-कभी अध्यापकों का वेतन रोक लिया जाता था। परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनका वेतन दे रहा था। मामला न्यायालय तक पहुंचा और उसका कहना था कि विश्वविद्यालय ने यह ठीक नहीं किया है। वास्तव में उनके वेतन बन्द कर दिए गये थे—रोके नहीं गये थे। वे इस पर विचार कर रहे हैं और मेरे विचार से अब मामला शीघ्र हल हो जाएगा।

(व्यवधान)

जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की मांगों का सम्बन्ध है उनकी प्रथम मांग सेवा सुरक्षा के बारे में थी। विश्वविद्यालय ने इस मांग को स्वीकृत कर लिया था और अधिनियम

में संशोधन के लिए यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को सिफारिश करना भी स्वीकार कर लिया था ।

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का लोक तान्त्रिकरण उनकी द्वितीय मांग थी जिस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है । महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के काम-काज में संकाय सदस्यों की भागीदारी पहले ही पर्याप्त है । अन्य मांग पदोन्नति मार्गों के बारे में थी । उन्होंने सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है । क्रियाविधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सलाह करके तय की जायेगी ।

उन्होंने और अधिक आवास और चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है । विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण इस बारे में बहुत चिंतित हैं । वे मामले पर विचार कर रहे हैं । दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ये मांगें हैं । क्या और कोई बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जांच-आयोग के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्रीमती शीला कौल : चूंकि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, मेरे विचार से जांच-आयोग की आवश्यकता नहीं है । हमें विश्वविद्यालय के कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं वे स्वायत्त-निकाय हैं, और इसलिए हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय···

एक माननीय सदस्य : सत्य बोलना ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मैं श्री वाजपेयी की आज्ञा ले लेता हूं सत्य बोलने के लिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर अप्रिय सत्य न बोलना ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : ज्यादा अच्छा सत्य तो अप्रिय होगा ही—आपके लिए अप्रिय होगा । लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मृदु शब्दों में कहूं ।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य के लास्ट पैराग्राफ में यह भावना व्यक्त की है कि सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और जे० एन० यू०, इन दोनों प्रेस्टीजस यूनिवर्सिटीज में, शान्त और सामान्य वातावरण बनाए रखने के लिए अपने सद्भाव का प्रयोग करें । उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । यह एक अच्छा प्रयास है । लेकिन आज जो स्थिति इन दो विश्वविद्यालयों में है, जिस तरह ये विश्वविद्यालय गड़बड़ के केन्द्र बने हुए हैं, वह सब लोगों के लिए बड़े दुख का विषय है, चाहे वे एकैडेमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे पोलीटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और चाहे सोशल क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और सब इससे कनसर्न्ड हैं । आज हालत यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऊपर के तबके के अधिकांश लोग, टीचर्ज, पालिटिक्स में इनडल्ज करते हैं । किसी न किसी दल के साथ उनका सम्बन्ध है । राजनैतिक पार्टियों का भी इतना ज्यादा और इस तरीके से वहां पर इंटरफेयरेंस है कि एक पार्टी जो इस समय दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन के एलेक्शंस

में जीती है उसमें जिस तरीके से सक्रिय भूमिका एक राजनैतिक दल के लोगों ने वहां पर अदा की है और जिस तरीके से पैसा और फंड इत्यादि दिया गया, जिस तरीके से जोर जबर्दस्ती से छात्र यूनियन के चुनाव में लोगों को जितवाया गया वह भी अपने आप में एक उदाहरण है

व्यवधान

आप दिल थामकर बैठिए, आपका भी जिक्र करने वाला हूं। आपका भी जिक्र करूंगा। मैंने पहले कहा कि कटु सत्य है लेकिन बड़े मृदु शब्दों में कह रहा हूं।

व्यवधान

दूसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सवाल है। जिस समय यह विश्वविद्यालय बनाने की बात इस पार्लियामेंट के अंदर सोची गई उस समय यह उम्मीद की गई थी कि यह रिसर्च को प्रोमोट करेगा। लेकिन आज हालत यह है कि इस विश्वविद्यालय में जितना ऊपर का स्ट्रक्चर है टीचर्स वगैरह का वह सब एक पार्टी विशेष के कार्ड होल्डर्स हैं और उस पार्टी के लिए वे कहां पर अपना स्टडी सर्किल चलाते हैं। रिसर्च में भी उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है या पास करने में मार्क्स इत्यादि देने में उनको प्राथमिकता दी जाती है जो एक पार्टी विशेष के कोर्ड होल्डस होते हैं। जो उस पार्टी के कार्ड-होल्डर नहीं होते हैं या नहीं होना चाहते हैं; जो उनके स्टडी सर्किल को ज्वाइन नहीं करते हैं उनमें योग्यता भी होती है तो उन लोगों को एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता बल्कि उनको डिसकरेज किया जाता है ताकि वह रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में आगे न बढ़ सकें।

तो यह सारा मामला इतना गड़बड़ और इतना विस्फोतक है, आपको और आपके मंत्रालय को अच्छी तरह से मालूम होगा कि पिछली बार जब प्रधान मंत्री जी उन लोगों के निमंत्रण पर वहां गई थीं तो प्रधान मंत्री जी के खिलाफ डिमांस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की गई और वह डिमांस्ट्रेशन टीचर्स के द्वारा करवाने की कोशिश की गई, टीचर्स उसमें इन्डल्ज कर रहे थे। तो जहां ऐसी पोजीशन हो कि देश की नेता को, प्रधान मंत्री को बुलाकर लाया जाय और उनके खिलाफ टिचर्स ऐक्टिवली डिमांस्ट्रेशन में भाग लें, लड़कों को उकसायें और लड़कों से कहें कि पत्थर इत्यादि फेंको तो यह मैं समझता हू कि बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है और जिस तरीके से योग्य लोगों को पीछे दबाकर कार्ड होल्डर्स को आगे बढ़ाया जाता है और जिस तरह से एक पार्टी विशेष का अड्डा उसे बनाने की कोशिश की जाती हैं बल्कि जिनकी एक्एट्रा टेरिटोरियल लायल्टीज हैं उस टाइप के लोगों को जिस तरीके से वहां बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि ऐसा टाइम आ गया है।

व्यवधान

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय यह बहुत ही गम्भीर बात है। क्या वह यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे अतिरिक्त प्रादेशिक निष्ठा दिखा रहे हैं ? मैं एक अध्यापक हूं और मैं कह सकता हूं कि जो कुछ वह कह रहे हैं वह निराधार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान नहीं डाल सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह अध्यापकों की बात कर रहे हैं। मैं इस देश का एक अध्यापक हूं।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। वह अपनी बात कह सकते हैं।

श्री चक्रवर्ती जी, उन्होंने आपके दल के बारे में कुछ नहीं कहा है। आप खड़े क्यों हैं? उत्तर देना सरकार का काम है। रावत जी, आपको मुझे सम्बोधित करना है। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

व्यवधान**

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : आप मेरी बात तो सुनिए। (व्यवधान) मैं एक घटना का उदाहरण आपको दे रहा हूं। उसको सुनने के बाद आप कुछ कहिये।

व्यवधान**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० चक्रवर्ती ने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री रावत के भाषण के अतिरिक्त और कोई भी बात कार्यवाही में नहीं जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह उतेजक चर्चा इसलिए हुई, क्योंकि प्रो० चक्रवर्ती ने यह ठीक ही अनुभव किया है कि मेरे युवा मित्र श्री रावत द्वारा कुछ अध्यापकों के बारे में अतिरिक्त प्रादेशिक निष्ठाओं वाले अध्यापक की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी करना, समस्त अध्यापक समुदाय पर दोषारोपण करना है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिये और इसको कार्यवाही वृतान्त से निकलवाइये, क्योंकि महोदय समाज के अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ग या किसी वर्ग पर 'अतिरिक्त-प्रादेशिक निष्ठा' का दोष लगाना गलत है। और मैं सोचता हूं कि यदि हम इस तरह के आरोप किसी वर्ग के विरुद्ध लगाते रहे, तब इससे उनकी भावनाओं को अवश्य उसे ठेस पहुंचगी। यह संसद की कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

अत: मैं आपसे इसे कार्यवाही वृतान्त से निकालने का निवेदन करता हूं अर्थात अतिरिक्त प्रादेशिक निष्ठा के आरोप को।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव जी, मैं कार्यवाही वृतान्त से पढ़ूंगा। मैं दे खूंगा। यदि कोई अपमानजनक या अपयशपूर्ण बात कही गई है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा।

अब, श्री रावत बोलेंगे।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मुझे खेद है कि मेरी बात से मेरे कुछ मित्रों की भावनाओं को दुःख पहुंचा है। मैंने कहा था कि वहां पर मेजारिटी सेक्शन आज ऐसा हो गया है जोकि एक पार्टी विशेष का कार्ड होल्डर है, वह एक पार्टी के साथ लवालटी रखने वालों, उनमें सिम्पैथी रखने वालों को ही प्रमोट करता है। इतना ही नहीं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लवायल्टी की बात कही जा सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एक्टिविटीज हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में वहां पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था जिसमें कुछ इस तरह की बात कही गई कि चीन के साथ यह जो हमारा बार्डर ईश्यु है उसके सम्बन्ध में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि अक्साई चीन के कुछ पाकेट्स को चीन को देना चाहिए और हिन्दुस्तान की जो सरकार है वह चीन के साथ केवल विवाद रखने के लिए ही इस मुद्दे को उलझाए हुए है। तो इस तरह की बातें वहां पर एक रेजोल्यूशन में कही गई है। इस टाइप के कुछ सेमिनार आज भी वहां पर चलते रहते हैं। उस ग्रुप का कुछ नाम भी रखा गया है जोकि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाडा) : हमारे संसद सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सीमाक्षेत्र के विनियम की बात कही है क्या इसका अर्थ अतिरिक्त प्रादेशिक निष्ठा है ? यह तो केवल एक मतमात्र है (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मैंने ऐसा अनुमान किया था। यह मेरी अनुभूति है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसे पूरा करने दो। अभी तीन और सदस्य बोलने बाकी हैं।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : आपका यह दृष्टिकोण हो सकता है, आप उस बात को ठीक समझ सकते हैं लेकिन मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह गलत है और मैं समझता हूं, इससे देश को नुकसान पहुंचता है। मैं इसको देशभक्ति की बात नहीं समझता हूं इस सिलसिले में मैं आपके डिक्टेशन पर नहीं चलूंगा।

मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की जो स्थिति वहां पर पैदा हो गई है उसके सम्बन्ध में सरकार को कोई कारगर ठोस कदम उठाने चाहिएं ताकि इस यूनिवर्सिटी का एकेडेमिक कैरियर बरकरार रहे। वहां के टीचर्स वास्तव में लड़कों को ज्ञान, शिक्षा देने के लिए हैं। जो छात्र शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, अनुसन्धान के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण बना रहे—यह आपके विभाग का कर्तव्य है। मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि वहां पर जो इस टाईप के अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे टीचर्स हैं, जिनकी कोई राजनीतिक लवालिटी नहीं हैं, उनको संरक्षण प्राप्त हो सके और ऐसे छात्रों को संरक्षण प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं—एक बात तो यह बतला दीजिए।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हाल में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें स्टूडेन्ट्स यूनियन के लोग एक डिमाण्ड लेकर गए कि हमारे सारे एग्जामिनेशन का रिवैल्युएशन किया जाए और इस मेन डिमाण्ड को लेकर वाइस-चांसलर के आफिस में तोड़-फोड़ की गई यद्यपि यूनियन के लोगों का कथन है कि उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की थी, वहां पर पुलिस आ गई थी—मेरा

मतलब है कि इस विषय में कुछ कांट्रोवर्सी है—तो इस विषय में दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्या रिवैल्युएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टैट्यूट-बुक के नियमों के अनुसार सम्भव है? या रि-काउन्टिंग की बात है, तो वाइस-चान्सिलर को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम रि-काउन्टिंग कर सकते हैं और रि-वैल्यूशन की बात है, तो उसके विषय में भी निश्चित उत्तर दिया जाए और इस प्रश्न पर एजीटेशन हमेशा लिंगर-आन करते जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त जैसा कि श्री हरिकेश जी ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के लोगों की जो तकलीफें हैं, वे वाजिब हैं। उन तकलीफों पर वाइस चान्सिलर ने एक माथुर कमेटी एप्वाइंट की, जिसमें वाइस चान्सिलर के ही ज्यादातर लोग नामिनी थे और एसोसिएशन के कम थे और इस माथुर कमेटी ने कई मांगों को वाजिब माना है। न उस माथुर कमेटी पोर्ट पर वाइस चान्सिलर एक्शन की रिपोर्ट पर वाइस चान्सिलर एक्शन लेते हैं और टीचर एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी गान्डट्स कमीशन को जो अपनी चार्टर्ड डिमान्ड्स पेश की हैं, उसमें उन्होंने माथुर कमेटी की यूनेनिमस रिकमेंडेशन्स का भी जिक्र किया है तथा आपके विभाग से भी वे लोग मिले थे और उनके सामने भी अपनी बातें रखीं। लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

उनकी एक मांग एच० आर० ए० के बढ़ाने की है और इसके साथ प्रोमोशनल एवेन्यूज की बात है। एक-एक टीचर को दस-दस और 12-12 साल हो जाते हैं पढ़ाते, लेकिन उनका प्रोमोशन नहीं होता है। उनके सामने आगे का कोई फ्यूचर नहीं है। यदि कोई एम० ए० करके यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर लेता है, तो वह सोचता है कि आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। सर्विस की सिक्योरिटी नहीं, जब चाहे निकाल देते हैं। कई कालेजेज में ऐसी गड़बड़ हैं। जहां मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, ऐसे दृष्टिकोण से काम करते हैं, उन्होंने टीचर्स को भी नाराज कर रखा है, कर्मचारियों को भी नाराज कर रखा है और छात्रों को भी नाराज कर रखा है, हर वर्ग उनक खिलाफ ऐजीटेशन कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों को कब तक ओटोनामी के नाम पर प्रोटैक्ट करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जहां कालेजेज में अधिक गड़बड़ है, जहां टीचर्स भी नाराज हैं, कर्मचारी भी नाराज हैं और स्टूडेंट्स भी नाराज हैं, आप उनको टेक-ओवर क्यों नहीं करते हैं, उसमें अपना डायरेक्ट इन्टरफियरेंस क्यों नहीं करते हैं? ऐसे इशूज जो कि बराबर सारे दिल्ली के लोगों को और एकेडेमिक क्षेत्र के लोगों को ज्यादा पिन्च न करें, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री महोदया विचार करके एक निश्चित उत्तर देंगी।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, स्टूडेंट्स कम्यूनिटी यानी हमारे लड़के-लड़कियां, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वे करीब सवा लाख हैं। जैसा कि अभी जिक्र हुआ, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में झगड़ा हुआ, तब वाइस चान्सिलर के कमरे में 100 लोग आए और जो एक बड़ा क्राउड बना, वह पांच सौ का था। मैं आपको बताना चाहती हूं कि स्टूडेंट्स जो यह काम करते हैं, ये बहुत ही कम माइनोरिटी में हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के एटमासफियर को खराब कर देते हैं। हम खुद देखते हैं कि जब हमारे खानदान में तीन लड़के हैं, तो उन तीन लड़कों को संभालना

मुश्किल हो जाता है। ये सवा लाख बच्चे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी देखती है, वह जो कुछ कर सकती है, वह कर रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खानदान में तो मां होती है, यूनिवर्सिटी में मां कहां है।

श्रीमती शीला कौल : यह कहना कि सब टीचर्स झगड़ा करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे यहां थोड़े लोग हैं, जो इन बातों में अपना वक्त जाया करते हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत से कन्स्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं, जिसका हमें जिक्र करना चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हमारे बच्चे क्या करते हैं। बहुत सी रचनात्मक बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय केडिट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। उच्च स्तर पर परीक्षाओं में छात्रों की कार्य-निष्पत्ति में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे अपने बच्चों को लेकर लोग आते हैं और कहते हैं कि 75 परसेंट मार्क्स आ गए है लेकिन इसके अलावा लोग मेरे पास दफ्तर में आते हैं, जिनके बच्चों के मार्क्स 92 परसेंट होते हैं और इतनी हाई उनके पास क्वालिफिकेशन होने लगी है। उच्च स्तर पर उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुआ है। सांस्कृतिक कार्यकलापों के क्षेत्र में भी अधिकाधिक भाग लिया जा रहा है और मौलिकता और नवाचार के प्रतिरूप है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि अगर हम खराब साइड का ही जिक्र करते रहे तो कभी किसी को एन्करेजमेंट नही दे सकते, खास तौर से उन कामों के लिए जो अच्छे काम हैं। इसलिए यह कहना कि यूनिवर्सिटी में झगड़ा ही झगड़ा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम भी हो रहे हैं, पहले से स्टैण्डर्ड बेहतर हो गया है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि जो टीचर्स की डिमाण्ड्स हैं उनके बारे में फैसला होना चाहिए। मैं इसके बारे में पहले जिक्र कर चुकी हूं दोबारा क्या जिक्र करूं, फिर भी यूनिवर्सिटी ने उनकी जायज डिमाण्ड्स को माना है और वे चाहते हैं कि जो नेसेसरी एमेण्डसेन्ट्स हैं वे एक्ट में किये जाएं। इसी तरह से होस्टल के लिये, घर के लिये वे सोच रहे हैं, जो सही डिमाण्ड्स हैं उनमें बारे में गौर करेंगे।

जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में री-इवैल्यूएशन की बात है, जो उनकी एक्जीक्यूटिज कान्सिल एरेडोमिक का निर्णय है वह कन्सीडर कर रही है। लेकिन मैं रावत जी को यह भी बतलाना चाहती हूं कि बिल्ट-इन-सिस्टम-आफ-रीएवैल्यूएशन यूनीवर्सिटी में पहले से है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : मैंने एक प्वाइन्ट यह कहा था कि जे० एन० यू० का जो स्ट्रक्चर है, उससे वहां एकेडेमिक क्लाइमेट नहीं बन रही है। इसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्रीमती शीला कौल : जहां तक मैं समझती हूं—जे०एन० यू० और दिल्ली यूनीवर्सिटी ऐसी यूनीवर्सिटीज हैं जिनका बाहर के मुल्कों में भी बड़ा नाम है। यह कहना कि जे० एन० यू० में ठीक से काम नहीं हो रहा है, मैं समझती हूं यह ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं बतलाना चाहती हूं इन—यूनीवर्सिटी और दूसरी यूनीवर्सिटीज में थोड़ा फर्क है, क्योंकि इनके एरिया आफ स्टडीज में

कुछ खास एरियाज हैं जो दूसरी जगह नहीं होते हैं, इसलिए इस यूनीवर्सिटी की अपनी एक खास अहमियत है, पर्सनलिटी है। फिर भी अगर कुछ खामियां हैं तो जो नये वाइस-चांसलर आये हैं, उनको आये अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, वे इसको देखेंगे कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वे उन सब बातों पर नजर डालेंगे, ऐसा मैं समझती हूं।

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिंसा और अराजकता आजकल विश्वविद्यालयों के परिसर के जीवन का एक अंग बन गया है। अभी कुछ दिन पहले नार्थ-ईस्टर्न यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर की हत्या यूनीवर्सिटी के परिसर में ही हो गई। ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारियों ने ऐसी प्रवीणता हासिल कर ली है कि इस तरह की घटनाओं को बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया जाय, जैसे कि कोई घटना ही नहीं है। ऊपर से तो हिंसक घटनाओं के अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु जो मूल कारण हैं उसके बीच में जाने का कोई प्रयास नहीं होता है। आप दिल्ली यूनीवर्सिटी को लीजिये, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी चर्चा अखबारों में और सदन में पहले भी हो चुकी है। यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके रहने-सहने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता है। दिल्ली की आबादी का लगभग 5 वां हिस्सा पूर्व में रहता है, ईस्ट-कैम्पस की योजना मन में लाकर भी उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। नतीजा यह होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को 20-20 किलोमीटर तय करके कक्षा में जाना पड़ता है, कालेज में जाना पड़ता है। इसकी ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया है।

री-इवैलूएशन की बात अभी कही गई है। मैं इस बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि री-टोटलिंग और री-इवैलूएशन में फर्क है और री-इवैलूएशन की बात दो चार दिन से नहीं बल्कि वर्षों से कही जा रही है। उस पर किसी निश्चित निर्णय पर अभी तक नहीं नहीं पहुंचा गया है। पिछले साल की घटना है कि इतिहास के परीक्षा-पत्र में री-इवैलूशन हुआ और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी तीसरे दर्ज से यानी थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में चले गये। री-इवैलूएशन के बाद, चौथा विद्यार्थी थर्ड डिवीजन से सैकेन्ड डिवीजन में और पांचवां फेल हो गया यद्यपि इसके नम्बर बढ़े। यह केवल कम नम्बर देने की बात नहीं, कभी-कभी ऐसी असावधानी भी देखी जाती है कि ओवर-मार्किंग होती है, अधिक नम्बर भी दे दिये जाते हैं। मैं कामर्स, एम० फिल का उदाहरण यहां प्रस्तुत करता हूं। अधिकतम क्वाइन्ट निश्चत किये थे 7 लेकिन एक विद्यार्थी को दिये गये 8। अब अगर आप हिसाब जोड़िये, तो पता चलेगा कि उस विद्यार्थी के 120 नम्बर 100 नम्बरों में आए यानी 120 प्रतिशत नम्बर आए। इसलिए मेरा कहना यह है कि री-इवैलूएशन से निश्चत रूप से इन चीजों पर रोक लग सकती है। इसलिए विद्यार्थियों की जो वाजिब मांगें हैं, उनको नजरान्दाज नहीं किया जाना चाहिए और उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटनाएं हैं और इन सब बातों पर ध्यान न देने से कैम्पस में रोष होगा और विद्यार्थी यह समझेंगे, जैसा कि अभी तक समझते रहे हैं कि उनका उचित मांगों पर लोगों का ध्यान तब तक आकृष्ट नहीं होगा जब तक कि कोई हिंसक घटना न हो जाए। इस तरह की घटना हो, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो, तभी लोग विद्यार्थियों की जायज मांगों, जायज हकों की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा उन लोगों का विश्वास हो गया है। इस तरह से लोगों का

विश्वास प्रशासन पर से, आथेरिटी पर से उठ सा गया है और क्राइसिस ऑफ कांफीडेंस की स्थिति सी पैदा हो गई है।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना स्वर्गीय पं० नेहरू के सिद्धान्तों को मूर्त रूप देने के लिए हुई। तत्कालीन प्रधान मंत्री का मानसपुत्र होने के नाते इस विश्वविद्यालय को सभी सुविधाएं मिलीं लेकिन उसका हाल क्या हो रहा है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टेटूट की धारा 28 की ओर आकृषित करना चाहूंगा। उसमें यह है कि पर्सन आफ एमीनेन्स का एपाइन्टमेंट बिना किसी एडवरटाइमेंट के होगा यानी कान्ट्रेक्ट बेसिस पर एडहांक होगा। पर्सन आफ एमीनेन्स एक, दो, तीन, चार और पांच यानी इने-गिने ही हो सकते हैं और पूरा का पूरा स्टाफ पर्सन आफ इमीनेन्स नहीं कहलायगा। आप यह देखिए कि वहां पर करीब 30-32 नियुक्तियां इसी धारा के अन्तर्गत हुई हैं। फेवरेटइज्म, भाई-भतीजावाद और कुनबापरस्ती का हाल यह है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां पर 18 पति-पत्नी अभी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों एक साथ इन्टरव्यू में आए और एपाइन्टमेंट हुआ। पहले पति या पत्नी की नियुक्ति हुई और बाद में उन्होंने अपने स्पाऊज की नियुक्ति करवा ली। वहां पर कुनबापरस्ती का हाल है। दूसरा उदाहरण कुनबापरस्ती का यह है कि वहां एक प्रोफेसर की पत्नी एकोनामिक्स में जूनियर लेक्चरार के पद पर थी वह प्रोफेसर बाद में यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन के चेअरमेन भी हुए। उनका पत्नी इकोनामिक्स विभाग में जूनियर लेक्चरार के पद पर थी, उसे उसके विभाग से हटाकर भाषा विभाग में रीडर बना दिया गया।

कुनबापरस्ती का एक और उदाहरण है। वहां के प्रशासन के अधिकारी वर्ग में जो लोग हैं उनके रिश्तेदार सुविधाभोगी ही जाते हैं। उन्हें विदेशों में भ्रमण की इजाजत मिल जाती है। पिछले साल एक रेक्टर ने अपनी भतीजी को भ्रमण करने के लिए जापान भेज दिया।

कुनबापरस्ती के ये कुछ उदाहरण हैं। गड़बड़ी यहीं तक नहीं है। एक्जीक्युटिव बाड़ी के जो मिनट्स होते हैं उनको भी बाद में टेम्पर कर दिया है और इसलिए कर दिया जाता है कि किसी जान-पहचान वाले या किसी फेवरिट्स को लाभ पहुंचाना होता है। इसके बारे में हमारे एक माननीय सदस्य श्री रशीद मसूद साहब ने प्राइम मिनिस्टर, एजूकेशन मिनिस्टर और प्रेसीडेंट को भी इसकी जांच करने के लिए लिखा था किन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया।

असल में ऐसा हुआ था कि एक्जीक्युटिव कमेटी के मिनट्स को टेम्पर करके, महज बी० ए० तक की योग्यता रखने वाले एक लिपिक को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बना दिया गया था।

वहां की लाइब्रेरी का यह हाल है कि लाइब्रेरी भवन के निर्माण के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गयी थी उसमें से दो लाख रुपये का लोहा गायब हो गया। संसद् सदस्यों की मांग के बावजूद इसकी जांच नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से पूछिए कि क्या ऐसी बातें हुई हैं। आप स्वयं ही यह सूचना दे रहे हैं।

श्री अजित कुमार मेहता : यह बात हमने अपने पहले के प्रश्नों में पूछी है। ये स्वीकृत तथ्य हैं ।पुस्तकालयों की किताबों के रख-रखाव में लापरवाही बरती जाती है। उसका नतीजा यह है कि बहुमूल्य पुस्तकों को प्रोफेसर अपने नाम इशू करा लेते हैं और सालों उन्हें अपने पास रखते हैं या अपने प्रियपात्रों को देते हैं। उन पुस्तकों से विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता।

वहां के प्रोफेसर साल में 9-10 महीने विदेशों में रहते हैं। इस तरह से वे अपने विभाग के साथ क्या न्याय कर पाते होंगे, यह वही जानें। वहां पर कई ऐसे विभाग हैं जहां पर विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन शिक्षक परे हैं।

अन्त में मैं वहां की अनियमितताओं का एक और उदाहरण देता हूं। जो विद्यार्थी अधिकारयों के प्रियपात्र होते हैं उनसे मेस ड्यूज वसूल नहीं किये जाते। इस तरह से वहां के मेस का हिजारों रुपये विद्यार्थियों की तरफ पड़ा है जिसको कि वसूल करने के प्रयास नहीं किये गये।

महोदय, इन सब अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अब मैं भारत सरकार से सवाल करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मेहता आपको सभी तथ्य प्रकट करने चाहिए और यह पूछिए कि क्या वे सत्य हैं या नहीं। वे पता करेंगे। यह कोई सरकारी निकाय नहीं है। यह तो विश्वविद्यालय है।

श्री अजित कुमार मेहता : मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की अराजकता को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की जो उचित मांग हैं क्या उन पर कोई उचित निर्णय लिया जाएगा ? दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्ति परिसद का निर्माण कराया जाएगा तथा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में 161 संसद् सदस्यों ने हस्ताक्षर करके जो ज्ञापन प्रेजीडेंट को दिया था और जिसमें उन्होंने मांग की थी कि विजिटोरियल इंक्वायरी हो, इस मांग पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, प्रोफेसर मेहता ने जो जिक्र किया है कि एक वाइस-चांसलर नेहरू यूनिवर्सिटी को हत्या कर दी गई। यह बहुत अफसोस की बात है और बड़े दुःख की बात है कि एक वाइस-चांसलर के खिलाफ वहां के लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। अगर ऐसा होता रहा तो आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।

इसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि 4-5 आदमियों को इस बारे में पकड़ा भी गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यह कार्य किया है। ऐसा हुआ, इसके लिए हमें बहुत अफसोस है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : पहले भी आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था। एक कमर्शियल पेंटर को कारपेंटर के रूप में रखा गया है और सरकर इसकी जांच कर रही है। पता नहीं कब तक जांच होगी ?

श्रीमती शीला कौल : प्रोफेसर साहब, इस वक्त जो बात हो रही है, उसको मुझे पूरा करने दीजिए ।

आपने जिक्र किया है कि दिल्ली यूनीवर्सिटी के अन्दर स्टूडेंट्स की पापूलेशन बढ़ती जा रही है, होस्टल पर्याप्त नहीं है । यह बात सही है । इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डी० डी० ए० से जमीन का हिस्सा मांगा है, जिसमें लड़कों के लिए इंतजाम किया जा सके ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये । जब वह अपना उत्तर समाप्त कर लेती हैं तो उसके बाद स्पष्टीकरण की मांग करना उनका काम है ।

श्री रशीद मसूद : वह उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर भला किस प्रकार दे सकती हैं जब वह बार-बार उठ रहे हैं और प्रश्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं । वह बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं ।

श्रीमती शीला कौल : दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज की इमारत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, पूर्वी दिल्ली के हिस्से में और एक रीजनल लाइब्रेरी बनाने का भी इंतजाम हो रहा है ।

आपने जो री-वैल्यूएशन की बात की है, इसके बारे में मैं पहले कह चुकी हूं । अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो एडहाक अपाएंटमेंट्स हैं, अब जो नए वाइस-चांसलर आए हैं, वे बहुत मेहनत कर रहे हैं और यह ठीक नहीं होगा कि उनको मौका न दिया जाए । उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सालभर का मौका दीजिए, ताकि कुछ करके दिखाऊं और अगर मैं समझूंगा कि मैं नहीं कर सकता है तो मैं अपना फैसला खुद ले लूंगा । इसलिए मेरे ख्याल से यह बेहतर होगा कि आजकल जो वाइस-चांसलर हैं, उनको पूरा मौका दें काम करने के लिए ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : हर बार वाइस-चांसलर को बदल दीजिए और एक-एक साल का मौका देते जाइए ।

श्रीमती शीला कौल : अभी जो वाइस-चांसलर हैं, वे बहुत नामी साइंटिस्ट हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर 2-3 महीने में ही वाइस-चांसलर बदलते रहेंगे तो वहां पर कोई भी वालस-चांसलर बनने के लिए नहीं आएगा ।

इसलिए मेरा कहना यह है कि आदमी को मौका तो देना चाहिए और फिर जो युनिवर्सिटी हैं, मुझे बार-बार कहना पड़ता है कि···(व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : जो तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं, कुलपति महोदय उनसे काफी चिंतित हैं । वह यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको कैसे कम या सीमित किया जा सकता है ? उन्होंने तदर्थ नियुक्तियों की संख्या कम की है । यह मैं आपके सूचनार्थ बता रही हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० कृपासिन्धु भोई बोलेंगे ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं पूछना चाहता हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं केवल एक प्रश्न। यह समाप्त हो चुका है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० रशीद मसूद : वह पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। वे अपने आप बोलने लगते हैं। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा। मुझे खेद है। डा० कृपासिन्धु भोई।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

प्रो० रशीद मसूद : कृपया नियमों को पढ़िए।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमों को आप पढ़ना चाहते हैं?

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों को जानता हूं। मुझे खेद है। डा० कृपासिन्धु भोई, ये बातें कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाएंगी।

डा० कृपासिन्धु भोई : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रही हिंसा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मेरे माननीय सहकर्मियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदया ने स्पष्ट रूप से दिए हैं। देश में उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए जो कदम उठाए गये हैं उसके लिए मैं मन्त्री महोदया को बधाई देता हूं। मेरे विचार से विश्वविद्यालय परिसर पूजा-स्थल हैं और उन मेधावी छात्रों के लिए वे विद्यार्जन के स्थल हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक सारे देश के विभिन्न भागों से आते हैं। छात्र, जिनमें से कुछ प्रतिभाशाली भी होते हैं, दिल्ली अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक परामर्शदाता अस्पताल है, उसी प्रकार दिल्ली के ये दोनों विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन के लिए परामर्शदाता संस्थान हैं। परन्तु, दुर्भाग्य से बड़े ही दु:ख और वेदना से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और इन संस्थानों के बारे में मन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपातकालीन स्थिति लागू होने से पहले इन शिक्षा-संस्थानों के माध्यम से सभी विपक्षी दल दुर्व्यवस्था फैलाना चाहते थे। अब, जो दल पिछली बार चुनाव हार गये थे, तो वे छात्रों और उनके छात्र-संघों के माध्यम से गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार दिल्ली में असुविधा का गठबन्धन हो रहा है। दिल्ली-विश्वविद्यालय अध्यापक संघ में, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को राष्ट्र स्वयं सेवक संघ समर्थन देता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : झूठ है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० कृपासिन्धु भोई : छात्र गुण्डागर्दी मचा रहे हैं, वे इन राजनीतिक दलों से समर्थन पाकर मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जब तक जड़ को नहीं उखाड़ फेंका जाता है तब तक उपायों की वकालात करना निराधार है। अध्यापकों और छात्रों की उचित मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। हम रामजस कालिज का मामला ही लेते हैं।

वहां क्या हुआ ? एक माली को तीन महीने से उसकी तनख्वाह नहीं मिली है। परन्तु उसको उचित प्राधिकारियों से अपील करनी चाहिए। फिर अध्यापकों को ही हड़ताल क्यों करनी चाहिए और कानून को अपने हाथों में क्यों लेना चाहिए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उचित प्राधिकारी कौन है ?

डा० कृपासिन्धु भोई : आप को मालूम है और आप फिर भी पूछ रहे हैं। उनको कुलपति के पास या वित्त अधिकारी के पास जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनकी कोई सुनवाई नहीं करता।

डा० कृपासिन्धु भोई : इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माली ने उचित प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दिया था और क्या किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। अध्यापकों को इस कारण हड़ताल नहीं करनी चाहिए। श्री वाजपेयी इन लोगों के, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत ही निकट सम्बन्धी हैं।

कुलपति के घेराव के विषय में मन्त्री ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। केवल एक सौ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया परन्तु अधिकतर लोग वहां पर बाहर के थे।

उपाध्यक्ष महोदय : माता-पिताओं को आना चाहिए था।

डा० कृपासिन्धु भोई : बाहर के लोग तथा असन्तुष्ट राजनैतिक दल छात्रों के माध्यम से गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं तथा बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस विशेष प्रदर्शन में कितने बाहर के लोग उपस्थित थे तथा क्या बाहर के लोगों का यह पता चला है कि वे किस पार्टी से सम्बन्धित थे।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विषय में मेरे मित्र प्रो० अजित कुमार मेहता ने बहुत-सी बातें कहीं हैं जो कि वास्तविकता पर आधारित थीं। मैं इससे सहमत हूं परन्तु उन्होंने उन राजनैतिक दलों का उल्लेख नहीं किया जो कि यह गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और उनकी क्या योजना है हमें इसका पता होना चाहिए। 38 दम्पतियां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कार्य कर रही हैं। सौ से अधिक अध्यापक वर्ष में सात महीने देश से बाहर रहते हैं। यह कोई छोटा कार्य नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार यह था कि यह विश्वविद्यालय अनुसंधान-प्रधान होना चाहिए तथा इसमें देश के प्रजातान्त्रिक ढंग से कार्य के लिए भावी गतिशील लोगों का निर्माण होना चाहिए। अतः इसको अनुसंधान प्रधान होना चाहिए। परन्तु 30 करोड़ रु० में से केवल 20 लाख ही अनुसंधान कार्यों के लिए खर्च किये गये हैं, अतः आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह अनुसंधान प्रधान विश्वविद्यालय है ? जब श्रीमती गांधी ज० ने० वि० के प्राधिकारियों के

आमन्त्रण पर वहां गयी थीं इन वामपंथी मोर्चे से सम्बद्ध इन राजनैतिक दलों ने वहां पर गड़बड़ी की (व्यवधान) मेरे यहां से भी कुछ लड़के इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और मुझे मालूम है कि उन्हें चुनावों के समय किस प्रकार से मजबूर किया जाता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं लिया है। आप खड़े क्यों होते हैं। वह छात्र आन्दोलन को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहते, जिससे आप भी सहमत हैं। (व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : इन मध्यवर्गीय वामपंथी दलों ने जो हमेशा लोकतन्त्र की वकालत करते हैं—कुछ छात्रों व बाहर के लोगों को गड़बड़ी पैदा करने तथा ऐसी हालात पैदा करने के लिए क्यों भडकाया है जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है? (व्यवधान) मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मामलों की विजिटर द्वारा जांच किये जाने की अपने साथी श्री हरिकेश बहादुर, प्रो० मेहता तथा श्री रावत की विशिष्ट मांग का समर्थन करता हूं, ताकि विश्वविद्यालय में अनुशासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था की जा सके। अनुसंधान प्रधान निकाय तथा 30 करोड़ रु० में से 20 लाख रु० खर्च करने के बजाय कम से कम वार्षिक परिव्यय 25% अनुसंधान कार्य पर खर्च किया जाना चाहिए।

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने रामजस कालिज का उल्लेख किया है। प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति बिठायी गयी थी। परन्तु इस समिति ने प्रधानाचार्य को निर्दोष साबित किया। गड़बड़ी एक माली के ऊपर हुई थी। माली इन सब घटनाओं के प्रति बहुत उदासीन था। यद्यपि उसने कोई अपील या ऐसा कोई कार्य नहीं किया परन्तु कुछ लोगों ने इसमें रुचि ली और उसको माध्यम बनाया और परिणामस्वरुप कुछ गड़बड़ी पैदा हो गयी। अब सब कुछ ठीक है। उसको उसका वेतन दे दिया गया है। पहली दिसम्बर से महाविद्यालय का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मैं पूर्व सदस्यों द्वारा की गयी कुछ पूछताछों का उल्लेख करना ही भूल गयी। इतनी भ्रांति उत्पन्न की जाती है कि हम ठीक से उत्तर भी नहीं दे सकते। यह मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने दो बातें छोड़ ही हैं। यदि माननीय सदस्यो ने उत्तर की प्रतीक्षा की होती तो उनको इनका उत्तर मिल गया होता।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेष रूप से जब मन्त्री एक महिला हों।

श्रीमती शीला कौल : धन्यवाद।

ज० ने० वि० के भवन निर्माण की अयिमितताओं के विषय में भी जांच की गयी थी। उनमें से अधिकांश मध्यस्थ निर्णयाधीन हैं। और जैसे ही यह पूरी हो जायेंगी इन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भोजनालय के खर्च के विषय में भी कुछ उल्लेख किया गया था। कुछ छात्रों ने भोजनालय के खर्चे का भुगतान नहीं किया है। कुलपति ने लगभग ऐसे 50 लोगों को, जिन्होंने भोजनालय के खर्च का भुगतान नहीं किया, निकाल दिया है। वह दूसरे मामलों की जांच कर रहे हैं।

श्री रशीद मसूद : उनमें से कुछ को वहां पर प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है।

श्रीमती शीला कौल : मेरे मित्र ने ज० ने० वि० कांड में विजिटर द्वारा जांच करने के लिए कहा है । मैं उनको सूचित करना चाहती हूं कि ऐसी जांच का आदेश केवल तब ही दिया जाता है जबकि स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जाती है । जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है एक नये कुलपति आये हैं हमें उनको कुछ समय देना चाहिए । श्री झा की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था । उन्होंने एक अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है । पूरी बात कार्यकारी समिति के सामने प्रस्तुत की जायेगी । उससे पहले विजिटर द्वारा की जाने वाली जांच का कोई लाभ नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अन्तिम वक्ता हमेशा घाटे की स्थिति में रहता है । मुझे यह पूरी तरह से ज्ञात है । बहुत से वक्ताओ ने, विश्वविद्यालय के हालातों के विषय में, अध्यापकों के विषय में, राजनीति, विद्यार्थियों तथा हिंसात्मक घटनाओं आदि के विषय में कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: आप सीधे प्रश्न पर आ जाइए ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये दोनों विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हैं, अत: इन विश्वविद्यालयों में होने वाली कोई भी गम्भीर घटना का प्रभाव देश के अन्दर दूसरे विश्वविद्यालयों पर भी पड़ेगा । और इस प्रकार की गतिविधियां देश भर में जगल की आग की तरह फैल जायेगी । अत: हमें सावधान रहना चाहिए । इन विषयों पर चर्चा करते समय सरकार को केवल उत्तर देने के लिए ही उत्तर नहीं देना चाहिए । उन्हें पूर्ण स्थिति पर गम्भीरता से देखना चाहिए । तभी कोई बात बनेगी जिससे पूरा देश अथवा पूरा राष्ट्र लाभान्वित होगा ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है हमें उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए । एक तरफ समाचार-पत्रों से हमें ज्ञात होता है कि इन सभी आन्दोलनों के लिए विद्यार्थियों को दोष दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इनकी हिंसात्मक गतिविधियां हैं । परन्तु इसके क्या कारण हैं ? उस विद्यालय में दाखले की क्या प्रणाली है ? यदि आम छात्रों को एक नियमित तथा उचित तरीके से दाखला नहीं मिलता है तो छात्र समुदाय स्वत: ही आन्दोलन करेगा और इस प्रकार की गतिविधियां होंगी ।

दाखले की क्या प्रणाली है ? क्या ऐसी कोई उचित नीति या प्रणाली है जिसके द्वारा दाखलों का विनियमन किया जाये ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहां पर केवल एक डिग्री कालिज है जो कि पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । हमें दाखले के लिए सीटें लेने के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दरबदर भटकना पड़ता है । हमारे छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखला लेना सबसे कठिन है, हालांकि यह केन्द्री स्थित विश्वविद्यालय है ।

अनुशासनहीनता के क्या कारण हैं ? यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापक लोग स्वयं अनुशासनहीनता फैलायें, यदि वे स्वयं प्राधिकारियों को हड़ताल करने की धमकी दें, यदि वे

विद्यार्थियों के प्रति/अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं, यदि वे नियमित रूप से कक्षायें नहीं लेते, तो छात्र समुदाय स्वतः ही आन्दोलन करेगा क्योंकि यद्यपि विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा हो सकता है जो नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना न चाहे, परन्तु छात्रों की अधिकांश संख्या कक्षाओं में उपस्थित होना चाहती है क्योंकि वे वास्तव में अध्ययन करना चाहते हैं। अतः वे भी उत्तेजित होते हैं तथा अनुशासनहीनता करते हैं।

समाचार पत्रों तथा दूसरे सूचना माध्यमों के अनुसार, कि वरिष्ट अध्यापक वर्ग या अध्यापक वर्ग के एक बड़े भाग का किसी विशेष राजनैतिक दल के साथ गठबन्धन है। वे विद्यार्थी समुदाय में अपनी विचारधारा का प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छात्र उसको पसन्द न करते हों, और उसी से गड़बड़ी शुरू हो जाती हैं। निचले वर्ग में गैर अध्यापन कर्मचारियों में अधिकांश का किसी विशेष राजनैतिक दल की ओर झुकाव होता है। वे अपने तरीके से छात्रों पर दबाव डाल रहे हैं। लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक तथा कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की बात कर रहे हैं···(व्यवधान) हम एक लोकतान्त्रिक संस्था में कार्य कर रहे हैं। आप सब लोकतन्त्र के विषय में इतनी बातें करते हैं, आप दूसरों की बातें क्यों नहीं सुनते ? धैर्य रखिये और हमारी बात सुनिये यदि इस प्रकार का अपवित्र गठबन्धन होता रहेगा तो इसके परिणामस्वरूप कोई न कोई विस्फोट अवश्य होगा। जहां तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, इसकी स्थापना मुख्यतः अनुसंधान कार्य के लिए की गई थी और मुझे मालूम हुआ है कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, इस विश्वविद्यालय में आज फोटो तक भी नहीं लगा सकते।

एक माननीय सदस्य : कौन कहता है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपको ऐसा करने से कौन रोकता है ?

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : यदि यह गलत है तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों ने, जो इस विश्वविद्यालय से बहुत ज्यादा सम्बद्ध हैं तथा जिनका इस विश्वविद्यालय से संभवतः बहुत ज्यादा सम्पर्क है, मेरे कथन को शुद्ध किया है (व्यवधान) आपने मेरे कथन की शुद्धि की है। मैं मानता हूं कि आप मेरी सहायता कर रहे हैं क्योंकि आपका इस विश्वविद्यालय से इतने अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया होश में बात कीजिए। आपके अपने लोग वहां हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : वे हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं समझता हूं मैं कुछ कहूं और आप इसे सुनें और उचित समय पर इसका आप उत्तर दें। किन्तु आपको मेरा तात्पर्य उनसे है जो लोकतंत्र का बखान करते हैं—इतना भी धैर्य नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी दवा का नाम लेने से उसका महत्व बढ़ जाता है। आपको इससे खुशी होनी चाहिये। आप वहां जा तो सकते हैं। आप इसका विरोध क्यों करते हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की नियुक्ति सम्बन्धी नीति में कतिपय खामियां हैं। एक वर्ग विशेष के लोग वहां प्रवेश कर गये हैं और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक अड्डा बना दिया है। वे अब अनुसंधान कार्य और अन्य बातें भूल रहे हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं जिसका अभिप्राय देश की राजनीतिक स्थिति को बनाना है क्योंकि जो इस प्रकार की गतिविधियां इस विश्वविद्यालय में चल रही हैं···(व्यवधान) यह मेरी खोज का प्रश्न नहीं है, यह आप समाचार पत्रों तथा दूसरे माध्यमों से मालूम कर सकते हैं मैं समझता हूं आप ये सब पढ़ते होंगे।

मेरा तर्क यह है कि आपको इस प्रकार की बातों को कम महत्व नहीं देना चाहिए और अब समय आ गया है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए तथा इस केन्द्रस्थ विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई जानी चाहिए और जांच के क्षेत्र का उचित रूप से पता लगाया जाना चाहिए तथा मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इन प्रश्नों को ताक पर न रखें। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और प्रसिद्ध शिक्षाविदों के सम्बन्ध में कमी करने का कोई प्रश्न नहीं है। आप जांच कीजिए और देश को मालूम हो जाए तथा संसद को मालूम हो जाए कि वहां क्या हो रहा है ताकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। साथ ही, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। जांच के बारे में उन्होंने जिक्र किया है और वह कृपया बतायें कि उस जांच की शर्तें क्या हैं। साथ ही, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा : क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। उन्होंने भी आयोग का जिक्र किया है।

श्रीमती शीला कौल : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि श्री भक्त ने अभी कहा है कि बहुत से विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और वहां केवल थोड़े से विद्यार्थी ऐसे हैं जो यह सब गड़बड़ी करते हैं तथा अशान्ति पैदा करते हैं। उन्होंने महाविद्यालयों में प्रवेश नीति के बारे में भी कहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर होता है और दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है। यह केवल योग्यता पर ही निर्भर करता है और देशभर से विद्यार्थी प्रवेश हो सकते हैं यदि उनकी योग्यता का अपेक्षित स्तर है।

उन्होंने जांच करने का भी जिक्र किया है मैंने अभी कहा है कि बहुत विचार करने के बाद 'विजिटर' द्वारा जांच की जाती है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं अति उल्लंघन करने जा रही हूं जैसा

कि इन माननीय सदस्यों ने कहा है। ऐसा करने से पहले हमें पूरी गम्भीरता से सारे मामले पर विचार करना चाहिए।

माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नये कुलपति ने क्या किया है? मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ विचार रखे हैं और वह उन पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि छात्रावास से अनिधकृत रूप से रहने वालों को हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। पचास अनधिकृत आवंटन रद्द किये गये। प्रशासन को दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों तथा तदर्थ नियुक्तियों में कमी करने अथवा ऐसी नियुक्तियां न करने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी को कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायतों तथा कुप्रशासन के आरोपों की जांच करने के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए वहां एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। शैक्षणिक कार्य को सुचारू बनाने के लिए केन्द्रों तथा स्कूलों को उनकी पिछली प्रमुख उपलब्धियों का अभिलेख अगले दस वर्षों में उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए तैयार करने को कहा गया है। परीक्षाएं कार्यक्रम के अनुसार हो रही हैं और सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं।

हम इन सभी बातों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात् 15 जुलाई, 1981 से विचार करते हैं। सब काम ठीक तरह से चल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि उन्हें हमारे बच्चों के लिए जो वहां अध्ययन कर रहे हैं, बने रहना चाहिए उनका साल खराब नहीं होना चाहिए और वे जीवन में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर चौबीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कार्य मंत्रणा समिति (बाईसवां प्रतिवेदन)

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि चार माननीय सदस्यों ने अपने संशोधनों की सूचना दी है। क्या वे संशोधन पेश कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन को, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा मे प्रस्तुत किया गया था, समिति को वापस भेजा जाये क्योंकि इसमें श्री ए० आर० अन्तुले के सभापतित्व में बने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के पंजीकरण में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना प्रधान मंत्री के नाम का उक्त प्रतिष्ठान के लिए प्रयोग कर संप्रतीक और नाम का अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम, 1950 की धारा (3) के उल्लंघन के प्रश्न को शामिल नहीं किया गया है।" (1)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन को समिति को वापस भेजती है क्योंकि समिति ने निम्नलिखित दो मदों को प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया है :

(क) केन्द्रीय गन्दी बस्तियों सम्बन्धी नीति

(ख) बम्बई उपनगरीय रेल सेवाएं" (2)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन को समिति को निम्नलिखित भद को शामिल करने के लिए वापस भेजा जाये :

गढ़वाल उप-चुनाव को स्थगित किये जाने की दृष्टि से निर्वाचन विधि में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि निर्वाचन घोषित तिथियों को किया जाये।" (3)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्य मंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन को निम्नलिखित मदें शामिल करने के लिए समिति को वापस भेजा जाए :

(1) उत्तरी बिहार के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयत्न।

(2) बिहार के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में एक सुपर ताप बिजलीघर की स्थापना के लिए प्रस्ताव।" (4)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा···

श्री जनार्दन पुजारी (भंवकोर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 352(i) 186(7) और 41(17) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं गत सत्र में इस प्रश्न पर एक प्रतिस्थापन प्रस्ताव के प्रसंग में चर्चा की गई थी। अपने वरिष्ठ सदस्यों एवं कुशल संसदविदों के प्रति हमारे दिलों में अत्यधिक सम्मान है। उन्हें प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों तथा अन्य बातों के बारे में पूरी जानकारी रखते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। जब इस प्रश्न पर गत सत्र में विस्तार से चर्चा की गई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मंच का उपयोग राजनीति विपक्षियों को बदनाम करने और उन्हें धमकाने के लिए किया जा सकता है। यह पिछली संसद में अर्थात् छठी लोक सभा में श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामले में किया गया था और उन पर अभियोग चलाने तथा उन्हें धमकाने के लिए इस सभा का उपयोग किया गया था। अब मेरा निवेदन है कि सारा प्रश्न न्यायिक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

मैं आपका ध्यान नियम 35(1) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य—

(1) किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।"

फिर नियम 41(17) में यह कहा गया है :

"उसमें किसी ऐसे विषय पर जानकारी नहीं मांगी जायेगी, जो भारत के किसी भाग क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालत के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो।"

इसके अतिरिक्त नियम 186(8) में कहा गया है :

"वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो।"

अतः, माननीय सदस्य उस मामले को एक बार फिर वहीं उठा सकते जबकि इस पर गत सत्र में पर्याप्त रूप से चर्चा की जा चुकी है इस पर बारीकी से चर्चा हो चुकी है। केवल यही बात नहीं है। यदि इसे एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया गया, तो हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे होंगे जो एक विधि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पड़ा हुआ है। यहां संदिग्ध व्यक्तियों की खोज, और ब्लैकमेल करने के प्रयास करने के सिवाय और कुछ नहीं किया जा रहा है। महोदय, आप अपने विवेक से इस उद्देश्य के लिए इस सभा का प्रयुक्त किये जाने की अनुमति न दें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं अपने संशोधन पर बाद में बोलूंगा। मैं पहले माननीय सदस्य द्वारा अपने व्यवस्था के प्रश्न में रखे गये तर्कों का उत्तर दूंगा, ताकि आपको कोई विनिर्णय देने में सहायता मिले।

पहले मुझे यह बात स्पष्ट कर लेने दीजिये कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बात पर पहले ही विस्तार किया जा चुका है और उचित विस्तार करने के पश्चात ही उन्होंने इस संशोधन की चर्चा करने के लिये अनुमति दी थी। अन्यथा, उन्होंने मुझे यह सूचित कर दिया होता कि मैं संशोधन को पेश नहीं कर सकता। उन्होंने नियम 352 (एक) का उल्लेख किया है जिसमें यह कहा गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश वहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।"

मैं स्वयं एक याचिकादाता हूं जिसने बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। मुझे अपनी याचिका तथा दूसरी याचिकाओं का जो न्यायालय के विचाराधीन है, का पूरा पाठ याद है। मेरा संशोधन "इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान" के पंजीकरण के सम्बन्ध में है जो एक केन्द्रीय अधिनियम की अवहेलना करके किया गया है न कि महाराष्ट्र की सरकार के किसी अधिनियम की। नाम और संप्रतीक का (अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम, 1950 नामक एक केन्द्रीय अधिनियम है। मैंने एक सीमित मामला उठाया है कि क्या उस विशेष केन्द्रीय अधिनियम का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं, और यह सुनिश्चित करना केन्द्रीय सरकार का काम है कि संसद द्वारा बताये गये कानूनों का उल्लंघन बिल्कुल ही न की जाए। वह सीमित अंश, जो बम्बई न्यायालय में दी गई मेरे याचिका का हिस्सा नहीं है, केवल वह"

श्री जनार्दन पुजारी : यह मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रो० मधु दंडवते : वह समझते नहीं हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि वह वकील हैं अथवा नहीं। आपराधिक अधिनियम और यह अधिनियम बिल्कुल ही भिन्न है। यहां अधिनियम का उल्लंघन किया गया है और अन्य अपराधिक अभियोजन का पंजीकरण से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त की असफलता है न कि मुख्य मंत्री की। कृपया यह बात याद रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस संशोधन का उल्लेख किया है और इसकी सूचना दी है और अब जब आप एक संक्षिप्त वक्तव्य दे रहे हैं, तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि इसमें उस तथ्य के मामले का उल्लेख न किया जाये जिसके संबंध में अभी न्यायिक निर्णय होना है।

प्रो० मधु दंडवते : यह ठीक है। वास्तव में यह मामला न्यायालय के समक्ष है ही नहीं। मैं स्वयं एक याचिकादाता हूं। मैंने अपनी याचिका अच्छी प्रकार पढ़ी है। मैं दूसरों के द्वारा तैयार किए गए भाषणों को नहीं पढ़ता हूं। मैं किसी अन्य के द्वारा तैयार की याचिका न्यायालय में दायर नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है। ये सभी बातें उसमें नहीं आयेंगी।

प्रो० मधु दंडवते : फिर भी हमने इन सभी नियमों को अच्छी प्रकार देख लिया है। हम कभी भी गलत काम करते हुए पकड़े नहीं जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल तभी उठता है जब संसदीय कार्य मंत्री आपके संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एक सीमित मामले को उठाया है । हमारी संसद, केन्द्रीय विधान-मंडल ने, कुछ विधानों को पारित किया है और विचाराधीन अधिनियम संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 है । इस अधिनियम की धारा 3 के द्वारा यह अपेक्षित है कि वे उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, जिनके नामों का अनुसूची में उल्लेख किया गया है, नामों का उपयोग यदि किसी न्यास अथवा संगठन में किया जाता है जो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, तो उस मामले में वैसा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से करना होता है। मेरा तर्क यह है कि इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान को महाराष्ट्र के धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त द्वारा पंजीकृत किया गया है । (व्यवधान) नियम 290 के अनुसार जब कोई भी संशोधन पेश करता है तो आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है । कोई भी सदस्य 5 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा ।

(व्यवधान)

21 सितम्बर को मैंने ध्यान आकर्षित किया था···

उपाध्यक्ष महोदय : आपका संशोधन बहुत ही स्पष्ट है ।

प्रो० मधु दंडवते : हस्तक्षेप कारण अनावश्यक रूप से समय बर्बाद हो रहा है । मैं अपने भाषण को 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं । मैं तो मार्गदर्शन कर रहा हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : 21 सितम्बर, 1981 को मैंने महाराष्ट्र के धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त को एक पत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि नाम और संप्रतीक का अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि श्री अन्तुले की अध्यक्षता में इस इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान की स्थापना करने वाले लोगों ने प्रधान मंत्री के नाम का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति नहीं ली थी ।

25 सितम्बर, 1981 को महाराष्ट्र के धर्मार्थ संशोधन के आयुक्त ने मुझे लिखा कि यह अधिनियम उन संगठनों के लिए बनाया गया है जिनका संबंध व्यापारिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों से है। मैंने सितम्बर/अक्तूबर में पुनः एक पत्र धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त को लिखा था।

(व्यवधान)

मैंने 2 अक्तूबर को धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त को बताया कि इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के न्यास विलेख के भाग 3 में खण्ड (ग) में यह बताया गया है। मैं इसे पढ़ूंगा :

"प्रतिभा प्रतिष्ठान उस ग्रुप के लोगों की इस प्रकार की उपयोगी रचनाओं को खरीदेगा अर्थात इसे बेचने का प्रबन्ध करेगा, जिनकी बाजार में ऐसे उत्पादों की बिक्री करने में कठिनाई हो सकती है नकदी सहायता को स्वीकृत करने के अतिरिक्त यह प्रतिष्ठान साहित्यिक रचनाओं के लिए एक मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, उत्पादन और विक्री संगठन की स्थापना करेगा तथा कलात्मक रचनाओं के लिये अपनी प्रदर्शनियां तथा कक्ष केन्द्रों की स्थापना करेगा।

न्यास विलेख के इस भाग की ओर ध्यान दिलाते हुये मैंने महाराष्ट्र के धर्मार्थ आयुक्त के समक्ष इस मामले को रखा कि स्पष्ट रूप से इस प्रतिष्ठान का सम्बन्ध व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से है। अत: नाम तथा प्रतीक अधिनियम, 1950 की धारा 3 की ओर ध्यान दिलाया गया है और उसके परिणामस्वरूप आपको अपने निर्णय के बारे में पुनर्विचार करना होगा। आखिरकार उन्होंने उसका उत्तर दिया है। उत्तर यह है कि यह एक न्यायिक अधिनियम है न कि प्रशासनिक अधिनियम और इस पर मैंने उन्हें बताया कि यदि यह एक न्यायिक अधिनियम है, तो इस मामले में धर्मार्थ संस्थानों के सहायक आयुक्त ने कार्यवाही की है और इसलिए आप इस पर पुनर्विचार कर सकते मैंने उनसे यह प्रार्थना की थी, इस मामले में यह संसद है जिसे सुविश्चित करना है, यह केन्द्रीय सरकार है जिनसे सुनिश्चित करना है कि हमारे अपने अधिनियमों तथा कानूनों का उल्लंघन न किया जाये और इसलिए मैं इस मामलों को उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य दे। चूंकि इस मद को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि इसे समिति को वापिस भेज दिया जाये।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : जी हां, यह इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में है

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम वहां नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी सूचनार्थ, नियम 290 के अनुसार, यदि कोई सदस्य एक संशोधन पेश करना चाहता है तो आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। वह उस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्रो० मधु दंडवते द्वारा पेश किये गये संशोधन से संबंधित वाद विवाद में भाग लेने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई वाद विवाद नहीं हो रहा है। उन्होंने एक संक्षिप्त वक्तव्य दे दिया है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, आप मुझे अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई-उत्तर) : नियम 290 के अधीन सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : आप मुझे एक वक्तव्य देने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने श्री पुजारी को असंगत मामलों के बारे में बोलने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि इस संशोधन को समिति के पास केवल वापिस ही भेजा जाना है। केवल संशोधन का प्रस्ताव का ही बोल सकता है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप हमें बार-बार बतलाते हैं कि इस सभा की कार्यवाही एक निर्धारित प्रक्रिया तथा नियमों के अनुसार चलायी जानी है, अतः हमें किसी नियम का उल्लघंन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जबकि आप पीठासीन हों। मैं आपका ध्यान नियम 290 की ओर आकर्षित करता हूं जिसका पहलाप रन्तुक इस प्रकार है।

"परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी बिशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को वापिस भेज दिया जाये।"

प्रो० मधु दंडवते ने ठीक यही किया हैं। दूसरा परन्तुक इस प्रकार है :

"परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि यह आधा घंटा केवल उन्ही सदस्यों के लिए नहीं है जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है। छः सदस्य बोल सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और वह सम्बन्धित सदस्य हैं। आप कैसे बोल सकते हैं ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मुझे पूरा करने दीजिए, अपने मार्गदर्शन के लिए हमें आपके विनिर्णय की आवश्यकता है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : चर्चा आधे घंटे तक की जा सकती है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं आपके सामने प्रथम बात यह कहना चाहता हूं कि यह परन्तुक नियम 290 का है और जो कुछ नियम 290 के अन्तर्गत आता है उसी पर यह परन्तुक लागू होता है। यह कहा जा सकता है कि वह सदस्य, जिसने प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ही आधे घंटे तक बोलने का हकदार है। परन्तु इस नियम का सार यह नहीं है क्योंकि आधे घंटे की व्यवस्था की गयी है और कोई भी सदस्य पांच मिनट से अधिक समय तक नहीं बोलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि नियम के अनुसार कम से कम छः सदस्य वाद विवाद में भाग ले सकते हैं।

दूसरी बात, जो मैं आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता है, यह है मेरे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है—और इसको निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है—कि मैंने पूर्व सूचना नहीं दी। मैं इसकी पूर्व सूचना कैसे दे सकता था ? मुझे अभी अभी उसका पता चला जब प्रो० मधु दण्डवते यह कहने के लिए उठे कि उन्होंने एक संशोधन दिया हुआ है। मैं काफी पहले पूर्व सूचना कैसे दे सकता था ? अतः दूसरे परन्तुक के अन्तर्गत इस सभा के प्रत्येक सदस्य को संशोधन पर वाद-विवाद में भाग लेने का अधिकार है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। उन्होंने अपना संशोधन इसको पुनः कार्य मंत्रणा समिति को वापस करने के लिए पेश किया है और आप इस परन्तुक से लाभ नहीं उठा सकते, अर्थात,

"परन्तु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा ..."

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यदि हम इसका लाभ नहीं उठा सकते तो वे कौन से व्यक्ति हैं जो इसका लाभ उठायेंगे ?

(श्री रवीन्द्र वर्मा उठ खड़े हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर अभी बोल रहे हैं। मैंने उनको बैठने के लिए नहीं कहा।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लगाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट लेकर सभा का समय नष्ट क्यों करते हो ?

श्री बापूसाहिब परुलेकर : हमें नियमों के अनुसार चलना है। श्री दंडवते ने मंत्रालय समिति के इस प्रतिवेदन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र में 'बम्बई लोक न्याय अधिनियम' नाम का एक अधिनियम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे सभी न्यासों, को जो लोक न्यास है, पंजीकृत करना है। प्रारम्भ में इस 'इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान, को पंजीकृत कराया गया था। श्री दंडवते के बयान से ऐसा आभास होता है कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन किया है जो कि अनिवार्य हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। धारा 3 में यह उल्लंघन किया गया है कि प्रधान मंत्री, छत्रपति शिवाजी तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किसी भी न्यास का नाम नहीं दिया जा सकता। धर्मार्थ संस्थानों के आयुक्त द्वारा इसका यह उत्तर दिया गया था कि धारा 3 केवल उन्हीं न्यासों पर लागू होती है जो कि व्यापार से सम्बन्धित हैं। फिर श्री दंडवते ने न्यास पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की जिसमें इसके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है और इसमें···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने जो कुछ कहा है, आप उसी को दोहरा रहे है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : एक उद्देश्य यह है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : इसका कारण यह है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि यदि एक केन्द्रीय अधिनियम के किसी अनिवार्य उपबन्ध का उल्लेख मुख्य मंत्री जैसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कि केन्द्रीय कानूनों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और हमें सरकार से मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए और यह कार्यवाही आपराधिक कानून के अन्तर्गत नहीं बल्कि उनको पद से हटाकर की जानी चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपमें से प्रत्येक व्यक्ति भाग लेना चाहता है तो यह सम्भव नहीं है। डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी मैं··· ···अन्य किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप मुझसे प्रश्न मत करिये·····

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कृपया, आप इन्हें शान्त करायेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर : आधा घंटा दिया गया है···आप नियमों का उल्लंघन कर रहे है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : **

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये···कृपया शान्त रहें। सभा का समय बहुत कीमती है। यदि आप एक मिनट नष्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप हमारे जैसे गरीब देश में 400 रु० नष्ट कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा एक संशोधन है। मैं पेश करता हूं :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये "कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 22 वें प्रतिवेदन को इनमें दो मदों को सम्मिलित न किये जाने के कारण उक्त समिति को वापस भेजती है।

(क) राष्ट्रीय गन्दी बस्तियों सम्बन्धी नीति।

(ख) बम्बई उपनगरीय रेल सेवायें।"

अब वे हंस रहे हैं। बम्बई के लोग मर रहे हैं और वे हंस रहे हैं। आप बम्बई की परवाह करते हैं। पहले इस सभा को निर्माण तथा आवास मन्त्री द्वारा, जो संसदीय कार्य मन्त्री भी हैं तथा वहां पर बैठे बिल्ली की तरह मुस्करा रहे हैं, अनेकों बार यह आश्वासन दिया गया है कि यह सभा···महोदय, क्या बिल्ली शब्द असंसदीय है ?

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल 'बिल्ली की तरह' कहा है। आपने उनको बिल्ली नहीं कहा। आपने केवल 'बिल्ली की तरह' कहा है। यह संसदीय है।

रेल मंत्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वयोवृद्ध लोगों में बुद्धि तथा भाव होते हैं और वे बच्चों को प्यार करते हैं। बिल्ली का लिंग क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : यदि मैं कहूं कि कुत्ता बिल्ली से डरा हुआ है, तब आपको कैसा लगेगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : महोदय, मन्त्री ने अभी-अभी हस्तक्षेप किया कि जब मैंने उनको बिल्ली की तरह कहा तो आप उसका लिंग कैसे जानते हैं ?

कुछ भी हो, महोदय इन माननीय मन्त्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय गन्दी बस्तियों सम्बन्धी नीति पर इस सभा में वादविवाद किया जायेगा। पहले दिन ही हमें यह बतलाया गया था। बम्बई में क्या हो रहा है ? बम्बई की दो-तिहाई जनता गन्दी बस्ती जैसी स्थिति में रह रही है। राज्य सरकार के पास धन नहीं है। इसमें से अधिकांश चला गया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि कहां चला गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके चुनाव क्षेत्र में तामिल लोग रहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे चुनाव क्षेत्र के 75% लोग गन्दी बस्तियों में रहते है तथा तामिल लोगों की भी काफी संख्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हमारे वोट मिले हैं। मुझे यह ज्ञात है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब श्री अन्तुले समस्या खड़ी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने गन्दी बस्तियों को हटाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा यह किया जा रहा है। आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आप व्यक्तिगत नाम क्यों लाते हैं ? यह सरकार—बम्बई सरकार, महाराष्ट्र सरकार का कार्य है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोई बम्बई सरकार महाराष्ट्र सरकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नाम न लेने का प्रयत्न कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने गन्दी बस्तियों को बेतरतीब ढंग से गिराने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

अब, उस बड़ी घटना पर, उस दुःखद घटना पर, जो वहां हो रही है, इस सभा में वाद-विवाद होना चाहिए। बम्बई में लोग सड़कों पर सो रहे हैं। उनके पास शौचालय भी नहीं हैं यदि वे शौचालय बनाना भी चाहें तो उनके पास सीमेंट नहीं है। अतः प्रश्न यह है : इस सभा में राष्ट्रीय गन्दी बस्तियों सम्बन्धी नीति पर चर्चा होनी चाहिए। यह पहला प्रश्न है।

मेरी दूसरी बात यह है : अधिकांश लोग बम्बई से बाहर रहते हैं तथा उनको उपनगरीय रेल सेवा द्वारा बम्बई आकर काम करना पड़ता है। उपनगरीय रेल सेवा लड़खड़ाती हुई हालत में है। केन्द्रीय रेल के महाप्रबन्धक का कहना है कि सरकार कुछ धनराशि प्रदान नहीं कर रही है। योजना आयोग ने धन देने से मना कर दिया है। हम ऐसे कैसे काम चला सकते हैं? अतः बम्बई उपनगरीय रेल सेवाओं पर चर्चा के लिए कुछ समय नियत किया जाना चाहिए। अन्यथा, लाखों लोगों का भारी प्रदर्शन होगा जिसका नेतृत्व मैं करूंगा तथा जिससे सरकार के लिए बहुत सी समस्यायें पैदा हो जायेंगी। अतः यदि सरकार मुझे आश्वासन देगी तो मैं अपने संशोधन के लिए दबाव नहीं डालूंगा, अन्यथा मैं उसे पेश करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्यमंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन निम्नलिखित मद को सम्मिलित न किये जाने के कारण समिति को वापस ले जायें ?

"गढ़वाल चुनावों के स्थगन को ध्यान में रखते हुए··· ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक चर्चा में गढ़वाल का प्रश्न आना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वे क्यों चिल्ला रहे हैं ?

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्यमंत्रणा समिति का 22वां प्रतिवेदन निम्नलिखित मद को सम्मिलित न किये जाने के कारण समिति को वापस भेजा जाये।"

"गढ़वाल चनाव के स्थगन को ध्यान में रखते हुए चुनाव कानून में संशोधन होना चाहिए, ताकि घोषित तारीखों में चुनाव हो सके।"

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही स्पष्ट है।

श्री हरिकेश बहादुर : जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन 4 नवम्बर को सत्तारूढ़ दल द्वारा गढ़वाल में लोकतन्त्र की हत्या के लिए चुना गया था। यह संसूची प्रक्रिया की यह शुरुआत है। जनवरी, 1980 में जब से इस संसद ने कार्य करना शुरू किया है तब से गढ़वाल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मई में श्री बहुगुणा ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद से गढ़वाल की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं हैं। इसी कारण गढ़वाल के बहुत से लोगों ने

सत्याग्रह शुरू कर दिया है। प्रतिदिन उनकी गिरफ्तारी हो रही हैं। परन्तु यह सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाहती और वे इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस सदन में मामला अनेक बार उठाया गया था और यह कहा गया था कि इस पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी। परन्तु फिर मैं देखता हूं कि इस कार्यमन्त्रणा समिति के इस प्रतिवेदन में गढ़वाल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। अत: महोदय, अगले सप्ताह में तुरन्त इस मामले को लिया जाना चाहिए। मैं मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मामले पर अगले सप्ताह सभा में चर्चा की जाये।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 22वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने के लिये वापिस करने का प्रस्ताव करता हूं :

पहला विषय है कि उत्तरी बिहार के सर्वांगीण विकास के लिये हरसम्भव प्रयास और दूसरा है बिहार के उत्तरी करनपुरा कोयला खानों के क्षेत्र में, जहां हिन्दुस्तान का करीब-करीब 46 प्रतिशत कोयला है, वहां एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाने के बारे में।

मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर बिहार कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां बढ़ती हुई आबादी के साथ कृषि पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। कारण यह है कि अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं, इसलिये इस क्षेत्र में उद्योगों का स्थापित करना बड़ा आवश्यक है।

मैं समस्तीपुर का वर्णन करूंगा, यहां उद्योगों के नाम से केवल 3 कारखाने हैं। 2 चीनी मिलों के और एक जूट मिल का और एक छोटा-सा कारखाना कागज का भी है जो हमेशा बीमार रहता है। कुछ दिन पहले यहां पर ग्रैफाइट फैक्टरी स्थापित करने की योजना बनी थी, उसके लिये भूमि अर्जित कर ली गई थी, लेकिन स्थिति यह है कि जमीन खाली पड़ी है और कारखाना भी स्थापित नहीं हो रहा है। दोहरी हानि इस तरह से हो रही है, न जमीन से पैदावार हो रही है और न फैक्टरी लग रही है जिससे कुछ भी नहीं निकल रहा है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस इलाके के सर्वांगीण विकास के लिये यहां कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना होनी चाहिये और उद्योगों को चलाने के लिये कांटी में बिजलीघर का निर्माण शीघ्र होना चाहिये। पहले की योजना के अनुसार इसमें 19 2 में बिजली का प्रोडक्शन आरम्भ होने वाला था।

उत्तरी करणपुर कोयला क्षेत्र में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिये कारण यह है कि यहां पर हिन्दुस्तान का करीब-करीब 46 प्रतिशत कोयला है और कोयले का सीम इतना ऊपर है कि उस पर ओवर-वर्डन भी अधिक नहीं है। सिंगरौली के कोयला सीम पर जितना ओवर-वर्डन है, उससे यहां ओवर-वर्डन कम ही है। अत: कोयला खान की लागत कम है।

इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इसको इन्क्लूड कर लिया जाये कि वहां पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाये।

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, दुर्भाग्यवश प्रो० दण्डवते, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री हरिकेश बहादुर तथा प्रो० अजित कुमार मेहता, सभी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं। सरकार ने समय आवंटित करने सम्बन्धी कार्य मंत्रणा समिति की सिफारियों को सभा के सामने रखा है। जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा पेश किये गये प्रतिस्थापन प्रस्तावों का सम्बन्ध है, इन पर कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। वे समिति के जिस बात के बारे में कहें, तसल्ली दिला सकते है। अत: मैं प्रस्ताव को वापिस कार्य मंत्रणा समिति को भेजना उचित नहीं समझता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० मधु दंडवते का संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"कि कार्य मंत्रणा समिति के रखे प्रतिवेदन को, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, समिति को वापस भेजा जाये क्योंकि इसमें जी० ए० आर० अन्तुले के सभापतित्व में बने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के पंजीकरण में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना प्रधान मंत्री के नाम का उक्त प्रतिष्ठान के लिये प्रयोग कर संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 की धारा (3) के उल्लंघन के प्रश्न को शामिल नहीं किया गया है।" (1)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 3

पक्ष में :

आजमी, डा० ए० यू०

बसु, श्री चित्त

भीम सिंह, श्री

दण्डवते, प्रो० मधु

गिरि, श्री सुधीर

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हरिकेश बहादुर, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

कोडियन, श्री पी० के०

मेहता, प्रो० अजित कुमार

मिर्धा, श्री नाथूराम

मुखर्जी, श्रीमती गीता

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पाल, प्रो० रूप चन्द

पण्डित, डा० वसन्त कुमार

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

राजदा, श्री रतनसिंह

राय, डा० सरदीश

साहा, श्री अजीत कुमार

आस्त्री, श्री रामावतार

शेजवलकर, श्री एन० के०

सिंह, श्री बी० डी०

सूरज भान, श्री

स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम

वर्मा, श्री रवीन्द्र

वर्मा, श्री रीठलाल प्रसाद

जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में :

*अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

आजाद, श्री भागवत झा

बन्सी लाल, श्री

*उन्होंने गलती से गलत स्थान से मतदान किया और बाद में अध्यक्ष महोदय को तदनुसार सूचित किया।

भक्त, श्री मनोरन्जन

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

बीरबल, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

दाभी, श्री अजीत सिंह

दलबीर सिंह, श्री

देव, श्री सन्तोष मोहन

ईरा अनावारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फ़ैलीरो, श्री एडुआर्डो

गुफरान आजम, श्री

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जैन, श्री भीकू राम

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

कोसलराम, श्री के० टी०

कुचन, श्री गंगाधर एस०

महाजन, श्री विक्रम

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मायातेवर, श्री के०

मिश्र, श्री उमाकान्त

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मुथु कुमारन, श्री आर०

नगीना राय, श्री

नायक, श्री जी० देवराय

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नीखरा, श्री रामेश्वर

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री केदार

पनिका, श्री रामप्यारे

पारधी, श्री केशवराव

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

राम, श्री रामस्वरूप

रामुलू, श्री एच० जी०

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सेठी, श्री अर्जुन

शक्यवार, श्री नाथूराम

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री सुन्दर

सिंगारावा डीवेल, श्री एस०

सोलंकी, श्री बाबूलाल

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

ठाकुर, श्री शिव कुमार सिंह

त्रिलोक चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

व्यास, श्री गिरधारी लाल

याजदानी, डा० गोलम

जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अत्यधीन मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री विजयकुमार यादव, रामलाल राही, मोहम्मद इस्माइल, चन्द्रपाल सिंह, राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा अजित बाग ।

विपक्ष में : सर्वश्री रामनाथ दुबे, गुलशेर अहमद, रासबिहारी बहेरा ।

पक्ष में 27

विपक्ष में 74

निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, क्या आप अपने संशोधन पर सभा द्वारा मतदान करने पर जोर दे रहे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय मेरे संशोधन पर अपना समाधानपूर्ण ब्यान दें, मंत्री महोदय मेरे संशोधन पर कुछ विचार करें।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह)। मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 2 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरिकेश बहादुर द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 3 को मतदान के लिये सभा में रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० अजित कुमार मेहता द्वारा पेश किये गये संशोधन 4 को मतदान के लिये सभा में रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से, जो 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं :

उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में इस समय शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ी हुई है यद्यपि इस जनपद में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर अनेक औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं और हो रहे हैं। सरकार की निश्चित घोषित नीति के अनुसार जिन व्यक्तियों की भूमि ली जाती है उनको अनिवार्य रूप से सेवायोजित करने का प्रबन्ध है परन्तु मिर्जापुर में इस नीति का पालन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यहां बेरोजगारी बढ़ रही है। अनेक परियोजनाओं में जमीन तथा अन्य सम्पत्तियां अधिग्रहीत कर ली जा रही हैं लेकिन उनको व्यवस्थित ढंग से पुनर्वासित नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान बेरोजगारी जैसी विकट समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक तिहाई अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग हैं और काफी संख्या में सीमान्त तथा लघु कृषक तथा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या है। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे उस जनपद में स्थापित होने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में यहां के लोगों को अनिवार्य रूप से लगाया जाय। आवश्यकता हो तो यहां पर टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट (आई० टी० आई०, पालिटेक्नीक) खोलकर यहां के नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाय और कल कारखानों में लगाया जाय अन्यथा स्थानीय लोगों में असन्तोष व क्षोभ बढ़ रहा है और कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय लोग संतुष्ट हों उनको भी लगने वाले संस्थानों से लाभ पहुंचे।

(दो) उत्तर प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सीमेंट का गम्भीर रूप से अभाव पैदा हो गया है। उक्त अभाव के कारण प्रदेश में निर्माण का कार्य प्रायः ठप्प हो गया है। लोगों को मरम्मत के लिए 2-4 बोरी सीमेंट भी नहीं मिल पा रही है। नये भवन के निर्माण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे स्कूल, मन्दिर, मस्जिद आदि भी नहीं बन पा रहे हैं। पहले इन कार्यों के लिए सरकार आर० सी० सी० कोटे के अन्तर्गत परमिट दे दिया करती थी। लेकिन अब ऐसे परमिट भी दिए जाने में उ० प्र० की सरकार असमर्थता व्यक्त करती है।

सीमेंट के अभाव का सबसे बड़ा शिकार सरकार की विभिन्न बिजली, सिंचाई तथा दूसरी योजनायें हैं। सरकारी गोदाम, अस्पताल, जच्चा-बच्चा केन्द्र आदि सुविधायें, जो विश्व संगठन की सहायता से उपलब्ध कराई गई हैं, उनका भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीमेंट दिये जाने की व्यवस्था करे और साथ ही साथ ऐसा प्रबन्ध करे कि आर० सी० सी० कोटे के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को कम से कम सार्वजनिक कार्यों के लिए सीमेंट का परमिट दिया जा सके।

(तीन) लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज को एक आयुर्विज्ञान संस्थान में बदलना

श्री रामलाल राही : उपाध्यक्ष महोदय, भारत गणराज्य के विशालतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी एवं ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में सन् 1972 ई० में पुनर्वास एवं कृत्रिम अंग केन्द्र का शिलान्यास करते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि राजधानी में एक आयुर्विज्ञान संस्थान बनाया जावे जिससे भयंकर बीमारियों से पीड़ित प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर न जाना पड़े। परिणामस्वरूप उसी अवधि में इस पुनीत कार्य के लिए एक सीमित गठित की गई, उस समिति ने सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ को आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित कर दिये जाने की राय व्यक्त की। इसका मुख्य कारण आयुर्विज्ञान संस्थान योजना के लिए भू-सम्पत्ति आदि पर व्यय होने वाले धन और भूमि अधिग्रहण आदि की समस्याओं की उलझन से बचाना था।

समिति की राय के अनुसार ही सन् 1976 में डा० बी० एन० सिन्हा की रिपोर्ट के आधार पर आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 50 लाख रुपए की टोकेन ग्रान्ट स्वीकृत की गई। आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए नबीउल्ला रोड पर लगभग 9 एकड़ जमीन को भी प्लाट कर दिया गया तथा 50 हजार रुपए बाउन्ड्री हेतु स्वीकार कर दिए गए। सन् 1978 में नयी सरकार ने आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जार्ज मेडिकल कालेज से अलग एक विशाल भू-खण्ड पर बनाने का निर्णय लिया क्योंकि मेडिकल कालेज के कुछ स्वार्थी तत्वों ने, जो डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस के सार्थक थे, इस योजना को धूल धूसरित करने में प्रमुख भूमिका अदा की। शिलान्यास करते समय महामहिम राष्ट्रपति ने भी शंका व्यक्त की थी कि यह संस्था मात्र शिला के पत्थर तक ही सीमित न रह जावे।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हिन्दी साप्ताहिक "करेन्ट" के सम्मानित युवक संवाददाता नगेन्द्र पान्डे ने अपने ज्ञान, विश्वास और अध्ययन के आधार पर 10 अक्तूबर, 1981 में कथित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में चित्रण किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार इस संस्थान के निर्माण में प्रशासनिक और राजनैतिक हस्तक्षेप बाधक रहा है। खेद तो इस बात का है कि प्रदेश व केन्द्र, कोई भी सरकार जन-भावनाओं से जुड़ने के लिए आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान नहीं देती। यही कारण है कि दिनोंदिन स्थिति बिगड़ रही है। लोकहित में यह उचित होगा कि अविलम्ब लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल कालेज को आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित कर जन-आकांक्षा के अनुरूप कार्य प्रारम्भ किया जाए।

मैं इस लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की तरफ केन्द्र सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अविलम्ब जनहित, राष्ट्रहित और मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए किंग जार्ज मेडिकल कालेज को आयुर्विज्ञान संस्थान में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

(चार) भारत और इंगलैंड के बीच हो रहे वर्तमान क्रिकेट टेस्ट मैचों को दूरदर्शन पर दिखाने हेतु कलकत्ता और कानपुर में माइक्रो-वेव-लिंक की व्यवस्था की आवश्यकता

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय भारत-एम० सी० सी० टेस्ट क्रिकेट मैच देश में हो रहे हैं और अखिल भारतीय दूरदर्शन केन्द्र ने माइक्रो-वेव लिंक द्वारा दिल्ली, मद्रास, बंगलौर पुणे तथा मसूरी केन्द्रों द्वारा इन मैचों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की है जिसके द्वारा 90 लाख लोग खेल को देख रहे हैं, दुर्भाग्यवश, कानपुर, कलकत्ता तथा समूचे पूर्वी क्षेत्र को इस अवसर से वंचित किया जा रहा है। लेकिन यह बात सच है कि खेलों के सीधे प्रसारण के मामले में ये दूरदर्शन केन्द्र अन्य केन्द्रों से बहुत आगे हैं, इस क्षेत्र के लोग बम्बई टेस्ट देखने से भी वंचित हुये और कहा गया है कि अन्य चार टेस्ट मैचों के लिए भी माईक्रो-वेव-लिंक द्वारा खेल दिखाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं होगा। इस प्रकार कलकत्ता जैसा देश बहुत जनसंख्या वाला शहर तथा पूर्वी क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा होगी। पिछले कई वर्षों से कलकत्ता तथा कानपुर केन्द्रों के लिए माइक्रो-वेव लिंक की मांग होती रही है। 1979 में, जब कलकत्ता तथा कानपुर में भारत-पाकिस्तान टेस्ट मैच हुये थे, माइक्रो-वेव लिंक की मांग किये जाने के समय केन्द्र ने आश्वासन दिये थे। लेकिन उसके बाद इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

इस देश में बहुत से लोग टेलीविजन पर खेल तथा फिल्में देखने में दिलचस्पी रखते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि "ऐपल" उपग्रह को देश भर में इन खेलों को दिखाने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता। अतः मेरी मांग है कि वर्तमान रहे टेस्ट मैचों को दिखाने के लिए कलकत्ता तथा कानपुर के लिए माईक्रो-वेव लिंक की व्यवस्था की जाये और जब तक यह प्रबन्ध नहीं होता, उस समय तक इसके लिए "ऐपल" का उपयोग किया जाये।

(पांच) दिल्ली के उचित दर दुकानदारों का कमीशन बढ़ाये जाने की मांग

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, दिल्ली जैसे बड़े शहर में निश्चित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हजारों दुकानें काम कर रही हैं। उन्हे चलाने वाले हजारों दुकानदार भी उन दुकानों की कमाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

राशन के दुकानदार पिछले 17 वर्षों से दिल्ली की जनता की सेवा करते आ रहे हैं। परन्तु वर्तमान महंगाई को देखते हुए उन्हें मिलने वाले कमीशन में वृद्धि नहीं की गई है। हां, कहने के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए सरकार ने उचित दर के दुकानदारों के कमीशन में सन् 1975 में केवल गेहूँ और चावल के लिये प्रति किलो एक पैसे की बढ़ोत्तरी की।

यहां यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सन् 1965 से लेकर अब तक सरकार ने राशन की दुकानों से मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कई बार बढ़ोत्तरी की है। इसके बावजूद दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीशन में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

सन 1965 से 1981 के बीच सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि की है उसकी तालिका इस प्रकार है :

1. **गेहूं** : 1965 में जो गेहूँ 44 पैसे किलो मिलता था उसका मूल्य 1981 में 1.49 हो गया यानी 1.05 की वृद्धि।

2. **चावल** : 1965 में जो चावल 69 पैसे मिलता था उसकी कीमत सन् 1981 में 2.06 किलो है यानी 1.37 की वृद्धि।

3. **चीनी** : जो चीनी 1965 में प्रति किलो 1.23 थी वह 1981 में 3.65 प्रति किलो मिल रही है यानी 2.42 की वृद्धि हुई।

4. **आटा** : 1965 में जो आटा 49 पैसे में एक किलो मिलता था उसका दाम 1981 में बढ़कर 1.50 हो गया यानी 1.01 की बढ़ोत्तरी हो गई।

5. **मैदा** : 1965 में एक किलो मैदा का दाम 78 पैसे था, 1981 में उसका दाम 2.09 हो गया है यानी 1.31 की बढ़ोत्तरी हुई है।

6. **सूजी** : 1965 में सूजी का दाम प्रति किलो 84 पैसे था, 1981 में उसका मूल्य 2.15 हो गया है यानी 1.31 की वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त आंकड़ों को देखते हुए राशन के दुकानदारों के कमीशन में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होनी चाहिए जो हर दृष्टि से उचित होगी। परन्तु कमीशनों में वृद्धि का अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि राशन की दुकानों से मिलने वाली चीजों के मूल्य बढ़ा दिए जायं।

आशा है, सरकार राशन के दुकानदारों की कमीशन बढ़ाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

(छः) सेलम इस्पात कारखाने के छठनी किये गये कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार

*श्री सी० पलानीअप्पन (सलेम) : नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाना चाहता हूं :

हिन्दुस्तान स्टील कनस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड एक केन्द्रीय सरकार की संस्था है। यह संस्था देश के कई भागों में इस्पात कारखाने स्थापित करने तथा तत्सम्बन्धी परियोजनाओं के

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कार्यान्वित करने में व्यस्त है। भिलाई, बोकारो, कुद्रेमुख, विशाखापट्टनम, सलेम, मद्रास आदि स्थानों पर हिन्दुस्तान स्टील कनस्ट्रक्शन कम्पनी का काम चल रहा है। इसी प्रकार यह संस्था लिबिया, ईराक तथा अन्य देशों में भी निर्माण कार्य में व्यस्त है।

इस संस्था के कार्य का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इस कम्पनी द्वारा परियोजना के पूरा होने के तुरन्त बाद ही श्रमिकों को अपनी जीविका का प्रबन्ध स्वयं ही करना पड़ता है। श्रमिकों को इस प्रकार संकटावस्था में छोड़ देने की प्रथा बन्द की जानी चाहिये।

हिन्दुस्तान स्टील कनस्ट्रक्शन कम्पनी किसी एक स्थान पर काम पूरा होने से पहले ही अन्य स्थानों पर ठेके प्राप्त करता आ रहा है। ऐसे मामलों में पूरी हुई परियोजाओं के फालतू श्रमिकों को नई परियोजनाओं में लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाये तो श्रमिकों की छटनी नहीं होगी। अब समाचार है कि सेलम, कुद्रेमुख, मद्रास और विशेषकर सलेम के श्रमिकों की छटनी की जायेगी। देश के श्रम कानूनों के अन्तर्गत बाद में भर्ती किये गये लोगों को पहले जाना चाहिये। लेकिन सलेम में, सभी श्रमिकों की छटनी एक साथ किये जाने का प्रस्ताव है। क्या इस प्रकार की बड़े पैमाने पर छटनी की जानी चाहिये ? क्या कम्पनी नई परियोजनाओं में उनके लिये रोजगार के वैकल्पिक अवसर नहीं दे सकती ? क्या इस्पात मंत्रालय के इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये और यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिये कि उन्हें हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी अन्य स्थानों पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में रोजगार प्रादन करें।

सलेम इस्पात परियोजना के दूसरे चरण का काम चाहे वित्त की कमी के कारण अभी आरम्भ न हो सके परन्तु दूसरी सेंसामीर मिल पर काम तुरन्त आरम्भ कर दिया जाए। वर्तमान सेलम परियोजना से स्थानीय लोगों को कोई भी प्रशंसनीय लाभ नहीं हुआ है और वे सन्तुष्ट नहीं हैं। वर्तमान कोल्ड रोलिंग मिल में केवल 1000 लोगों को रोजगार मिला है। अतः, दूसरी सेंसामीर मिल का तत्काल निर्माण किया जाए ताकि मजदूरों की बड़े पैमाने पर छटनी न करनी पड़े।

(सात) भारी हिमपात के कारण कारगिल और लद्दाख जिलों में लोगों और पशुओं के लिए अपेक्षित राहत उपाय

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : नवम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में बेमौसम के भारी हिमपात के कारण लद्दाख क्षेत्र में लोग फंस गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कारगिल और लद्दाख जिलों के दूर-दराज के गांवों की अनेक सड़कें समय से पूर्व बन्द हो गई हैं। संचार व्यवस्था भंग हो गई है, तिब्बत के सीमावर्ती चंगकांग क्षेत्र तथा जंस्कार क्षेत्र की समूची चरागाहें बर्फ से ढक गई हैं जिसके फलस्वरूप खानाबदोश कबीलों के याकों सहित भेड़ें, बकरियां, घोड़ें, खच्चर तथा अन्य पशु भूखे मर रहे हैं। इन क्षेत्रों की प्रथम सूचना रिर्पोटों से पता चलता है कि 5,000 से अधिक पशु जिनमें अधिकांश भेड़ों और बकरियों के बच्चे हैं, भुखमरी और ठण्ड के कारण मर गए हैं। मनुष्यों के भी पाला मार जाने से मरने के समाचार मिले हैं। अभी तक प्राप्त समाचारों से पता चलता है कि चरागाहें भारी बर्फ के नीचे ढकी पड़ी हैं और पशु भूखे मर रहे हैं। यदि वहां पर फंसे हुए लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और पशुओं के लिए चारा समय पर हवाई जहाजों से

शीघ्र ही नहीं पहुँचाया जाता है तो आशंका है कि वहां फंसे लोगों की दुर्दशा के अलावा अधिकांश पशु कुछ ही दिनों में मर जाएंगे।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर फंसे हुए लोगों के लिए राशन और चिकित्सा सहायता तथा पशुओं के लिए चारा तत्काल हवाई जहाजों से गिराया जाए जो उनके लिए अत्यधिक आवश्यक है।

(आठ) मद्रास में भारतीय जहाजरानी निगम का एक कार्यालय खोलने की आवश्यकता

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना 1961 में की गई थी। सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारत के विभिन्न बन्दरगाहों से आयात-निर्यात व्यापार, नौवहन की सुविधाओं और यात्री सेवा में सहायता करना, उनका विकास करना और उनका सरणीकरण करना था। पिछले 20 वर्ष के दौरान, भारत के प्रमुख बन्दरगाहों पर अपनी गतिविधियां तथा सेवाएं बढ़ाने के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया है। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सभी बन्दरगाहों पर सेवाओं के और प्रसार और विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया है। आगामी 3-4 वर्षों के दौरान 800 करोड़ रुपये की धनराशि इस पर व्यय की जाएगी। इस समय, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया विश्व की बड़ी शिपिंग कम्पनियों में से एक है।

मद्रास बन्दरगाह पर हर समय मौजूद जहाजों में से लगभग आधे जहाज शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के होते हैं। यह कारपोरेशन मद्रास से सिंगापुर, पोर्ट ब्लेयर, जापान, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका तक बहुत अच्छी यात्री सेवायें चलाती है तथा मद्रास से विभिन्न स्थानों तक और वहां से मद्रास तक अनेक मालवाहक जहाज चलाती है। परन्तु किसी की भी समझ में यह बात नहीं आती है कि शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने मद्रास में अपना कार्यालय क्यों नहीं खोला है। समूचा कार्य एक निजी कम्पनी को सौंप दिया गया है जो शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के नाम पर बहुत भारी लाभ कमा रही है। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लम्बे समय से मद्रास में अपना कार्यालय खोलने के विचार में ऊपरी तौर पर दिलचस्पी लेती रही है।

यात्री सेवाओं सहित, समूचा नौवहन व्यापार, मैसर्स के० पी० वी० शेख मोहम्मद राउथर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। वास्तव में, मैसर्स क० पी० वी० शेख मोहम्मद राउथर प्रा० लि० का शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के साथ एकाधिकार व्यापार है। अपने कमीशन की व्यवस्था के अतिरिक्त वे शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के साथ बेनामी फर्म के माध्यम से एजेंसी, जहाजी कुलियों, निर्गम, अग्रेषण, ठेकों, चिपिंग, पेंटिंग और जहाजी दीपाधार का कार्य भी कर रहे हैं। इस एकाधिकार के कारण व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों और यात्रियों तक को काफी शिकायतें हैं तथा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, क्या मैं सरकार से दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित बन्दरगाह मद्रास में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का एक कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध कर सकता हूं ? शिपिंग

कारपोरेशन आफ इण्डिया ने विदेशों तक में अपने कार्यालय खोले हैं जबकि केवल मद्रास में ही उन्होंने अपना व्यापार एजेंसी के आधार पर दिया हुआ है। मद्रास में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के तेजी से बढ़ते व्यापार को देखते हुए यह अधिक उचित होगा कि शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया अपना कार्य स्वयं करे तथा किसी अन्य को एकाधिकार देकर मुनाफा कमाने और अन्य सभी लाभ उठाने की अनुमति न दे। मुझे आशा है कि सरकार उपरोक्त मामले में, लोकहित में अपना निर्णय देगी और शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया की प्रतिष्ठा बनाए रखेगी।

(नौ) खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्री का ध्यान देश के खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन की गतिविधियों की ओर दिलाना चाहता हूं। इस कमीशन की स्थापना ग्रामीण शिल्प एवं हरिजन, कमजोर, पिछड़े तथा आर्थिक अभाव से ग्रस्त शिल्पकारों की प्रगति के लिए की गई है। कमीशन का लक्ष्य 10 लाख परम्परागत कारीगरों को अपनी कला-कौशल में सुधार लाने के लिए सहायता देना, 10 लाख नए प्रवेशकों के लिए काम के नए अवसर का चयन करना, इस वर्ष निर्धारित किया गया था।

इस 20 लाख लोगों की श्रेणी का विभाजन करते हुए कमीशन ने निर्णय लिया था कि इनमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय प्रदेश और पिछड़ी जाति के शिल्पी होंगे, जिससे इन शिल्पियों का प्रतिशत 23 से बढ़कर 36 हो जाए। कमीशन ने यह भी निश्चित किया था कि उपरोक्त 20 लाख लाभ ग्रहिताओं में से शिल्पी महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत होगी, जिससे उनके एकत्र प्रतिशत का वर्तमान स्तर 45 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो जाए। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत 79-80 तक 739 पंजीकृत संस्थाएं एवं 27,842 सहकारी समितियों की स्थापना की गई। इनके लिए कुल विशुद्ध वितरण 240.41 करोड़ रुपया निश्चित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए 65.91 करोड़ रुपए निर्धारित हुए।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ आपके माध्यम से सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन कुछ लोगों की मात्र जेबी संस्था ही बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग दो सौ पंजीकृत संस्थाए हैं। यह कमीशन 95 प्रतिशत ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो न तो शिल्पी हैं न उनके पूर्वज कभी शिल्प कला से परिचित ही थे। कुछ सम्पन्न लोग फर्जी संस्था गठित कर समस्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आज सफल हो रहे हैं। परिणामस्वरुप ग्रामीण शिल्पकार को मदद नहीं मिल रही है, बल्कि गांवों के शिल्पकार बेरोजगारी की स्थिति में पहुँचते जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सर्वप्रथम कमीशन की गतिविधियो की जांच कराएं। साथ ही कमीशन द्वारा आर्थिक सहायता देने के तरीकों, संगठन बनाने की शर्तों के सम्बन्ध में ऐसा निर्देश दिया जाए कि गांव का हर गरीब शिल्पकार इससे लाभ उठा सकें। कमीशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रादेशिक कार्यकारिणी एवं अन्य कार्यकारिणी में प्राय: उच्च वर्ग के पूंजीपति लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे भलीभांति जानकारी है कि इस

संस्था की कार्यकारिणी में 80 प्रतिशित से लेकर 95 प्रतिशत तक ऐसे लोग हैं जो शिल्पकला की कोई जानकारी नहीं रखते। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण शिल्पकार के पास बैठना भी अपना अपमान समझते हैं।

अन्त में मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि कशीशन के कार्य को देखने वाले अधिकारियों पर भी दृष्टि डालनी आवश्यक है। आज कमीशन के बारे में उद्योग अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की धारणा इन कारणों से और भी विचित्र सी है। उसमें सम्भवतः यह भावना बन गई है कि इस संस्था का कार्य केवल मुफ्त में रुपया बांटना है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि में कमीशन की कार्यवाही की खुली जांच की जाए। मेरे पास वाराणसी, लखनख, पटना, भोपाल आदि कुछ शहरों में हो रहे कदाचार का बहुत बड़ा प्रमाण है। जब सरकार चाहे, मैं इसे प्रस्तुत कर सकता हूं। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि इस कारण ग्रामीण शिल्पियों में, खासतौर से संदपुर, वाराणसी, जहां से मैं चुना गया हूं, वहां बहुत बड़ा असन्तोष है।

(दस) सेना, सीमा सुरक्षा बल आदि के उपयोग के लिए घटिया किस्म के कम्बलों की सप्लाई

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : इस समय भारत सरकार सेना, सीमा सुरक्षा बल, गृह रक्षकों, पुलिस आदि के लिए पानीपत के अनेक निर्माताओं से कम्बल खरीद रही है। हमारे सुरक्षा बलों के लिए कम्बल इस तरह खरीदे जाने चाहिए कि जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक निर्धारित विशिष्ट किस्म के होंगे और इन कम्बलों की कीमत और किस्म के सम्बन्ध में सरकार को धोखा न दिया जा सके।

यह कहा गया है कि उपरोक्त निर्माताओं से सरकार द्वारा पिछले दो तीन साल से प्रतिवर्ष औसतन लगभग 15 लाख कम्बल खरीदे जाते हैं। सरकार ने यह बताते हुए नई विशिष्टताएं निर्धारित की हैं कि इन कम्बलों के लिए 40 एस माइक्रोन वाली ऊन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहले जब ऊन की क्रिस्म का निर्धारण नहीं किया गया था, तब कम्बल 70 रुपये प्रति कम्बल के हिसाब से सप्लाई किये जाते थे। ऊन की किस्म के निर्धारण में परिवर्तन से इन कम्बलों की कीमत 100 रुपए और 115 रुपए प्रति कम्बल के बीच हो गई है। इस प्रकार सरकार प्रति कम्बल लगभग 48 रुपए अधिक देकर खरीद रही है जो प्रतिवर्ष लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तक बैठते हैं।

यह पता चला है कि आज जो कम्बल बनाए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं वे पुरानी किस्म की ऊन के बने होते हैं जो काफी मोटी माइक्रोन होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि घटिया किस्म के कम्बल सप्लाई किए जाते हैं जबकि नमूने 40 एस माइक्रोन वाली ऊन के कम्बलों के दिखाए जाते हैं। दिखाए गए परीक्षित और उपयुक्त पाए जाने वाले नमूनों के कम्बलों और वास्तव में सप्लाई किए गए कम्बलों में भारी अन्तर होता है। इस प्रकार केन्द्रीय राजकोष को प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपये का धोखा दिया जाता है।

यह बहुत आवश्यक है कि किसी सक्षम एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए जो इस बात की जांच करे और सप्लायरों/निर्माताओं/फैक्टरियों के कम्बलों और उनकी ऊन के नमूने देखें। वास्तव में सप्लाई किये गए कम्बलों में से, यदि डिपो या सीमा क्षेत्र के कैंटीनों में कोई कम्बल बचा हो, नमूने लिए जाने चाहिएं। इन नमूनों को वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, समीर, बम्बई और जनरल सुपरिंटेंडेंटस कम्पनी, बम्बई जैसी स्वतन्त्र प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। टैक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय को भी जांच के लिए नमूने भेजे जाने चाहिएं। ऐसा लगता है कि सच्चे और बड़े पैमाने के निर्माताओं को इस क्षेत्र से बाहर रखने के लिए ये निर्माता, जो निहित स्वार्थ वाले बन गए हैं, बहुत कम कीमत का प्रस्ताव करते हैं जिससे सच्चे निर्माता इस व्यापार में आ सकें। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि वे कम कीमत का प्रस्ताव इस कारण कर सकते हैं कि वे घटिया किस्म की ऊन का इस्तेमाल करते हैं, जो निरीक्षण एजेंसियों के सहयोग से निर्धारित की गई विशिष्टयों से भिन्न होती है।

देश के व्यापक हित में इसके लिये कोई तरीका ढूंढ़ा जाना चाहिए कि रद्द किए गए कम्बलों का टेन्डर सप्लायर फिर से स्वीकृति के लिए न भेज सकें और सौडीवूल इंडस्ट्रीज जैसे सभी निर्माताओं की भी, जिन्होंने भारत-पाक और भारत-चीन युद्ध के दौरान अपनी फैक्ट्रियों में दिन-रात काम किया था, सरकार को कम्बल सप्लाई करने के लिए कहा जाए। सौडीवूल कम्पनी देश में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है और इसे लघु पैमाने का उद्योग माना जाता है जिसमें महिलाएं, विशेषकर पिछले वर्गों की महिलाएं अपनी रोजी-रोटी कमाती हैं। सरकार द्वारा इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार को निहित स्वार्थ वाले लोगों को हटा देना चाहिए जिन्होंने इस व्यापार पर एकाधिकार कर लिया है। यही समय है जबकि सरकार को उपयुक्त सभी रचनात्मक सुझावों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए।

———

खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक—जारी

सभापति महोदय : अब हम खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाईब्रेरी (संशोधन) विधेयक पर आगे और चर्चा करेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी विधेयक, 1969 की धाराओं 27(3) और 28(8) का संशोधन करने के वास्ते जो विधेयक पेश किया है उससे सहमत हूं। लेकिन इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था। इसे बहुत ही अन्यमनस्कता के साथ आज लाया गया है। यह लाइब्रेरी बिहार के पटना नगर में है। वहां अरबी, फारसी आदि की पुस्तकों और मुगलकालीन पेंटिंग्ज का एक अभूतपूर्व खजाना है। इनमें करोड़ों रु० लागत की सामग्री है और सालों से इस लाइब्रेरी में होने के कारण उचित रखरखाव के अभाव में यह पांडुलिपियां नष्ट हो रही हैं और इनमें फंगस लग रही है।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने 1970 में ओटोनायस बोर्ड बनाकर बिहार के राज्यपाल की अध्यक्षता में इसके देखरेख और रखरखाव की व्यवस्था की। तब से इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की जो उचित देख-रेख और व्यवस्था होनी चाहिये वह अभी तक नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार इस दिशा में बहुत ही अनमयस्क है। शुरू से आज तक का काम देखा जाय तो हर साल लेकर 2,000 से 3,000 रु० बिहार सरकार भी खर्च करती रही है अनुदान के रूप में। जब जनता सरकार बनी तो जनसंघ के वित्त मंत्री ने 50,000 रु० का बड़ा अनुदान दिया और उसके रखरखाव तथा पुस्तकालय के विस्तार के लिये और भी सुझाव दिये। लेकिन वह सरकार ही अधिक दिन तक नहीं चल सकी, नहीं तो और व्यवस्था होती।

इस पुस्तकालय में 13,000 पांडुलिपियां हैं। अनमोल अरबी और फारसी किताबों का बहुत बड़ा खजाना है विश्व का, जिसका मूल्य करोड़ों रु० में भी नहीं आंका जा सकता है। लेकिन इस पुस्तकालय की अभी तक उपेक्षा ही हो रही है। 1-2 लाख रु० ही भारत सरकार देती है जिससे समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। इस पुस्तकालय को जब राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है तो राष्ट्रीय गौरव के लिये इसका स्तर ऊंचा करना चाहिये। उसकी उचित व्यवस्था, प्रसार और भवन निर्माण तथा अधिकारियों की नियुक्तियों और अनुसंधान कार्य के लिये उचित प्रावधान करने की जरूरत है।

इस पुस्कालय में जो संग्रह है उसके अतिरिक्त भी खजुआ संग्रह, सर फखरूद्दीन कलक्शन, डा० समीम कलक्शन, इस्लामपुर कलक्शन, हुसैनाबाद कलक्शन और महल कलक्शन के अतिरिक्त अलीगढ़, रामपुर और फुलवारी शरीफ जैसे बड़े पुस्तकालयों से भी पाडुलिपियां संग्रह की गयीं। अभी भी बहुत सी ऐसी ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनके खरीदने की व्यवस्था अगर पुस्तकालय कर ले तो देश विदेश के स्कालर्स के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी के रूप में इसको वर्धित किया जा सकता है।

अभी भी अरबी फारसी और गल्फ कंट्रीज के साहित्य और विद्वानों के लिये यहां अनुसंधान करने की बहुत गुंजाइश है क्योंकि जो भी पांडुलिपियां हैं वह देखने लायक हैं और उनमें सोने से जो पेंटिंग की गई है वह देखते ही बनती है और उनका मूल्य भी काफी है। लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराने कागज की वैज्ञानिक ढंग से रखरखाव और फ्यूमिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसकी वजह से यह किताबें सड़ सकती हैं। चूंकि अभी तक जो कैटेलाग बनाने का काम किया गया है, वह केवल आधी पुस्तकों का ही हो पाया है और आधी का अभी तक नहीं हुआ है। वहां के विशेषज्ञों का कहना है कि 2045 ईस्वी तक सारी पुस्तकों का संभवत: वैज्ञानिक ढंग से कैटेलाग बनाया जा सकेगा।

इसी प्रकार से जिल्द बंधाई का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। अगर उन पुस्तकों की जिल्द बंधाई ठीक ढंग से नहीं की गई तो भी किताबों का रख-रखाव ठीक नहीं हो सकता।

18वीं शताब्दी की भज मउन नफायस बायोग्राफीकल डिक्शनरी की भी आवश्यकता है,

उसके लिये भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उस समय के कवियों की जो मूल पांडुलिपियां हैं, उनको माइक्रो-फोटोग्राफिंग और रियोग्राफी के द्वारा पुस्तकालय में संवारा जा सके।

जहां इस लाइब्रेरी का प्रचार-प्रसार विश्व में अभी तक नहीं हो पाया है, भारत में भी बहुत से प्रान्तों में इसकी जानकारी नहीं है। इसलिये भारतीय दूतावासों के द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका जो यहां से निकल रही है, उस मैगजीन के प्रकाशन के द्वारा सभी दूतावासों के जरिये अरबी, पर्शियन के देशों में इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिये और वहां के विद्वानों को यहां अनुसंधान के लिये बुलाना चाहिये। इसके द्वारा विदेशी मुद्रा भी भारत सरकार को हासिल हो सकती और लाभ हो सकता है।

इसलिये यह भी जरूरी है कि विदेशों से आये हुए विद्वानों के लिये आवास की व्यवस्था होनी चाहिये। पुस्तकालय में अभी तक आडिटोरियम, कमेटी-रूम, आर्ट-गैलरी और डिस्प्ले रूम की भी व्यवस्था नहीं है। वहां एक मल्टीपर्पज हाल की भी व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार को विचार करके इसके लिये एक फंड की व्यवस्था करना आवश्यक है।

वहां पर एक बड़े सहायक टैक्नीशयन, जो संरक्षण के विशेषज्ञ हों, उसकी भी वहाली करनी चाहिये ताकि किताबों के रख-रखाव में सुविधा हो सके।

जब इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय स्तर का महत्व दिया गया है तो वहां पाली, संस्कृत, बंगला और तमिल व अन्य बहुत-सी भारतीय भाषाओं की पांडुलिपि भी होनी चाहियें और उनके लिये भी समानान्तर व्यवस्था रखनी चाहिये ताकि अन्य धर्मों क लोग भी उसका लाभ उठा सकें। वहां सूफीज्म, सियाइज्म, इस्लाम-धर्म तथा अन्य धर्मों की पांडुलिपियां भी होनी चाहियें ताकि लोगों को अनुसंधान करने में सहायता हो और सभी पक्षों के लोग लाभ उठा सकें।

श्री खुदाबख्श जी ने जिस महत्वकांक्षा से करोड़ों रुपये की पुस्तकें वहां जमा की थीं, उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उनका नाम विश्व-विश्रुत हो जाये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 में जो संशोधन किया जा रहा है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और दो-तीन बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह बात स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है कि इस पुस्तकालय का महत्व कितना बड़ा है और ठीक ही कहा है कि इस पुस्तकालय में दुर्लभ पांडुलिपियां और मैनस्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जो और कहीं नहीं मिल सकते हैं और यह दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, यह बात कही जा चुकी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभी वहां पांडुलिपियां हैं, उनकी रक्षा हो सके; ऐसा उपाय सरकार को करना चाहिये। कभी-कभी अखबारों में खबर निकलती है कि वहां पर पांडुलिपियों की चोरी हो रही है। यह आवश्यक है कि लाइब्रेरी को वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए जायें, ताकि उनका ठीक रख-रखाव किया जा सके। अफसोस की बात है कि वह इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मगर अभी तक वहां पर पाडुलिपियों और पुस्तकों को रखने के लिए कोई एयर-कंडीशन्ड कमरा नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था न की गई, तो क्या उन दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया जा सकेगा ? इसलिए

सरकार को लाइब्रेरी के रख-रखाव की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन मैनीस्क्रिप्ट्स को हजारों सालों तक रखा जा सके।

पांडुलिपियों की चोरी का पता कैसे लगे ? खुदाबख्श साहब ने जब 1892 में यह लाइब्रेरी बनाई—वह वहीं मुरादपुर मुहल्ले के रहने वाले थे—तब उन्होंने सब मैनुस्क्रिप्ट्स की सूची बनाई थी। जब तक ओरिजिनल सूची से मिलान नहीं किया जाएगा, तब तक यह पता नहीं चल सकता कि कितनी पांडुलिपियां और पुस्तकें बची हैं और कितनी गायब हो गई हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार स्टाक-टेकिंग की व्यवस्था करे और पुराने कैटलाग से मिलान करके देखे कि कौन-कौन सी पांडुलिपि है और कौन-सी नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वहां पर बंगला, संस्कृत, हिन्दी आदि संविधान की आठवीं सूची में दर्ज पंद्रह भाषाओं की बहुत सी दुर्लभ पांडुलिपियां भी हो सकती हैं।

इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनाए, जो इस बात की जांच करे कि इस समय वहां पर क्या-क्या चीजें हैं और पुस्तकालय की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार उस कमेटी के सुझावों पर अमल करे।

इन दिनों वहां पर आपसी झगड़ा चल रहा है। पटना मेरा क्षेत्र है। मैं मंत्री महोदय को दावत देना चाहता हूं कि वह आएं और मेरे साथ चलकर देखें कि वहां क्या विवाद है। वहां पर लोग आपस में झगड़ते हैं, जिसका असर स्वाभाविक रूप से पुस्तकालय की व्यवस्था पर पड़ता है। उन झगड़ों को मिटाना चाहिए। गवर्नर साहब, जो उसके अध्यक्ष हैं, अभी उन झगड़ों को नहीं मिटा सके हैं। उन्हें सब बातें मालूम हैं। मंत्री महोदय उनसे पूछ सकते हैं।

यह ठीक कहा गया है कि लाइब्रेरी का मकान डिलेपिडेटिड कंडीशन में है। वह बिल्कुल पुराना, बाबा आदम के जमाने का, मकान है। रेल मंत्री जी ने उसको देखा होगा। कितने ही मकानात बन रहे हैं, तो क्या उस लाइब्रेरी के लिए कोई मकान नहीं बनवाया जा सकता, जहां पुस्तकालय को रखा जाए, छात्र शोध-कार्य कर सकें और देश-विदेश के विद्वान लिख-पढ़ सकें और उन्हें सब सुविधाएं दी जा सकें ?

जहां तक लाइब्रेरी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, अगर वे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो जाहिर है कि वे सहयोग नहीं कर सकेंगे पुस्तकालय को ठीक तरह से रखने में। वहां पर बहुत से कर्मचारियों को कानून के खिलाफ नौकरी से निकाल दिया गया है। किसी से कुछ पूछा नहीं गया। जिसके मन में सनक आई, उसने किसी को निकाल दिया। इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि कितने कर्मचारी निकाले गए हैं, वे सही निकाले गए हैं या गलत निकाले गए हैं; अगर वे गलत तौर पर निकाले गए हैं, तो उन्हें फिर से नौकरी में रखा जाए। ऐसा करने से ही इस पुस्तकालय के महत्व और दुनिया में उसके नाम तथा प्रसिद्धि को कायम रखा जा सकेगा। सचमुच यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि वहां पर रखी गई सामग्री से हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला का परिचय मिलता है। तो ज्यादा-से-ज्यादा इसका रखरखाव हो, इसकी सुरक्षा हो, इसको हम बचाकर हजारों साल तक रख सकें इस तरह का काम सरकार को करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस काम को करेंगे। मैं उनका जवाब सुनने के लिए रहूंगा नहीं, मुझे माफ करेंगे क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसलिए भी समर्थन करता हूं कि मुझे भी पुस्तकों से बहुत प्रेम है। मैं वास्तव में इस कदम को एक श्रेष्ठतर कदम मानता हूं। यह कदम केवल आज की सन्तति के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी पुस्तकों के रूप में ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया एक प्रशंसनीय कदम है। मैं तो यह कहना चाहूंगा, आज वह समय नहीं है कि जब मुगल दरबारों में किताबखाना केवल कुछ चुने हुए लोगों के पढ़ने के लिए या उनके ज्ञान के लिए हुआ करता था या अंग्रेजों के टाइम में केवल थोड़े से लोगों के लिए था। लाइब्रेरी का जो सिस्टम या माध्यम है वह केवल किताबें उधार देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि लाइब्रेरी हमारा एक स्पेशल इंस्टीच्यूशन है। इस सोशल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना इस देश में ज्ञान की वृद्धि और उसके प्रसार के लिए बहुत ही आवश्यक है अगर प्रजातंत्र की जड़ों को हमें मजबूत करना है, क्योंकि जब तक आप इन्फार्मेलन एजूकेशन को वाचनालय के द्वारा, इन्फार्मेशन सेंटर के द्वारा और पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा सशक्त रूप से गांवों में रहने वाले ग्रामीणों तक नहीं फैलाते, वहां तक इसका प्रसार नहीं करते, तब तक आप अपना आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह जो लेजिश्लेशन वह लाए हैं इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज एक सशक्त माध्यम सोशल ट्रांसफार्मेशन का, सामाजिक परिवर्त्तन का और युग परिवर्तन का अगर कोई हो सकता है तो वह पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ही हो सकता है और उसके लिए मैं उन स्टेट्स को धन्यवाद देता हूं, मद्रास में सन् 46 में सर्वप्रथम पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बाद आन्ध्र प्रदेश में भी उस ऐक्ट को लागू किया गया। फिर महाराष्ट्र में लागू किया गया, मैसूर में लागू किया गया। लेकिन एक यूनिफार्म पैटर्न पर पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इस देश में नहीं बना। इसलिए मन्त्री जी ने जो लेजिस्लेशन प्रस्तुत किया है इसकी तो हम सराहना करते हैं, सारा सदन सराहना करता है क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान को एक सुरक्षित भण्डार के रूप में रख रहे हैं, इससे बड़ी सेवा देश की दूसरी नहीं हो सकती है।

लेकिन इसमें साथ-साथ हम यह चाहेंगे कि आप इस पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून लाएं जो कानून सारी स्टेट्स के ऊपर एन्ज्वायन अपान करे, यह आब्लिगेशन हो हर स्टेट पर कि प्रत्येक स्टेट एक पब्लिक लाइब्रेरी कानून बनाए और उस कानून के अन्तर्गत देहातों में ग्राम पंचायत के स्तर पर अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल वार्ड के स्तर पर, ब्लाक लेवेल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर पब्लिक लाइब्रेरी की सुविधा दे जिसमें इन्फार्मेशन सेंटर हो, रीडिंग रूम हो जिससे ज्यादा से हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त रूप से ज्ञान का अर्जन कर सके।

आज हम याद करते हैं तक्षशिला और नालन्दा को जिनकी लाइब्रेरी केवल इस देश के विद्वानों के लिए ही नहीं थी बल्कि विदेशों के विद्वान भी जिसमें विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। सारे विश्व का ज्ञान, विश्वकोश वहां मिलता था, बहुत बड़ी शिक्षा लोगों को मिलती थी जिसकी वजह से चाहे वह चीन के लोग हों या दूसरे देशों के लोग हों वह यहां आकर ज्ञान प्राप्त

करते थे। हम यह चाहते हैं कि लाइब्रेरी एजूकेशन जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है उसका विस्तार और प्रसार आगे निरन्तर रूप से कानून के माध्यम से हम करें। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर निवेदन करता हूं कि वास्तव में इसके लिए एक अधिनियम लेकर वह पार्लियमेंट में आए, एक पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट इंट्रोड्यूस करे और उस पब्लिक लाइब्रेरी ऐक्ट में यह प्रावधान करे कि आपकी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस सभी लोगों को मोहैया हो, ग्रामीणजनों को, साधारण आदिमियों को सभी को मोहैया हो। उसमें आप इस तरह के प्रावधान करें जिससे कि यह सेवा निरन्तर आगे बढ़ती रहे। हमारे शिक्षा मंत्री के पास यह पोर्टफोलियो है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका यह दायित्व है कि वे इस बात को देखें कि आज देश में कालेज खुल रहे हैं, इन्टर कालेज डिग्री कालेज और पोस्ट ग्रैजुएट कालेज खुल रहे हैं, प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स खोले जा रहे हैं लेकिन कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है कि वहां पर मिनियम क्लेक्शन आफ बुक्स क्या होना चाहिए। आप जब तक किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए आब्लीगेटरी नहीं करेंगे प्रत्येक कालेज में इतनी किताबें कम से कम होनी चाहिए, उनका यह स्टैण्डर्ड होना चाहिए, इतनी लैंग्वेजेज में होना चाहिए तबतक कालेज-यूनिवर्सिटी एजूकेशन का स्टैण्डर्ड एक यूनिफार्म लेविल तक नहीं आ सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप एजूकेशन कोड में, यूनिवर्सिटी एक्ट्स में और दूसरी स्टेट्स के जो एजूकेशन ऐक्ट्स हैं उनमें एक स्टैण्डर्ड आफ नार्म्स प्रेस्क्राइब कीजिये। जब इस प्रकार से आप शिक्षा के क्षेत्र में और पब्लिक लाइब्रेरीज के क्षेत्र में कानून बनायेंगे तभी वास्तविक रूप में इस देश की सेवा हो सकेगी। और तभी आगे आने वाली पीढ़ी मंत्री जी को तथा जो लोग भी इस व्यवस्था से ताल्लुक रखते हैं उनको याद रख सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक का मैं समथन करता हूं जैसा कि यहां पर बताया गया है, यह एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, सभी भाषाओं की पाण्डुलिपियां एकत्र की गई हैं। यदि इनको अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाए तो आगे आने वाले बहुत वर्षों तक इस देश के लोगों की पढ़ाई-लिखाई में इमदाद हो सकेगी। इनको सुरक्षित रखने के लिए मकान, पुस्तकों के रख-रखाव, कर्मचारियों आदि सभी की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जिसका लाभ सारे देश में पहुंचना चाहिए। श्री रामसिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंचायत समिति के लेविल, जिला के लेविल और प्रदेश के लेविल पर लाइब्रेरीज की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

आज इस देश में एडल्ट एजूकेशन तथा अन्य कई प्रकार की एजूकेशन पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं क्योंकि गांवों में उस ज्ञान को बनाए रखने तथा उसको और आगे बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। इसको तभी रोका जा सकता है जबकि ग्राम पंचायत लेविल से लेकर ऊपर तक लाइब्रेरीज की उचित प्रकार से व्यवस्था की जाए। सरकार को इस ओर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए

जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहां सैकड़ों वर्षों तक राजा-महाराजाओं का राज रहा,

फिर मुगल साम्राज्य रहा और उसके बाद अंग्रेजों का राज रहा। मैं समझता हूं, इन सभी राज के दर्म्यान इस देश के राजा-महाराजाओं के पास प्राचीन पुस्तकों का बहुत बड़ा संग्रह रहा है जिनको संग्रहीत करके सरकार इस देश के लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। आज उस प्रकार की पुरानी पाण्डुलिपियां चुराकर विदेशों में ले जाई जा रही हैं और वहां पर बिक रही है। उनके सम्बन्ध में भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारों द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भी पाण्डुलिपियां राजा महाराजाओं, नवाबों या किसी के पास हों उनको एकत्र करके एक संग्रहालय बनाया जाए जहां पर वे विद्वानों, स्कालर्स तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सकें और इस प्रकार से यह देश उनसे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। मेरा निवेदन है कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह कि हमारा राजस्थान के टोंक में इसी प्रकार का उर्दू, अरबी और फारसी का बहुत बड़ा संग्रहालय है जिसको बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सराहा है, लेकिन उसके सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार को उसे अपने हाथ में लेना चाहिए। आज हमारी वह पुरानी धरोहर बिखराव की स्थिति में है। मैं चाहता हूं कि उर्दू अकादमी उसको अपने हाथ में ले। या भारत सरकार अपने लाइब्रेरी विभाग के तहत उसको अपने हाथ में ले टोंक का यह ग्रन्थालय बहुत पुराना ग्रन्थालय है जिसको 'शाही महल' के नाम स पुकारा जाता है। इसको हमारे प्रेसिडेन्ट साहब ने भी देखा है, वाइस-प्रेसीडेन्ड साहब ने भी देखा है, विदेशों से लोग आकर इसको देखते हैं और सबकी सरहाना की है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार इस संग्रहालय को अपने हाथ में ले और वहां पर एक अच्छी लाइब्रेरी स्थापित करे जिसमें से हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, यह विधेयक एक बहुत ही तकनीकी प्रश्न से संबंधित है। यह प्रश्न अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा उठाया गया था। इस विधेयक के द्वारा हम सबको इस महान ओरिएन्टल लालब्रेरी की ओर ध्यान केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक विदेशी विद्वान 'श्री कनार' द्वारा लिखित एक पुस्तक 1920 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक में उस विद्वान ने इस लाइब्रेरी के बारे में कुछ कहा था। मैं सभा की जानकारी के लिए उसे पढ़ देता हूं :

"वास्तव में श्री बख्श को अपनी पुस्तकों से बहुत ही गहरा लगाव था। ब्रिटिश म्यूजियम ने उनके संग्रह की बहुत बड़ी कीमत लगायी थी। परन्तु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, यह संग्रह पटना के लोगों के लिए है और संग्रह पटना के लोगों के चरणों में ही रखा जाएगा।"

वह विद्वान आगे लिखता है :

"जहां तक मैं जानता हूं खुदाबख्श वास्तव में एक ओजस्वी व्यक्ति थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आडम्बरहीनता को देखते हुए ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा दिए जाने वाली एक विशाल धनराशि को अस्वीकार कर दिया और एक ग्रन्थालय स्थापित करने का निर्णय लिया।"

मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि यद्यपि—चाहे बहुत देर से ही सही—इसे 1969 में संसद् के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। परन्तु इस लाइब्रेरी के कार्यचालन ध्यानपूर्वक निगरानी नहीं की जा रही है। वास्तव में इस लाइब्रेरी की गतिविधियों के बारे में अन्तिम सूचना हमें 1979 में मिली थी। इस लाइब्रेरी की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें उस सूचना में भी इस लाइब्रेरी का मुख्य कार्य केवल पुस्तकें देना ही दिखाई दिया है। उस सूचना में उन्होंने वस्तुतः इस लाइब्रेरी के जिस एक मात्र कार्य का उल्लेख किया वह यह था कि उनकी पुस्तक लेने वाली सदस्य सूची में 226 व्यक्ति हैं। बस इतना ही। उन्होंने और क्या कार्य किए, उनकी और गतिविधियां क्या है, इसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है।

इस लाइब्रेरी की समस्याओं में एक समस्या संभवतः यह है कि इसका पदेन अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्यपाल को और भी अनेक कार्य करने होते हैं और लाइब्रेरी जैसे विद्वानों के स्थल का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जो अपना पूरा समय लाइब्रेरी को दे सके। अतः मैं यह कहता हूं कि इस अधिनियम में, यह सुनिश्चित करने के लिए और संशोधन किया जाए कि इसके अध्यक्ष पद पर किसी विद्वान की नियुक्ति की जा सके। वह संसद् सदस्य भी हो सकता है। वास्तव में यहां विद्वानों की कमी नहीं है। श्री कमलापति त्रिपाठी एक विद्वान हैं। श्री तिवारी उसी इलाके के हैं। वे इसकी देखभाल कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और अन्य लोग हैं। मेरे विचार में विद्वानों के स्थल का अध्यक्ष राज्यपाल हो, यह ठीक नहीं है। वास्तव में इसका अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सम्पूर्ण जीवन इस लाइब्रेरी के साथ सीधा सम्बन्ध रख सके···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वह एक सुयोग्य संग्रहपाल (क्यूरेटर) होना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : जी हां, वह एक सुयोग्य संग्रहपाल भी होना चाहिए। मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि पटना एक ऐतिहासिक नगर है। हमारा इतिहास यह बताता है कि चन्द्रवंश नामक राजवंश का पाटलीपुत्र अर्थात पटना से संबंधित था। सभी महान हस्तियों के लिए, चाहे वह अशोक हो अथवा चन्द्रगुप्त हो अथवा मौर्य आदि कोई भी हो, पटना एक केन्द्रीय स्थल रहा है। और एक ऐसे स्थान पर ओरिएंटल लाइब्रेरी का होना बहुत ही उचित और ठीक है। परन्तु इसे एक ऐसा स्थल बना दिया जाना चाहिए, जहां अनेक गोष्ठियां हों, जिनसे इतिहास में महान राष्ट्रीय हित के मामलों पर वाद विवाद आयोजित किये जायें।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हमारा इतिहास क्या है? मैं वस्तुतः नहीं जानता कि क्या हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास वास्तव में भारत का इतिहास

है। इस संबंध में मुझे भारी शंका है। मैं चीनी भाषा का विद्वान हूं, मैं चीनी भाषा बोलता भी हूं, मैं फाह्यान द्वारा पाटलीपुत्र का वृतान्त पढ़कर अचम्भित रह गया, उसने इसका उल्लेख एक खण्डहर नगर के रूप में किया है। पाटिलीपुत्र का उदय संभवतः चौथी ईस्वी में हुआ था। हमारी इतिहास की पुस्तकों के अनुसार उस समय विक्रमादित्य गुप्त का शासन था और इसे संभवतः स्वर्णिम हिन्दू काल समझा जाता है। यहां एक स्पष्ट विरोधाभास है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम यह नहीं जानते कि गुप्त साम्राज्य काल चौथी ईस्वी में था या इससे पहले, क्योंकि हमारा अधिकांश इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था और यह रिकार्ड की आंशिक जानकारी के आधार पर लिखा गया। वस्तुतः अंग्रेज लोगों की इस बात में अधिक रुचि थी कि हमारा इतिहास बाइबिल से बाहर न जाए, यह उच्च सीमा हमेशा उन्होंने रखी थी। हम नहीं जानते कि महाभारत का समय 600 ईस्वी पूर्व था अथवा 2000 ईस्वी पूर्व। वस्तुतः खगोलीय रिकार्ड उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सम्पूर्ण आर्य-द्रविड़ शोध का आधार हमारे इतिहास के बारे में अंग्रेजों की जानकारी थी। उनकी जानकारी के अनुसार एक नगर सभ्यता भी जिसे सिन्धु घाटी सभ्यता कहते थे। वैदिक जाति को, जो संभवतः आर्य थे, पशुचारी समाज के रूप में बताया गया है। इस प्रकार उन्होंने यह कल्पना की कि उस समय दो जातियां थीं एक वैदिक जाति जो पशुचारी थी और दूसरी नगर सभ्यता वाली थी। इस प्रकार अवश्य ही दो जातियां होनी चाहिए, एक आर्य और दूसरी द्रविड़। बहरलाल, यदि आप हमारे इतिहास की एक अन्य व्याख्या स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार हमारे वेद 7000 ईस्वी पूर्व या उससे पहले के समय के हैं तब प्रत्येक चीज एक क्रम में आ जाती है और उस स्थिति में आर्य और द्रविड़ जैसी कोई बात ही नहीं उठती। वस्तुतः उस स्थिति में जातिवाद का सिद्धान्त समाप्त हो जाता है। अतः हमें एक ओरिएन्टल लाइब्रेरी की आवश्यकता है जो उचित परिप्रेक्ष्य में स्थापित की जाए और हमारे इतिहास तथा इतिहास के सभी मुद्दों पर नवीन प्रकाश डाल सके। मेरे मत में इस समय हमारे विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे इतिहास का सारा कालक्रम गलत है। यह कहना गलत होगा कि शंकराचार्य का काल 400 ईस्वी था वास्तव में उनका काल 1000 ईस्वी पूर्व था। यह कहना कि महात्मा बुद्ध का काल 100 ईस्वी पूर्व था गलत है वस्तुतः उनका काल 1400 ईस्वी पूर्व है। तिब्बती भी यही कहते हैं। यह कहना गलत होगा कि महाभारत का काल 00 ईस्वी पूर्व था जबकि वास्तव में महाभारत का काल 3000 ईस्वी पूर्व था। ये इतिहास है कि यदि कोई ऐसा स्थान हो, जहां हम तर्कसंगत ढंग से, तटस्थ होकर इस पर बहस करें तो हम सच्चाई पर पहुंच सकते हैं।

दुर्भाग्यवश आज इतिहास दो प्रकार के लोगों के चंगुल में है। एक तो वे जिन्होंने अंग्रेजों से प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनसे ही पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त की। वे नहीं चाहते कि उनकी पी० एच० डी० व्यर्थ जाये इसलिए वे अपनी काल्पनिक बातों को जारी रखे हुए हैं। एक दूसरा दल मार्क्सवादियों का है जो प्रत्येक चीज की व्याख्या वर्ग संघर्ष के रूप में करते हैं। यदि हमारे इतिहास का कोई भाग यह दर्शाता है कि वर्ग संघर्ष हुआ ही नहीं तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं...

एक माननीय सदस्य : यह वास्तविकता है। हम इसे तोड़ना-मोड़ना नहीं चाहते।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी : वे इसे इतिहास की वस्तुपरक व्याख्या कहते हैं। वे इसमें तब तक कोई तोड़-मरोड़ नहीं करना चाहते जब तक सभी बात वर्ग संघर्ष की पुष्टि करती है।

(व्यवधान)

अत: यह एक मुख्य बात है। खुदाबख्श लाइब्रेरी एक मुख्य स्थल हो सकती है। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी धन-दौलत का त्याग किया, उसके शब्दों में "मैं अपनी पुस्तकों को पटना के लोगों के चरणों में समर्पित करूंगा।" ऐसी लाइब्रेरी अवश्य ही एक आदर्श केन्द्रीय लाइब्रेरी होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतना छोटा कानून पास किया है। उन्हें अधिक धन, अधिक व्यापक निदेशक मण्डल और संग्रहपाल जैसे स्टाफ, जैसा कि प्रो० रंगा ने सुझाव दिया है, तथा और अन्य कई बातों से युक्त एक बड़ा कानून पेश करना चाहिए था ताकि हम कह सकते कि खुदाबख्श का त्याग व्यर्थ नहीं गया।

****श्री ईरा मोहन** (कोयम्बतूर) : सभापति महोदय, मैं खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करना चाहता हूं।

खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी प्राचीन ज्ञान तथा हमारे महान देश की विद्वता का विश्व प्रसिद्ध भण्डार है। मूल अधिनियम 1969 में प्राप्ति किया गया था और सरकार ने इस लाइब्रेरी को अपने हाथ में ले लिया था। बारह वर्षों के अन्तराल के बाद इस सभा में यह संशोधन विधेयक रखा गया है।

इस संशोधन विधेयक द्वारा यह बात सुनिश्चित की जानी है कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के पटल पर रखा जाए। यह बड़ी खेदजनक बात है कि इस छोटे से संशोधन को लाने में सरकार को बारह वर्ष लग गए। इससे यह सन्देह होना लाजिमी है कि क्या सरकार द्वारा इन बारह वर्षों की अवधि में इस लाइब्रेरी की बहुमूल्य पांडुलिपियों के रखरखाव तथा संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। मुझे इस पर भी सन्देह है कि क्या इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया गया था।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता को वर्ष 1980-81 के लिए 25 लाख रुपए योजना व्यय के रूप में आवंटित किए गए थे और इसी प्रकार राजा राममोहन राय लाइब्रेरी को वर्ष 1980-81 के लिए योजना व्यय के रूप में 20 लाख रुपए आवंटित किए गए। मैं यह नहीं कहता कि यह आवंटन बहुत अधिक था। संभवत: ये आवंटन इन लाइब्रेरियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त न हों। वस्तुत: अधिक धन की आवश्यकता है। परन्तु खुदाबख्श लाइब्रेरी को इस उद्देश्य हेतु 5 लाख रुपए से भी कम का आवंटन किया गया है। यह उचित समय है जब माननीय मंत्री महोदय को धन की कमी का सामना कर रही राष्ट्रीय महत्व की लाइब्रेरियों की इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। विशेषरूप से खुदाबख्श लाइब्रेरी की समस्या की ओर, जिसमें बहुमूल्य पांडुलिपियां है।

**तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यहां मैं इस बात की ओर भी संकेत करना चाहता हूं कि तंजावूर महाराज सारोजी सरस्वती लाइब्रेरी को वर्ष 1980-81 के लिए योजना व्यय के लिए 7 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। तंजावूर महाराजा सारोजी सरस्वती लाइब्रेरी और खुदाबख्श लाइब्रेरी में बहुमूल्य पांडुलिपियां है जो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर प्रकाश डालती हैं। यदि हम इन पांडुलिपियों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इनके लिए अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए। यदि इन्हें नष्ट होने दिया गया तो निश्चय ही हमारा इतिहास सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। लाइब्रेरियों के विश्व विख्यात विद्वान और शोधकर्ता डा० बर्नल के कहा है कि टी० एम० एस० लाइब्रेरी विश्व की शायद सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में मराठी, संस्कृत, तमिल और तेलगू भाषाओं की 40,000 भोजपत्र की पाडुंलिपियां हैं। यूरोपीय भाषाओं में 23,000 से अधिक पांडुलिपियां हैं। पिछले 30 वर्षों से भारत सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है कि इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। इस आश्वासन को प्रतिवर्ष दोहराया जा रहा है और फिर भी यह लाइब्रेरी राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं बन पाई है। 1977 में भारत सरकार ने इस संस्था के सारे पहलुओं के बारे में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था और इस समिति ने अनेक बहुमूल्य सिफारिशें की हैं। दिए जाने वाले अनुदान क सम्बन्ध में सिफारिश, जो स्वीकार की गयी है और लागू की गयी है, को छोड़कर अन्य सभी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गयी हैं। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने टी० एम० एस० लाइब्रेरी में पांडुलियों पर रख-रखाव तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं। इन पांडुलिपियों में हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा प्राणालियों का उल्लेख है। हम उन्हें नष्ट नहीं होने दे सकते हैं। इसी प्रकार खुदाबख्श लाइब्रेरी में उर्दू, अरबी और फारसी में अमूल्य पांडुलिपियां हैं। इनको सुरक्षित रखने में अपनी अकर्मण्यता के कारण हम उन्हें नष्ट नही होने दे सकते। हमें उनको भावी पीढ़ियों के लिए एक बड़ी विरासत के रूप में छोड़ जाना चाहिए जिससे हमारे देशवासियों की भावी पीढ़ियां यह जान सकें कि उन्हें इस महान और प्राचीन देश से विरासत में क्या मिला है।

मुझे विश्वास है कि यह संशोधनकारी विधेयक इन सराहनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन ही होगा। मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्रकणगम की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

रेल मन्त्रालय तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सभापति महोदय, सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता इस देश की भावी पीढ़ी के लाभ के लिए वसीयत के रूप में रखी जाएगी। इस उद्देश्य से 1969 में भारत सरकार ने खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी को एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में घोषित किया था। परन्तु वर्तमान संशोधनकारी विधेयक विमियमों के बारे में है। यह सत्य है कि 1957 में यह विचार व्यक्त किया गया था कि जो भी नियम और विनियम बनाए गये हैं उन्हें सभा पटल पर अवश्य ही रखा जाना चाहिए।

परन्तु यह विशेष लाइब्रेरी 1969 मे अस्तित्व में आयी और बाद में यह महसूस किया

गया कि नियमों और विनियमों को सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन में यह बताया गया कि न केवल नियम अपितु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियम भी सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। इसे लागू करने के लिए 1979 में खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। बाद में इस पर विचार नहीं हो सका। अन्तत: इसे नवम्बर, 1980 में राज्य सभा में पेश किया गया है।

महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस संशोधन को सर्वसम्मति से अपना जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उन सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए कुछ विचार युक्ति-युक्त हैं और उन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार उन विचारों को लागू करने की ओर ध्यान दे रही है। उदाहरण के तौर पर कुछ सदस्यों ने अपर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने के बारे में जिक्र किया है जिसकी वजह से लाइब्रेरी का बहुमूल्य संग्रह का रखरखाव और परिरक्षण भलीभांति नहीं किया जा सकता है। महोदय, छठी योजना में इस लाइब्रेरी के लिए 34 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। परन्तु बोर्ड ने यह महसूस किया है कि यह आवंटित धनराशि अपर्याप्त है। अत: इस समय योजना आयोग के परामर्श से इस लाइब्रेरी के लिए 74.6 लाख रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। यह भवन के विस्तार के लिए है। एक दूसरी मंजिल बनायी जानी है। इसके अलावा इसका उपयोग फोटोग्राफी उपकरणों के अर्जन और दुर्लभ अरबी और फारसी संग्रहों के परिरक्षण के लिए किया जाएगा। जैसा कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सही कहा है कि जिस व्यक्ति ने उन दिनों इनके संग्रह के लिए प्रयास किया था उसने इसे ब्रिटिश संग्रहालय के लिए देने से साफ इन्कार कर दिया था और यह कहा था कि वह इन्हें पटना के लोगों को देने के लिए रखेगा। यह एक साहसपूर्ण अभिव्यक्ति है और राष्ट्र को इस पर गर्व होना चाहिए और इसलिए सरकार स्वयं खुदाबख्श साहिब द्वारा लिखी गयी वसीयत के रखरखाव के लिए सभी समुचित कदम उठायेगी।

महोदय, यहां इस लाइब्रेरी में 75,000 मुद्रित पुस्तकें, 15,000 पांडुलिपियां और 2,000 चित्र हैं। श्रीमती कृष्णा साही ने इस लाइब्रेरी के विषय वस्तु के बारे में विशद उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इसमें 1544 का हुमायूं बाबर का हाथ से लिखा हुआ कुरान था। यह वहां अभी भी है। महोदय, हमारे देश की ऐसी बहुमूल्य विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा और इस कारण सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है कि हम शोध छात्रों के यहां आने और समाज में एक नयी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से उनके द्वारा यहां उपलब्ध बहु-मूल्य विषयवस्तु का अधिकतम लाभ उठाये जाने के लिए किस तरह अच्छा वातावरण बना सकते है।

महोदय, एक माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया है कि वहां वैज्ञानिक दृष्टि से परिरक्षण होना चाहिए। आज जो भी परिरक्षण किया जा रहा है वह स्वयं विज्ञान की उन्नति के आधार पर है और परिरक्षण के सम्बन्ध में किये जाने वाले भावी अनुसंधान का लाभ उठाया जायेगा। महोदय, सदस्यों ने पूरा समर्थन देते हुए यह कहा है कि प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं

रखे गए थे। 1976-77 से वार्षिक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए थे और एक प्रतिवेदन हाल ही में 1979 में रखा गया है। जहां तक प्रबन्ध निकाय में परिवर्तन का सम्बन्ध है, इस सुझाव को स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। राज्यपाल पदेन अध्यक्ष हैं और इस प्रबन्ध निकाय में अन्य विद्वान भी हैं। एक सदस्य श्री के० सी० कित्वई हैं। जैसाकि आप जानते हैं वह बड़े विद्वान हैं। एक और प्रोफेसर श्री असकारी हैं। वह पटना के हैं। वह बड़े विद्वान भी हैं। ये विद्वान इन संग्रहों के मूल्य को समझते हैं। वे इन पुस्तकों का मूल्य जानते हैं। हम इस संग्रहों की देखभाल रखेंगे। सरकार स्वयं इसकी उपयोगिता के लिए प्रोत्साहित करेगी और इस संग्रह को सभी तरह से सुरक्षित रखेगी। हम इस दिशा में भरपूर प्रयास करेंगे। योजना आयोग के साथ जो परामर्श इस समय किये जा रहे हैं, मुझे पूरी आशा है, कि वे फलीभूत होंगे।

हम इस आवंटन को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 74.6 लाख रुपए करने की बात कर रहे हैं। हमें आशा है कि योजना आयोग इसकी स्वीकृति देगा और हम अपनी गतिविधियां बढ़ा सकेंगे। कर्मचारी वर्ग के मामलों पर विचार किया जाएगा तथा दो मंजिले भवन से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार किया जाएगा। एक माननीय सदस्य ने वातानुकूलित कमरों, आदि की व्यवस्था करने के बारे में उल्लेख किया है। इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। विरासत में प्राप्त इन अमूल्य संग्रहों को स्थायी रूप से परिरक्षित करने के लिए हम इसके नवीकरण के मामले तथा इन सभी बातों पर विचार करेंगे। इन सभी मामलों के सम्बन्ध में हम भरपूर प्रयास करेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा तंजावूर में महाराजा की सरस्वती महल लाइब्रेरी जैसी अन्य प्रसिद्ध लाइब्रेरियों के बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे। केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें उन पर पर्याप्त ध्यान देंगी, क्योंकि इसी तरह से इन प्रसिद्ध लाइब्रेरियों को भी सुरक्षित रखा जाना होगा। इसी कारण विभिन्न राज्य सरकारों को लाइब्रेरी नीति सम्बन्धी मामले की समय-समय पर पुनरीक्षा भी करनी होगी। अब समय आ गया है जबकि इस सम्बन्ध में बतायी गयी विभिन्न बातों के कारण सरकार को राष्ट्रीय लाइब्रेरी नीति का पुनरीक्षण करना होगा। यह बात संगत होगी कि सरकार राष्ट्रीय लाइब्रेरी नीति के प्रश्न का पुनरीक्षण करें।

माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल व्यास ने शाही महल लाइब्रेरी के बारे में उल्लेख किया है। विभिन्न राज्यों में ऐसी अच्छी लाइब्रेरियां हैं जिनमें बहुत-सी बहुमूल्य पुस्तकें हैं। मेरे विचार में अब समय आ गया है जबकि सरकार राष्ट्रीय लाइब्रेरी नीति बनाने के लिए इस तरह की समीक्षा करे।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया है और इस खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक को अपना समर्थन दिया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेंगे।

खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं हैं। मैं इन्हें सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1

सभापति महोदय : एक सरकारी संशोधन है। संशोधन संख्या 4

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर

"1981" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब हम अधिनियम सूत्र लेंगे। एक सरकारी संशोधन है—संशोधन संख्या 3 (संशोधन किया गया)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"इकतीसवें" के स्थान पर

"बत्तीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब, माननीय मंत्री ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, इस विषय में जितना कहा जा चुका है, वह पर्याप्त है और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिलाया है, मैं उसको मानने को तैयार हूं कि किसी अच्छी बात के लिये उन्होंने हौसला दिखाया है और वह उसको पूरा करेंगे ।

1969 में जब सरकार ने इस विषय को लिया तो 11 बरस के बाद भी यह स्थिति है कि वहां की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की यह दशा है, तो क्या यह विश्वास करने के लिये आप आवश्वस्त करेंगे कि आने वाले भविष्य में हम इसको एक राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्वरूप दे सकेंगे ?

अनेक प्रकार की धरोहर हमारे देश के अन्दर है । निश्चित रूप से हम इस बारे में भाग्यशाली हैं कि हमारे भारतवर्ष में संसार का पुरातन से पुरातन साहित्य उपलब्ध है, और पुरातन सांस्कृतिक अभिकृतियां उपलब्ध हैं जिन सबको सुरक्षित रखने का दायित्व सरकार पर आया है ।

खुदाबख्श जी, जिनके नाम से इस लायब्रेरी की स्थापना हुई, उन्होंने अपनी जीवन की सारी पूंजी और अपने बाप-दादाओं की सारी पूंजी लगाकर इसकी स्थापना की । उसके पीछे कल्पना यही थी कि इस सारी बात को लम्बे समय तक अक्षुण्ण रखा जायेगा । लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि यह सुरक्षित पांडुलिपियां प्रायः नष्ट होती जा रही हैं । अनेक पांडुलिपियां मिस-मैनेजमैंट के कारण चुराई जाती होंगी ?

ब्रिटिश म्यूजियम, जो कि दुनिया का बड़ा म्यूजियम है, बड़ा अभिलेखागार माना जाता है, वहां सारी चीजें पहुँच जाती हैं । मेरा कहना है कि संसार की जो धरोहर हमारे पास है, क्या हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकेंगे ?

बहुत सारी मूर्तियां, जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वह विदेशों में चली जाती है : ऐसा कैसे होता है ? इसका मतलब यह है कि इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है । नालन्दा, तक्षशिला जैसी जगहों पर सारा साहित्य है, और संस्कृति है, उसकी रक्षा हम नहीं कर पायें, उसका मतलब यह होगा कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति वाचनालयों के सम्बन्ध में और शिक्षा के सम्बन्ध में हो

सकती है, उसे पर कहीं न कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता है और इसीलिए एक राष्ट्रीय नीति बनाकर इस पर विचार करना जरूरी है जिसके जरिये हम अपने देश की इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रख सकें।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने वही कहा है।

श्री सत्यनारायण जटिया : हमारा उसमें सन्देह नहीं है, हमारी सरकार बराबर कहती रहती है, लेकिन उसके इम्पलीमैंटेशन में, कार्यान्वयन में जो सारी ढील होती है, हम उसके बारे में चिन्तित हैं।

इस बिल में जो आपने आश्वासन दिया है कि हम इस सारी बात को विकसित करेंगे, यहां अनेक भाषाओं में साहित्य उपलब्ध है, ब्रह्मी, प्राची, पाली में साहित्य उपलब्ध है। ऐसा सारा साहित्य जो बिखरा हुआ है, उसको समेटने का काम कौन करेगा ?

यह बात ठीक है कि हम नए भारत का निर्माण करने चले हैं, किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने पुरातन को, वेदों को भुला दें।

यह भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है,
ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है ?

संसार की भवभूतियों का प्रथम यही भंडार है,
विधि ने किया नर-सृष्टि का पहले यहीं विस्तार है।

ऐसा पुरातन देश, जो कि सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने के लिये सक्षम है, इस पुरातन देश की जो धरोहर हमें स्वतन्त्रता के बाद मिली है, उनको भी अगर हम अक्षुण्ण न रख सकें तो यह उनकी भावनाओं के खिलाफ काम होगा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसलिये मेरा कहना है कि स्वतन्त्र भारत में हम स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक धरोहर का विकास कर सकें, इसकी रक्षा कर सकें, इस बारे में एक ठोस नीति बनाकर पूरी राष्ट्रीय नीति के बारे में कार्य किया जाना चाहिए। सरकार ने यह जो काम किया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति बदलती रहती है। 11 कक्षाओं की व्यवस्था के स्थान पर टेन प्लस टू की पद्धति को लागू कर दिया जाता है और शिक्षा का सारा पैटर्न ही बदल जाता है। आजादी के 34 साल के बाद भी हमारी कोई स्पष्ट शिक्षा नीति नहीं बन पायी है। नीति के माध्यम से हम देश को बहुमुखी विकास की ओर बढ़ा सकते हैं। आज हमारा सारा टेलेंट विदेशों में चला जाता है, क्योंकि हम उसका आदर नहीं कर पाते, उसको सम्मानित नहीं कर पाते। यदि सरकार यह व्यवस्था करे कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को शिक्षा के क्षेत्र में सुरक्षित रखा जा सके, तो ज्यादा उपयोगी होगा।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं अपने प्रमुख उत्तर में, इन वस्तुओं के अनुरक्षण और संरक्षण के बारे पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इसमें कुछ और जोड़ना बाकी नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करने से पूर्व, मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को क्यों लाया जा रहा है। जैसा कि सदन को पता होगा, 1968 में न्यायमूर्ति जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में, चलचित्र अधिनियम और सेंसर के समग्र पसलुओं सम्बन्धी कार्य पद्धति के प्रश्न पर विचार करने के लिए, एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1969 को प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन की प्रतियां दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखी गई थीं।

उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक 1973 में पुरःस्थापित किया गया था और इसे पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 अगस्त, 1974 को प्राप्त हुई। तथापि उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले, फिल्म उद्योग की ओर से इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को लेकर बहुत से अभ्यावेदन किए गये थे। अतः सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म नीति पर एक कार्यकारी-दल नियुक्त करने का निर्णय लिया। इस कार्यकारी-दल ने अपना प्रतिवेदन मई, 1980 में प्रस्तुत किया था। अब इसी प्रतिवेदन के प्रकाश में और अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही हम इस संशोधी विधेयक को लेकर आए हैं।

इस संशोधी विधेयक का मुख्य उद्देश्य फिल्मों के परीक्षण हेतु तन्त्र को सरल और कारगार बनाने के लिए और फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए नवीन वर्गीकरण निर्धारित करने हेतु कुछ उपबन्ध करना है। किन्हीं विशिष्ट मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण की सीमित शक्ति के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार को एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में 1963 के सोलहवें संशोधी अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन के प्रकाश में, अधिनियम के अधीन, फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए सिद्धान्तों को विस्तृत करने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लाया गया है।

अब मैं विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा। आजकल, अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अध्यक्ष के अतिरिक्त फिल्म सेंसर बोर्ड में, (जिसे फिल्म प्रमाणीकरण

बोर्ड कहा जायेगा) 9 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। बोर्ड के सदस्यों की संख्या को नौ से बढ़ाकर कम से कम बारह और अधिक से अधिक पच्चीस करने का प्रावधान करने हेतु इस धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हमारे पास बोर्ड के अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हों। अब तो सभी फिल्मों को बम्बई मद्रास या कलकत्ता लाया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम फिल्में—500 से अधिक—बनाने वाले दक्षिण प्रदेश से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन प्रदेशों में प्रमाणीकरण स्वयमेव प्राप्त करने की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिये। संख्या 9 ही रहने पर हम ऐसा नहीं कर सके। सदस्यों की संख्या में वृद्धि से प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना की सुविधा हमें अपने आप मिल जायेगी।

फिर, इस समय अधिनियम की धारा 4 के अधीन फिल्मों का वर्गीकरण 'यू' अर्थात अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन और 'ए' से सार्वजनिक प्रदर्शन यानि केवल बयस्कों के लिए किया जाता है। खोसला समिति और कार्यकारी दल, दोनों की सिफारिशों के आधार पर एक अन्य प्रवर्ग लागू करने का प्रस्ताव है जो कि अन्य देशों में भी सर्वव्यापक है। अर्थात 'यूए' जिसका अर्थ है बारह वर्ष से कम वय के बच्चों के लिए माता-पिता द्वारा मार्गदर्शन की शर्त पर अप्रतिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन।

और फिर, महोदय डाक्टर, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ आदि-आदि जैसे विशिष्ट दर्शकों के लिए एक विशेष प्रवर्ग को लागू करने का भी हम प्रस्ताव कर रहे हैं। पशु पालन के बारे में श्री श्याम बेनेगल ने एक फिल्म बनाई थी। निस्सन्देह पशु-चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के सिवाय उस फिल्म को कोई आम प्रयोजन नहीं था। हम इसे 'यू' या 'ए' दोनों में से कोई भी नहीं दे सके। अतः ऐसा प्रस्ताव है कि 'एस' नाम का एक विशेष प्रवर्ग भी हम रखें, जो कि विशेषज्ञता प्राप्त दर्शकों तक ही सीमित हो।

महोदय, इसके बाद फिल्म के प्रमाणीकरण हेतु मार्गदर्शन के लिए एक सिद्धान्त के रूप में भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता के हितों को सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की धारा 5(ख) को संशोधित किया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ऐसा 1963 में किए गए संविधान के संशोधन के सदृश्य बनाने के लिए किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के स्थान पर, फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णयों पर की जाने वाली अपीलों को सुनने का अधिकार एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण को होगा। ऐसा विधेयक के खण्ड 7 और 8 द्वारा किया गया है। विधेयक के खण्ड 9 द्वारा अपीलों के बारे में जारी किए गए आदेशों के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार को संशोधनात्मक कार्यक्षेत्र सौंपा जा रहा है। फिर भी, संशोधनात्मक कार्यक्षेत्र को केवल संशोधन शक्तियों का स्वतः प्रयोग करने तक ही प्रतिबन्धित किया जा रहा है।

अधिनियम के भाग II के उपबन्धों या उसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों का उल्लंघन करके प्रदर्शित की गई फिल्मों के मामलों में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों को निलम्बित या रद्द करने की शक्ति प्राप्त की जा रही है। ऐसे आदेशों की समीक्षा करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की जा रही है।

अधिनियम के भाग II के अधीन दण्डनीय सभी अपराधों को संज्ञेय बनाया जा रहा है।

इस समय अधिनियम की धारा 7 के अधीन किसी अपराध के लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता है जो तीन मास तक का हो सकता है या जुर्माना हो सकता है जो 1000 रुपये तक होगा या दोनों हो सकते हैं। कारावास के दण्ड की सीमा को दो वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और जुर्माने के रूप में दण्ड को 2000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिससे कि दण्ड को और अधिक कठोर बनाया जा सके। निरन्तर अपराध के मामले में और अधिक जुर्माना लगाने की सीमा को, जो कि आजकल 1000 रुपये प्रतिदिन है, 5000 रुपये प्रतिदिन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

फिल्मों के प्रमामीकरण के सम्बन्ध में, अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों को फिल्म सेंसर बोर्ड (जिसे फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड कहा जायेगा) को शक्तियों के प्रत्यायोजन को अधिसूचित करने के लिए शक्ति प्राप्त की जा रही है।

चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1974 को रद्द करने का प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव है कि एक ऐसी फिल्म के उत्पादक या प्रदर्शक द्वारा, जिसके लिए अधिनियम के अधीन प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उस प्रमाणित फिल्म के किसी मामले में बरती गई अश्लीलता के लिए दण्डित करने का प्रावधान करने वाले किसी कानून के अधीन, उस पर अभियोग नहीं चलाया जायेगा। अन्य संशोधन परिणामजन्य या मामूली प्रकार के हैं।

महोदय इसमें मुझे कतई सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर, जो कि मुख्यतया सीमित एवं सरल प्रकृति के हैं, अपनी मूल्यवान राय देंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : श्री बापूसाहिब परुलेकर का भी एक संशोधन है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि चलचित्र अधिनियम 1952 का और संशोधन करने विधेयक को, एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें निम्नलिखित ग्यारह सदस्य हों, अर्थात :

(1) श्री सतीश अग्रवाल,

(2) श्री जेवियर अराकल,

(3) श्री चित्त बसु,

(4) श्री मूलचन्द डागा,

(5) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव,

(6) श्री हरिकेश बहादुर,

(7) श्रीमती गीता मुखर्जी,

(8) श्री रामविलास पासवान,

(9) श्री रतनसिंह राजदा,

(10) श्री वसन्त साठे, और

(11) श्री बापूसाहिब परुलेकर।

और उसे अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं।" (16)

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, सिनेमा आज विश्व में बहुत ही शक्तिशाली प्रचार माध्यम है। और हमने भारतवर्ष में अब तक इस उद्योग को ठोस रूप दे दिया है तथा सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, श्याम बैनेगल और ऐसे ही अनेक निर्माताओं की फिल्मों में हमारी उपलब्धियों को बहुत ही उच्च स्तर पर विश्व में मान्यता मिली है। उनकी फिल्मों को पुरस्कार मिले हैं। किन्तु सिनेमा जैसे शक्तिशाली माध्यम का इस देश में उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है जैसाकि इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सिनेमा क्या है ? क्या यह केवल मनोरंजन के लिए ही है ? क्या यह शिक्षा के लिए भी उपयोगी नहीं है ? क्या यह सामाजिक परिवर्तन का भी एक साधन नहीं है।

हमारे देश में सिनेमा के बारे में अनुभव यह है कि यह पूर्ण रूप से उन लोगों के शिकंजे में है जिसने पास काला धन है तथा बड़े एकाधिकारी घरानों और उन लोगों के शिकंजे में है जो सिनेमा का प्रयोग, सेक्स, अश्लीलता, हिंसा और युवकों को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए उकसाने के साधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

अब हमारे समक्ष चलचित्र अधिनियम में संशोधन विचार करने के लिए है। मंत्री महोदय द्वारा इसके इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में बता दिया गया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जी० डी० खोसला समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था और 1973 में एक संशोधी विधेयक पारित किया गया था जिसे काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी किन्तु यह अधिनियम संशोधित रूप में और जिसे 1973 में पारित किया गया था, केवल कानून प्रस्ताव में ही है और इसे कभी भी लागू नहीं किया गया था। अब राष्ट्रीय चलचित्र नीति संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार कुछ बातों पर प्रणालीकरण के लिए प्राधिकृत विचार किया गया है। मैं एक एक कर इन मुद्दों को लूंगा। इसमें यू० ए० नामक एक नये ग्रुप को किया जा रहा है और यह कहा गया है कि ऐसी फिल्मों को, जन्हें यू० अथवा ए० प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता था अब बेरोक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए यू० ए० प्रमाणपत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि 12 साल से छोटे बच्चों को वे उनके माता पिता के मार्गदर्शन में दिखायी जायें। हमारे जैसे देश में 40 करोड़ अथवा इससे अधिक लोग अनपढ़ हैं, क्या मातापिता अपने बच्चों का किसी ऐसी फिल्म को देखने या न देखने के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं जिसके बारे में 25

तकनीकी और गैर-तकनीकी विशेषज्ञ यह निश्चय नहीं कर सके कि इसे यू० अथवा ए० वर्गीकृत किया जा सकता है, यह विचार मुझे बेतुका सा लगता है ।

एक अन्य श्रेणी भी है जिसे फिल्मों का 'एस०' श्रेणी कहा जाता है । पश्चिम बंगाल तथा अन्य स्थानों के बारे में हमारा यह अनुभव है । इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जायेगा और इस विशेष श्रेणी के वर्गीकरण का लाभ उठाया जायेगा । सिनेमा ग्रहों में कोई भी व्यक्ति एक व्यवसायिक तथा एक गैर-व्यवसायिक फिल्म के बीच अन्तर नहीं कर सकता । इससे कुछ समस्यायें पैदा हो जायेंगी । इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता इस अवसर का लाभ उठायेंगे और वे धन कमाने के लिए इस श्रेणी का उपयोग करके अश्लील, अशिष्ट, सेक्स तथा हिंसा फिल्में दिखायेंगे ।

मैंने इससे पूर्व भी इसी सभा में कहा था । मैं उस क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना चाहता जिसमें इन फिल्मों को बनाया गया था । कुछ फिल्मों की सेंसर सेक्स बोर्ड द्वारा भिन्न भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत पास किया गया था । ऐसी फिल्मों की बाजार में बाढ़ लगी हुई है जो युवकों के मन को उकसा रही हैं, वातावरण को दूषित कर रही हैं और जिनसे काफी धन कमाया जा रहा है । उनके नामों से ही पता चल जायेगा कि क्या किया जा रहा है। वे नाम हैं आदि मानव में सेक्सी ड्रीम्स, हर नाईट्स रति निरवेदम, ईवल्स आफ रेप, आदि ये फिल्में हैं जिन्हें सेंसर बोर्ड द्वारा पास किया गया है और कई बार इनका विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत विशाल क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें युवकों के मन को विकृत किया जा रहा और इस तरह से मन कमाया जा रहा है । क्या आप को यह विश्वास है कि इस एस०' श्रेणी को केवल व्यवसायिकों के विभिन्न विशेष श्रेणी तक सीमित रखा जायेगा । यह प्रस्ताव किया गया है कि 1963 में किये गये हमारे संविधान के 16वें संशोधन के अनुसार प्रणालीकरण के संबंध में मार्गदर्शन के एक सिद्धान्त के रूप में भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के हित को शामिल किया जाये ।

अखंडता क्या है ? हमारे जैसे देश में अखंडता का अभिप्राय यह है कि सभी संस्कृतियों, सभी भाषाओं, विभिन्न जातीय ग्रुपों तथा वर्गीय ग्रुपों की सभी आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए । कांग्रेसियों द्वारा भी एक सामान्य रूप इसकी मांग की गई थी । भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान उन्होंने अपने प्रस्तावों में कहा था कि हमारे जैसे देश में संविधान संघात्मक होना चाहिए । 1946 में भी कांग्रसियों ने अपने घोषणा पत्र में यह निर्णय किया था कि यह संघात्मक होना चाहिए किन्तु हम अपने अनुभव से क्या देख रहे हैं ?

आठवीं अनुसूची में केवल 15 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है । नेपाली भाषा का क्या हुआ ? जोगरी भाषा का क्यों मान्यता नहीं दी गई ? मणिपुरी का क्या हुआ? मैथिली को क्यों छोड़ा गया ? लाखों लोग इन भाषाओं को बोलते हैं, किन्तु यह अवसर इनके बारे में उल्लेख करने का नहीं है । हमें अपने देश के भिन्न-भिन्न ग्रुपों तथा सांस्कृतिक ग्रुपों की आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिये । मैं अलग-अलग वर्षों में अपने देश में सारी फिल्मों की एक सूची दे सकता हूं । 1975 में हिन्दी की 104,तमिल की,71; तेलुगु की 88 मलयालम की,77; कन्नड़ की 39; गुजराती की 29; मराठी की 10; पंजाबी की 5; उड़िया की 3; असमी की 5; और बंगाली की 35, इसी प्रकार यदि हम 1976-77, 1977-78. 1978-79 और 1979-80 को भारत के लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार की स्थिति

हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय का प्रस्ताव क्या है ? राज्य सूचना और प्रसारण मंत्रियों की पिछले नवम्बर की बैठक में उन्होंने यह सुझाव रखा था कि सिनेमा को संघ सूची में लाया जाना चाहिये अथवा कम से कम इसे समवर्ती-सूची में शामिल जाना चाहिये और यह राज्य विषय नहीं रहना चाहिये । एक संशोधन में यह एक सुझाव है कि सेंसर बोर्ड में 9 की बजाये 12 सदस्य होने चाहिये और ये 25 तक होने चाहिये । किन्तु प्रणालीकरण के नाम पर क्या हुआ है ? यह अध्यक्ष के नाम से मंजूर कर दी जाती हैं । क्या वह किसी फिल्म को देखने की ओर ध्यान भी देते हैं ? क्या माननीय मंत्री इसके बारे में कह सकते हैं ? मैं जानता हूं कि विभिन्न लोगों को, जो सदस्य नहीं है, उन्हें देखने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाता है और वे इस बारे में रिपोर्ट देंगे और उसके पश्चात उस रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड फिल्मों को पास करेगा ।

हमारे जैसे देश में यदि आप आसाम से चलकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जायें तो आप देखेंगे कि संस्कृति इतनी भिन्न-भिन्न है कि बम्बई में रहने वाले भिन्न-भिन्न संस्कृति के व्यक्ति के लिये एक दूसरे को समझ पाना सम्भव नहीं है। अतः भिन्न-भिन्न संस्कृति वाले राज्यों का सेंसर बोर्ड में प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये । ऐसा उपबन्ध अवश्य ही होना चाहिये और राज्य सरकारों को अवश्य ही सेंसर बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिये । अन्यथा लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता । सेंसर बोर्ड में कम से कम राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होने से क्या हानि है ? आपका दल कई राज्यों में सत्तारूढ़ है। हम दो या तीन हैं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । क्या मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि सेंसर बोर्ड में राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने चाहिये जिसे अब प्रमाणीकरण बोर्ड कहा जा रहा है ।

मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। अनेक ऐसी बिल्कुल ही अश्लील तथा अशिष्ट फिल्मों पर जो हमारी संस्कृति के विपरीत हैं, प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता । प्रत्युत दूसरी ओर उन्हें पास कर दिया जाता है । अश्लील फिल्मों को पास कर दिया गया है । मेरे पास ऐसी फिल्मों की लम्बी सूची है ।

मैं एक प्रश्न का उल्लेख कर रहा हूं जिसे मैंने इसी सभा में पूछा था । यह प्रश्न संख्या 2835 है:-

"क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कलकत्ता स्थित सेंसर बोर्ड ने अभी तक उत्पलदत्त द्वारा निर्देशित 'बैशाखी' मेघ नामक एक बंगला फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री ने मुझे यह उत्तर दिया था :

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बैशाखी मेघ 'बंगला' फिल्म को दो कटौतियां करके 'यू' प्रमाण पत्र दे दिया जाये । ज्यों ही निर्देशक द्वारा इन कटौतियों को जमा कर दिया जाये और अन्य औपचारिकताओं को पूरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

महोदय, अश्लील फिल्मों को पास किया जाता है, इस बात का मैंने उल्लेख किया है। मुझे अपने प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित फिल्म की कटौतियों को दिखाने दीजिये। यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक आतंकवादी की कहानी है। अब उस पर स्वतंत्रता के पश्चात एक भिन्न मामले में मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं उस दृश्य के बारे में कह रहा हूं जिसे काटने के लिए कहा जा रहा है।

न्यायाधीश : अपराधी मोहित मित्रा, इससे पहले कि मैं कुछ निर्णय लूं, क्या आपको कुछ कहना है ?

मोहित : जी हां, केवल एक बात कहनी है। बार-बार मेरे दल को चीन-सोवियत संघ का एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है। किन्तु निकट भविष्य में ही विशाल क्रान्ति में से युग की उत्पत्ति होगी और इस क्रान्ति की प्रेरणा चीन अथवा सोवित संघ से मिलेगी। आज संसार में व्यापारी का बोलबाला है, किन्तु वह समय आ रहा है जबकि शूद्रों (अछूतों) का शासन स्थापित होगा। शोर की आवाज—वकील शोर मचाते हैं।

न्यायाधीश : शान्ति, शान्ति, कृपया चीन अथवा सोवियत संघ के लिए यहां प्रचार मत कीजिये।

मोहित : नहीं, नहीं, मैं चीन अथवा सोवियत संघ का प्रचार नहीं कर रहा हूं। ऊपर कहे गये शब्द स्वामी विवेकानन्द के हैं।

अत: उस दृश्य को काट दिया गया है। जैसा कि आपात काल के दिनों में हुआ था कि पंडित नेहरू के उद्धरणों को सेंसर किया गया था। रबीन्द्र नाथ के उद्धरणों को सेंसर किया गया था। यह क्या हो रहा है। क्या यह अघोषित आपात काल स्थिति नहीं है कि इन माननीय मंत्री के दिनों में भी स्वामी विवेकानन्द जैसे महान लोगों के भाषणों तथा उनकी वार्ताओं के उद्धरणों को काटा जा रहा है ? ऐसी बातें हो रही हैं। मुझे इस बारे में कुछ अधिक सूचना प्राप्त हुई है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी कोई स्वस्थ विचार, नया विचार, वैज्ञानिक विचार होता है, ऐसी फिल्मों को सेंसर किया जा रहा है। उन अंशों को काट देने का परामर्श दिया जाता है। किन्तु सक्स और अश्लीलता का चित्रण करने वाली सर्वथा असंगत अथवा अश्लील फिल्मों को पास कर दिया जाता है।

मंत्री महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन को पेश किया है, यह बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण मामला है जो प्रमाणीकरण के बारे में है। इसी सभा में मैंने कई बार फिल्मों को जारी करने के माध्यम संबंधी फिल्म उद्योग की समस्या के बारे में उल्लेख किया है। सत्यजीत रे और मृनाल सेन जैसे लोगों द्वारा बनायी गई फिल्मों को 'चेन' पद्धति के कारण प्रमाणीकरण के समूचे क्षेत्र पर धन के सारी प्रक्रिया पर नियत्रण के कारण समय पर जारी नहीं किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने बंगाली फिल्मों के प्रदर्शन के सम्बन्ध एक विधेयक का प्रारूप पेश किया था और इसे विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। मंत्री महोदय द्वारा उस विधेयक की बहुत प्रशंसा किये जाने का समाचार मिला था। इस पर विभिन्न विभागों; अर्थात गृह

मंत्रालय विधि मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में विचार किया गया था। किन्तु आखिरकार इसे इस आधार पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई कि इससे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। यहां मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। अतः, आप अपनी संस्कृति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। काले धन की सहायता से उद्योगपतियों को लोगों का शोषण करने, सारे वातावरण को दूषित करने, युवा पीढ़ी के नैतिक स्तरों को बिगाड़ने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। सिनेमा एक बहुत सी शक्तिशाली माध्यम है। किन्तु यह केवल चिकनी मिट्टी की तरह ही है। चिकनी मिट्टी से आप एक बन्दर तैयार कर सकते हैं। उसी चिकनी मिट्टी से आप भगवान की मूर्ति तैयार कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है: आप सिनेमा के सम्बन्ध में क्या करेंगे; आप इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे? हम जानते हैं कि प्रमाणीकरण बोर्ड के सदस्य कौन लोग होंगे। यह बात संरक्षण पर आधारित है। आप कुछ लोगों को; अर्थात अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों तथा इस प्रकार के सभी लोगों को संरक्षण देते हैं। क्या आप एक ऐसा मामला बता सकते हैं जिसमें किसी विरोधी को, जो सत्तारूढ़ दल की इच्छानुसार कार्य नहीं करता है, कभी भी इस बोर्ड की अध्यक्षता दी गई हो? मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकारों को प्रमाणीकरण बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। श्री के० ए० अब्बास ने विधि न्यायालय में प्रमाणीकरण बोर्ड को चुनौती दी है। महान्यायवादी ने बहुत पहले आवासन दिया था कि सिनेमा पर सरकार का नियंत्रण उसके हाथ से निकल जायेगा और किसी स्वतंत्र ऐजेन्सी को चला जायेगा। एक प्रस्ताव है कि एक स्वतंत्र अपील न्यायाधिकरण बनाया जायेगा। किन्तु साथ ही सरकार को संशोधनात्मक शक्ति प्राप्त होगी।

यदि आप ऐसी बात कहते हैं जो सत्ताधारी दल के हित के अनुकूल नहीं है तो उस अंश को काटने का निर्देश है। केन्द्रीय सरकार के हाथ में अभी भी नियंत्रण है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि हरएक उसी मार्ग को अपनाए जिसका सरकार ने चयन किया है।

आज भारत में सिनेमा एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग में 3. लाख से अधिक तकनीकी और अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यकारी दल ने निर्माण, वितरण, प्रदर्शन, कराधान नीति, आदि कई बातों के सम्बन्ध में बहुत सी चीजें सुझाई हैं। उनका एक निष्कर्ष यह था कि हमारे देश में थियटरों की संख्या अन्य देशों की तुलना में सबसे कम है और इनकी संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं समझता हूं माननीय मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि सिनेमा गृहों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

उद्योग मंत्री से मैंने यह प्रस्ताव किया था कि उन्हें नये उद्यमियों को नये सिनेमागृहों और थियेटरों के निर्माण में बैंक से वित्त व्यवस्था करने में सहायता करनी चाहिए, जैसा लघु उद्योगों के मामले में किया जाता है। उनका उत्तर था: "नहीं, यह नहीं किया जा सकता है। यद्यपि हम इसे करना चाहते हैं किन्तु हम यह नहीं कर सकते। हम सिनेमा को लघु उद्योग के रूप में भी नहीं मान सकते। अतः बैंक वे सुविधाएं, जो वे लघु उद्योगों को दे रहे हैं, इन्हें नहीं दे सकते।" मैं पूछता हूं कि सिनेमा को एक उद्योग क्यों नहीं माना जा सकता है? वास्तव में, यह बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था। मेरी विशिष्ट मांग यह है कि सिनेमा को यथा सम्भव शीघ्र एक उद्योग माना जाये।

भारत विभिन्न कौमों का देश है जिनकी विविध संस्कृतियां हैं। वास्तव में, भारतीय एकता विविधता पर आधारित है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सिनेमा का विकास हो, यह सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम हो; इससे राष्ट्र का निर्माण हो तथा भारत की एकता बने जिसमें कई संस्कृतियां हैं।

हमें जो भी अच्छा है उसे अपनाना चाहिए। विभिन्न किस्म की फिल्में हैं जैसे वाणिज्यिक फिल्में, कला फिल्में, नये फैशन की फिल्में आदि। किन्तु मेरे अनुसार केवल दो किस्म की ही फिल्में हैं—एक हैं खराब फिल्में, जो बुरी हैं अर्थात् जो समाज के लिए तथा देश के लिए बुरी हैं और दूसरी फिल्म हैं अच्छी फिल्में। जैसे बुरा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से हटा देता है, इसी तरह बुरी फिल्में अच्छी फिल्मों को हटा देती हैं। मेरा तर्क यह है कि अच्छी फिल्मों तथा सिनेमा उद्योग को बचाने के लिए कुछ आमूलचूल तथा बड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि संशोधन से कुछ नहीं बनेगा इससे स्थिति और बिगड़ेगी।

श्री अजीत सिंह दाभी (कैरा) : महोदय, सिनेमा बीसवीं सदी का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। चूंकि यह एक श्रव्य-दृष्टि प्रचार माध्यम है, इसमें देखने वाले में परिवर्तन पाने की पर्याप्त शक्ति है। सिनेमा फिल्में दर्शकों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। अत: समाज को बदलने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अत: यह उचित ही था कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ ही वर्ष बाद 1952, में आधुनिक भारत के निर्माता, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने चलचित्र अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के बनाने वालों को यह भी भलीभांति मालूम था कि सिनेमा फिल्मों की छोटी उम्र के बालक तथा बालिकाओं के दिमाग पर अमिट छाप पड़ सकती है। अत: सैंसर व्यवस्था उसे अधिनियम का मुख्य स्वरूप है। गंदी फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिनसे समाज की क्षति पहुंचेगी, कुछ वर्ष पहले फिल्म सैंसर बोर्ड की स्थापना की गई। उसके बाद इस बोर्ड की कुछ कृत्य आवंटित किये गये। इस बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी फिल्म को स्वीकृत करे अथवा न करे या उस फिल्म के किसी भाग को काटकर स्वीकृत करे। किन्तु इस फिल्म सैंसर बोर्ड का काम बहुत कठिन तथा जोखिम है क्योंकि सभी को संतुष्ट करना कठिन है। फिल्म उद्योग में ही विभिन्न दबाव डालने वाले ग्रुप हैं। यहां तक कि संसद एवं राज्यों के विधायकों ने भी फिल्मों के अधिक गिरे हुए स्तर के बारे में शोर मचाया तथा इसकी आलोचना की। किन्तु आखिर यह काम सम्पन्न किया जाना है। बोर्ड की नीति में कला फिल्मे तथा ऐसी पूर्णत: वाणिज्यिक फिल्म के बारे में भेद हो सकता है जो बहुत ही गंदी हों। महोदय, पाश्चात्य फिल्मों, विशेषरूप से अमरीकी फिल्मों के आयात में वृद्धि होने के बाद तथा हमारे फिल्म निर्माताओं द्वारा इन फिल्मों की नकल करने से सैंसर की व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। इस उद्योग में पहले ही—निम्नस्तरीय अश्लील साहित्य रहा है और हमारे फिल्म निर्माता द्वारा भी स्त्री अथवा पुरुषों को वहां अभिनेता या अभिनेत्री की संज्ञा दी जाती है। कुछ समय पूर्व यहां दिल्ली में विज्ञान भवन में हमारे प्रसिद्ध निर्देशक एव निर्माता, वी० शान्ताराम ने सही कहा था कि आज

खजुराहो और कोणार्क की संस्कृति के नाम पर अश्लीलता पनप रही है। यह विचार थे जो हमारे प्रसिद्ध निर्देशक एवं निर्माता ने व्यक्त किये थे। इसके अलावा जहां तक फिल्म उद्योग का सम्बन्ध है मदिरा पान, लड़कियों के साथ बलात्कार के दृश्य; डकैतियां तथा ये सभी चीजें आम बातें हो गई हैं। ऐसी फिल्मों का सिनेमा देखने वालों पर, विशेष रूप से बालक तथा बालिकाओं पर जो कम उम्र के हैं; क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा ? यहां तक कि फिल्मों में मदिरापान की प्रशंसा में इस प्रकार के गीत होते हैं—

"मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं।
जिसका बड़ा भाई हो शराबी,
उसका छोटा भाई पिये तो इसमें क्या खराबी।

मदिरापान की प्रशंसा में ये सब चीजें हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हम किस प्रकार की संस्कृति प्रदर्शित कर रहे हैं ? हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किसी युवक ने डकैती अथवा चोरी जैसे अपराध फिल्मों का अनुकरण कर किये। अत: बोर्ड के सदस्यों को अच्छे पुलिस कर्मचारी की भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें समाज के अनुसार सजग, उदार तथा बुद्धिमान होना चाहिए किन्तु अन्ततः पुलिस की ही भूमिका निभानी चाहिए। महोदय, गत 10 अथवा 15 वर्षों से देश में एक आम धारणा रही है कि मूल चलचित्र अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिए और इसमें कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में, जैसा कि विपक्ष के मेरे माननीय मित्र ने जिक्र किया है, खोसला समिति के प्रतिवेदन के आधार पर; जिसके सभापति पंजाब उच्च न्यायालय के एक भूत-पूर्व न्यायाधीश थे; चलचित्र (संशोधन) अधिनियम (अधिनियम संख्या 27) 1974 में पास किया गया। किन्तु दुर्भाग्यवश उस संशोधन को आवश्यक अधिसूचना जारी कर मूल अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। अत: गत 7 वर्षों से वह विशेष संशोधन अधिनियम कानून पुस्तक में रहा।

सात वर्ष के बाद सरकार यह चलचित्र (संशोधन) विधेयक; 1981 लायी है। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि कभी न होने से देर भली। मूल अधिनियम के अन्तर्गत एक फिल्म 'सेंसर' बोर्ड की स्थापना की गई थी किन्तु 'सेंसर' शब्द का बुरा अर्थ लगाया जाता है। वास्तव में "बोर्ड आफ फिल्म सेंसर्स" कुछ सुखद नहीं लगा है और वास्तव में कई सिनेमा निर्माताओं और कलाकारों को पसंद नहीं आया क्योंकि ज्यों ही हम "बोर्ड आफ सेंसर" का जिक्र करते हैं, हमारी आंखों के सामने तत्काल एक ऐसे दैत्य की तश्वीर आती है जिनके हाथों में कैंची है और निर्दयता से फिल्म को काटने के लिए तैयार है। यही तश्वीर दिमाग में आती है। अत: सरकार ने इसके नाम को "बोर्ड आफ सेंसर्स" से बदलकर "बोर्ड आफ फिल्म सर्टीफिकेशन" उचित ही किया है। प्रमाणीकरण के प्रयोजन से फिल्मों को चार श्रेणियों में बांटा गया है अर्थात् 'यू', 'ए', 'एस' और 'यूए'। 'यू' प्रमाणपत्र का अर्थ है कि यू वेरीफ सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए है। जब किसी फिल्म को 'ए' प्रमाणपत्र दिया जाता है तो इसका अर्थ है यह केवल प्रौढ़ लोगों के देखने के योग्य है। यह केवल प्रौढ़ों के लिए है। जहां तक 'एस' प्रमाणपत्र का सम्बन्ध है कि फिल्म किसी विशेष व्यवसाय अथवा वर्ग के लोगों को दिखाने के योग्य है। किन्तु जहां तक 'यू० ए०' प्रमाणपत्र

का सम्बन्ध है, मुझे सन्देह है कि क्या इसका कोई अर्थ होता है। धारा 4 के उपबन्धों के साथ पठित नई धारा 5 के अनुसार यू० ए०' का अर्थ है कि यह बेरोक सार्वजनिक प्रदर्शन के योग्य है बशर्ते कि 12 वर्ष से कम के बच्चों के लिए यह इस पृष्ठांकन से दिखाई जाये कि उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों ने इसकी अनुमति दी है। आमतौर से 12 वर्ष से कम से कम के बच्चों के माता-पिता सिनेमा नहीं देखते हैं। यही नहीं बल्कि कितने माता-पिता इस प्रकार के होंगे जो जब तक स्वयं किसी फिल्म को देखकर और यह सुनिश्चित कर कि यह अच्छी फिल्म है और देखने योग्य है यह कहें "तुम उस फिल्म को देखने नहीं जाते।" क्या यह सम्भव है ? इसके विपरीत जब भी कोई 'ए' प्रमाणपत्र वाली फिल्म होती है तो बालक और बालिकायें अधिक संख्या में चुपके तथा बिना अपने माता-पिता की अनुमति के उसे देखने जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि लड़के सिनेमाघर के द्वारपाल को 2 अथवा 4 रुपया की रिश्वत दे देते हैं। वे ऐसी फिल्म को अवश्य ही देखेंगे। इसलिए मुझे सन्देह है कि उस विशेष प्रमाणपत्र "यू० ए०" को बनाए रखना तथा उसे कानून की पुस्तक पर रखने का कोई लाभ है।

संशोधन करने वाले विधेयक के खण्ड 11 का, जिसके द्वारा अपराधों के लिये दंड में वृद्धि की गई है, मैं स्वागत करता हूं। यह भी उचित ही है कि अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को दण्डनीय बनाया गया है। यह इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी सिद्ध हो सकेगा।

मेरे मित्र ने ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक प्रमुख प्रगतशील लेखक हैं, द्वारा दायर किये गये मामलों का उल्लेख किया है। जहां तक मैं जानता हूं धारा 5 (घ) के अन्तर्गत एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है और मार्गदर्शन निर्धारित किये गये हैं। परन्तु इस धारा में यह कहीं भी संकेत नहीं किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण कितनी अवधि में अपना निर्णय दे। उस स्थिति में सरकार ने महान्यायवादी के माध्यम से यह आश्वासन दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। यदि यह स्थिति है, तो सरकार को उस आश्वासन से मुकरने का कोई कारण नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन करने वाले विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय को इस संकट के समय इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिये जाने के लिए समय सीमा न निर्धारित किये जाने के मामले में मंत्री महोदय कुछ बतायेंगे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

** **श्री ईरा मोहन** (कोयम्बतूर) : सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये गये चल-चित्र (संशोधन) विधेयक पर मैं अपनी पार्टी द्रमुक की ओर से अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

हमारे देश में चलचित्र एक सबसे बड़ा उद्योग है तथा उस पर हजारों करोड़ रुपए लगे हुये हैं। मनोरंजन कर तथा उत्पाद-शुल्क के रूप में केन्द्रीय सरकार इससे तथा राज्य सरकारों को इससे करोड़ों रुपयों का राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। यह भी सच है कि इस उद्योग ने लाखों लोगों

** तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

को रोजगार दिया है । मैंने पिछले सप्ताह पास किए गए लाखों चल-चित्र कार्मिकों के कल्याण संबन्धी विधेयक को अपना समर्थन दिया था । सूचना तथा प्रसारण मंत्री को इस बात का श्रेय मिलता है कि उन्होंने इस विधेयक का सफलतापूर्वक संचालक किया है अब इस उद्योग में व्याप्त भारी कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री ने इस संशोधनकारी विधेयक को पेश किया है और इस विधेयक का पूरी तरह स्वागत करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

इस विधेयक द्वारा सेंसर बोर्ड का नाम बदलकर फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड करने का प्रयास किया गया है । प्रमाणीकरण बोर्ड में ? सदस्यों के स्थान पर 12 से 25 सदस्यों की व्यवस्था की जा रही है । विधेयक के इन उपबन्धों पर मेरा कोई मतभेद नहीं है ।

मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाये जिन्हें चल-चित्र निर्माण की समस्याओं की पूरी जानकारी हो । वास्तव में ये व्याप्त ललित-कलाओं में रुचि रखने वाले होने चाहिए । सेंसर बोर्ड के सदस्य हमारी सांस्कृतिक परम्परा तथा प्राचीन सभ्यता को समझने वाले व्यक्ति होने चाहिए । मेरा अनुभव है कि ऐसे व्यक्तियों को सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है जिन्हें फिल्म निर्माण की कोई जानकारी नहीं है । सरकार को उत्पादकों, तकनीशियनों तथा सफल प्रदर्शनकर्त्ताओं में से विशेषज्ञों को चुनने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं है । हमारे पास प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभाव नहीं है, जिन्होंने हमारे देश में सामाजिक पुनरुत्थान के युग का प्रारम्भ किया है । क्योंकि चल चित्रों का प्रभाव हमारी सामाजिक स्थिति पर पड़ता है । अतः सेंसर बोर्ड में हर धारणा वाले व्यक्ति चुने जाने चाहिये जो कि हालात की मजबूरी से वशीभूत न हों । मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय पुनर्गठित फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करते समय इन बातों पर ध्यान रखेंगे ।

अब मैं उस ढंग का उल्लेख करूंगा जिसके अनुसार फिल्म का सेंसर किया जाता है। सेंसर बोर्ड प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा के लिए एक जांच समिति गठित करता है तथा उक्त समिति का सेंसर से पहले चल-चित्र देखने का काम सौंपा जाता है । यह जांच समिति सेंसर बोर्ड को रिपोर्ट भेजती है जिसमें आधार पर सेंसर बोर्ड बिना चल-चित्रों को देखे प्रमाणपत्र जारी करता है । यह वास्तव में गलत है । यह इसके विपरीत होना चाहिए । सेंसर बोर्ड को क्षेत्रीय समितियां नियुक्त करनी चाहिए जिनमें ऐसे सदस्य हों जो क्षेत्रीय भाषा को जानते हों तथा जिनके पास फिल्में देखकर प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति होनी चाहिए । मद्रास में क्षेत्रीय समिति में सेंसर बोर्ड के ऐसे सदस्य होने चाहिए जो तमिल भाषायें जानते हैं, उसी प्रकार त्रिवेन्द्रम में मलयालम जानने वाले सदस्य होने चाहिये, बंगलौर में कन्नड़ जानने वाले तथा हैदराबाद मे तेलगु जानने वाले सदस्य होने चाहिए । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें तथा अविलंब आवश्यक कार्यवाही करें । वर्तमान सेंसर प्रणाली में मेरे सुझावों के अनुसार सुधार किया जाये ।

उस अपीलीय न्यायाधिकरण में, जिसमें फिल्म निर्माता अपनी शिकायतें ले जा सकते हैं । अध्यक्ष न्यायाधीश हो अथवा जो न्यायाधीश बनने के योग्य हो । मुझे आश्चर्य है कि न्यायाधीश की वहां पर क्या आवश्यकता है ये कोई न्यायालय का मामला नहीं है जिसमें न्यायाधीश दोनों पक्षों के

तर्कों को सुनें। इसमें कोई गम्भीर क़ानूनी मसले नहीं हैं। अपीलीप न्यायाधिकरण को इस बात पर ध्यान देना है कि सेंसर बोर्ड ने जिन दृश्यों को हटा दिया है उन्हें पुनः फिल्मों में लिया जाना चाहिए अथवा नहीं। इस कार्य के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं है। अपीलीप न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिये जो कि इस उद्योग का व्यक्ति हो, जिन्हें चल-चित्र निर्माण की सभी प्रक्रियाएं ज्ञात हों तथा जो फिल्म उद्योग के विकास के लिए वचनबद्ध हो। अपीलीप न्यायाधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके विचार किसी फिल्म के बारे में निर्णय को प्रभावित न करें। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय अपीलीप न्यायाधिकरण का गठन करते समय इसका ध्यान रखेंगे।

मैं यह भी सुझाव देता हूं कि अपीलीप न्यायाधिकरण का मुख्यालय मद्रास में होना चाहिए जो कि देश में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाला केन्द्र है। फिर, बंबई को अपीलीप न्यायाधिकरण के मुख्यालय के लिए नहीं चुना जाना चाहिए।

इस विधेयक में फिल्मों का वर्गीकरण 'यू' वर्ग, 'यू ए वर्ग, 'ए' वर्ग तथा 'एस' वर्ग में किये जाने का प्रयास है। इस समय केवल दो वर्ग अर्थात 'ए' तथा 'यू' वर्ग हैं। यह बात ठीक है कि 'यू ए' फिल्में 12 वर्ष से अधिक के व्यक्ति देख सकते हैं, 'ए' वर्ग की फिल्में 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति देख सकते हैं। डाक्टरों जैसे व्यवसायी व्यक्तियों के लिए 'एस' वर्ग की फिल्में रखना अच्छी बात है। परन्तु छविगृहों में इन वर्गों की फिल्मों के प्रदर्शन की क्या वास्तविक स्थिति है। आमतौरपर ऐसा होता है कि 'ए' वर्ग की फिल्मों के देखने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के लोग होते हैं। सेंसर नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। किसी फिल्म को सेंसर करने तथा उसे वयस्कों के लिए घोषित किये जाने का क्या लाभ है जबकि ऐसी फ़िल्में मुख्यतः 18 वर्ष से कम के बच्चों द्वारा देखी जाती हैं? यदि ऐसा कोई कानून नहीं है तो जनता की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। फिल्म प्रदर्शन कर्त्ताओं को तब तक कोई परिवार नहीं है वे पूरी टिकटें लेते हैं। वहां इसे रोकने के लिए कोई पुलिस अथवा अन्य अधिकारी नहीं होता है। जो फिल्म प्रदर्शन कर्त्ता 18 वर्ष से कम के बच्चों को वयस्क फिल्में दिखाते हैं उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। इस बारे में जो कुछ भी किया जाना आवश्यक है सरकार को उसे तुरन्त करना चाहिए। मुझे विश्वास है सूचना तथा प्रसारण मंत्री इस दिशा में कार्यवाही करेंगे।

मैं देश में इस समय विद्यमान निरंकुश सेंसर प्रणाली की निन्दा करता हूं। मैं तमिलनाडु का हूं तथा मान लीजिए कि मैं तमिल तथा हिन्दी, दोनों में फिल्में बनाता हूं। जो दृश्य तमिल में काट दिये जाते हैं उन्हें हिन्दी में रहने दिया जाता है। कहानी वही होती है तथा विषयवस्तु भी वही होती है। इस समय सेंसर के विभिन्न मानदण्ड विद्यमान हैं। यह स्थिति मलयालम फिल्मों, तेलगु फिल्मों, कन्नड़ फिल्मों तथा कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में विद्यमान है। इससे अव्यवस्था के हालात पैदा हो गये हैं। मद्रास में हिन्दी फ़िल्मों में नायिकाएं अर्द्ध नग्न तथा कई बार नग्न भूमिका निभाती हैं जिससे हाल पूरे भर जाते हैं। ऐसे अश्लील दृश्यों वाले पोस्टर दर्शकों को आकर्षित करते हैं। इनमें कोई कहानी नहीं होती है और न ही कोई क्रान्तिकारी

सामाजिक संकल्पना होती है परन्तु फिर भी ये धन कमा रही हैं। हिन्दी की इस प्रकार की फिल्मों के समक्ष क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की कोई मांग नहीं है। अब समय आ गया है जबकि भारत सरकार फिल्म सेंसर के लिए समान मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाये। फिर मैं इस कार्यवाही के अत्यन्त शीघ्र किये जाने का आग्रह करता हूं, यदि हमारे देश के सामाजिक मूल्यों को क्षति न पहुँचे।

हमारे मंत्री महोदय श्री वसन्त साठे हाल ही में मद्रास गये थे। उस समय हमारे भूतपूर्व सिनेमा अभिनेता तथा वर्तमान मुख्य मंत्री श्री एम० जी० आर० ने उनसे निवेदन किया कि वह तमिल की फिल्म 'थन्नीर', 'थन्नीर', पर प्रतिबन्ध लगायें। सायंकाल में सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए **श्री** वसन्त साठे ने पत्रकारों को बताया कि मुख्य मन्त्री ने उनसे फिल्म पर इसलिए रोक लगाने को कहा है क्योंकि इस फिल्म में नक्सलवादियों की कहानी का प्रभाव है। और सरकार इस बात की जांच करेगी।

मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय ने इस फिल्म को देखा है। यदि उन्होंने फिल्म देखी भी हो तो भी वह उसके उस रूप में नहीं समझे होंगे जैसा कि तमिलवासी समझता है। श्री के० बालचन्द्र, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, तमिल फिल्मों के लिए नये नहीं है। उन्होंने बहुत सी तमिल फिल्मों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। वास्तव में वह तमिलनाडु के "सत्यजित रे" माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास की कहानियों को क्रान्तिकारी संकल्पना के साथ तमिल चलचित्र में दृढ़तापूर्वक रखा है। इस फिल्म में उन्होंने हमारे गांवों में पीने के पानी की समस्या को चित्रित किया है। उन्होंने सरकार की कमियों की ओर ध्यान दिलाया है जिसके कारण तमिलनाडु के गांव कष्ट उठा रहे हैं। इस फिल्म में एक गांव में पेय जल की कमी को चित्रित किया गया है। इसे नक्सलवादी आन्दोलन का चित्रण नहीं माना जा सकता।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने, जिनकी अपने फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में यौवन काल में फिल्मों में अश्लील दृश्यों के प्रति अभिरुचि रही है, उस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उनकी सरकार की विफलताएं चित्रित की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग नहीं की है।

श्री ईरा मोहन : मुख्य मंत्री दोहरी भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अवश्य ही पत्रकारों को ऐसा कहा होगा तथा श्री वसन्त साठे के साथ अपनी गोपनीय बैठक में इस फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा होगा। तमिलनाडु में हर कोई जानता है कि वह दोहरी भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया होगा "कि मैंने इस फिल्म पर रोक लगाने को नहीं कहा है।" श्री वसन्त साठे से उन्होंने कहा होगा कि इस फिल्म पर रोक लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे जानते हैं कि श्री रामचन्द्रन ने श्री साठे को गुप्त रूप से कहा होगा ?

श्री ईरा मोहन : श्री साठे ने स्वयं इस तथ्य की जानकारी पत्रकारों को दी थी। मैं अपनी पूरी शक्ति से मांग करता हूं कि इस फिल्म पर रोक न लगाई जाये।

हम सब इस संसद में समर्पण तथा निष्ठा से काम कर रहे हैं। हम देश भर के पददलित वर्ग के उत्थान के लिये योजनायें बनाते हैं। क्षमतावादी समाज के निर्माण हेतु हम कानून बनाते हैं। यह संसद लोगों की शिकायतों तथा मांगों को बुलन्द करने वाला सबसे बड़ा मन्त्र है और यह मंत्र लोगों की शिकायतों का समाधान करने में कभी भी असफल नहीं रहा। फिर भी संसद तथा यहां की गयी कार्यवाही को समाचार समाचार पत्रों में हर समय बुरी तरह तथ्य द्वेष के साथ आलोचना की जाती है। कुछ समाचार पत्रों तथा दैनिक समाचार पत्रों ने हमारी सरकार के प्रजातन्त्रीय कार्यों को महत्वहीन बनाना अपना कर्तव्य मान लिया है। वे यह कहने में संकोच नहीं करते कि हम परजीवी हैं और हम जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। चूंकि इस सर्वोच्च संस्था संसद ने प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धान्त के रूप में बोलने की आजादी प्रदान की है, इसलिये इस पवित्र अधिकार के खुले उल्लंघन के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार इस फिल्म पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये/विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इ के द्वारा राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कोई भी बात प्रदर्शित नहीं की गयी है, इसमें केवल सरकार की गलतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं को ही प्रदर्शित किया गया है।

निष्कर्ष में, मैं सुझाव दूंगा कि देश भर में फिल्मों के सेंसर के लिये समान मार्गदर्शी सिद्धान्त होने चाहिये, फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के सदस्य फिल्म उद्योग से ही होने चाहिये, यदि आवश्यक हो तो, यह सुनिश्चित करने लिये एक कानून बनाया जाना चाहिये कि प्रदर्शनकर्ता उन शर्तों का पालन करे, जिसके अन्तर्गत फिल्म को केवल व्यस्कों के लिए अथवा किसी अन्य श्रेणी के अन्तर्गत सेंसर किया गया हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दल ट्रमुल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिमी) : सभापति महोदय, इस विधेयक के प्रावधान···

एक माननीय सदस्य : क्या ये सभापति महोदय हैं ?

श्री राम जेठमलानी : मुझे बहुत खेद है, उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक के प्रावधान मुख्यतः अहानिकर हैं और उनमे से कुछ तो हितकारी हैं। मैं मंत्री महोदय को इस सिद्धान्त के मानने के लिये बधायी देता हूं कि सरकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार किसी न्यायाधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना चाहिये।

मैं उन्हें दी गयी बधायी में कमी नहीं करना चाहता। लेकिन हस्तांतरण सम्बन्धी इस विधेयक का प्रावधान एक बहाना है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय, यदि किसी संशोधन द्वारा नहीं तो कम से कम व्यवहार में इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह एक बहानामात्र न रहे।

सरकार को यह शक्ति बोर्ड के हस्तांतरित करनी है जिसकी नियुक्ति पूर्णतः सरकार ही करेगी। बोर्ड का चेयरमैन ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हो जिसका अर्थ उनके दल का कोई वकील ही है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : दस साल के अनुभव के साथ।

श्री राम जेठमलानी : शेष चार के बारे में योग्यता केवल यही है कि वे फिल्म के जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकने योग्य होने चाहिये। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसके बारे में विधेयक का विरोध या इसकी आलोचना के उद्देश्य से नहीं बल्कि मंत्री महोदय द्वारा यह ध्यान रखने के लिये मैंने चिन्ता व्यक्त की है कि वह इस बात को समझें कि हमारे दिमाग में क्या है ? उस विख्यात 'विशेष अदालत' के मामले में, जिसके मूल विधेयक में इन विशेष न्यायाधिकरणों के लिये सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, उनके दल के लोगों की ओर से एक जोरदार तर्क दिया गया था। हमने उस आलोचना की वैधता को स्वीकार किया और अन्ततः उच्चतम न्यायालय ने अपने कम से कम छः पृष्ठ के निर्णय में इस बार बहुत कुछ कहा कि न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीशों को न्यायिक कार्यों पर क्यों न लगाया जाये और मेरे विचार में उन्हें इन न्यायाधिकरणों में नहीं रखा जाना चाहिये जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य को करेंगे।

फिल्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा लोगों के मूलभूत अधिकार का एक पहलू है। यदि सम्भव हो तो इसे सरकार के प्रोत्साहन द्वारा विकसित किया जाना चाहिये। इस माध्यम द्वारा जरूरी तौर पर सत्तारूढ़ लोगों की कटु आलोचना की जानी चाहिये, उनकी कमियों तथा त्रुटियों को बताया जाना चाहिये और ईमानदारी की कमी, जहां भी नजर आये, को दर्शित किया जाना चाहिये। यह काम उस भावना से नहीं किया जा सकता जिसके बारे में लोगों को विश्वास होगा कि काम सेवा निवृत न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि विशेष अदालत विधेयक के प्रस्तावक के नाते मैंने उस आलोचना को स्वीकार किया और हमने विधेयक को संशोधित किया। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के प्रावधान के बारे में कुछ कहा है जिसके बारे में, एक वकील के नाते, श्री साठे ने पढ़ा होगा, और मैं चाहता हूं कि वे दुबारा पढ़ें।

जहां तक शेष चार सदस्यों का सम्बन्ध है, इस योग्यता की बजाय वे फिल्म का लोगों पर पडने वाले प्रभाव को आंकने योग्य होने चाहिये। मैंने सोचा था कि पहली योग्यता यह होनी चाहिये कि उन्हें इस माध्यम के मूल्य तथा महत्व को समझना चाहिये कि यह स्व-अभिव्यक्ति का एक अंग है और यह माध्यम ऐसा होना चाहिये, जो हमारे राजनीतिज्ञों की निंदा कर सके और जरूरी हो तो उनका पर्दाफाश करे। लोगों की आवश्यकतायें सर्वोपरि होनी चाहिये और बोर्ड में बैठने वाले लोगों को अपनी बुद्धि से समझने की क्षमता होनी चाहिये।

मैं श्री साठे को जानता हूं, मुझे आशा है कि मैं उन्हें गलत नहीं समझ रहा—कि वे शुद्धिवादी नहीं हैं बल्कि खासे अनुमति बोधक हैं; वे एक यथार्थवादी हैं और पाखंडी नहीं है। मेरे विचार में सेंसर बोर्ड के लिये निर्धारित 'ये करो, ये न करो' जैसी कुछ बातें विवेकहीन है।

फिल्मों को पर्याप्त रूप से व्यावहारिक बनाने से ही आप लोगों को शहरी क्षेत्रों के 'रेड लाइट एरिया' जैसे विनाशक, घृणात्मक और खतरनाक स्थानों से छुटकारा दिला सकते हैं ? यदि आप फिल्मों को कुछ अधिक मनोरंजक बनायें तो आप उन्हें अन्य बुराइयों से छुड़ा सकेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि फिल्में सुरुचिपूर्ण होनी चाहिये लेकिन आप इस देश में सभी वर्गों के लोगों को सत्यजीत राय की फिल्में नहीं दिखा सकते। मैं समझता हूं कि फिल्मों में सभी वर्गों के लोगों के लिये यथासम्भव मनोरंजन मिलना चाहिये और इस प्रकार फिल्मों का स्तर उनकी रुचि तथा नैतिक और राजनैतिक स्तर के अनुसार होना चाहिये। यदि प्रमाणीकरण अथवा सेंसर बोर्ड इस भावना से काम करे कि फिल्मों द्वारा मनोरंजन प्रदान किया जाना है, तो मेरे विचार में चल-चित्र अधिनियम कुछ उपयोगी सिद्ध होगा।

मेरा सुझाव है कि इस प्रमाणीकरण बोर्ड में ऐसे लोग होने चाहिये जो सचमुच समाज तथा लोगों की जरूरतों को समझते हैं तथा इससे भी अधिक फिल्मों द्वारा आत्माभिव्यक्ति और जरूरी हों तो राजनैतिक आलोचना किए जाने की जरूरत को समझते हों। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका उपयोग आपके विरुद्ध किया जा रहा है। शायद आप ही इसे भविष्य की सरकारों के विरुद्ध इस्तेमाल करें। प्रजातन्त्र में सरकारें बदलती हैं और किसी समय आपको इस माध्यम को स्वयं किसी सत्तारुढ़ सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल करना पड़ेगा।

मैं इस विधेयक का विरोध औपचारिक रूप से नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैंने अपनी चिन्ता व्यक्त की है ताकि मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रखें और किसी औपचारिक संशोधन द्वारा या वास्तविक उपयोग द्वारा इन गलत धारणाओं को दूर करें।

श्री हरीशचन्द सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में प्रो० रूपचन्द पाल, श्री जेठमलानी तथा श्री दामी के विचारों को सुना। माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं हम यह समझते थे कि जितने विलम्ब से यह बिल आया है, इसका उद्देश्य फिल्म इण्डस्ट्री के विषय में पूरी पालसी के सन्दर्भ में होगा। लेकिन हम यह देखते है कि इस बिल के जरिये उन्होंने जो 1952 का एक्ट है उसमें कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन करने की कोशिश की है। इस परिवर्तन से उस एक्ट में जो छोटी-मोटी कमियां थीं उनको यह निश्चित तौर पर दूर करता है, मंत्री जी की जो मंशा है यह निश्चित तौर पर उनकी पूर्ति करता है, लेकिन जिस प्रास्पैक्टिव में, जिस दृष्टिकोण से आज हम फिल्म इण्डस्ट्री को देखते हैं, उस इण्डस्ट्री की जो बढ़ती हुई आवश्यकतायें हैं यह निश्चित तौर पर उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें। अब श्री मगनवाई बगोट समा पटल पर पत्र रखें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा इन अधिसूचनाओं के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचनायें और इन अधिसूचनाओं के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनबाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) अधिसूचना संख्या 192/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है कि जिसमें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 को पहली अनुसूची की मद संख्या 27 के अन्तर्गत आने वाले सभी एल्यूमिनियम उत्पादों के लिए मूल्यानुसार 40 प्रतिशत के मूल उत्पादन-शुल्क की प्रभावी दर के पुर्ननियतन की मांग की गई है।

(दो) अधिसूचना संख्या 193/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है जो एल्यूमिनियम को सिल्लयों पर मूल उत्पाद-शुल्क को मूल्य के 40 प्रतिशत से कम करके मूल्य के 20 प्रतिशत करने; रोल्ड और अहिवेक्षित एल्यूमिनियम उत्पादों पर मूल उत्पाद-शुल्क को मूल्य के 40 प्रतिशत से कम करके मूल्य के 26 प्रतिशत करने; एल्यूमिनियम फाइलों पर मूल उत्पाद शुल्क को मूल्य के 32 प्रतिशत से कम करके मूल्य के 25 प्रतिशत करने; बर्तन बनाने के काम आने वाले एल्यूमिनियम सर्किलों पर मूल उत्पाद-शुल्क को मूल्य के 28 प्रतिशत से कम करके मूल्य के 15 प्रतिशत करने और प्राथमिक उत्पादों द्वारा उत्पादित तार छड़ों पर मूल उत्पाद-शुल्क को मूल्य के 40 प्रतिशत से कम करके मूल्य के 21 प्रतिशत करने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 194/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित कतिपय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है।

(चार) अधिसूचना संख्या 195/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क जो दिनांक, 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 को पहली अनुसूची की मद संख्या 34 के उपमद (11) के अधीन आने वाले विद्युतचालित दो पहिये वाले मोटरा-यानों को छूट देने के बारे में है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के बारे में दो व्याख्यात्मक ज्ञापनों की एक-एक प्रति।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) अधिसूचना संख्या 259/81 सीमा-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम की सिल्लयों या एल्यूमिनियम तार छड़ो को मूल सोमा-शुल्क से छूट दी गई है और मूल सीमा-शुल्क को मूल्य के 15 प्रतिशत पर नियत

किया गया है और उपसंगी सीमा-शुल्क को मूल्य के 5 प्रतिशत के बजाय जैसाकि अभी तक था, मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर नियत किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या 260/81/सीमा-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है जिसके द्वारा 97 प्रतिशत से अधिक एल्यूमिनियम वाले एल्यूमिनियम विनिमाणों पर मूल सीमा-शुल्क बढ़ाया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 260/81/सीमा-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं तथा जो 97 प्रतिशत एल्यूमिनियम वाली एल्यूमिनियम फायल (सामान्यतः चाय की पेटियों के भाग और फिटिंग में प्रयोग की जाने वाली फायल समेत परन्तु निक्षारित और रूपित एल्यूमिनियम फायल से भिन्न) पर सीमा-शुल्क बढ़ाया जाने के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या 262-81/सीमा-शुल्क और 263-81/सीमा-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं जिनके द्वारा परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अनावश्यक हो गई अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है।

(पांच) अधिसूचना संख्या 264-81/सीमा-शुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क की नई दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(छः) अधिसूचना संख्या 265-81/सीमाशुल्क जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं, जिसके द्वारा स्थायी चुम्बकीय से डी० सी० मोटरों जब उनका को दो पहियों वाले विद्युत चालित यानों के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाता है, उन पर उदग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो और मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक है तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, छूट दी गई है।

(सात) अधिसूचना संख्या 266-81 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 129-सीमाशुल्क दिनांक 12 मई, 1981 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बारे में दो व्याख्यात्मक ज्ञापनों की एक-एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2994/81]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.04 म० प्र०

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1981/13 अग्रहायण, (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थापित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मोजपुर, दिल्ली-153